पंजी. संख्या UPHIN/2018/77444 **Refereed & Peer Reviewed** ISSN 2582-1288

₹ 200 वर्ष : ८ अंक : १ दिसंबर२०२५-फरवरी २०२६

शोधादर्श

संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिकी

Impact Factor 8.79

DOI

doi.org/10.5281/

आवरण : मृदुला त्यागी

भारत

विकास की ओर बढ़ते कदम

Coming Soon

RAJTARA®
AGRO FRESH

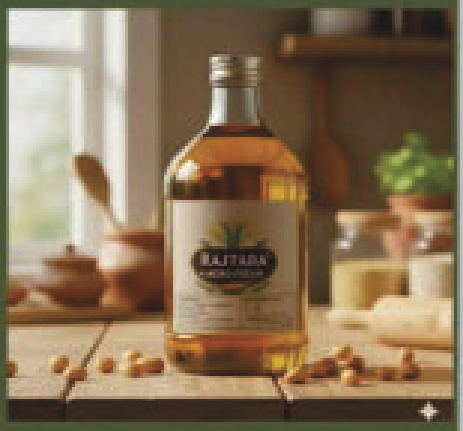

अच्छे स्वास्थ्य के लिए आर्गेनिक अपनाएं

संपादक
अमन कुमार
संयुक्त संपादक
डॉ. गुर्रमकोंडा नीरजा
एसो. प्रोफेसर (हिंदी विभाग, द.भा.हिं.प्र.सभा, चेन्नई)
प्रबंध संपादक
डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता
असि. प्रोफेसर (रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विभाग, दयानन्द वैदिक कॉलेज, उरई, जालौन)
सहयोगी संपादक
डॉ. विजयेन्द्र प्रताप सिंह
असि. प्रोफेसर (हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, गोंडा, अलीगढ़)
डॉ. अंजू बंसल
सहायक प्रोफेसर (हिंदी विभाग, वर्धमान कॉलेज, बिजनौर, यूपी)
डॉ. अरविन्द कुमार सिंह
अनुभाग संपादक
डॉ. संजय कुमार
प्रोफेसर (मनोविज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज)
डॉ. आराम सिंह
प्रोफेसर (भौतिक विज्ञान विभाग, दयानन्द वैदिक कॉलेज, उरई, जालौन)
डॉ. धीरेन्द्र कुमार सिंह
असि. प्रोफेसर (शिक्षा शास्त्र विभाग, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर)
डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह
पूर्व प्राचार्य (वाणिज्य विभाग, साहू जैन पी.जी. कॉलेज, नजीबाबाद)
डॉ. धर्मेन्द्र कुमार सर्राफ
असि. प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉ. हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर)
डॉ. मुकेश कुमार
प्रोफेसर (सायनोबैक्टीरियल विविधता, पॉलीहाउस प्रौद्योगिकी और इकोफिजियोलॉजी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार)
डॉ. विपिन कुमार
सहायक प्रोफेसर एवं प्रमुख (औषध बनाने की विद्या विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार)
डॉ. धर्मेंद्र कुमार
सह-प्राध्यापक (शिक्षक शिक्षा विभाग, वर्धमान कॉलेज, बिजनौर)
डॉ. दीपक कुमार
प्राचार्य (वनस्पति विभाग, आर.एस.एम. पीजी कॉलेज, रामपुर घोघर, मुरादाबाद)
कार्यालय प्रभारी
अक्षि त्यागी
शब्दसज्जा
तन्मय त्यागी
Email- shodhadarsh2018@gmail.com

त्रैमासिक RNI- UPHIN/2018/77444
शोधादर्श
स्वतंत्रता एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : १, दिसंबर २०२५-फरवरी २०२६
ISSN 2582-1288
संपादकीय कार्यालय/पत्रव्यवहार
शोधादर्श, साईं एंक्लेव, निकट देवता धनौरा, नजीबाबाद-२४६७६३ बिजनौर (उप्र)
मूल्य २००
Refereed & Peer Reviewed Research Magazine
प्रकाशन अवधि
प्रत्येक दिसंबर, मार्च, जून और सितंबर का प्रथम सप्ताह
इम्पेक्ट फैक्टर : ८.७६
doi.org/10.5281/

शोधादर्श का समीक्षा मंडल

हिंदी

प्रो. ऋषभदेव शर्मा (पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी, द.भा.हिं.प्र.स. ख़ैरताबाद, हैदराबाद), **डॉ. श्रीपति कुमार यादव** (हिंदी विभाग, सतीशचंद महाविद्यालय, बलिया), **डॉ. ओ.पी.सिंह** (वर्धमान पी.जी. कॉलेज, बिजनौर), **डॉ. सृष्टि कुशवाहा** (मदनमोहन मालवीय पी.जी. कॉलेज, कालाकांकर, प्रतापगढ़)

संस्कृत

प्रो. वीरपाल सिंह (राजकीय महाविद्यालय, गोंडा, अलीगढ़)

पत्रकारिता

डॉ. ओमप्रकाश सिंह (काशी विद्यापीठ, वाराणसी), **डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर** (वीरबहदुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर)

भूगोल

डॉ. एल.एस. बिष्ट (पूर्व विभागाध्यक्ष भूगोल, साहू जैन पी.जी. कॉलेज, नजीबाबाद), **डॉ. निरंकार सिंह त्यागी** (पूर्व विभागाध्यक्ष भूगोल, वर्धमान पी.जी. कॉलेज, बिजनौर)

दर्शनशास्त्र

डॉ. संजय कुमार त्यागी (विवेक कॉलेज, बिजनौर)

शिक्षाशास्त्र

डॉ. बनवारी लाल मीणा (सह-आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, दिल्ली), **डॉ. बेगराज यादव** (विभागाध्यक्ष, मौ. मुहम्मद अली जौहर महाविद्यालय, किरतपुर)

वाणिज्य

डॉ. चंचल कुमार (एनआईआईटी, नजीबाबाद, बिजनौर)

चित्रकला

डॉ. मृदुला त्यागी (कार्यवाहक प्राचार्य, रमा जैन पी.जी. कॉलेज, नजीबाबाद)

राजनीति विज्ञान

प्रो. नीलम गुप्ता (राजनीति विज्ञान विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली)

रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन

डॉ. चन्द्रेश पाण्डेय (रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन विभाग, गणपत सहाय पी.जी. कॉलेज, सुल्तानपुर)

अर्थशास्त्र

डॉ. शैलेन्द्र सिंह कुशवाह (राजकीय महाविद्यालय, पुरसंडा, हाथरस), डॉ. वन्दना त्यागी (खरखोदा)

समाजशास्त्र

डॉ. अमित कुमार गहलौत (विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, देवता पी.जी. कॉलेज, मोरना)

कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी

डॉ. ओमप्रकाश मौर्य (एसो. प्रोफेसर, आर.एस.एम. पी.जी. कॉलेज, धामपुर)

अंग्रेजी साहित्य और शिक्षा

डॉ. अनुपमा वर्मा (श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, सिटी जामडोली, जयपुर, राजस्थान)

नोट- 'शोधादर्श' के अंक 'सितंबर-नवंबर २०२५' के लिए विगत दो सालों 'सितंबर-नवंबर २०२३' से 'जून-अगस्त २०२५' अंक में प्रकाशित लेख एवं लेखों को प्राप्त उद्धरणों की संख्या के आधार (जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स (जेसीआर) क्लेरिवेट एनालिटिक्स, पूर्व में थॉमसन रॉयटर्स के स्वामित्व में प्रदान किया गया एक डेटाबेस) पर **इम्पेक्ट फैक्टर** प्राप्त किया गया है।

संपादकीय एवं प्रबंधकीय सलाहकार -
अर्चना चौबे 'राज', रश्मि अग्रवाल, डॉ. उषा त्यागी, डॉ. रजनी शर्मा, आशा सिंह, डॉ. सरिता सिंह, आलोक त्यागी, योगेश त्यागी, अतुल कुमार त्यागी, उपेन्द्र नाथ सिंह, पंकज कुमार त्यागी, नईम इक़बाल 'शन्नी खां', आनंद विभोर यादव

अस्वीकरण- इस अंक में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के हैं जिनसे संपादक मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र नजीबाबाद, बिजनौर होगा। सभी पद अवैतनिक हैं

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अमन कुमार द्वारा आशीष प्रिंटर्स, मोहल्ला मक़बरा, नजीबाबाद से मुद्रित तथा ए-७, आदर्श नगर, तातारपुर लालू, नजीबाबाद-२४६७६३ ज़िला बिजनौर (उ.प्र.) से प्रकाशित। पंजीकरण संख्या UPHIN/2018/77444 संपादक-अमन कुमार, मोबा. **9897742814**

यूजीसी के शोध मानक अनुसार ही शोध-पत्र भेजें

'शोधादर्श' संदर्भित एवं समीक्षित आलेखों के प्रकाशन की त्रैमासिक पत्रिका है। जिसमें सामाजिक एवं मानविकी सहित अनेक विषयों/उपविषयों से सम्बंधित मौलिक शोध-पत्र, शोध समीक्षा, विचार, लेख आदि का प्रकाशन किया जाता है।

शोधकर्ता हिंदी भाषा में अपने-शोध पत्र भेजें। शोध-पत्र भेजते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें-

- निर्देशित शोध प्राविधि एवं शोध प्रकाशन के मानदंडों के आधार पर अपने शोध-पत्र लिखें।
- आलेख में नई एवं मौलिक उद्भावना/अवधारणा का प्रतिपादन हो।
- शोध आलेख तार्किक एवं शृंखलाबद्ध हो। अनावश्यक शब्दजाल से बचा जाए।
- संदर्भ साहित्य का पर्याप्त अध्ययन हो।
- त्रुटिपूर्ण तथ्यों एवं आंकड़ों और पाठ में व्याकरणक त्रुटियों से बचें। वाक्य में काल की असंगतता से बचें। लेखक के द्वारा आलेख शुद्ध करते समय शब्द/पद/वाक्य का लोप न होने पाए।
- विषय प्रतिपादन में विषय स्पष्ट हो।
- तथ्यों, भावों या विचारों की पुनरावृत्ति से बचें।
- शोध-पत्र २५००-३५०० शब्दों में हों।
- १५० शब्दों का सारांश अवश्य हो।
- संदर्भ ग्रन्थ सूची का उल्लेख अवश्य करें। संदर्भ ग्रन्थ सूची में लेखक का उपनाम, मुख्य नाम, पुस्तक/पत्र/पत्रिका का नाम, प्रकाशन का वर्ष एवं पृष्ठ संख्या अंकित होना चाहिए।
- कम से कम १० संदर्भ अवश्य लगाएं।
- मान्य विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए निर्देशों के अनुसार शोध आलेख में अपेक्षित संशोधन करें।
- पुनः संशोधित पत्र प्रेषित करें।
- शोध-पत्र कम्प्यूटर से Microsoft Office Word में हिंदी में Krutidev 10 के Font Size 12 में टाइप करवाकर भेजें।
- शोध पत्रों की स्वीकृति एवं अस्वीकृति का अंतिम निर्णय सम्बंधित विषय के दो विशेषज्ञों की अनुशंसा (Expert comments of Referees) से संपादक मण्डल द्वारा लिया जाता है। इस सम्बंध में अन्तिम अधिकार संपादक को प्राप्त है जो सभी सदस्यों को मान्य होगा।
- शोध-पत्र स्वीकृत हो जाने पर लेखक को समीक्षा के लिए प्रतीक्षा (समीक्षकों से रिपोर्ट आने तक) करनी होगी।
- शोध-पत्र के साथ 'मौलिक एवं अप्रकाशित' शब्द लिखा होना चाहिए और इसे अन्यत्र न भेजे जाने की पुष्टि हो। इस आशय का घोषणा-पत्र दें।
- शोध-पत्र में सारणी एवं चित्रों का प्रयोग लेख के अंत में संदर्भ या संलग्नक के रूप में करें।
- प्रकाशित शोध पत्र देखें और अपने प्रकाशित शोध-पत्र को विविध माध्यमों से प्रसारित करें ताकि आपके शोध-पत्र की गरिमा बढ़े।

'शोधादर्श' में शोध आलेख प्रकाशन की चरणबद्ध प्रक्रिया के पालन से शोध-पत्र त्रुटिहीन और गरिमापूर्ण हो जाता है।

- शोध पत्र ई-मेल द्वारा निम्न ई-मेल पते पर भेजा जा सकता है-

shodhadarsh2018@gmail.com

अधिक जानकारी के लिए
मोबा.- 9897742814 (वाट्सएप)
पर संपर्क करें

सदस्य बनें

एक प्रति का मूल्य	: 200 रुपए
वार्षिक सदस्यता	: 1000 रुपए
पांच वर्ष सदस्यता	: 4500 रुपए
प्रति अंक डाकख़र्च	: 70 रुपए

सभी लेखकों के लिए वार्षिक सदस्यता १०००/- (एक हजार रुपए मात्र)

भुगतान करें
SHODHADARSH
INDIAN OVERSEES BANK, NAJIBABAD
(AC- 368602000000186) IFSC- IOBA0003686
Editor - Aman Kumar
Union Bank of India, Najibabad
(AC -640202010000415)
IFSC- UBIN0564028
भुगतान पर्ची
Mob- 9897742814 (W) पर भेजें

मौलिकता का प्रमाण पत्र

दिनांक- ..../...../२०....

प्रमाणित किया जाता है कि लेख (शीर्षक) ..... मेरे/हमारे द्वारा मौलिक रूप से लिखा गया है और 'शोधादर्श' में प्रकाशन हेतु आपके पास प्रेषित किया जा रहा है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है। यह लेख पूर्व में कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है और न ही अन्यत्र प्रकाषन के लिये भेजा गया है।

लेखक का नाम ..... लेखक के हस्ताक्षर.....

पता.....

ई-मेल-मोबाइल नं. -

सदस्यों और लेखकों से विनम्र निवेदन -

'शोधादर्श' पीयर रिव्यूड पत्रिका है जो अपने प्रकाशनकाल में प्रकाशित होगी और सदस्यों/लेखकों को भेजी भी जाएगी। बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, कभी-कभी देर भी हो जाती है, और कई बार प्रकाशन के अन्तिम चरण तक लेखों का चयन होता है। कृपया बार-बार पत्रिका के लिए तकादा करने पर हम तनाव में आ जाते हैं। आशा है पत्रिका प्रकाशन काल के भीतर बार-बार परेशान नहीं करेंगे। सदस्यों को पत्रिका रजिस्टर्ड डाक से भेजी जाती है, जो देर-सबेर आपको मिलना सुनिश्चित है।

प्रकाशन शुल्क सम्बंधी सूचना

महोदय, यह पत्रिका सहयोगी भावना से प्रकाशित की जा रही है। जिसके प्रकाशन में काफी ख़र्च आता है। यदि आप ऑन डिमांड अपना आलेख प्रकाशित कराना चाहते हैं तो आपको लेख प्रकाशन के प्रोसेस हेतु ***एक हजार रुपए (१०००/-)*** का सहयोग करना होगा ताकि आपको पत्रिका की हार्ड कॉपी समय पर उपलब्ध कराई जा सके।

अन्य आवश्यक सूचना

'शोधादर्श' संदर्भित एवं समीक्षित त्रैमासिक पत्रिका है। जो वर्ष में चार बार प्रकाशित की जाती है।

प्रकाशन काल लेख भेजने की अंतिम तिथि

१- दिसंबर-फरवरी अंक- १५ नवंबर
२- मार्च-मई अंक- १५ फरवरी
३- जून-अगस्त अंक- १५ मई
४- सितंबर-नवंबर अंक- १५ अगस्त

नोट- महाविशेषांक अथवा अतिरिक्तांक का मूल्य अलग से निर्धारित होगा।

संपादक अमन कुमार QR कोड

भारत : विकास की ओर बढ़ते कदम

शोधादर्श
संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष : ८ अंक : १, दिसंबर२०२५-फरवरी २०२६
RNI
UPHIN/2018/77444
ISSN
2582-1288

संपादकीय

अमन कुमार
E-Mail
amankumarnbd@gmail.com
shodhadarsh2018@gmail.com
सचलभाष- ९८९७७४२८१४

भारत आज विश्व के तेजी से उभरते देशों में गिना जाता है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्तमान तक देश ने आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की है। बदलती नीतियाँ, आधुनिक तकनीक, युवा शक्ति और लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये सभी मिलकर भारत को विकास की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। आर्थिक विकास के रूप में देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। उद्योगों का विस्तार हुआ है। स्टार्ट-अप संस्कृति बहुत तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन भुगतान के कारण अब नकदी रखने की अधिक आवश्यकता नहीं रही है, जिससे व्यापार में बढ़ोत्तरी स्पष्ट देखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रह हैं। 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी योजनाओं ने उत्पादन और निवेश को विश्वसनीय रूप से आकर्षित किया है। विज्ञान और तकनीकी प्रगति का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। दवा बाजार में भी भारत ने सशक्त पहचान बना ली है। आज इंटरनेट लगभग हर गांव और खेत तक पहुँच रखता है। आईटी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आज भारत सम्पूर्ण विश्व को सेवाएं दे रहा है। शिक्षा और सामाजिक स्तर पर अभी अपेक्षित सुधार नहीं है परंतु भविष्य में यह भी देखने को मिल जाएगा। बेटियां न सिर्फ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं बल्कि विकास के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है। यातायात के लिए एक्सप्रेसवे, मेट्रो और रेलवे का का न सिर्फ आधुनिकीकरण हुआ है बल्कि एक जाल सा बिछ गया है। बिजली और जल सुविधाओं का विस्तार भी देखने को मिल रहा है।

इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिए कि आज भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि भारत में जातीय राजनीति इस बढ़त पर कभी भी ब्रेक लगा सकती है। इसलिए हम सभी भारतीयों को विकास के मामले में जातीयता से ऊपर उठकर सहभागी बनना चाहिए। हालांकि यह देश विभिन्न जातियों और विभिन्न पन्थों वाला देश है फिर भी सभी लोगों का एकसाथ रहना दुनिया के लिए एक सबक है। फिर भी चुनौतियाँ कम नहीं हैं। विकास के साथ-साथ कुछ समस्याएँ अभी भी हैं और बेरोजगारी, प्रदूषण, जनसंख्या दबाव, ग्रामीण-शहरी असमानता आदि चुनौतियों का सामना करना भविष्य की बड़ी जिम्मेदारी है। भारत आज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। युवा ऊर्जा, वैज्ञानिक सोच और योजनाबद्ध विकास के कारण देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि हम शिक्षा, पर्यावरण और समान अवसरों पर ध्यान दें तो भारत शीघ्र ही विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में मजबूत कदम रख सकता है। 'विकास तभी पूर्ण होगा जब प्रगति का लाभ समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचे।'

फार्म-IV

1. प्रकाशक का स्थान	: ए/7, आदर्श नगर (तातारपुर लालू), नजीबाबाद, बिजनौर उ.प्र
2. प्रकाशन की नियत अवधि	: त्रैमासिक
3. मुद्रक का नाम	: अमन कुमार
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: ए/7, आदर्श नगर (तातारपुर लालू), नजीबाबाद, बिजनौर उ.प्र
4. प्रकाशक का नाम	: अमन कुमार
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: ए/7, आदर्श नगर (तातारपुर लालू), नजीबाबाद, बिजनौर उ.प्र
5. संपादक का नाम	: अमन कुमार
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: ए/7, आदर्श नगर (तातारपुर लालू), नजीबाबाद, बिजनौर उ.प्र
6. उन व्यक्तियों के, जो समाचारपत्र के स्वामी हैं और उन भागीदारों या शेयरधारकों के जो कुल पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक अंश के धारक हैं, नाम और पते।	: अन्य कोई नहीं

मैं अमन कुमार घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

प्रकाशक के हस्ताक्षर

अनुक्रम

१. संत त्यागराज की राम भक्ति और उनका कृतित्वः एक विहंगावलोकन ०७
- डॉ. पद्मावती

२. नई चेतना और सामाजिक यथार्थ का समन्वय : प्रेमचंद की दृष्टि में १०
- सुमन बाला

३. जायसी की रहस्यात्मक चेतना पर नाथ पंथ का प्रभाव १३
- डॉ. सुप्रिया प्रभाकर जोशी

४. महादेवी जी की सौन्दर्यगत भाव व्यंजना १७
- शिव औतार

५. जनपद बिजनौर के प्रमुख गद्य साहित्यकार २०
- अक्षि त्यागी

६. समकालीन हिन्दी साहित्य में स्त्री विमर्श : वैचारिक धरातल एवं अभिव्यक्ति के विविध आयाम २८
- डॉ. सीमा कुमारी

७. आधुनिक अनुवाद प्रणालियों में कृत्रिम मेधा की भूमिका ३३
- उमेश कुमार प्रजापति 'अलख'

८. उभरता भारत : सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य ३७
- डॉ. विजेंद्र प्रताप सिंह

९. अपराध, संगठित अपराध और सुरक्षा बलों की भूमिका ४३
- डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता

१०. ऑपरेशन के बाद की चुनौतियां ४९
- प्रो. राजेंद्र प्रसाद

११. स्वस्थ भारत के निर्माण में योग शिक्षा की भूमिका ५१
- डॉ. रवीन्द्र कुमार त्रिपाठी

१२. बालिकाओं को सशक्त करने का माध्यम है मीना मंच ५४
- निशा रानी

१३. लोकापवाद के शिकार बेनेगल नरसिंह राउ ५८
- गोपाल शर्मा

१४. माध्यमिक शिक्षा केन्द्र और छात्रों में अनुशासन की चुनौतियां ६७
- पंकज कुमार

१५. भारत : विकास की ओर बढ़ते कदम ७०
- तन्मय त्यागी

१६. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्बन-उत्सर्जन एवं विद्युत-खपत कम करने में ग्रीन कम्प्यूटिंग का योगदान ७७
डॉ. शिफालिका

17- The Impact of India's Women's Cricket World Cup 2025 Victory on Gender Perceptions in ..." 80
- Dr. Shraddha Shree Yadav, Dr. Reeta Gupta

संत त्यागराज की राम भक्ति और उनका कृतित्व : एक विहंगावलोकन

सारांश

संगीत शिरोमणि श्री राम के अनन्य भक्त स्वनामधन्य काकर्ला त्याग्ब्रह्म दक्षिण भारत की उन विभूतियों में से थे जिन्होंने संगीत साधना को 'असाध्य' को साधने का अवलम्ब बनाया और अपनी अंतर्निहित भाव सलिला को असंख्य गीत लहरियों में पिरो कर आध्यात्मिक जगत के साथ-साथ संगीत जगत में भी अमरत्व को प्राप्त कर लिया। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार इनका जन्म ४ मई १७६७ को तमिलनाडु के तंजावूर जिले में तिरुवारूर नामक ग्राम में हुआ था। ये मूलतः तेलुगु भाषी हैं और इनके पूर्वज सदियों पहले तमिलनाडु में आकर बस गए थे। पिता रामब्रह्म और माता सीतम्मा की ये तीसरी संतान थे। संस्कृत और वेद उपनिषद के प्रगल्भ ज्ञाता श्री त्यागराज ने संगीत की आरंभिक शिक्षा सोंठी वेंकट रामय्या जी से ली। संत त्यागराज संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। बाल्यकाल से ही ये वैराग्य के प्रति आसक्त हो गए थे। संगीत और भक्ति इन्हें अपने परिवार से विरासत में प्राप्त हुई थी। अप्रमेय प्रतिभा के धनी भक्त त्यागराज की प्रज्ञा मानवातीत मानी जा सकती है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि विरासत में मिले भक्ति और संगीत के बीज इनमें बाल्यावस्था में ही अंकुरित होने आरंभ हो गए थे और उसका परिचय मिला तेरह वर्ष की आयु में जब इन्होंने अपना पहला संकीर्तन रच कर उसे संगीतबद्ध भी कर दिया।

बीज शब्द- गीति काव्य, संकीर्तनाचार्य, कर्नाटक संगीत में मौलिक उद्भावना, रामभक्ति से ओत-प्रोत गीत-संगीत

डॉ. पद्मावती

सहायक आचार्य, एस आर एम इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलजी, रामापुरम, चेन्नई

संगीत में मौलिक राग-रागनियों की सृष्टि

गंभीर भाव-सलिला से आप्लावित रचनाओं का सृजन और गायन इनकी एकांतिक विशेषता थी। भक्ति रस में रंजित पद जब वे भाव विभोर होकर गाते थे तो पार्थिव जगत इनकी दृष्टि से ओझल हो जाता था और श्रोता को भी पारलौकिक रसास्वादन में डुबो देते थे। उनकी हर कृति (तेलुगु भाषा में गेय रचना को कृति कहा जाता है) का एक विशेष संदर्भ था और एक विशेष प्रयोजनार्थ लिखी जाती थी जो काल समय और काल की सीमाओं से परे भक्ति में आकंठ डूब कर भावोद्रेक में अनायास इनके मुख से प्रस्फुटित हो जाती थी और इन कांचन मणियों को कालांतर में इनके शिष्यों द्वारा लिपिबद्ध कर संरक्षित किया गया जिसके लिए संगीत जगत इनका सदैव ऋणी रहेगा। 'नमो नमो राघवा' उनका प्रथम तेलुगु भाषा का संकीर्तन था जिसने कर्नाटक संगीत में 'भजन नामावली' नामक नवीन संप्रदाय का सूत्रपात किया जहाँ उनकी विलक्षण रचनाधर्मिता ने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में वर्णित राग की संकल्पनाओं को व्यवस्थित कर अपनी मौलिक उद्भावनाओं के आधार नवीन संभावनाओं को जन्म दे दिया। आइए इस भजन की एक झलक पाते है-

'नमो नमो राघवाय अनिशं, नमो नमो राघवाय अनिशं, शुकनुताय दीनबान्धवे, सकल लोक दया सिंधवे,[१]

भावार्थ - 'हे दीन बंधु, आश्रित रक्षक, कल्पतरु, सकल लोक के दया सिंधु, आयु आरोग्य के दाता, दानवों के हंतक, हे परमात्मा संत त्यागराज की सेवा स्वीकार कीजिए'।

संगीत साधना इनकी दृष्टि में भगवत प्रेम को व्यक्त करने का एक बहिर्गत माध्यम थी। अपने आराध्य श्रीराम के प्रति इनकी भक्ति का उत्कट संवेग इनके संगीत की रागात्मक सर्जना में अवसान पाने लगा। इनकी प्रतिभा ने चमत्कार दिखाना आरंभ कर दिया। राम भक्ति और संगीत का सामंजस्य - कीर्ति आसमान छूने लगी। एक किंवदंती के अनुसार साक्षात नारद महर्षि ने स्वयं आकर इन्हें अपने कर कमलों से 'स्वरार्णवं और नारदीयं 'ग्रंथ प्रदान किए थे'।[२]

मोह-माया के प्रति अनासक्ति

तंजावूर के तत्कालीन महाराज शरभोजी तक इनकी असाधारण प्रतिभा की भनक पहुँची। उन्होंने राज खजाने से असंख्य स्वर्ण मुद्राएं हीरे, जवाहरात भेंट स्वरूप उपहार देकर उन्हें दरबार में आकर अपनी विद्वता प्रदर्शन करने का निमंत्रण दे दिया। लेकिन शरभोजी की एक शर्त भी थी और वह यह कि संत त्यागराज अपने गीतों में उनका महिमा मंडन करेंगे। नाम से ही नहीं कर्म में भी मोह माया को तिलांजलि दे चुके श्री संत त्यागराज को राजा का प्रलोभन किंचित भी विचलित न कर पाया। तत्क्षण उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। मन में रामानुराग के तार झंकृत हो उठे। अश्रु पूरित नयनों से उद्गार निकले, ''निधि चाला सुखमा रामुनु सन्निधि सेवा सुखमा निजमुगा पल्कु मनसा। दधि नवनीताक्षीरम्मुलु रुच्यो, दाशरधि ध्यान भजना सुधारसमु रुचियों,

दमा शममनु गंगा स्नानमु सुखमा, कर्दम दुर्विषय

कूप स्नानमु सुखमा।

ममता बंधन युता नर स्तुति सुखमा, सुमति संत त्यागराज नुतिनि कीर्तन सुखमा?'[३]

भावार्थ- नश्वर मानव जन्म का प्रयोजन केवल धनार्जन नहीं है। सुख की सच्ची परिभाषा क्या हो सकती है? भौतिक साधनों से प्राप्त भोग-विलास ही क्या सुख का पर्याय हो सकता है? त्यागराज अपने मन से प्रश्न करते हुए परोक्ष रूप से मानव जाति को चेता रहे हैं कि किसे सुख माना जा सकता है- धनोपार्जन को या परमात्मा के सानिध्य में बैठ उनकी सेवा को? कर्मेन्द्रियों को तृप्त करने वाले पदार्थों से क्या शाश्वत सुख प्राप्ति हो सकती है? क्या जिह्वा को दधि माखन और दूध तृप्त करता है या दशरथ नंदन के ध्यान भजन से उद्भूत सुधा रस का पान? क्या श्मशमन के लिए किया गया गंगा स्नान श्रेष्ठ है या विषय वासनाओं की कीच से स्वयं को परिशुद्ध करना? क्या मोह-माया के जाल में बंधे नर की स्तुति श्रेष्ठ है या संत त्यागराज को प्राप्त सुमति से सृजित भक्ति रस में आप्लावित यह भगवत् कीर्तन श्रेष्ठ है- हे मन तू सत्य वचन सुना'।

अर्थ गाम्भीर्य और वेदांत का मिश्रण

अर्थ गाम्भीर्य और वेदांत का पुट इनकी कृतियों में सर्वत्र दृश्यमान होता है। विषय वासनाओं से अनासक्ति के कारण इनके ज्येष्ठ भ्राता ने एक बार इनके आराध्य प्रभु राम की पंचायतन मूर्तियों को कावेरी नदी में फैंक दिया था।

संत त्यागराज उन्मादी की तरह अपनी मूर्तियों को ढूँढने लगे। निद्रा आहार त्याग दिया। ईश्वर की कृपा में विलम्ब असहनीय हो रहा था। राम नाम स्मरण के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। क्षुब्ध हृदय चीत्कार कर उठा -

''नेनेंदु वेतुकुदुरा हरि, नेनेंदु वेतुकुदुरा हरि,(४)

भावार्थ - हे हरि मैं आपको कहाँ ढूँढूँ ? आप कहाँ मिल सकते हैं? जो चतुर्मुख ब्रह्मा के बुलाने पर भी न आए तो क्या आप मुझ जैसे पापी, कुमति, दुर्वचन बोलने वाले और कलुषित कर्म कर भक्ति का पाखंड रचने वाले मुझ जैसे नीच के बुलाने पर क्या आप आएंगे?''

सन १८०८ में संत त्यागराज ने छियानवे करोड़ रामनाम का जप पूर्ण किया था। अट्ठारह वर्ष की आयु में आरंभ किया राम जप हर दिन एक लाख पच्चीस हजार की गिनती पूर्ण करता हुआ इस शिखर तक पहुँच गया था। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं मानी जा सकती है।

कहा जाता है आत्म साक्षात्कारी मुमुक्षु महापुरुष अपनी जन्मांतर कर्म फल से अर्जित सिद्धियों सहित इस धरा पर अवतरित होते हैं। मोक्ष सिद्धि ही इनके अवतार का कारण होता है। इनका हर कर्म इसी प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु किया जाता है। मार्ग भिन्न हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य परम तत्व की प्राप्ति ही होता है। संत त्यागराज ने इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए रामभक्ति का मार्ग चुना और साधन बना संगीत। भाव पूरित शब्द संपदा का आलम्बन लेकर नादमय संगीत का सृजन। उनकी मौलिक उद्भावना ने नए रागों का सृजन किया। भाव सिद्धि से आत्म ज्ञान सिद्धि- तदनंतर कैवल्य प्राप्ति। संत त्यागराज का मार्ग अनूठा था। उनकी विलक्षण प्रतिभा ने उनकी भाव सलिला को नया आयाम दिया। कर्नाटक संगीत को नया क्षितिज दिया। संगीत और भक्ति के मिलन का जो बीज पुरंदर दास ने दक्षिण में बोया था, भक्त रामदास ने जिसको पोषित किया था, संत त्यागराज के संरक्षण में वह वट वृक्ष बन गया।

लोक मंगल भावना

त्याग और तप की प्रतिमूर्ति इन विभूति ने स्वर साधना को आत्म साक्षात्कार का माध्यम बनाया था। केवल उदर पूर्ति और भोग-विलास के लिए अर्जित किया गया धन इनकी दृष्टि में हेय था और इसी कारण ये अपने ही परिवार के कोप का भाजन बने। लोक निंदा और लोक अपमान भी सहा लेकिन आदर्शों से कभी समझौता न किया। अगर किसी के सामने समर्पण किया तो वे थे इनके प्रभु कोदंडपानी दशरथ नंदन प्रभु राम। विकारों से ग्रसित मानव जन्म के आत्मोत्थान हेतु लोक कल्याणार्थ उद्वेलित होकर अश्रु बहाते ईश्वर के सामने बैठ गिड़गिडाते हुए वे भजन गाते थे। निंदा करने वालों के प्रति परमार्थ की भावना - ये तो एक सच्चा संत ही कर सकता है। ''जिसने साक्षात नारद महर्षि से स्वरार्णवं ग्रंथ का प्रसाद पाया हो, जिसे महाकवि वाल्मीकि की प्रेरणा प्राप्त हुई हो और जिसने तुलसी के चरित्र को जीवन पर्यंत अपना ध्येय बना लिया हो उसके लिए संगीत साधना में उच्चतम शिखर को पाना आश्चर्यजनक बात नहीं है''।[५]

उनकी विलक्षण प्रज्ञा ने तप सिद्धि का मार्ग सुगम बना दिया था। इन्होंने लोक भाषा को अपने गीतों का माध्यम बनाया जो जन मानस में स्थाई प्रभाव डालने में सक्षम थी लेकिन इनकी संस्कृत का भी विशेष प्रभाव इनकी भाषा में स्पष्ट गोचर होता है। Tyagaraj, literally 'the king of renunciation' or 'relinquishment's ruler', a namesake of the Hindu deity Siva is south India's most celebrated musician & saint and has dominated the Karnataka music system for over a century.[६]

सर्वेपल्ली राधाकृष्णण ने इसी ग्रंथ की प्रस्तावना पर अपने विचार यूँ प्रकट किए य Tyagaraja was a man of great humility, utter self & effacement- He expresses the truths of Upanishads, the Bhagavad & Gita in simple and appealing language. He addresses the Supreme as Rama. The kingdom or God acquired through devotion is the greatest of all treasures. [७]

भक्ति भावना

बात १८०२ की है जब त्यागराज की ख्याति आग की तरह फैल रही थी। गुरु शोठी वेंकटारमणय्या जी ने तंजावूर में संगीत के प्रकांड पंडितों की एक सभा बुलाई जिसमें वे त्यागराज की प्रतिभा का सामूहिक प्रदर्शन करना चाहते थे। यह संगीत सभा गुरुजी के निवास पर ही आयोजित की गई थी। त्यागराज ने उस समय बिलहरि राग में इस गीत का आलाप किया जो आज भी संगीत मर्मज्ञों के कंठ का हार है-

संत त्यागराज का रोम-रोम राममय था। राममंत्र इनकी नसों में लहू बनकर दौड़ता था। उन की कृतियों को पढ़ कर लगता है कि भगवान रामकृष्ण परमहंस की तरह वे भी अपने इष्ट से वार्तालाप किया करते थे। ध्यान की चरमावस्था में वे अपने आराध्य का साक्षात्कार कर लेते थे और उनसे किया वार्तालाप ही इनके मुँह से भजनों के रूप में प्रस्फुटित होने लगता। इनकी रचनाओं में सूर और तुलसी की भांति अपने आराध्य का लीलागान और महात्म्य वर्णन अत्यंत मनोहारी और हृदयस्पर्शी बन पड़ा है। वैसे तो इनकी भक्ति विनय और दास्य ही मानी जाएगी लेकिन जब कभी दर्शन की अभिलाषा उत्कट हो उठती, उत्कंठा तटबंध तोड़ने लगती तो निराश मन उलाहना देता, विवाद करता

और कभी-कभी अपशब्द भी बोल देता। प्रभु को अपनी योग्यता का प्रमाण दिखलाकर उनकी अहेतुकी कृपा में विलम्ब का कारण पूछा जाता। संदेह उठता - कहीं प्रभु को स्मरण न हो, विस्मृति हो गई हो। तब आवश्यक हो जाता सर्व अंतर्यामी सर्वशक्तिमान प्रभु को उनकी शक्ति का स्मरण दिलाना। इसका एक और उदाहरण देखिए-

"चेसिंदेल्ला मरिचितिवो ओ रामा, ओ रामा ।
आसा कोन्नाटि नन्नु आलयिंचुटकुमुन्नु,
चेसिंदेल्ला मरिचितिवो ओ रामा, ओ रामा।(८)

भावार्थ- ''हे प्रभु, क्या आपको विस्मृति आ गई है? क्या भूल गए है किस तरह आपने अपनी प्रियतमा सीता, जो आपकी भक्ति की सुयोग्य पात्र थी, उन की खोज हेतु एक क्षण विलम्ब किए बिना सूर्यपुत्र सुग्रीव से मित्रता कर ली थी? क्या आप भूल गए हैं किस तरह आपने विभीषण को लंका का अधिपति बनाकर अपने अनुज शेषनाग को उनकी रक्षा हेतु कार्यभार सौंपा था? क्योंकि उसे भी आपने अपनी कृपा के योग्य माना था। हे त्यागराज के प्रेममूर्ति राम, क्या भूल गए किस प्रकार आपने रौद्र अवतार भक्त आंजनेय को ब्रह्म पदवी दे दी थी क्योंकि उसने आप तक आपकी प्रियतमा का संदेश पहुंचाया था?'' आज प्रभु को सब विस्मरण हो गया।

(माना जाता है कि रामावतार के समापन पर प्रभु राम ने हनुमान को भी वैकुण्ठ आने का निमंत्रण दिया था जिसे हनुमान ने ठुकरा दिया था और प्रतिज्ञा की थी कि जब तक धरा पर राम नाम का स्मरण होता रहेगा तब तक वे धरा पर ही रहेंगे। इसीलिए हनुमान को 'कलियुग ब्रह्म' की पदवी प्रभु राम द्वारा दी गई थी।)

जाति-पांति का खंडन

सभी संत सर्वजन समभाव में विश्वास रखते हैं। ''कबीर कुआँ एक है, पानी भरे अनेक'' की विचारधारा सभी संतों के व्यक्तित्व में चरितार्थ होती दिखाई देती है। दैहिक बल नश्वर है। जाति- कुल बाह्याडंबर है जिसका भक्ति या सिद्धि से कोई सम्बंध नहीं है। एक कीर्तन इसी सम्बंध में दृष्टव्य है-

''बलमु कुलमु एला? राम भक्ति कारणमु, वेयल सकल सिद्धुलु एला? वेण्ट वच्चु कानि मेंनुब।''(९)

भावार्थ- कुल और बल की चिंता क्यों करते हो जब रामभक्ति ही मूल है और सभी सिद्धियाँ इसी से प्राप्त हो सकती है। काग और मीन दोनों अगर पानी में डुबकी लगाए तो क्या वह प्रातः स्नान की कोटि में गिना जा सकता है? बगुला आँख बंद कर खड़ा रहे तो क्या वह ध्यान कर रहा होता है? बकरी फल पत्तियों का सेवन करे तो क्या वह उपवास की कोटि में आ सकता है? अगर पंछी ऊँचे आसमान में उड़े तो क्या उनकी तुलना सूर्य और चाँद से की जा सकती है? सामान्य जन अगर गुफाओं में वास करे तो क्या वे ऋषि बन सकते है? और जंगल के वानर तपस्वी माने जा सकते है? जब भिखारी नंगे तन रहता है तो क्या वह योगी कहा जा सकता है? वस्त्रहीन शिशु क्या आत्मज्ञानी संत कहे जा सकते है? भक्ति ही मूल मंत्र है। कुल आडम्बर व्यर्थ है।

संत त्यागराज के कृतित्व का अवलोकन करें तो मुख्यतः तीन ग्रंथ सामने आते हैं। इतनी असाधारण प्रतिभा होने पर भी इनका जीवन एक योगी का जीवन था। विद्वता प्रदर्शन से कोसों दूर, भक्ति रस में डूबे श्री त्यागराज ने २४००० से भी अधिक संकीर्तनों को स्वर दिया था लेकिन दुर्भाग्य है कि आज केवल एक तिहाई रचनाएँ (कृतियाँ) ही उपलब्ध हैं। शेष काल के गर्भ में विलुप्त हो गईं हैं। इन्होंने अपनी मातृ-भाषा तेलुगु को अपने गायन का माध्यम बनाया और गेयता गुण-धर्म के कारण इनके संकीर्तनों ने संगीत जगत में काफी लोकप्रियता अर्जित की है। इनके गीत आज भी संगीत प्रेमियों के कंठहार हैं। भक्त कवियों की भांति इन्होंने अपने गीतों को कभी न लिपिबद्ध किया न संकलित करने का ही कोई उपक्रम किया। कालांतर में महान संगीत विशेषज्ञों ने इनकी संगीत साधना में अंतर्निहित शास्त्रीय गायन की अमूल्य निधि की अपरिमित संभावनाओं का आकलन कर उन्हें क्रमवार व्यवस्थित कर भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने का महत्ती प्रयास किया।

इनमें मुख्य है 'त्यागराज पंचरत्न कृति' जिसका शाब्दिक अर्थ है पाँच रत्न, कर्नाटक संगीत की उत्कृष्ट निधि, पाँच रत्नों की खान। इनमें वर्णित सभी गीत 'आदि-ताल' पर आधारित है। इनकी गायकी में जहाँ शास्त्रीय संगीत की पुरातन शैलियों का समावेश है वहीं इन्होंने कई नवीन शैलियों का मौलिक सृजन कर कर्नाटक शास्त्रीय संगीत को नया आयाम दिया है। इनकी यही विशेषता इन्हें समकालीन शास्त्रीय गायकों से अलग एक विशेष धरातल पर प्रतिष्ठित कर देती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने तेलुगु में दो गीति-नाट्यों का भी सृजन किया जिनके नाम है क्रमशः 'प्रह्लाद भक्ति विजयम और नौका चरितम।

उपसंहार

इनकी रचनाएं भक्ति और दर्शन का संश्लिष्ट रूप है जहाँ भक्ति को प्राधान्य मिला है। भगवान श्रीराम की प्रतिमा के सम्मुख बैठकर नित्य ये संगीत साधना किया करते थे। कहा जाता है कि जब श्री संत त्यागराज भगवान के सम्मुख बैठ भाव-विभोर होकर संकीर्तन भजन गाया करते थे, तब इनके शिष्य ताड़-पत्रों पर उन्हें लिपिबद्ध किया करते थे। इनकी भगवान राम के प्रति अनन्य निष्ठा थी, लेकिन इन्होंने शिव, शक्ति, गणेश और माँ सरस्वती की स्तुति में अनेक रचनाएं को स्वरबद्ध किया है।

त्यागराज आराधना - हर वर्ष जनवरी और फरवरी मास में तंजावूर जिले के तिरुवायुरू गाँव में इस विभूति की पुण्यतिथि पर स्मरणीय त्यागराज आराधना संगीत महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है जहाँ देश-विदेश से हजारों की संख्या में संगीत प्रेमी वाद्य यंत्रों के साथ इनकी पंचरत्न कृति के गीतों का सामूहिक गायन करते है।

अंत में इन्हीं के शब्दों से लेख का समापन-

''एंदरों महानुभावुलु, अंदरिकि वंदनमुलु'' (१०)

अर्थात - जितनी भी महान विभूतियाँ हैं, उन सब को नमन।

संदर्भ

१. तुलसीदास और त्यागराज की भक्ति- चिट्टि अन्नपूर्णा- आर एन आर प्रकाशक- टिर्पलीकेन, चेन्नई।
२. त्यागराज- ईमनी सुधा - पृ. सं २२ ,एमेस्को प्रकाशक, विजयवाड़ा
३. वही - पृ. सं १८
४. तुलसीदास और त्यागराज की भक्ति- एक अनुशीलन- चिट्टि अन्नपूर्णा - पृ सं ५१, आर एन आर प्रकाशक, ट्रिपलीकेन चेन्नई
५. त्यागराज - तुल्लो पद - सुधा विंयासमु मोक्ष संयासमु- ईमनी - पृ सं- १६
६. वही... पृ.सं -११
७. त्यागराज कृतुल्लो पद -सुधा विंयासमु मोक्ष संयासमु- ईमनी सुधा पृ. सं- ५
८. Tyagraj life - Lyrics – Oxford University Press - P-no १८४
९. वही.....पृ.सं १७६
१०. त्यागराज कृतुल्लो मोक्ष विन्यासमु- ईमनी सुधा पृ.सं- ४१

नई चेतना और सामाजिक यथार्थ का समन्वय : प्रेमचंद की दृष्टि में

सारांश

प्रेमचंद हिंदी साहित्य के ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने भारतीय समाज के वास्तविक जीवन को अपनी रचनाओं में अत्यंत सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने समाज के हर वर्ग, विशेषतः नारी, किसान और श्रमिक के जीवन की समस्याओं को अपनी कहानियों और उपन्यासों के केंद्र में रखा। प्रेमचंद का साहित्य केवल यथार्थ का दस्तावेज नहीं, बल्कि नई चेतना का संवाहक भी है। उन्होंने परंपरागत रूढ़ियों, अन्याय, अंधविश्वास और स्त्री-विरोधी मान्यताओं के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके उपन्यासों में नारी जीवन का चित्रण करुणा या उत्पीड़न के साथ - साथ उसके स्वाभिमान, संघर्षशीलता और आत्मनिर्भरता की गाथा भी है। प्रेमचंद ने दहेज, बाल विवाह, विधवा विवाह, वेश्यावृत्ति, नारी शिक्षा जैसे प्रश्नों को सामाजिक यथार्थ के धरातल पर रखकर उनका समाधान सुझाया। उनके साहित्य में यथार्थ और आदर्श, परंपरा और आधुनिकता, पीड़ा और आशा सभी का अद्‌भुत समावेश है।

मुख्य शब्द- नई चेतना, सामाजिक यथार्थ, स्त्री सशक्तिकरण, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अनमेल विवाह

सुमन बाला (शोधार्थी)
हिंदी विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
Email
Sumanbala20781@gmail.com

प्रस्तावना

प्रेमचंद (१८८०-१९३६) हिंदी कथा साहित्य में आदर्शवादी और यथार्थवादी प्रवृत्ति के जनक माने जाते हैं। उन्होंने साहित्य को जीवन का दर्पण कहा, और अपने लेखन में समाज के दैनिक जीवन, उसकी व्यथा और परिवर्तन की आकांक्षा को अत्यंत सजीव बनाया उनकी दृष्टि में साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जन-जागरण और सामाजिक सुधार है। इसी कारण उनके उपन्यासों में एक नई चेतना का संचार दिखाई देता है। एक ऐसी चेतना जो व्यक्ति को अन्याय और रूढ़ियों से मुक्त होकर आत्मसम्मान और मानवता के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। प्रेमचंद के उपन्यास जैसे सेवासदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा, गोदान, गबन इन सभी में स्त्री जीवन और समाज की विडंबनाओं का चित्रण करते हुए सुधार और पुनर्जागरण का स्वर मुखर है। उन्होंने नारी को केवल करुणा की प्रतिमा नहीं, बल्कि संघर्षशील, विचारशील और आत्मनिर्भर सत्ता के रूप में चित्रित किया। स्त्री मुक्ति प्रेमचंद के कथा साहित्य का मुख्य उद्देश्य रहा है जिसका समर्थन करते हुए शंभू नाथ ने कहा है कि ''प्रायः सभी उपन्यासों और कहानियों में प्रेमचंद ने सामाजिक कुप्रथाओं पर चोट की और नारी मुक्ति की आवाज उठाई वह सिर्फ सुधार में विश्वास नहीं करते बल्कि सामाजिक क्रांति भी चाहते हैं।''[१] प्रेमचंद की दृष्टि में नई चेतना का अर्थ पश्चिमी आधुनिकता नहीं, बल्कि भारतीय समाज के अन्दर मानवीय मूल्यों, समानता और न्याय की भावना का जागरण है। इस चेतना में यथार्थ के साथ सुधार का संतुलित समन्वय दिखाई देता है। प्रेमचंद का सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण केवल घटनाओं का चित्रण नहीं करता, बल्कि समाज के अन्दर ताने-बाने की पहचान है। वे उस वर्ग की पीड़ा को आवाज देते हैं जिसे इतिहास और समाज दोनों ने हाशिए पर रखा। उनके पात्र किसान, मजदूर, स्त्रियाँ सामाजिक अन्याय के शिकार हैं, परंतु उनमें जीवन के प्रति आशा और संघर्ष का भाव बना रहता है। उनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ का चित्रण केवल दुख का वर्णन नहीं है, वहाँ परिवर्तन की चेतना भी है। उन्होंने दिखाया कि समाज की बुराइयाँ मनुष्य की विवशता नहीं, बल्कि सुधार और जागरूकता से समाप्त की जा सकती हैं।

नई चेतना और नारी जीवन

प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में नारी को केवल गृहस्थी तक सीमित न रखकर उसे विचारशील, आत्मनिर्भर और सामाजिक भूमिका निभाने वाली सत्ता के रूप में चित्रित किया।

उनके लिए नारी केवल सहानुभूति की पात्र नहीं, बल्कि समाज के परिवर्तन की वाहक है। वे नारी को सम्मान, समानता और शिक्षा के अधिकार से जोड़ते हैं। प्रेमचंद की नारी पात्र निर्मला, सुमन, पूर्णा, मालती, गोबर की धनिया, जालपा सब

अपने-अपने ढंग से सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करती हैं। जो नई चेतना का परिचायक है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास 'निर्मला' और 'सेवासदन' में दहेज जैसी कुप्रथा का मार्मिक चित्रण किया है।

'निर्मला' में यह दिखाया गया है कि दहेज के कारण एक मासूम कन्या का जीवन किस प्रकार नष्ट हो जाता है। निर्मला का विवाह उसकी उम्र से दुगने व्यक्ति से केवल इस कारण होता है कि उसकी मां दहेज देने में असमर्थ है। यह विवाह निर्मला के लिए पीड़ा और असंतोष का स्रोत बन जाता है। 'सेवासदन' में भी सुमन के पिता दहेज की पूर्ति के लिए रिश्वत लेते हैं और जेल चले जाते हैं, जिससे सुमन का जीवन संकटों में घिर जाता है। इन घटनाओं के माध्यम से प्रेमचंद ने दहेज प्रथा जेसी अमानवीयता और इसके कारण स्त्रियों की आर्थिक, सामाजिक पीड़ा को उजागर किया है। वे पाठकों को यह सोचने पर विवश करते हैं कि जब तक समाज में कन्या को बोझ समझा जाएगा, तब तक यह प्रथा समाप्त नहीं होगी। नैराश्य लीला कहानी में इस पीड़ा को उजागर किया गया है कि ''आदमी अपनी स्त्री से इसलिए नाराज रहते हैं कि उनके लड़कियां क्यों होती है? लड़के क्यों नहीं होते?''[२] उद्धार कहानी में प्रेमचंद ने चित्रित किया कि दहेज के कारण कोई भी मां-बाप सात-सात पुत्रों के बाद भी बेटी के जन्म को अभिशाप मानते हैं। ''दहेज के अभाव में कोई बूढ़े के गले कन्या को मढ़कर अपना गला छुड़ाता है।''[३] प्रेमचंद ने 'निर्मला' और 'सेवासदन' में अनमेल विवाह की समस्या को यथार्थ रूप में चित्रित किया है।

निर्मला का विवाह अधेड़ उम्र के तोताराम से होता है, जिसके परिणामस्वरूप उसका जीवन असंतोष और मृत्यु में समाप्त होता है। सुमन का विवाह भी विवश परिस्थितियों में बड़े उम्र के व्यक्ति से किया जाता है, जिससे वह वेश्यावृत्ति के दलदल में जा गिरती है। ऐसे ही समस्या पर आधारित कहानी स्वर्ग का मार्ग में एक युवती का विवाह बोले व्यक्ति से हो जाता है वह एक दूसरे के साथ शहर नहीं हो पाए और पत्नी अपने आप को कैदी सा महसूस करती है उसका कहना है कि ''मैं इसे विवाह का पवित्र नाम नहीं देना चाहती! यह कारावास ही है। मैं इतनी उदार नहीं हूं कि जिसने मुझे कैद में डाल रखा है उसकी पूजा करूं।''[४] यह अनमेल विवाह की परिणति है कि 'नया विवाह' कहानी की पत्र आशा कहती है कि ''बूढ़े खूसट पति की अपेक्षा जहर खाकर मरना कहीं अच्छा है क्योंकि तिल- तिल कर आजीवन मरते रहने की अपेक्षा एक दिन मर जाना ज्यादा सुखद है।''[५] इन घटनाओं के माध्यम से प्रेमचंद ने दिखाया कि विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक समानता की आवश्यकता है। अनमेल विवाह समाज की कुरीति है, जो स्त्रियों को दासता के जीवन में धकेल देती है। 'निर्मला' में ही प्रेमचंद ने बाल विवाह की विकट समस्या को उजागर किया है। निर्मला की बाल अवस्था में ही विवाह होना उस समय की सामाजिक सोच को प्रकट करता है, जहाँ बालिकाओं की इच्छा या परिपक्वता का कोई महत्त्व नहीं था। निर्मला का जीवन एक उदाहरण बन जाता है कि कैसे बाल विवाह स्त्री के व्यक्तित्व विकास को कुंठित करता है। प्रेमचंद ने इस कुप्रथा का न केवल विरोध किया, बल्कि यह संदेश दिया कि समाज का वास्तविक उत्थान तभी संभव है जब लड़कियों को शिक्षा और निर्णय का अधिकार मिलेगा। यह विचार उनके 'नई चेतना' के मूल में निहित है।

'सेवासदन' उपन्यास में प्रेमचंद ने वेश्यावृत्ति की समस्या को सामाजिक यथार्थ और सुधार के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। सुमन परिस्थितियों से विवश होकर इस दलदल में फँस जाती है, परंतु बाद में जब उसमें आत्मबोध जागता है, तो वह वेश्याओं के उत्थान के लिए 'सेवासदन' की स्थापना करती है। यह घटनाक्रम प्रेमचंद की दृष्टि में नारी की आत्मनिर्भर चेतना का प्रतीक है। 'नरक का मार्ग' कहानी की नायिका अपने बूढ़े पति को मन से न स्वीकार कर पाने के कारण पतन की ओर उन्मुख हो जाती है और उनका कहना है कि ''मेरे पतन का अपराध मेरे सिर पर नहीं मेरे माता-पिता और उसे बूढ़े पर है जो मेरा स्वामी बनना चाहता है।''[६]

प्रेमचंद इस बात पर बल देते हैं कि स्त्री कभी स्वेच्छा से इस पेशे में नहीं आतीय समाज की आर्थिक विषमता और नैतिक दोहरेपन के कारण वह विवश होती है। यह प्रस्तुति न केवल यथार्थ का उद्घाटन करती है, बल्कि एक मानवीय समाधान भी सुझाती है कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही मुक्ति का मार्ग है।

नारी शिक्षा आत्मनिर्भरता का आधार

प्रेमचंद का मानना था कि बिना शिक्षा के स्त्री सशक्तिकरण संभव नहीं। 'गोदान' में प्रोफेसर मेहता स्त्री शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट करते हैं। 'गबन' की जालपा या 'सेवासदन' की सुमन ये पात्र दिखाते हैं कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, बल्कि स्वाभिमान और विवेक का माध्यम है। प्रेमचंद ने स्त्रियों की शिक्षा को महत्त्वपूर्ण मानते हुए कहा है कि ''जब तक स्त्रियां शिक्षित नहीं होगी और सब कानूनी अधिकार उनको बराबर ना मिल जाएंगे तब तक महज काम करने से काम नहीं चलेगा।''[७] प्रेमचंद चाहते थे कि स्त्री केवल परिवार तक सीमित न रहे, बल्कि समाज निर्माण में समान भागीदारी करे। उन्होंने कहा था 'शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाती है, और नारी मनुष्य जाति की प्रथम शिक्षिका है।' वर्तमान संदर्भ में भी यह विचार अत्यंत प्रासंगिक है। प्रेमचंद स्वयं विधवा विवाह के समर्थक थे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जीवन में भी इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रेमचंद की कहानी 'नैराश्य लीला' की पात्र कैलाश कुमारी मात्र १३ वर्ष की आयु में विधवा हो जाती है और अपने माता-पिता एवं समाज के अनुसार जीवन व्यतीत करने के बावजूद भी समाज उस पर कड़ी नजर रखता है। वह सोचती है कि समाज क्यों नहीं समझ पाता की विधवा स्त्री में भी जीवन है। वह उसे जड़ समझकर अपने इशारे पर चलने को क्यों मजबूर करता है? प्रेमचंद की एक ओर कहानी 'बेटों वाली विधवा' में विधवा फूलमती अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बेटों और बहूओ के द्वारा सतायी जाती है। जायदाद की बात करने पर वह कहते हैं की ''कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है।''[८] 'प्रेमाश्रम' में उन्होंने पूर्णा का अमृत राय से विवाह करवाकर इस सुधारवादी विचार को आगे बढ़ाया। 'प्रतिज्ञा' उपन्यास में विधवा वनिता आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनती है। प्रेमचंद के लिए विधवा विवाह केवल सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि नारी के मानवीय अधिकारों की पुनर्स्थापना है। उन्होंने यह दिखाया कि समाज यदि नारी को

अवसर दे, तो वह अपनी पहचान स्वयं बना सकती है।

परंपरा और आधुनिकता का संगम

प्रेमचंद की नई चेतना पश्चिमी प्रभाव की नकल नहीं है। वह भारतीय समाज की जड़ों से उपजी चेतना है, जो मानवता, समानता, न्याय और आत्मसम्मान पर आधारित है। उनकी दृष्टि में आधुनिकता का अर्थ परंपरा को नकारना नहीं, बल्कि उसे सुधारना है। उनके पात्र आधुनिक सोच रखते हुए भी भारतीय संस्कृति के मूल्य नहीं भूलते। गोदान की धनिया अपने अधिकारों के प्रति सजग है, परंतु परिवार के प्रति समर्पित भी है। निर्मला में नारी की पीड़ा आधुनिक समाज के निर्माण के लिए चेतावनी बनती है। 'सेवासदन' की सुमन नई चेतना की मूर्ति है जो अपमान झेलकर भी दूसरों के लिए सेवा का मार्ग चुनती है।

आज जब समाज तकनीकी रूप से आगे बढ़ चुका है, तब भी प्रेमचंद की समस्याएँ प्रासंगिक हैं। दहेज, नारी असमानता, बाल विवाह या वेश्यावृत्ति ये आज भी अपने नए रूपों में मौजूद हैं। प्रेमचंद के उपन्यास केवल साहित्य नहीं, बल्कि सामाजिक दस्तावेज हैं जो हमें आत्ममंथन के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी रचनाओं में यथार्थ के साथ समाधान की भी दृष्टि है। वे समाज को केवल दोषी नहीं ठहराते, बल्कि सुधार का मार्ग भी दिखाते हैं।

निष्कर्ष

प्रेमचंद का साहित्य नई चेतना और सामाजिक यथार्थ का अद्‌भुत संगम है। उन्होंने नारी को केवल सहानुभूति की पात्र न मानकर उसे जीवन की सक्रिय सहभागी के रूप में चित्रित किया। उनके उपन्यासों में स्त्री की हर समस्या के साथ उसका समाधान भी हैद्य आत्मनिर्भरता, शिक्षा और स्वाभिमान के रूप में वे समाज को यह सिखाते हैं कि किसी भी परिवर्तन की शुरुआत विचार और चेतना से होती है। आज के संदर्भ में प्रेमचंद की दृष्टि हमें यह संदेश देती है कि जब तक समाज में समानता और न्याय की चेतना नहीं जागेगी, तब तक कोई भी सुधार स्थायी नहीं होगा। उनका साहित्य भारतीय समाज की आत्मा को झकझोरता है और हमें एक मानवीय समाज की ओर अग्रसर करता है।

संदर्भ

१. शंभू नाथ, प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, १९८८, पृष्ठ संख्या - २६
२. प्रेमचंद, नारी जीवन की कहानीयां, प्रेम प्रकाशन मंदिर, दिल्ली, १९८७, पृष्ठ संख्या - ५१
३. वही, पृष्ठ संख्या - ३२
४. प्रेमचंद, नारी जीवन की कहानीयां, प्रेम प्रकाशन मंदिर, दिल्ली, १९८७, पृष्ठ संख्या दृ ६३
५. वही, पृष्ठ संख्या - ६३
६. वही, पृष्ठ संख्या - ६१
७. शिवरानी देवी, प्रेमचंद - घर में, आत्माराम एंड संस, दिल्ली, १९५६, पृष्ठ संख्या - ११३
८. प्रेमचंद, नारी जीवन की कहानीयां, प्रेम प्रकाशन मंदिर, दिल्ली, १९८७, पृष्ठ संख्या - ६३

जायसी की रहस्यात्मक चेतना पर नाथपंथ का प्रभाव

सारांश

इस शोध आलेख का मुख्य उद्देश्य मलिक मुहम्मद जायसी की रहस्यात्मक दृष्टि पर पड़े नाथ पंथ के प्रभावों का अन्वेषण करना है। लेखक ने यह सिद्ध किया है कि जायसी केवल एक सूफी कवि नहीं थे, बल्कि उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि भारतीय दर्शन और योग-परंपरा से गहराई से जुड़ी थी। लेख में विस्तृत चर्चा की गई है कि कैसे जायसी ने नाथों के हठयोगिक प्रतीकों- जैसे नौ द्वार, दशम द्वार और वज्रासन का उपयोग ईश्वरीय प्राप्ति के मार्ग को समझाने के लिए किया है। जहाँ नाथों की साधना व्यक्तिगत और कठोर थी, वहीं जायसी ने उसे लोक-कथा और मानवीय विरह से जोड़कर व्यापक बनाया। यह आलेख स्पष्ट करता है कि जायसी के काव्य में प्रकृति का चित्रण और आत्मा-परमात्मा का सम्बंध नाथों की साधना पद्धति और सूफी प्रेम का एक परिष्कृत रूप है। यह अध्ययन जायसी की रहस्यात्मक चेतना को एक नई मौलिक पहचान प्रदान करता है।

बीज शब्द- संस्कृति, रहस्य, लोक, नाथपंथ, चेतना

डॉ. सुप्रिया प्रभाकर जोशी
पोस्ट डॉक्टरल फेलो
(ICSSR)
छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र

भारत विश्व की वह प्राचीनतम धरा है जहाँ ज्ञान और साधना की अविरल धारा युगों से प्रवाहित होती रही है। अपनी भौगोलिक विशालता और सांस्कृतिक सहिष्णुता के कारण भारत ने सदैव विपरीत विचारों का भी स्वागत किया है। भारत की यह प्राचीनता केवल वेदों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका गौरवशाली इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता तक फैला हुआ है।

किसी भी राष्ट्र की संस्कृति उसकी प्राणशक्ति और सामूहिक चेतना का प्रतिबिंब होती है। यह उन समस्त परिष्कृत संस्कारों, मानवीय प्रयासों और उपलब्धियों का समुच्चय है, जिसके माध्यम से समाज अपने जीवन-मूल्यों, आदर्शों और सामूहिक लक्ष्यों को निर्धारित करता है। 'आर्य संस्कृति' के रूप में विकसित हुई इस गौरवशाली परंपरा ने अपनी आध्यात्मिक आभा और नैतिक सुगंध से न केवल भारतीय जनमानस को, बल्कि संपूर्ण विश्व को आलोकित किया है। इसके विशाल स्वरूप में विभिन्न मत-मतांतरों और विविधताओं का ऐसा अनूठा समन्वय है, जिसने इसे वैश्विक पटल पर एक प्रेरणास्पद प्रतिमान के रूप में स्थापित किया है। विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं ने जब भी विकास की प्रेरणा खोजी, तब उन्होंने भारत की ओर रुख किया। इसकी विशिष्ट पहचान का मुख्य कारण इसकी 'आत्मसात करने की क्षमता' है। सदियों से विदेशी संस्कृतियों के संपर्क में आने के बावजूद, भारतीय संस्कृति ने उन्हें अपनी मूल चेतना में विलीन तो किया, किंतु अपनी विशिष्ट पहचान को कभी धूमिल नहीं होने दिया। ऐसी गौरवशाली संस्कृति की झलक हमें वहाँ के साहित्य से मिलती है।

हमारी संस्कृति और मूल्यों का प्रामाणिक बोध हमें भारतीय साहित्य से प्राप्त होता है। वेदों की वाचिक परंपरा से विकसित होता हुआ यह साहित्य आज आधुनिक तकनीकी युग (ई-साहित्य) में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भाषाई विविधता के बावजूद भारतीय साहित्य की अंतरात्मा में एकरूपता है। इसमें आध्यात्मिकता की प्रधानता है, जो ईश्वरीय सत्य की खोज से प्रेरित है। विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों में विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव के बाद भी भारतीय साहित्य ने अपनी उदारता से सबको समावेशित किया। 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' के मूल मंत्र को अपनाते हुए हमारे लेखकों और कवियों ने समाज को सदैव एक सकारात्मक दिशा प्रदान की है।

मानव मस्तिष्क सदैव से चिंतन करनेवाला है। अपनी वैचारिक और बौद्धिक प्रगल्भता के कारण मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। अन्न, वस्त्र और निवास यही उसकी मूल आवश्यकताएँ ना रहकर इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के रहस्य को जानना चाहता है। यही जिज्ञासा ही ज्ञान और विज्ञान के खोज का मूल है। सुर्य, चंद्र, वायु, जल, वर्षा आदि सभी प्राकृतिक बदलावों से अनेक बार मानव का कल्याण होता है तो कई बार विध्वंस, ऐसी बातों के रहस्यों की जिज्ञासापूर्ण की भावना का उदय हुआ।

साहित्य के क्षेत्र में आध्यात्मिक रहस्यवाद का योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है। यद्यपि समकालीन

रहस्यवाद का स्वरूप प्राचीन काल की अपेक्षा परिवर्तित हुआ है, तथापि इसके मूल तत्व आज भी वही हैं। भारत में रहस्यवाद की परंपरा का सूत्रपात प्राचीन 'ब्रह्म विद्या' और उपनिषदों से स्वीकार किया जाता है। जिस प्रकार उपनिषद उस परम सत्य (ब्रह्म तत्व) के अन्वेषण और साक्षात्कार का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार साहित्यिक रहस्यवाद भी उस अदृश्य और अलौकिक प्रियतम के प्रति प्रेम और जिज्ञासा को व्यक्त करता है।

उपनिषदों के ज्ञान और रहस्यवाद में एक मौलिक समानता है- दोनों का आधार अद्वैतवाद (आत्मा-परमात्मा का एक होना) और सर्वात्मवाद है। समय के प्रवाह के साथ रहस्यवाद के बाहरी रूप में बदलाव भले ही आए हों, किंतु वैदिक काल से चला आ रहा इसका सनातन भाव आज भी शाश्वत है। इस विचारधारा का मुख्य सत्य यह है कि समय की सीमाओं से परे कोई ऐसी सत्ता है जो जन्म और मृत्यु से मुक्त एवं अमर है। मानव मन उस 'असीम अखंडता' को जानने के लिए सदैव लालायित रहता है और उसे प्राप्त करने की एक निरंतर प्रेरणा उसके भीतर कार्य करती रहती है।

भारतीय साहित्य की धरोहर को अनेक संप्रदायों ने अपने साहित्यिक विशेषताओं से सजाया है, ऐसा ही है-नाथ संप्रदाय। पुरातात्विक साक्ष्यों में प्राप्त 'पशुपति शिव' की मुद्रा और योग की विभिन्न मुद्राओं से यह स्पष्ट होता है कि जिस 'योग' और 'साधना' को आगे चलकर नाथ संप्रदाय ने व्यवस्थित किया, उसके बीज हजारों वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की उन्नत नगरीय सभ्यता में ही पड़ चुके थे। इस प्रकार, भारतीय चेतना निरंतरता में विश्वास रखती है। इसी प्राचीन विरासत की गोद में नाथों की कठोर योग-परंपरा विकसित हुई, जिसने मध्यकाल में कबीर के निर्गुण पंथ और जायसी के सूफी काव्य को एक गहरा वैचारिक और रहस्यात्मक धरातल प्रदान किया।

इस संप्रदाय की अपनी अनेक विशेषताएँ रही है, हठयोग, काया साधना, शून्य एवं अनहद नाद, गुरु की सर्वोच्च महत्ता, नारी रहस्यवाद की परंपरा को परवर्ती साहित्यकारों ने आगे बढाया। नाथों ने अपने साहित्य में रहस्यवाद का उपयोग मुख्य रूप से अपनी साधना पद्धति की गोपनीयता और आध्यात्मिक अनुभवों की विलक्षणता को व्यक्त करने के लिए किया था। हठयोग, इडा-पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों और कुंडलिनी जागरण का अनुभव पूरी तरह से आंतरिक और व्यक्तिगत होता है। कुंडलिनी जागरण का एक उदाहरण देखें- 'गगन सिशर महिं बालक बोले, ताका नांव धरहुगे कैसा।।' इन अनुभवों को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों और रहस्यवादी भाषा का सहारा लिया। योग साधना को 'गुरु गम्य' माना जाता,अपात्र व्यक्ति इस रहस्य को ना समझें इसलिए भी रहस्यवाद और उलटबाँसियों का प्रयोग किया गया, जैसे- 'पाणी में बदनी रांम रसांइण, सिध सगत काया राख ।।' उस समय समाज में कर्मकांड और बाह्याडंबरों का बोलबाला नाथों ने अपनी रहस्यमयी वाणी के माध्यम से लोगों से जिज्ञासा पैदा की। रहस्यवाद का मूल आधार यह है कि ईश्वर या परमतत्व शब्दों की सीमा में नहीं आता। नाथों ने यह दिखाने के लिए रहस्यवाद का प्रयोग किया कि सत्य वह नहीं है जो आँखों से दिखता है, बल्कि वह है जो इंद्रियों के परे है।

इस साहित्य की परंपरा को संत भक्त कवियों ने आगे बढाया, रहस्यवाद इस प्रवृत्ति को साहित्य में जीवंत रखाअ जिससे साहित्य समृध्द रहा।

हिंदी साहित्य में प्रेम पंथ मार्ग के प्रवर्तक और हिंदु-मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय स्थापित करने की दिशा में मलिक मुहम्मद जायसी को जाना जाता है। जायसी की प्रेम साधना अन्य संयोग-वियोग श्रृंगारिक कवियों से भिन्न है। अन्य कवियों ने केवल कल्पित कथाओं का आश्रय लिया तो जायसी ने पद्मावत में कल्पना के साथ घतिहासिकता मिश्रण किया है। इसमें लौकिक प्रेम के आधार पर आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना हुई। जायसी के पद्मावत की प्रमुख विशेषताओं में से एक है-रहस्यवाद। उनके रहस्यवाद की आधारशिला भारतीय वेदांत की अद्वैत भावना है। जायसी का रहस्यवाद केवल विदेशी सूफी मत का अनुकरण नहीं है, उसकी जडें भारतीय है। जहां एक ओर वे अद्वैतवाद के दार्शनिक धरातल पर खडे है,वहीं दूसरी ओर उन्होंने नाथपंथियों की योग साधना को अपनाकर अपने रहस्यवाद को एक व्यावहारिक रूप दिया है। जायसी के रहस्यवाद में नाथ पंथियों के योग सिद्धांत का प्रभाव विशेष दिखाई देता है।

भारतीय रहस्यवादी एवं फारसी रहस्यवाद का समन्वित रूप जायसी के रहस्यवाद में मिलता है इसलिए हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ रहस्यवादी कवि की श्रेणी में आते है। 'जायसी के रहस्यवाद में अध्यात्म का भावात्मक निरूपण भी मिलता है और अद्वैतवाद का भावात्मक प्रस्थापन भी।' रहस्यवाद में दो समान विशेषताएँ है भारत में उपनिषद के रहस्यवाद और यौगिक रहस्यवाद एवं अध्यात्म का भावात्मक निरूपण और अद्वैतवाद का भावात्मक प्रस्थापन। जायसी का रहस्यवाद सूफी रहस्यवाद का भारतीय रूपांतर है। जायसी आध्यात्मिक रहस्यवाद उन्हें श्रेष्ठ आध्यत्मिक रहस्यवादी के समकक्ष स्थान दिलाता है।

जायसी ब्रह्म के विषय में कहते है कि ईश्वर का स्वरूप इस प्रकार समझना चाहिए जैसे कि पुराणों में वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बोल रहै है ईश्वर अदृश्य और निराकार है। उसके प्राण नहीं है, वे जीवित है, उनके शरीर के कोई अव्यव नहीं है फिर भी देख-सुन सकते है, चल सकते है। वह बिना इंद्रियों के भी सबकुछ करने में समर्थ है, से ब्रह्म के दर्शन किसी अज्ञानी और मुर्खों को नहीं हो सकता वह केवल दृष्टिवान तथा ज्ञानी के लिए ही संभव है।

''एहि विधि चीन्हहु करहु गियानु, जस पुरान महं लिखावखानू।

जीउ नाहिं पै जिए गुसाई, कर नहीं पर करै सवाई।।

जीभ नाहीं पै सब कुछ बोला तन नाहिं सब ठांहर डोला।

स्रवन नाहिं पै सब कुछ सुना, हिया नाहिं सब कुछ गुना।

नयन नाहिं पै सब कुछ देखा, कौन भांति अस जाय विशेषा।।

है नाहीं कोई ताकर रूपा, ना ओहि सुन कोई आहिं अनुपा ।

ना ओहिं ठांड न ओहि बिन ठाऊ रूप रेख विन निरमल नाऊ ।

ना वल मिला न वे हरा घ्स रहा भर पूरि, दी ठिवत कहं नीयरे अंध मुरखहिं दूर।।''

जब मानवीय भावनाएँ अद्वैतवाद से प्रेरित होकर योग का आलंबन लेती हैं, तो भावात्मक रहस्यवाद का जन्म होता है। इसके विपरीत, जब भावनाओं का स्थान कठोर यौगिक क्रियाएँ ले लेती हैं, तो

उसे साधनात्मक रहस्यवाद कहा जाता है। जायसी के काव्य में हठयोग का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है, जिसका साक्ष्य उनकी रचनाओं 'अखरावट' और 'पद्मावत' में स्पष्ट रूप से मिलता है।

''छाडहु घीउ और मछरी मांसू, सुखे भोजन करहु गरासु।
दूध मांस घिउ करहुन अहारु, रोटी सानि करहु फरहारु।।
एहविधि काम घटावहुं काया, काम क्रोध तिसना मद माया।
तव बैठहुं बज्रासन मारी गहि सुरुमना पिंगल नारी।।''

इन पंक्तियों में खान-पान का आध्यात्मिक अर्थ, हठयोग का प्रभाव, काया साधना,वज्रासन और एकाग्रता आदि बातें सामने आती है।

जायसी ने हठयोगिक प्रतीकों के माध्यम से परमात्मा (पद्मावती) तक पहुँचने के अत्यंत दुर्गम मार्ग का वर्णन किया है। उनके अनुसार, ईश्वर का निवास जिस 'गढ़' (किले) में है, वह नौ खंडों में विभाजित है और प्रत्येक खंड पर वज्र के समान मजबूत द्वार (ड्योढियाँ) लगे हैं। साधक को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में चार बसेरों (सूफी मत के चार सोपान- शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत) और सात विश्राम स्थलों (सात लोकों या पड़ावों) को पार करना होता है।

इन नौ शारीरिक द्वारों को लांघने के पश्चात ही दसवां द्वार यानी ब्रह्मरंध्र आता है। यहाँ 'राज घड़ियाल' के बजने का अर्थ है- अनहद नाद या ईश्वरीय सत्ता की निरंतर उपस्थिति। साधक रूपी घड़ियाली (आत्मा) अत्यंत सजग होकर साधना के प्रत्येक क्षण को गिनता है। जिस प्रकार घड़ियाली हर पहर के बाद घड़ी बजाता है, उसी प्रकार साधक भी निरंतर अभ्यास और अटूट साधना के द्वारा उस अंतिम सोपान तक पहुँचने के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है।

''नबौ खण्ड नव पौरी औतहं बज्र किवारा, चार बसेरे सो चढे सत सो उतरे पारा ।
नव पौरी परं दसवं दुवारा, तेहि पर वाज राज धरियारा, घरी सो बैठि गिनै धरियारी, पहर पहर सो अपनी बारी।।''

जायसी ने समुद्र के वर्णन में प्रकृति की भीषणता और उसकी व्यापकता को उभारा है। किलकिला समुद्र का दृश्य पाठक के मन में विस्मय और भय दोनों उत्पन्न करता है-

समुद्र की लहरें जब पहाड़ों की ऊँचाई को छूकर आकाश तक पहुँचती हैं, तो वह दृश्य असीम सत्ता की अजेय शक्ति का प्रतीक बन जाता है। पृथ्वी से स्वर्ग तक जल ही जल दिखाई देना, ईश्वर की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। यहाँ प्रकृति का रौद्र रूप देखकर मानवीय धैर्य डगमगाने लगता है, जो इस बात का संकेत है कि उस विराट सत्ता के सामने मनुष्य अत्यंत लघु है।

''पुनि किल किला समुद्र मंह आय, गा धीरज देखत डर खाय।
भा किल किल अस उठे हिलोरा जनु आकाश उठे चहुँ ओरा।।
उठै लहिर परवत के नाई फिर आवै जोजन सौ ताई।
धरति लेइ सरग लहिवाढा सकल समुद्र जानहु भा ठाडा।
नीर होइ तर ऊपर सोई, मायै रम्भ समुद्र जस होई ।।''

भावुक रहस्यवादियों के लिए प्रकृति कभी जड़ नहीं रही, बल्कि वह सदैव एक सजीव और अर्थपूर्ण सत्ता के रूप में विद्यमान रही है। रहस्यवाद का मूलाधार 'भावात्मक अद्वैतवाद' है। जायसी लिखते हैं कि गढ़ पर दूध और जल की नदियाँ प्रवाहित हैं और वहाँ एक ऐसा अमृत-कुण्ड है जिसका जल पीने से मनुष्य अजर-अमर हो जाता है। वहाँ स्थित स्वर्ण-वृक्ष साक्षात् इंद्र के 'कल्पतरु' के समान है। जायसी यहाँ प्रकृति को साधक के समकक्ष खड़ा करते हैं। उनके काव्य में प्रकृति भी उसी परोक्ष सत्ता (ईश्वर) की साधना में लीन दिखाई देती है, जैसे कोई मनुष्य। अमृत और कल्पतरु जैसे प्रतीकों के माध्यम से जायसी यह संकेत देते हैं कि जिस प्रकार तपस्या से दुर्लभ फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार कठिन साधना से ही उस परम तत्व का साक्षात्कार संभव है। जो इस 'अमृत' (ईश्वरीय प्रेम) को पा लेता है, वह व्याधि और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है।

''गढ पर नीर खीर दुई नदी, भरहिं जैसे, दूरपदी।
और कुण्ड एक मोती चुरु, पानी अमृत कीच कपुरु।।
ओहिक पानि राजा पै पिया, विरिध होय नहिं जौलहि जिया।
कँचन विरिख एकतेहि पासा, जस कल्पतरु इन्द्र कविलासा ।।
मूल पतार सरग ओहि साखा, अमरवेलि को पाव को चाखा।
चाँद पतार और फल तराई होइ उजियार नगर जहँताई।
वह फल पावै तप करि कोई, विरिध खाय तौ जोवन होई।
राजा भये भिखारी सुनि वह अंम्रित भोग,
जेइ पावा सो अमर भाना किछु व्याधि न रोग।।''

''बूँद समुद्र जैस होई मेरा,गाहिराय मिलै न हेरा।
रंगहि पान मिला जस होई आपहि खोय रहा होई सोई।।''

साधना का चरम और अद्वैत अवस्था साधना की सार्थकता साधक के 'अहं' के पूर्ण विसर्जन में निहित है। जायसी इस सत्य को प्रतिपादित करते हैं कि जब जीवात्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है, तब साधक का पृथक अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाता है। वे इसे 'बिन्दु और सिंधु' के साम्य से स्पष्ट करते हैं, जिस प्रकार एक नन्हीं बूँद विशाल सागर में समाहित होकर एकाकार हो जाती है और उसे पृथक करना असंभव होता है, वैसी ही अवस्था साधक की भी होती है। इसी प्रकार, वे जल और रंग के सम्मिश्रण का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जिस प्रकार रंग जल में घुलकर अपनी सत्ता खो देता है, वैसे ही साधक और साध्य के बीच का द्वैत मिट जाता है। यह वह अवस्था है जहाँ 'स्व' का बोध समाप्त हो जाता है और केवल अखंड ब्रह्म शेष रहता है।

आध्यात्मिक अभिलाषा और ईश्वर का स्वरूप

सूफी काव्य परंपरा में परमात्मा को एक निर्गुण सत्ता के स्थान पर 'परम प्रियतम' के रूप में देखा गया है। जायसी के आध्यात्मिक चिंतन में उस निराकार सत्ता से मिलन की तड़प ही काव्य का मुख्य आधार है। उनके यहाँ स्वर्ग के सुख या नरक के भय का कोई स्थान नहीं है, उनकी साधना केवल उस 'परम आभा' के दर्शन तक सीमित है जिसने उन्हें प्रेम का मार्ग दिखाया। वे स्पष्ट कहते हैं-

''नाहो सर्गक चाहौं राजु ना मोहि नरक सेंति किछु काजू ।
चाहौं ओहि कर दर्शन पावा जोमेहि आन प्रेम पथ लावा।।''

मलिक मुहम्मद जायसी के काव्य में भावात्मक रहस्यवाद की प्रधानता है। उनकी दृष्टि में इस चराचर जगत की प्रत्येक गतिविधि उस परम सत्ता के निकट पहुँचने का ही एक प्रयास है। वे प्रकृति के जड़ और चेतन तत्वों में भी परमात्मा के प्रति अनुराग देखते हैं।

प्रकृति और ईश्वरीय आभा का प्रतिबिंब जायसी का रहस्यवाद भावात्मकता से ओत-प्रोत है। उनकी दृष्टि में संपूर्ण चराचर जगत उस दिव्य सत्ता की उपस्थिति का साक्ष्य देता है। वे प्रकृति के कण-कण में उसी परम सौंदर्य का अनुराग देखते हैं। सरोवर की लहरों को वे ईश्वर के चरणों के स्पर्श के लिए उठने वाली हृदय की व्याकुलता के रूप में चित्रित करते हैं-

''सर वर रूप विमोहा हिए हिलोरहि लेइ, पांव छुवै मकु पावौं यहि मिस लहरहिं देइ।।''

जायसी का मानना है कि इस संसार में जो भी आकर्षण, दिव्यता या चमक विद्यमान है, वह सब उसी एक 'परम ज्योति' का प्रतिबिंब है। वे स्पष्ट करते हैं कि जिस दिन उस ईश्वर ने अपनी आभा बिखेरी, उसी दिव्य प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड आलोकित हो उठा।

सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों का तेज उसी अखंड ज्योति का अंश है। यहाँ तक कि रत्नों की चमक, माणिक्य की लालिमा और मोतियों की धवलता भी उसी ईश्वरीय प्रकाश की ऋणी हैं। जायसी कई स्थानों पर रहस्योन्मुखी होकर यह उद्घोष करते हैं कि परमात्मा को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह तो प्रत्येक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वस्तु के भीतर अंतर्निहित है। उनके अनुसार, दृश्य जगत की सुंदरता उस अदृश्य सत्ता का ही एक संकेत मात्र है।

''जेहि दिन दसन जोति निरमई, बहुतै जोति जोति ओहि नई ।
रवि ससि नखत दिपहिं ओहि जोती, रतन पदारथ मानिक मोती ।।''

जायसी अनेक जगहों पर रहस्योन्मुखी हो जाते है कि परमात्मा बाहर नहीं बल्कि हर दृश्य और अदृश्य वस्तु के भीतर मौजुद है,वह कहते है-

''परगट गुपुत सकल महं पूरि रहा सो नांव,जहं देखों तहं ओहि दूसर नहिं जहं जावं।।''

जायसी ने आत्मा की उस व्याकुल अवस्था का वर्णन किया है जहाँ साधक को यह आभास तो है कि ईश्वर उसके अत्यंत निकट है, किंतु फिर भी वह साक्षात्कार से वंचित है। वे कहते हैं कि मेरा प्रियतम (परमात्मा) मेरे अपने हृदय के भीतर ही निवास करता है, परंतु माया या अज्ञान के पर्दे के कारण मैं उनसे प्रत्यक्ष भेंट नहीं कर पा रहा हूँ। साधक की यह विवशता उसे अत्यंत भावुक कर देती है। वह स्वयं से प्रश्न करता है कि ऐसा कौन सा गुरु या माध्यम है जो मुझे मेरे अंतर्मन में छिपे उस प्रिय से मिला सके? अपनी इस असहनीय विरह-पीड़ा को व्यक्त करने के लिए उसे कोई सहारा नहीं सूझता। वह अत्यंत करुणा के साथ पूछता है कि मैं किसके सम्मुख अपना यह शोक प्रकट करूँ और किसके साथ रोकर अपने मन का बोझ हल्का करूँ?

''पिउ हिरदय मंह भेटिं न होई, को दे मिलाव कहौ केहि रोई ।।''

मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उन्होंने योग-मार्ग की शुष्क और जटिल साधना को श्प्रेमश के माधुर्य से सींचकर अत्यंत सरस बना दिया। जहाँ नाथों और योगियों की रहस्य-साधना केवल शारीरिक और मानसिक संयम तक सीमित थी, जायसी ने उसे हृदय की भावुकता से जोड़ दिया।जायसी के काव्य में नाथों एवं हठयोगियों की पारिभाषिक शब्दावली (जैसे इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और चक्र-साधना) को एक स्पष्ट और प्रभावी धरातल प्राप्त होता है। 'पद्मावत' केवल एक प्रेमाख्यान नहीं है, बल्कि यह रहस्यवाद के विभिन्न रूपों का एक ऐसा संगम है जहाँ योगियों की कठिन तपस्या का वर्णन है। उस ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और विरह की तड़प है। समूची प्रकृति उस आध्यात्मिक यात्रा की सहचरी बनती है।

जायसी की रहस्याभिव्यक्ति की यह व्यापकता- जिसमें साधना, अध्यात्म और काव्य-कला का संतुलन है- संपूर्ण साहित्य जगत में दुर्लभ है। उनकी साधना पद्धति केवल धार्मिक नहीं बल्कि उच्च कोटि की साहित्यिक उपलब्धि भी है। नि'संदेह, जायसी का रहस्यवाद हिंदी साहित्य की एक ऐसी अक्षय निधि है, जिसने मानवीय प्रेम को ईश्वरीय सोपान तक पहुँचा दिया है।

सन्दर्भ

१. पाठक शिवसहाय-मलिक मुहम्मद जायसी और उनका काव्य-साहित्य भवन लिमिटेड-१९७६, पृ ३३१
२. शर्मा राजनाथ-जायसी और उनका पद्मावत एक सर्वेक्षण-विनोद प्रकाशन मंदिर, आगरा-१९८८-पृ-१४३
३. पाठक शिवसहाय-मलिक मुहम्मद जायसी और उनका काव्य-साहित्य भवन लिमिटेड-१९७६, पृ ३४२
४. वर्मा राजकुमार- कबीर का रहस्यवाद-साहित्य भवन प्रा लि, इलाहाबाद-१९७२-पृ-०७
५. शुक्ल रामचंद्र-जायसी ग्रंथावली, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी-१९७४-पृ-८४
६. शुक्ल रामचंद्र-जायसी ग्रंथावली, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी-१९७४-पृ-१५
७. पाठक शिवसहाय-जायसी और उनका काव्य-साहित्य भवन-१९७६, पृ-३४४
८. जायसी और कबीर- सामासिक संस्कृति के सम्बंध में-डॉ. डी.आर. राहुल-आशा प्रकाशन, कानपुर-२०१३-पृ-१७४
९. त्रिगुणायत गोविंद- जायसी और कबीर का रहस्यवाद का तुलनात्मक अध्ययन-अशोक प्रकाशन, दिल्ली-पृ-२१८
१०. जायसी और कबीर- सामासिक संस्कृति के सम्बंध में -डॉ. डी आर राहुल, आशा प्रकाशन, कानपुर-२०१३-पृ-१७६
११. जयदेव-सूफी महाकवि जायसी-भारत प्रकाशन, अलीगढ-पृ-३५२
१२. त्रिगुणायत गोविंद-कबीर एवं जायसी का रहस्यवाद तुलनात्मक अध्ययन- पृ-२३०

संदर्भ ग्रंथ सूची-

१) जायसी, मलिक मोहम्मद, पद्मावत (विभिन्न संस्करण)।
२) त्रिगुणायत, गोविंद, कबीर और जायसी के रहस्यवाद का तुलनात्मक अध्ययन, अशोक प्रकाशन, दिल्ली।
३) पाठक, शिवसहाय, मलिक मुहम्मद जायसी और उनका काव्य, साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, संस्करण १९७६।
४) राहुल, डी.आर. (डॉ.), जायसी और कबीर- सामासिक संस्कृति के सम्बंध में, आशा प्रकाशन, कानपुर, संस्करण २०१३।
५) वर्मा, रामकुमार, कबीर का रहस्यवादय साहित्य भवन प्रा. लि., इलाहाबाद, संस्करण १९७२।
६) शर्मा, राजनाथ, जायसी और उनका पद्मावत- एक सर्वेक्षणय विनोद प्रकाशन मंदिर, आगरा, संस्करण १९८८।
७) शुक्ल, रामचंद्र (संपा.), जायसी ग्रंथावली, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, संस्करण १९७४।
८) पांडे रामनारायण (डॉ.) -भक्ति काव्य में रहस्यवाद-नॅशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली-१९६६
९) शुक्ल रामचंद्र -काव्य में रहस्यवाद-साहित्य भूषण कार्यालय,बनारस-१९८६
१०) मैनी धर्मपाल-मध्ययुगीन निर्गुण चेतना, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, प्र.सं-१९७२
११) नारंग इन्द्रचंद-पद्मावत का अनुशीलन, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद-१९८९
१२) मुकर्जी रवीन्द्र-भारतीय समाज एवं संस्कृति की एक झलक, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली-१९९०

महादेवी जी की सौन्दर्यगत भाव व्यंजना

सारांश

वेदनाव्यंजक भाव विरह अनुभूति महादेवी के काव्य का मूल स्वर वेदना दुःख है। उनका विरह लौकिक न होकर अलौकिक है, जहाँ वे असीम सत्ता के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं, जैसे- 'मैं नीर भरी दुख की बदली'। रहस्यवादः उनके काव्य में अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम और समर्पण का रहस्यवादी चित्रण मिलता है। प्रकृति चित्रणः वे प्रकृति के अत्यंत कोमल और सूक्ष्म रूप को चित्रित करती हैं, जिसमें मानवीय संवेदनाओं का आरोप होता है।नारी-सुलभ संकोच और पीड़ाः स्त्री-हृदय की कोमल अनुभूतियाँ, पीड़ा, और संघर्ष का अंकन उनकी कविताओं विशेषकर 'यामा' और 'दीपशिखा' में प्रमुख है। काव्य भाषा और शैलीः उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ, कोमलकांत, और गेयता संगीत से परिपूर्ण है। लाक्षणिकता और चित्रमयता उनकी शैली की विशेषता है।

बीज शब्द- सौन्दर्य, भाव, व्यंजना, रहस्यवाद, प्रकृति

शिव औतार
प्राध्यापक - हिंदी
भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन
महर्रा ललितपुर

प्रस्तावना

महादेवी वर्मा जी की सौन्दर्यगत भाव व्यंजना इस शोध पत्र का वर्ण्य विषय है। इसकी शोध परक विवेचना करने के पूर्व इसके सार रूप पर संक्षिप्त प्रकाश डालना उचित प्रतीत होता है। इस शोध पत्र पर महादेवी वर्मा जी की सौन्दर्यगत भाव व्यंजना की यथार्थ परक झांकी देखी जा सकती है। इस शोध लेख में महादेवी वर्मा जी की सौंदर्यगत भाव व्यंजना की शोधात्मक विवेचना की गई है।

महादेवी वर्मा, एक शिक्षाविद थीं, जिन्होंने महिलाओं के लिए समान शैक्षिक अवसरों की वकालत की। उन्होंने २०वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में, जब ऐसा करना लोकप्रिय नहीं था, महिलाओं और पुरुषों के लिए समान शैक्षिक अवसरों के लिए संघर्ष किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना समग्र सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। सौन्दर्यानुभूति ही प्रणयानुभूति की भावभूमि का का प्रमुख आधार है। सौन्दर्य दो प्रकार का होता है। (१) वाह्य या स्थूल सौन्दर्य (२) आन्तरिक या सूक्ष्म सौन्दर्य। पावन सौन्दर्य और इंद्रीयलिप्सा को जाग्रत नही करता। गंगा प्रसाद पाण्ड़े के अनुसार- ''वास्तव में सौन्दर्य बाहर की वस्तु नही है, यह मन की भीतर की वस्तु है। इसकी पूर्णता के लिए अन्तरसता की तदाकार परिणति आवश्यक है। जिसके प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुन्दर कही जायेगी''[१] सौन्दर्य पासक छायावादी कवियों के सामान महादेवी ने भी किसी भी वस्तु के सौन्दर्य को भौतिक रूप में नहीं देखा है।

विश्व के इतिहास में किसी भी युग में काव्य की सर्वप्रिय अनुभूति सौन्दर्य वर्णन ही रही है। सौन्दर्य भावना प्रत्येक वाणी में पायी जाती है फिर कवि तो सौन्दर्यपासक प्राणी है ही। मनुष्य क्या पशु पक्षी भी इस भावना से शून्य नहीं। कला का सौन्दर्य से घनिष्ठ सम्बंध है।

कृष्णदेव प्रसाद गौड़ के अनुसार- ''जब किसी कृति में सौन्दर्य का सामंजस्य होता है तब वह कला होती है। कला और सौन्दर्य एक प्रकार का पर्याय है। कलाकार में जो सौन्दर्य बोधात्मक शक्ति होता है उसकी प्रेरणा से उसकी रचना में वह गुण उत्पन्न होता है जिससे वह लोगों को रुचता है और लोगों को आकृष्ट करता है।''[२]

करुणा और प्रेम की कवयित्री महादेवी वर्मा भी सौन्दर्य की उद्भाविका है। सत्य और शिव के समान सौन्दर्य ही सनातन है। अन्ततः कला सौन्दर्य की ही तो है या फिर वह सौन्दर्य की ही संवेदना है। सौन्दर्य बोध का अपार लालित्य हमें महादेवी जी के गीतों में प्राप्त होता है- ''महादेवी वर्मा की सारी आराधना सारी पुकार उसके प्रति है जो स्वयं सौन्दर्य है और सारे संसार के सौन्दर्य का जन्मदाता है। यही कारण है कि रचना में सुन्दरता का प्रकाश जगमगाता फिरता है।''[३] वस्तुतः सौन्दर्य का सृजन ही तो कला का या काव्य का लक्ष्य है।

महादेवी जी की प्रकृतिपरक व्यष्टि सौन्दर्य दृष्टि आत्मपरक समष्टि सौन्दर्य दृष्टि से आगे चलकर घुल मिल गयी है। महादेवी जी ने प्रकृति के वैभव में उस विराट चिर सुन्दर के दर्शन किये तो उन्हें ऐसा लगा कि इस ब्राह्मण में उसी विराट का सौन्दर्य वैभव बिखरा हुआ है।

महादेवी जी ने स्वयं ही सत्य को काव्य का साध्य एवं सौन्दर्य को उसका साधन माना है। उनके कथनानुसार- ''कला का सत्य जीवन की परिधि में सौन्दर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखण्ड सत्य

है।''[४] कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का मानना है कि ''महादेवी वर्मा की रचनाओं की विशेषता है सौन्दर्य जो पार्थिव और मांसल स्वरूप से हटकर बारीक और अन्तर्जगत की ओर दृष्टि ले जाता है।''[५] नारी और प्रकृति को लेकर महादेवी की नूतन सौन्दर्य दृष्टि ने अतीन्द्रिय लावण्य, माधुर्य और लालित्य की दृष्टि की है। रामविलास शर्मा के अनुसार- ''प्रकति में परिव्याप्त सूक्ष्म से सूक्ष्मतम सौन्दर्य को अनावृत्त करने में पन्त जितना अधिक सफल हुए उतना महादेवी नहीं किन्तु आन्तरिक तथा वाह्य प्रकृति के सम्बंध का जितनी हार्दिकता से महादेवी दे सकी उतना पन्त नहीं।''[६]

हृदयगत भावनाओं का निरुपण महादेवी की सौन्दर्यानुभूति की सबसे बड़ी विशेषता है। आस्थावादी कवियित्री महादेवी जी ने सौन्दर्य का सम्बंध आस्था से भी माना है- ''सौन्दर्य बोध का गहरा सम्बंध जीने के प्रति आस्था से है। जो अनास्थावदी कवि अपनी रचनाओं में सौंदर्य को अभिव्यक्त करने का दावा करतें हैं, वे मृगमरीचिका में अपनी प्यास बुझाना चाहतें है।''[७]

सौन्दर्य का श्रृंगार से घनिष्ठ सम्बंध है। श्रृंगार से सुन्दरतम हो जाना स्वभाविक हैं। प्रेयसी के लिए प्रिय मिलन से पहले श्रृंगार करना हमारे यहाँ मंगल का सूचक माना जाता है। एक महादेवी माधुर्य भाव की उपासिका है परन्तु उनकी श्रृंगारिका भावना आपार संयम सात्विकता एवं सुरुचिक से पूर्ण है। कवयित्री ने सोचा जब सौन्दर्य उपासना करनी है जो ऐसे चिर सुन्दर की उपासना क्यों न की जाए जो अक्षय सौन्दर्य का भण्डार हो। इसलिए महादेवी जी की काव्य रचनाओं का जन्म सौंन्दर्य के अक्षम मूल से हुआ है। प्राकृतिक व्यापारों में अलौकिक एवं शाश्वत सौन्दर्य खोजती हुई कवयित्री की पवित्रात्मा प्रकृति में ऐसी घुलमिल गई है जिसे अलग करके देखना कठिन है।

महादेवी जी का सौन्दर्यात्मक दृष्टिकोण आन्तरिक एवं अनुभूतिपरक अधिक है वाह्य कम है। साधिका का प्रिय सुन्दर है। उस सुन्दरता के स्वरूप को आत्मसात करने के लिए कवयित्री के प्राण विहल हैं। प्रकृति एवं अखिल ब्रमहाण्ड का समस्त सौन्दर्य उसी का तो प्रतिबिम्ब है। कवयित्री उसमें आकण्ठ डूब जाना चाहती है। कुल मिलाकर महादेवी जी की सौन्दर्यानुभूति सीमित होते हुए भी सूक्ष्म है, व्यक्ति केन्द्रित होते हुए भी समष्टि केन्द्रित है। उसमें अतनु अशारीरिक एवं हृदयगत सौन्दर्य की प्रधानता है।

महादेवी जी के सौन्दर्य वर्णन में सर्ववाद की झलक मिलती है। प्रकृति के इन चित्रों में हृदय का स्पन्दन सुनाई पड़ता है। आनन्द प्रसाद दीक्षित के अनुसार- ''उनकी व्यथा उनकी पीड़ा उनके अश्रु श्रृंगार की सामग्रियां है, कोई भावुकता नहीं। वह रूप को संवारती है तथा उसमें एक ज्योति तथा आकर्षण भर देती है। आत्मिक सौन्दर्य ही चिर है, नित्य नवीन है तथा अनश्वर है। भौतिक श्रृंगार की वस्तुएं अपने रूप रंग से क्षणिक सन्तोष ही देती है।''[८]

महादेवी के सौन्दर्य चित्रों में ऊषा और प्रभात के वर्णन बहुलता लिए हुए है। कवयित्री की तूलिका से चित्रित प्रभात का वर्णन बड़ा ही दर्शनीय बन पड़ा है। यथा-

चुभते ही तेरा अरुण वान।
बहते कन कन से फूट-फूट
मधु के निर्झर से सजल गान।
इन कनक रश्मियों में अथाह,
लेता हिलोर तम-सिन्धु जाग,
बुद बुद से वह चलते अपार
उसमें विहगों के मधुर राग,
बनती प्रवाल का मृदुल कुल,
जो क्षितिज रेख थी कुहर-ग्लान।''[९]

रश्मि को सम्बोधित करके सुकुमार प्रभात की प्रथम झलक का सावयव चित्रण अंकित किया गया है। प्रकृति का कण-कण मानवीय व्यापार को प्रकट करता है। ऊषा सौन्दर्य का अक्षय भण्डार लिए खड़ी है। जिसके विविध भिन्नवर्णी दृष्यों से विलक्षण सौन्दर्य सुषमा फूट पड़ती है। ऊषा के आलोक तिमिर का तरंगायित सागर में हिलार उठना, विहग कुलों का चहचहाना, क्षितिज रेखा का प्रबाल सदृश्य अरुण आभा से रंग जाना आदि दृष्यों में अतीनिद्रय सुषमा ज्वार उमडता दिखई देता है। अन्य बहुत से कवियों ने भी प्रभावकालीन सुषमा के चित्र खींचे है किन्तु जो मार्मिक अलौकिक आनन्द हमें इस गीत में उपलब्ध होता है। अन्यत्र दुर्लभ है। निम्नगीत में सघस्नता नायिका का उद्दीपन रूप चित्रित है-

''नभ गंगा की रजत धार में,
धो आई क्या इन्हें रात ?
कम्पित हैं तेरे सजल अंग,
सिहरा सा तन है सास्नात।
सौरभ झीना गीता
लिपटा मृदु अंजन सा दुकुल
चल अंचल से झर-झर झरना
पथ जुगनू के स्वर्ण फूल।''[१०]

नायिका का ऐसा उद्दीपन एवं पावन रूप बड़ा ही मर्मस्पर्शी है। कोमल, श्यामल एवं सुगन्धित केष-पास, सिहरा सा तन, झीना गीला दुकुल, स्निग्ध अलके तथा उदास शिशु का मां के आँचल में मुँह छिपा लेना आदि। शाश्वत एवं उदात्त प्रेम की ऐसी शीतलता इस गीत में विद्यमान है जो अनायास ही तनम न तो छू ही नही लेती अपितु विभोर कर देती है। सौकुमार्य में यह गीत सचमुच ही अनूठा है। गोधूलित की बेला में सांध्य गगन का चित्र प्रस्तुत है-

''सुधि मीने स्वप्न रंगीले घन।
साधों का आज सुनहरा पन,
घिरता विषाद का तिमिर सघन,
संध्या का नभ से मूक मिलन-
यह अश्रुवती हसती चितवन।
तब आदि अन्त दोनों मिलते,
रजनी दिन परिणय से खिलते,
आँसू मिस हिम के कण दुलते,
ध्रुव आज बना स्मृति का चल क्षण।''[११]

प्रकृति के आत्मीयता एवं तादात्म के सुन्दर उदाहरण के रूप में इस गीत को लिया है। साधिका ने गोधूलित की बेला में धुंधले क्षितिज की अपने हृदय के विराग से, सान्ध्य अरुण नभ की सुहान से शून्य छाया की राग विहीन काया से रंग विरंगे बादलों की सुधिमय स्वप्नों की ममता प्रगट की है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवयित्री ने इस गीत में अपनी मानसिक स्थिति को ही अभिव्यक्ति प्रदान की है। लज्जाशील नवोड़ा मुग्धा नायिका की श्रृंगार सज्जा निम्न गीत में अवलोकनीय है-

''तारकमय नव वेणी बन्धन
शीषा फूल कर शशि का नूतन
रष्मि वलय सित घन अवगुण्ठन,
तरल रजत की धार बहादे
मृदु स्मित से सजनी
विहँसति आ बसन्त रजनी।''[१२]

नव वधु के मन्दिर भव भावनाओं की झांकी झाँकने योग्य है। बसन्त रजनी को कवयित्री ने एक सुन्दर स्त्री के रूप में चित्रित किया है। बसन्त

रजनी को आमंत्रित करती हुई कवयित्री एक नूतन ढंग से आल्हादित होकर कहती है। कि अपने सुन्दरतम अलौकिक वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर एवं सज सवर कर क्षितिज से शैने शैने प्रगट होने वाली वसन्त रजनी अपने प्रिय के प्रेम में दीवानी होकर उल्लसित होती चली आ रही है। बसन्त रजनी का आध्यात्मिक सौन्दर्य देखने योग्य है। बसन्त रजनी की वेणी तारों से जड़ी हुई है। मानोदय चांद शीष फूल की भांति बालों में गुथा हुआ है। चांदनी की किरणों से वेप्टित धन का घूंघट डाले हुए है। पिय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पैरों में घुंघरू बांधे हुए है। आखिर मीरा भी गिरधर के प्रेम में पागल होकर वन-वन घुंघरू पहनकर नाचती फिरी थी, स्पष्ट है कि महादेवी की सौन्दर्य एवं शृंगार भावना ने उनके गीतों में सप्राणता ला दी है, निम्न गीत में विभावरी का गीत चित्रित है।

निष्कर्ष

इस प्रकार निष्कर्ष रूप मे हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी की सौंदर्यगत भाव व्यञ्जना अत्यंत विकसित है।

महादेवी वर्मा की काव्यगत सौंदर्य भावना का निष्कर्ष यह है कि उनका सौंदर्यबोध बाह्य न होकर सूक्ष्म, रहस्यवादी और वेदनापूर्ण है। उन्होंने प्रकृति और निराकार प्रियतम (ईश्वर) में अलौकिक सौंदर्य देखा। उनकी सौंदर्य भावना में करुणा, विरह, रहस्यवाद और दार्शनिकता का अनूठा मिश्रण है, जो उन्हें 'आधुनिक मीरा' बनाता है। महादेवी का सौंदर्य-दर्शन सगुण नहीं, बल्कि निराकार ब्रह्म (असीम प्रियतम) के प्रति समर्पित है, जो प्रकृति के घट-घट में वास करता है। उनके लिए सौंदर्य विरह की वेदना में रमता है, दुःख में ही उन्हें मिलन का सुखद आभास मिलता है, जैसा कि ''मैं नीर भरी दुख की बदली'' में दिखता है। प्रकृति का मानवीकरण उन्होंने प्रकृति के विभिन्न रूपों में विराट सौंदर्य का चित्रण किया है, जहाँ प्रकृति एक सजीव सत्ता के रूप में दिखाई देती है। प्रेम का अद्वैत रूपः लौकिक और अलौकिक प्रेम के समन्वय से निर्मित उनका काव्य आत्म-समर्पण की भावना को दर्षाता है। प्रतीकात्मकता और कलात्मकता नीरजा', 'सांध्यगीत' और 'यामा' जैसी कृतियों में उन्होंने रूपक, मानवीकरण और प्रतीकों के माध्यम से सौंदर्य को अत्यंत मार्मिकता से अभिव्यक्त किया है। महादेवी का काव्य सौंदर्य, करुणा से शुरू होकर वेदना के माध्यम से आध्यात्मिक रहस्यवाद पर समाप्त होता है, जो अत्यंत कोमल और पवित्र है। छायावादी काव्य के विकास में महादेवी वर्मा का योगदान अप्रतिम है। इस प्रकार उक्त शोध पत्र की शोधात्मक विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि महादेवी वर्मा जी की सौन्दर्यगत भाव व्यंजना की चेतनाएं विद्यमान हैं।

सन्दर्भ

१. छायावाद और रहस्यवाद १९४५ गंगा प्रसाद पांडे रामनरायण लाल पब्लिशर इलाहाबाद पृष्ठ संख्या ३५
२. महादेवी वर्मा की सौंदर्य साधना १९५६ कृष्ण देव प्रसाद गौड़ साधना सदन प्रकाशन इलाहाबाद पृष्ठ संख्या १०७
३- महादेवी वर्मा की सौंदर्य साधना १९५६कृष्ण देव प्रसाद गौड साधना सदन प्रकाशन इलाहाबाद पृष्ठ संख्या १०८
४- दीपशिखा १९४२ महादेवी वर्मा लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद पृष्ठ संख्या १०१
५. महादेवी वर्मा अभिनंदन ग्रंथ १९५६ कृष्ण देव प्रसाद गौड़ नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी पृष्ठ संख्या १०७
६. आस्था और मानव सौंदर्य की कवयित्री महादेवी वर्मा १९६१ रामविलास शर्मा राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली पृष्ठ संख्या २३३
७. महादेवी का काव्य वैभव १९६८ रमेश चंद्रगुप्त प्रेम प्रकाशन नई दिल्ली पृष्ठ संख्या ३०
८. यामा १९३९ महादेवी वर्मा लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद पृष्ठ संख्या ७१
९. नीरजा १९३३ महादेवी वर्मा, इंडियन प्रेस इलाहाबाद पृष्ठ संख्या ३०
१०. सांध्यगीत १९३५ महादेवी वर्मा लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद पृष्ठ संख्या १८
११. नीरजा १९३३ महादेवी वर्मा इंडियन प्रेस इलाहाबाद पृष्ठ संख्या १२
१२. दीपशिखा १९४२ महादेवी वर्मा लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद पृष्ठ संख्या १०१

जनपद बिजनौर के प्रमुख गद्य लेखक

सारांश

पद्मसिंह जी शर्मा की भाषा में सजीवता और शैली में चुटीलापन है वे काव्यालोचक थे। गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर में रहे और संस्था की सेवा की। मासिक पत्र 'भारतोदय' का भी सफलतापूर्वक संपादन किया। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, फ़ारसी और उर्दू साहित्य में भी पण्डित जी की अबाध गति थी। पण्डित रुद्रदत्त शर्मा संपादकाचार्य की मृत्यु एक बड़ी ही दुःखप्रद और करुणाजनक घटना है। इनकी मृत्यु से हिंदी को जो हानि हुई है, उसकी पूर्ति होनी कठिन है। रवीन्द्रनाथ त्यागी का पहला संग्रह 'खुली धूप में नाव पर' १९६३ में तो आखिरी 'बसंत से पतझड़ तक' उनके निधन के बाद २००५ में छपा। १९८० में 'अपूर्ण कथा' नाम से उनका एक उपन्यास भी आया था जबकि इससे पहले १९७८ में उन्होंने 'उर्दू हिन्दी हास्य व्यंग्य' नाम से एक बड़ा ही प्रतिष्ठापूर्ण और दीर्घकालिक महत्त्व का संकलन संपादित किया था। स्वतंत्रता सेनानी महावीर त्यागी एक अनूठे इंसान थे वे १९१९ में जलियावाला बाग हत्या कांड के बाद ब्रिटिश सेना के इमरजेंसी कमीशन से त्यागपत्र देकर गांधी जी के साथ देश की आजादी के आंदोलन में कूद गए। वे अपनी रोचक शैली के कारण इतने लोकप्रिय हुए कि पाठकों के आग्रह पर उन्होंने संस्मरण लिखे और पुस्तक रूप में छपवाए। डॉ. महावीर अधिकारी कलकत्ता में प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवतीचरण वर्मा के संपर्क में आकर समाचार पत्र विचार में काम करना शुरू किया। डॉ. महावीर अधिकारी ने आदमी का गणित, रामदुर्ग निबंध लिखे। उनकी लिखी कहानियां कोशी, जीवन के मोड़ कहानी संग्रहों में हैं। मंजिल से आगे, तलाश, मानस मोती जैसे यथार्थवादी उपन्यास भी लिखे। आपने ज़िन्दगी और तूफ़ान फिल्म भी बनाई। दुष्यन्त कुमार के लेखन का प्रारम्भ १९४५ से ही हो गया था। प्रारम्भ कविता से किया और बाद में कहानी भी लिखने लगे। प्रारम्भ में कवि-सम्मेलनों के लिये मंचीय कविताएं लिखीं परन्तु शीघ्र ही साहित्यिक गीतों और कभी-कभी ग़ज़ल की रचना भी करने लगे। अन्तिम किन्तु सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाली कृति 'साये में धूप' रही। १९७५ में ऐतिहासिक ग़ज़ल संग्रह 'साये में धूप' नाम से प्रकाशित किया गया।

अक्षि त्यागी
एम.ए.(हिन्दी/गृह विज्ञान), बी.एड.

जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जनपद है। जिसका न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व है बल्कि भौगोलिक और राजनीतिक महत्व भी है। गन्ने के उत्पादन की स्थिति यह है कि इस जनपद में दस चीनी मिल लगी हुई हैं। जिससे कहा जा सकता है कि जनपद बिजनौर की आर्थिक स्थिति गन्ने पर ही अधिक निर्भर करती है। यह जनपद उत्तराखण्ड की सीमा से लगता है। गंगा और रामगंगा के अतिरिक्त अनेक छोटी बड़ी नदियां तो हैं ही साथ ही सिंचाई के लिए नहरों का जाल बना हुआ है। यहीं पर एक और प्रसिद्ध नदी मालिनी भी बहती है। यह वही मालिनी है जिसके किनारे कभी कण्व ऋषि का आश्रम हुआ करता था और भारत के महान प्रतापी राजा भरत का जन्म भी हुआ था। जनपद बिजनौर की भूमि साहित्य के लिए भी कम उर्वर नहीं रही है। यहां समय-समय पर महान साहित्यकारों ने जन्म लिया है। जिनके कारण बिजनौर को एक अलग ही पहचान मिलती है। प्रस्तुत है जनपद के कुछ प्रमुख गद्यकार जिनके बिना हिन्दी साहित्य का इतिहास अधूरा जान पड़ता है -

पद्मसिंह शर्मा

पद्मसिंह शर्मा जी का जन्म सन् १८७६ ई. में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के 'नायक नगला' नामक ग्राम में हुआ था। पिता चौधरी उमरावसिंह गांव के मुखिया थे और उनके यहाँ काश्तकारी तथा जमींदारी का कार्य होता था। विद्याध्ययन के लिए पिता ने घर पर ही व्यवस्था कर दी थी। एक मौलवी और एक पण्डित पढ़ाने के लिए घर पर ही आ जाता था। उर्दू, हिंदी तथा संस्कृत की प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर ली तो आगे की शिक्षा के लिए इटावा चले गए। वहाँ स्वामी दयानन्द जी के अनन्य शिष्य पं. भीमसेन शर्मा से अष्टाध्यायी का अध्ययन किया। वहाँ से आने के बाद बिजनौर में ही ताजपुर स्टेट के श्री जीवाराम शर्मा साहित्यचार्य से 'लघु कौमुदी' तथा 'काव्यशास्त्र' की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर चले गए। वहाँ 'ओरियएण्टल कॉलेज' में अध्ययन के दौरान ही नरदेव शास्त्री जी के संपर्क में आए और उनके साथ 'विद्यार्थी आश्रम' में रहने लगे। लाहौर में दो वर्ष तक अध्ययन के पश्चात् जालन्धर चले गए जहां पण्डित गंगादत्त शास्त्री (स्वामी शुद्धबोध तीर्थ) से व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद काशी के प्रख्यात विद्वान पं. काशीनाथ शास्त्री से दर्शन आदि शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। यह थी पण्डित जी की शिक्षा प्राप्ति की यात्रा, जिसका हिंदी साहित्यिकों में दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। सन् १९०४ ई. में महात्मा मुंशीराम (स्वामी श्रृद्धानन्द) के अनुरोध पर 'गुरुकुल कांगड़ी' में शिक्षक हो गए। जब महात्मा जी ने पण्डित रुद्रदत्त शर्मा संपादकाचार्य के संपादकत्व में **'सत्यवादी'** नामक साप्ताहिक पत्र हरिद्वार से प्रकाशित किया तब इस पत्र के संपादन में भी सहयोग देने लगे। लेखन व संपादन का सूत्रपात यहीं से हुआ। सन् १९०८ ई. में परोपकारिणी सभा के मासिक मुखपत्र **'परोपकारी'** के संपादक होकर अजमेर चले गए। 'परोपकारी'

के संपादन के साथ-साथ **'अनाथरक्षक'** का संपादन भी किया। सन् १९०९ ई. से सन् १९१७ ई. तक गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर में रहे और संस्था की सेवा की। शिक्षण और संपादन साथ-साथ चलता रहा। मासिक पत्र **'भारतोदय'** का भी सफलतापूर्वक संपादन किया। महाविद्यालय की प्रबंध सभा के मंत्री भी रहे। पिताजी के असामयिक देहावसान के कारण जमींदारी देखने के लिए महाविद्यालय छोड़कर गाँव जाना पड़ा। उपरोक्त सभी शिक्षा और अनुभवों ने पण्डित जी को कुन्दन सा पका दिया था। आपके साहित्यिक अवदान को हिंदी साहित्य ने स्वीकार भी किया है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान **किशोरी दास वाजपेयी** लिखते हैं- ''हिंदी-साहित्य के सर्वोत्कृष्ट समालोचक स्वर्गीय पं. श्री पद्मसिंह जी शर्मा की भाषा में सजीवता और शैली में चुटीलापन है वे काव्यालोचक थे। काव्य में भी, विशेषतः शृंगारमयी रचना की परख आपने की है। आपकी भाषा शृंगार के अनुरूप है और शैली उसका पोषण करती है। यही कारण है कि साहित्य संसार ने एक स्वर से उसकी प्रशंसा की है-उनकी उस आलोचना पर न्यौछावर है। 'बिहार की सतसई' का शर्मा जी के **'संजीवन भाष्य'** के कारण 'अगनित बढ़्यो उदोत्त।' जिन्होंने कभी आँख उठाकर 'सतसई' की ओर न देखा था और न देखना चाहते थे, वे भी उसके पक्के हिमायती बन गये। 'संजीवन' ने अपना काम कर दिया। अँगूठी से बहुत ज़्यादा क़ीमत का उसमें जड़ा हुआ नग निकला, जिसने सबका ध्यान उधर आकर्षित कर लिया। परस्पर एक ने दूसरे की छटा बढ़ायी। लोगों की यह आशंका पूरी हुई कि 'रत्नं समागच्छतु कांचनेन।' बिहारी को अनुरूप ही समालोचक मिले। यह कितने सौभाग्य की बात है।''

अनिल कुमार राय 'आंजनेय' ने अपने लेख में लिखा है- ''हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, फ़ारसी और उर्दू साहित्य में भी पण्डित जी की अबाध गति थी। संस्कृत के धुरंधर पण्डित आप के अगाध ज्ञान की धाक मानते थे। द्विद्वरेण्य पं. भीमसेन शर्मा आप जैसे सतीर्थ, साहित्य-सगोती, ज्ञान-श्रेष्ठ बंधु को पाकर धन्य थे और आपकी सारस्वत साधना का समादर करते थे। आपके विद्वन्मूर्धन्य गुरु संस्कृत सूर्य श्री पं. काशीनाथ जी शास्त्री अपने से 'सवाई' शिष्य को पाकर कृतार्थ थे और आप के पारीण पाण्डित्य एवं प्रसाद-गुण-गुम्फित मसष्ण शैली की मुक्तकंठ से प्रशंसा किया करते थे।

बनारसीदास चतुर्वेदी लिखते हैं- "..हिंदी रेखा चित्रों का ज़िक्र करते हुए हमें सबसे प्रथम आचार्य पं. पद्मसिंह जी शर्मा का स्मरण आता है। कृहिंदी में रेखा चित्रों के प्रथम आचार्य पं. पद्मसिंह जी को ही मानना पड़ेगा। उनका **महाकवि अकबर** विषयक लेख, चरित्र-चित्रण का सर्वोत्तम दृष्टान्त माना जा सकता है।" (रेखाचित्र, बनारसीदास चतुर्वेदी, पृ. १०)

महाकवि अकबर इलाहाबादी :- "असल यह है कि आप साहिबे-दिल हैं। आपने अपनी ज़बान और मज़हब में फिलसफा पढ़ा है और मज़ाके-तसव्वफ़ और हक़परस्ती आप में पैदा हो गयी है।... आपकी क़ाबलियत और सुखनफ़हमी ने मुझको आपका आंशिक बना दिया है, मेरे लिए दुआ फ़रमाया कीजिए, (पद्मसिंह शर्मा के पत्र, परिशिष्ट २, ३ पृ. सं. २४९)

उपन्यास सम्राट् प्रेचमंद :- "शर्मा जी जितने बड़े साहित्य सेवी थे, उससे कहीं बड़े मनुष्य थे। आपसे मिलकर कभी जी नहीं भरता था। नये लेखकों को आप वह प्रोत्साहन देते थे, जो माता अपने लिपटते बालक को देती है। आप में नवीन और प्राचीन का अभूतपूर्व मेल हो गया था। क्या संस्कृत, क्या हिंदी, क्या उर्दू, क्या फ़ारसी -आप इन सभी साहित्यों के ज्ञाता थे। ..हिंदी में आप एक ख़ास शैली के जन्मदाता हैं-जिसमें चुलबुलापन है शोखी है, प्रवाह है और उसके साथ ही गाम्भीर्य भी। उनका पांडित्य उनके काबू में हैं वह उस पर शहसवार की भाँति सवार होते हैं। उसकी लगाम ढीली नहीं करते, उसे बहकने नहीं देते। ..कौन जानता था कि हिंदी साहित्य का वह सूर्य अपने साहित्य-जीवन के मध्याह्न में यों अस्त हो जाएगा।" पण्डित जी वास्तव में महान व्यक्ति थे। उन्होंने योग्य को आगे बढ़ाने में कोई कसर न छोड़ी थी। तभी तो

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द प्रसाद अपने लेख प्रकाशन पर लिखते हैं- 'समाज-संशोधन' वाला लेख आपको इतना पसंद होगा, यह मुझे कभी धारणा न थी। यदि उधर 'भारतोदय' कृतार्थ हुआ तो इधर मैं भी कृतार्थ हुआ। आशा है अपने समुचित आदेशों से आप मुझे सदा कृतार्थ करते रहेंगे।''

भाषा-शैली

पण्डित पद्मसिंह शर्मा मिश्रित भाषा के पक्षपाती थे और इन्होंने 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन', मुरादाबाद के सभापति पद से दिए गए भाषण में अपना दृष्टिगोचर स्पष्ट करते हुए कहा भी है कि- **'हिन्दी लेखक प्रचलित और आम फहम फारसी शब्दों का जो उर्दू में आ मिले हैं और उर्दू सूक्तियों का व्यवहार करना बुरा नहीं समझते, पर उर्दू-ए-मुअल्ला के पक्षपाती ठेठ हिन्दी शब्दों को चुन-चुन कर उर्दू से बाहर कर रहे हैं। .. यह अच्छे लक्षण नहीं हैं।'** इस प्रकार पद्मसिंह शर्मा ने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू-फारसी के तीमारदार, मुद्दत, शिद्दत, जबरदस्ती, कागज, नुमायाँ, आफत, गनीमत, इन्तजार, अजीज तथा अंग्रेजी के रिक्वेस्ट, स्कीम, न्यू लीडर, स्प्रिट, विजिटिंग कार्ड, पार्टी, फीलिंग, फंड, स्पीड, ओरिएण्टल आदि अनेक शब्दों को अपनाया है। साथ ही प्रचलित मुहावरों का व्यवहार भी इन्होंने बहुत अधिक किया है। सामान्यतः इनकी गद्य रचनाओं में शैली के मूलतः दो रूप दृष्टिगोचर होते हैं। एक ओर तो संस्कृत की तत्समता से संपन्न गंभीर विचारात्मक शैली के दर्शन होते हैं तथा दूसरी ओर मिश्रित भाषा से संपन्न शैली का सशक्त, सप्राण, प्रभावशाली, प्रवाहमय रूप दीख पड़ता है, जिसमें हास-परिहास व व्यंग्य-विनोद की छटा भी है। यही शैली इनकी स्वाभाविक शैली है और इस पर इनके व्यक्तित्व की अमिट छाप है।

कृतियाँ

शर्माजी की **'बिहारी सतसई की भूमिका', 'पद्म पराग', 'प्रबंध-मंजरी' और 'हिन्दी उर्दू हिन्दुस्तानी'** आदि रचनाएँ मिलती हैं। इनके **पत्रों का संग्रह** (पं. पद्मसिंह शर्मा के पत्र) भी प्रकाशित हुआ है, पर अभी भी इनके बहुत-से लेख और व्याख्यान असंकलित ही हैं तथा इधर-उधर बिखरे पड़े हैं।

गद्य-साधना

पद्मसिंह शर्मा संपादक, टीकाकार, आलोचक और निबंधकार के रूप में हमारे सामने आते हैं, पर हिन्दी साहित्य में यह प्रधानतः आलोचक के रूप में ही अधिक प्रसिद्ध हैं और तुलनात्मक आलोचना के तो यह जनक माने जाते हैं। इनका

आलोचक इनके निबंधकार से निस्संदेह श्रेष्ठ है और इनके निबन्ध संग्रहों में भी आलोचनात्मक निबंधों की संख्या आधिक है। इन्होंने साहित्य-समीक्षा, जीवनी, संस्मरण, श्रद्धांजलियाँ आदि विषयों पर निबन्ध लिखे हैं। इनके निबन्ध भावात्मक व विचारात्मक हैं।

निधन

जीवन के अंतिम दिनों में पद्मसिंह शर्मा गाँव में ही रहते थे। वर्ष १९३२ में इनके गाँव में प्लेग की बीमारी ने गम्भीर रूप धारण कर लिया। इसी वर्ष गाँव की जनता की सेवा करते हुए पद्मसिंह शर्मा जी का निधन हो गया

पण्डित रुद्रदत्त शर्मा संपादकाचार्य

समालोचक-शिरोमणि पद्मसिंह शर्मा ने संपादकाचार्य जी के निधन पर उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के मुरादाबाद में संपन्न हुए छठे वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष-पद से भाषण देते हुए कहा था- ''हिंदी संसार के सुप्रसिद्ध वृद्ध महारथी पण्डित रुद्रदत्त शर्मा संपादकाचार्य की मृत्यु एक बड़ी ही दुःखप्रद और करुणाजनक घटना है। इनकी मृत्यु से हिंदी को जो हानि हुई है, उसकी पूर्ति होनी कठिन है। पण्डित रुद्रदत्त जी हिंदी के एक बहुत पुराने अनुभवी और विद्वान लेखक थे। आपकी सारी आयु हिंदी-सेवा में ही बीती थी। एक लगन से हिंदी की सेवा करने का सौभाग्य बहुत कम लेखकों को प्राप्त हुआ है। आप हिंदी के सुलेखक ही नहीं सुवक्ता भी थे। संपादन-कला के तो वे सचमुच आचार्य थे। उनके सत्संग से कई आदमी अच्छे संपादक बन गए। उनकी साहित्य-सेवा पत्र-संपादन से ही आरम्भ हुई थी और संपादन में ही शरीर के साथ उसकी समाप्ति हुई। 'जब तक जिये लिखे खबरनामे। चल दिये हाथ में कलम थामे।।' यह प्रान्त पण्डित रुद्रदत्त जी जैसे बहुगुण-सम्पन्न साहित्य-सेवी की जन्म भूमि होने पर उचित गर्व कर सकता है। साहित्य-सेवा में सारी आयु खपाने वाले इन वृद्ध साहित्य-सेवी का अंतिम समय जिस दयनीय अवस्था में बीता, वह बड़ा ही करुणाजनक और शोचनीय दृश्य था। यह हिंदी के लिए दुर्भाय और हमारे लिए लज्जा तथा कलंक की बात है।''

पं. बनारसीदास चतुर्वेदी संपादकाचार्य जी की दुर्दशा पर लिखते हैं ''एक दिन शाम के वक्त मैं उनके स्थान पर भी पहुँचा। नीचे किसी सुनार की दुकान थी और उसके ऊपर एक छोटी-सी कोठरी में, जिसका किराया डेढ़ रुपये मासिक था, पंडित जी विद्यमान थे और दो पैसे की एक टीन की लेम्प के धुंधले प्रकाश में कुछ लिख रहे थे! उन दिनों पंडितजी को भोजन का भी कष्ट था। चालीस वर्ष की हिन्दी साहित्य-सेवा के बाद किसी विद्वान की यह दुर्गति हो सकती है, इसकी कल्पना मैंने स्वप्न में भी न की थी। पंडित जी की सेवा में मैंने निवेदन किया, 'आप हिन्दी पत्रकार कला-सम्बंधी अपने अनुभव लिख दें। शायद उनसे कुछ मिल जाय।' पंडित जी ने अनुभव लिखने आरम्भ किये। मुझे आशा थी कि एक हिन्दी-संस्था द्वारा उन्हें कुछ भेंट दिला सकूंगा, पर दुर्भाग्य से उस संस्था के संचालकों ने उसे अस्वीकृत कर दिया! अतएव जो यत्किंचित सेवा मुझसे बन पड़ी, कर दी। पंडितजी को इन्दौर में कोई काम न मिल सका और वे आगरे लौट आये।'' इसी परिप्रेक्ष्य में 'मुसाफिर' (आगरा) ने अपने २१ नवम्बर के अंक में लिखा था - ''हमें पंडित रुद्रदत्त जी को उनकी अन्तिम बीमारी के कयाम में पैसे-पैसे को मोहताज देखकर बड़ा दुख हुआ पंडित जी मरने के पहले तकरीबन दो-तीन माह बुखार और पेचिश के मर्ज में मुबतला रहे और इस लाजमी बेकारी के अय्याम में उनकी आर्थिक दशा यह रही कि हकीम, डाक्टरों की फीस तो दर किनार, दवा खरीदने तक के लिए उन्हें पैसा मुअस्सर न था।''

''इस दुःखान्त नाटक में सबसे अधिक उल्लेख योग्य पार्ट है एक गरीब कम्पोजीटर का, जो अपने पास से आटा खरीदकर उनके घर पर दे आया करता था।''

पंडित जी ने अपने जीवन में अनेक समाचार पत्रों का सफलता से संपादन किया जिनमें-

इन्द्रप्रस्थ प्रकाश, दिल्ली	**१ वर्ष**
भारतमित्र, कलकत्ता साप्ताहिक व दैनिक	**१०**
आर्य्यवर्त्त, कलकत्ता	**१०**
हिन्दी बंगवासी	**२**
भारतरत्न, पटना	**२**
श्री वेंकटेश्वर समाचार, बम्बई	**१**
आर्य्यमित्र, आगरा	**६**
सत्यवादी, हरद्वार	**१**
हितवार्ता, कलकत्ता	**२**
प्रेम, वृन्दावन	**२**
मारवाड़ी, नागपुर	**२**

पत्र-संपादन के अतिरिक्त बहुत से ग्रन्थ भी हैं, जैसे-

- **सांख्यशास्त्र का हिन्दी अनुवाद।**
- **योगशास्त्र और व्यासभाष्य का हिन्दी अनुवाद**
- **ध्यान विधि योग**
- **शिक्षा-विज्ञान इत्यादि।**

पुस्तकें-

१. स्वर्ग में सबजेक्ट कमेटी (प्रहसन)
२. स्वर्ग में महासभा (प्रहसन)
३. कंठी-जनेऊ का विवाह
४. पुराण-परीक्षा
५. आर्यमतमार्तंड
६. वीरसिंह दारोगा (उपन्यास)
७. मनोरंजनी (नाटक)
८. शिक्षा-विज्ञान
९. जर्मन जासूस
१०. हिंदी-पत्रों का इतिहास।
११. 'हिंदी पत्रों का इतिहास' अधूरी ही रह गई

रवीन्द्रनाथ त्यागी

रवीन्द्रनाथ त्यागी का जन्म ९ मई, १९३० को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नहटौर कस्बे में माता चमेली देवी के गर्भ से हुआ और वे अपना समूचा बाल्यकाल घोर अभावों के बीच गुजारने को अभिशप्त रहे। इसके लिए पिता पंडित मुरारीदत्त शर्मा की अकर्मण्यता को उन्होंने कभी माफ नहीं किया। उन्हीं के शब्दों में कहें, तो अभावों के दौर में जिंदगी उनके साथ प्रायः हमेशा जंग खाए मजाक की तरह पेश आती रही। फिर भी उन्होंने अपनी मेधा को कुंठित नहीं होने दिया और अत्यंत दारुण परिस्थितियों के बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थषास्त्र विषय में एम.ए. की परीक्षा सर्वोच्च स्थान पाकर उत्तीर्ण की। इसके लिए उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। १९५५ में उनका इंडियन डिफेंस एकाउंट्स सर्विस में अफसर के रूप में चयन हुआ और आर्थिक स्थितियां अनुकूल हुईं तो भी ३६ साल की सेवावधि में उनके स्वाभिमानी व्यंग्यकार को यही लगता रहा कि यह नौकरी उसे निगलती जा रही है। नौकरी कितनी भी सुभीते की हो, वह किसी सर्जक को निर्बाध सर्जना कहां करने देती है। प्रतिभा और आत्मसम्मान की यह दुश्मन उसमें बाधा बनकर तो खड़ी ही होती है।

लेकिन इस बाधा के बावजूद ४ सितंबर, २००४ को देहरादून में साहित्य-संसार को अलविदा कहने से पहले रवीन्द्रनाथ त्यागी उसको इतना कुछ दे चुके थे कि पूरे संतोष के साथ महाप्रयाण कर सकते थे।

लेखन कार्य

महाप्रयाण से पहले तक रवीन्द्रनाथ त्यागी अपने कृतित्व में ३४ हास्य व्यंग्य संग्रह जोड़ चुके थे, जिनमें से कई का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ ने किया था। उनका पहला संग्रह **'खुली धूप में नाव पर'** १९६३ में तो आखिरी **'बसंत से पतझड़ तक'** उनके निधन के बाद २००५ में छपा। १९८० में **'अपूर्ण कथा'** नाम से उनका एक उपन्यास भी आया था जबकि इससे पहले १९७८ में उन्होंने **'उर्दू हिन्दी हास्य व्यंग्य'** नाम से एक बड़ा ही प्रतिष्ठापूर्ण और दीर्घकालिक महत्त्व का संकलन संपादित किया था।

त्यागी जी जितने अच्छे व्यंग्यकार उतने ही बड़े कवि भी थे। एक आलोचक की मानें तो उनके साहित्यिक जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही थी कि उनके व्यंग्यकार की लोकप्रियता ने एक बार उनके कवि की गरदन दबोची तो फिर आजीवन छोड़ी ही नहीं। यह तब था जब उनके कविता संग्रह **'सलीब से नाव तक'** के बारे में वरिष्ठ कवि हरिवंशराय बच्चन का मानना था कि उसे कम से कम दो बार 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' दिया जाना चाहिए, क्योंकि अज्ञेय को 'कितनी नावों में कितनी बार' पर एक बार दिया जा चुका है।

कुशल व्यंग्यकार

कहानीकार **राधाकृष्ण** की मानें तो उनके हास्य व्यंग्यों में लाठी से बांसुरी बजाने की कला दिखती है लेकिन आलोचक **पुष्पपाल सिंह** इससे असहमति जताते हुए कहते हैं कि वास्तव में त्यागी जी लाठी से बांसुरी नहीं बजाते, बांसुरी से चाबुक सटकारने का काम लेते हैं। जो भी हो, रवीन्द्रनाथ त्यागी के व्यंग्य का कैनवास बहुत बड़ा है और उनकी अध्ययनशीलता तो अपना सानी ही नहीं रखती। इसीलिए **वे डायरी, पत्र, यात्रा वृत्तांत, मिनी कथा, लघुकथा, शिकारकथा, संस्मरण, आत्मकथ्य, उपन्यास, समीक्षा और शोध आदि गद्य की अनेक विधाओं को समृद्ध कर पाये।**

कई विधाओं में उनकी जैसी कुशलता से हास्य व्यंग्य की बहुरंगी व बहुआयामी छटा बिखेरना न उनके समय में कोई आसान काम न था और न आज है। उनका मानना था कि समाज की कुरीतियों का भंडाफोड़ केवल और केवल व्यंग्य द्वारा ही हो सकता है और उसमें हास्य भी समाविष्ट हो जाए तो व्यंग्य का रंग और तेज हो जाता है। आज की तारीख में उनके व्यंग्यों से गुजरते हुए यह देखकर अच्छा लगता है कि अपनी सरकारी नौकरी की बंदिशों की ज्यादा परवाह न करते हुए रवीन्द्रनाथ त्यागी ने अपनी रचनाओं में दफ्तरी गलाजत पर खूब खुलकर और निडर भाव से, उसके भीतरी प्रकोष्ठों तक जाकर आक्रमण किया।

महावीर त्यागी

महावीर त्यागी का जन्म ३१ दिसंबर १८९६ को मुरादाबाद जनपद के ढबारसी गांव में हुआ था। इनके पिता शिवनाथ सिंह जी गांव रतनगढ़ जिला बिजनौर के एक प्रसिद्ध जमींदार थे, इनकी माता जानकी देवी जी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। मेरठ में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के समय वो सेना की इमरजेंसी कमीशन में भर्ती हो गए और उनकी तैनाती पर्सिया (अब ईरान) में कर दी गयी। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे। स्वतंत्रता सेनानी महावीर त्यागी एक अनूठे इंसान थे वे १९१९ में जलियावाला बाग हत्या कांड के बाद ब्रिटिश सेना के इमरजेंसी कमीशन से त्यागपत्र दे दिया। सेना ने उनका कोर्ट मार्शल कर दिया, उसके बाद वो गांधी जी के साथ देश की आजादी के आंदोलन में कूद गए। ये देहरादून में बेहद लोकप्रिय थे, महावीर त्यागी को जनता के द्वारा 'देहरादून का सुल्तान' की उपाधि से नवाजा गया था, देहरादून उनका अपना कार्यक्षेत्र था। देहरादून, बिजनौर (उत्तर-पश्चिम), सहारनपुर (पश्चिम) लोकसभा क्षेत्र से वर्ष्रा १९५२, ५७ व ६२ में सांसद रहे महावीर त्यागी, वर्ष १९५१ से ५३ तक केन्द्रीय राजस्व मंत्री रहे। वर्ष १९५३ से ५७ तक त्यागी जी मिनिस्टर फार डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन (१९५६ तक पंडित नेहरू के पास रक्षा मंत्री का कार्यभार भी था) रहे।

महावीर त्यागी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी जोर-शोर से हिस्सा लिया, ढाई साल जेल में रहे, नतीजतन वो कांग्रेस की चुनावी राजनीति में भी हिस्सा लेने लगे। चुनावी राजनीति में होने के बावजूद महावीर के रिश्ते कांग्रेस के विरोधी क्रांतिकारियों के साथ भी थे, उनके सबसे करीबी थे सचिन्द्र नाथ सान्याल, जिनके संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचआरए) में ही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को आगे बढ़ाया था। १९४७-४८ के साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में इन्होंने जबरदस्त भूमिका निभाई। लीग के बड़े नेता खलीकुज्जमा ने पाकिस्तान जाकर इस विषय पर जो संस्मरण लिखे उसमें त्यागी जी की जमकर प्रशंसा की। वे संविधान सभा की 'मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति' के सदस्य भी रहे।

महावीर त्यागी जी के संस्मरणों के कुछ अंश-

- जवाहर लाल नेहरू ने संसद में ये बयान दिया कि, 'अक्साई चिन में तिनके के बराबर भी घास तक नहीं उगती, वो बंजर इलाका है' के जवाब में भरी संसद में महावीर त्यागी ने अपना गंजा सर नेहरू को दिखाया और कहा, यहाँ भी कुछ नहीं उगता तो क्या मैं इसे कटवा दूं या फिर किसी और को दे दूं।

- चापलूसों को देश में अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। इसी संदर्भ में एक शब्द 'चरण चुंबक' भी है। वर्ष २०१३ के जुलाई महीने में इतिहासकार माधवन पालत के संपादन में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लायब्रेरी में रखे कुछ दस्तावेजों से जो 'सेलेक्टेड वर्क्स' सामने आए, वो काफी रोचक हैं। इन दस्तावेजों में ऐसी कई चिट्ठियां भी शामिल हैं, जिनका जवाहरलाल नेहरू और तब के मंत्रियों या दूसरे राजनेताओं के बीच आदान-प्रदान हुआ। ऐसी ही एक चिट्ठी १९५९ की है, जो देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने पंडित नेहरू को लिखी थी। २ फरवरी, १९५९ को इंदिरा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने से ठीक पहले त्यागी ने नेहरू को चिट्ठी लिखकर कहा कि 'अपने आसपास मौजूद 'चरण चुंबकों से सावधान रहें'।

- ''लोगों का खयाल है कि गहरी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाने पर मनुष्य को असीम आनंद और संतुष्टि मिल जाती है। एक सीमा तक ये बात ठीक भी है, पर इसमें प्रश्न यह उठता है कि लक्ष्य की प्राप्ति के बाद क्या हो? या तो कोई दूसरा

लक्ष्य ढूँढना पड़ेगा या मेरी तरह अपने नातियों के साथ आँख मिचोली खेल कर जी बहलाना होगा, कोठी बंगले और हलवा पूरी जिन किन्हीं को प्राप्त है वो धन्य हैं पर संसार का वास्तविक आनंद लूटने के लिए तो कोठी से बाहर निकल कर किसी गैर पर आँख टिकानी पड़ेगी और अपनी हलवा पूरी के साझीदार भी ढूंढने पड़ेंगे"

- ''पंडित मोती लाल नेहरू को अपने हाथ से सब्जी तरकारी पकाने का और विशेष अनुपात की चाय बनाने का शौक था। सन १९२२ की बात है जब वे लखनऊ जेल की दीवानी बैरक में बंद थे तो मैं कभी-कभी सब्जी आदि छील दिया करता था। एक दिन दम आलू बनाने बैठे थे। मैं किसी दूसरी बैरक में गपशप के लिए चला गया। लौटने पर मैंने पूछा सब्जी ठंडी हो रही है भाई जी, आपने खाई क्यों नहीं। बोले ''इतने शौक से बनाई थी तुम मटरगश्ती को चले गए, क्या मैं अकेला खाऊँ? दाद देने वाले न मिले तो ग़ज़ल सुनाना बेकार है। सुख का असली मजा तो साझेदारी में ही है।"

- ''फटी आस्तीन और नंगे सर तपती धूप में साइकिल पर १४ मील का सफर करके एक घने जंगल से गुजर रहा था कि पेड़ों की छाया में एक ठंडे पानी का झरना दिखाई दिया बस प्यास भड़क उठी उतरा और दोनों हाथों की खींच भर भर के अपनी थकी आत्मा को ढांढस देने लगा, कैसा फरिश्ता सा लगता था मैं। आज मिनिस्ट्री की कुर्सी पर बैठ कर जब कभी शीशे के गिलास में बर्फ का पानी पीता हूँ तो ठंडी साँस लेकर पुरानी गरीबी के मजे याद आते हैं -ओक (हाथों के चुल्लू) से पिए पानी का मजा गिलासों में कहा है।"

- ''आजकल की दुनिया इस पर यकीन न करेगी पर मेरे यह निजी अनुभव की बात है कि एक समय ऐसा था जब मेरे जिले देहरादून की सारी जनता एक सामूहिक परिवार की तरह से रहती थी। सारे अमीर गरीब हिन्दू-मुस्लिम- सिख-ईसाई एक दूसरे से पूरी अपनावट मानते थे और सच्ची सुहानुभूति रखते थे, मकानों और दुकानों पर अधिकतर ताले भी नहीं लगते थे क्योंकि बईमानी चोरी और धोखाधड़ी नहीं होती थी।"

''१९७४ सच बात तो ये है कि स्वराज होने से हम अधिकांश कांग्रेस वाले बेरोजगार और निठल्ले हो गए हैं अब आनंद रूपी मजदूरी मिलती नहीं है जिस मालिक (महात्मा गांधी) ने हमें पाला वह मर गया उसी चुटकी पर कान खड़े करते और उसी की सीटी पर कूदते फांदते और षिकार करते थे उसी की मुस्कराहट पर लट्टू बने घूमते थे। अब हमारे गले का पट्टा निकल गया है और लावारिस बने इधर-उधर पूंछ हिलाते फिर रहे हैं। अब कोई चुटकी बजाता नहीं और न कोई मुस्कुराता है। गिन-गिन कर हर नेता का दरवाजा खटखटा चुके कि कोई मदद लगावे तो हम भी काम में लग जावे पर नेताओं के पास उपाधियां तो बहुत हैं वजीफे ओहदे परमिट और लाइसेंस आदि भी बहुत हैं चाय के प्याले भी हैं पर काम नहीं है।"

''हम खूब बढ़ बढ़ कर बात करते थे और गांधी जी की बात बताते बताते थकते नहीं थे। लेक्चर भी हम इसलिए थोड़े ही देते थे कि हम जनसाधारण से अधिक जानते थे बल्कि इसलिए की हम इनमे वही मजा आता था जो की कुत्ते को भोकने और में और शोर मचने में आता हे पर अब वह सारी बाते स्वप्न हो गई है। अब हमें सचमुच अंग्रेजों की याद सताने लगी है वह हमसे लड़ता था लाठीचार्ज करता था हथकड़ी डालता था और जेल भेजता था था पर जब जेल से छूट कर आते तो बड़े शौक से हाथ मिला लेता था। उसके रहते रहते हमने २९ वर्ष पूर्ण सवराज और स्वछंदता का मजा लूटा उसके चले जाने से जैसे बेरे खानसामे बेरोजगार हो गए - वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता भी बेकार हो गए बापू की कमाई तो खत्म हो रही है बेटो को खुद भी तो कुछ कमाई करनी चाहिए।"

बापू की उस दिन की डाट याद करके प्यार उमड़ आता है। आजकल के गुलाबी लीडर तो आप आप करके बोलते हैं माँ बाप गुरु और बड़े भाई की डाट धमकी गली चपतबाजी की तह में जितना अपनापन और प्यार है उसका सौवां हिसा भी आजकल के प्यार दुलार और चुमकार में नहीं मिलता है। ''१९२९ महात्मा गांधी देहरादून क्या आए मेरी उम्र ३० वर्ष से घटकर १५ की रह गई और सर पर स्कूल के बच्चों वाली षैतानी सवार हो गई मुँह आई बकने लगा और मनमानी करने लगा। न जाने किस नषे में चूर था मैं, मेरी चाल-ढाल बातचीत कहना सुनना और उठना बैठना सब ऐसा बदला मानो औलिया हो गया हूँ करता भी क्या शहर वालों ने पागल बना रखा था मैं तो फिर भी एक छोटा सा आदमी था अच्छों अच्छों के दिमाग फिर जाते हैं जब चारों और से लोग उनका नाम ले ले कर पुकारने लगते हैं मांग बढ़ जाने पर तो मेथी पालक के भी भाव बढ़ जाते हैं। ''एक दिन जब बापू सेवाग्राम में टहल रहे थे कि रास्ते में एक २ इंच लंबा एक पूनी (चरखे कातने की रुई) का एक टुकड़ा पड़ा दिखाई दे गया। बापू ने उसे उठा लिया और आश्रमवासियों से कहा कि देश की संपत्ति को इस लापरवाही से नहीं फेंकना चाहिए।"

''उन दिनों कांग्रेस संस्था का रूप एक परिवार के जैसा था जिसमें एक दूसरे की डाट-डपट भी होती और रूठों हुओं की खुशामद भी होती थी। असल में उन दिनों हमारा सपना साझे का था। सभी अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार उसमें रंग भरते थे इसलिए आपस में ईर्ष्या नहीं थी स्पर्धा थी। आज की संतति उन दिनों का चित्रण पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब वे सपने फूटकर टुकड़े-टुकड़े हो गए हैं। अब तो हम सब व्यक्तिगत सपने देख रहे हैं और अपने-अपने निजी सपनो में रंग भरने की चिंता करते है।" महात्मा गांधी ने मुझे मुनादी का काम सौपा सवतंत्रता संग्राम के दिनों में लाखों साथियों ने न जाने किस-किस तरह से पेट जून बाँध कर अपने-अपने परिवार का गुजारा चलाया था। महात्मा गांधी ने कुछ ऐसा जादू सा कर दिया था कि हमें अपनी गरीबी में षान और अपनी अमीरी में शर्म लगने लगी थी और हमारे बाल-बच्चे भी परिवार की निर्धनता या सादगी पर नाज करते थे हममें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी पर वे भी फटे कुर्तों में सीधा-सादा जीवन व्यतीत करते थे।"

''जब से मैंने मुनादी का काम शुरू किया तब से मुनादी के काम में महत्त्व आ गया हर चौराहे पर एक मूढ़ा कुर्सी और उस पर खड़ा होकर या तो ढोल बजा कर या घंटा बिगुल द्वारा भीड़ इकट्ठी कर ली और महात्मा गांधी के आदर्शों का प्रचार आरम्भ कर दिया जब भीड़ ज़्यादा होने लगी तो एक भोपू खरीद लिया ताकि उसके द्वारा दूर दूर तक आवाज पहुंच जाए इस तरह से थोड़े ही दिनों में शहर के लोग मुझे पहचान गए। आज तो मैं भारत का रक्षा संगठन मंत्री हूँ फिर भी दो तीन दिन हुए कि मैं देहरादून में ढोल लेकर जगह जगह

ऐलान कर आया हूँ कि जवाहर लाल नेहरू हमारे नगर में पधार रहे हैं सभी भाई बहनों को चाहिए कि उनका स्वागत और दर्शन करने के लिए पुष्प मालाएं लेकर सड़क के दोनों और खड़े हो जाएं मैं उनकी मोटर को धीरे धीरे चलाऊंगा ताकि आप लोग जी भर के दर्शन कर सकें।''

''मेरी धारणा ये है कि मुनादी का काम मैं जीवन भर करूँगा। मुनादी महात्मा गांधी का दिया हुआ पोर्टफोलियो है, मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो जवाहर लाल जी का अगर दोनों में झगड़ा जाएगा तो में नेहरू जी का पोर्टफोलियो छोड़ दूंगा गांधी जी को नहीं छोडूंगा।''

वे अपनी रोचक शैली के कारण इतने लोकप्रिय हुए कि पाठकों के आग्रह पर उन्होंने संस्मरण लिखे और पुस्तक रूप में छपवाए।

पुस्तकें

१. मेरी कौन सुनेगा

२. वे क्रांति के दिन

३. आजादी का आन्दोलन : हंसते हुए आंसू

डॉ. महावीर अधिकारी

डॉ. महावीर अधिकारी का जन्म जिले के गांव पैगंबरपुर में एक जनवरी १९१८ को हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त की। महावीर अधिकारी के पिताजी भगवंत सिंह त्यागी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ताजपुर रियासत के त्यागी लोगों ने उनको मदद कर दसवीं पास कराई। हाईस्कूल नगीना से किया। बीए पंजाब विश्वविद्यालय से किया। वे अंग्रेजी शासनकाल में सेना में लेफ्टिनेंट पद पर भी रहे, लेकिन अपने पिता चौधरी भगवंत सिंह व परिचित वैद्य वासुदेव त्यागी के राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित होकर फौज की नौकरी छोड़ घर आ गए। **दिल्ली से जनसंपर्क व स्थानीय बोलियों के भाषात्मक भिन्नता के अध्ययन के लिए १७ मार्च १९४१ में कलकत्ता तक पैदल यात्रा की।** कलकत्ता में सात अगस्त को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वहीं से उन्हें रचनाकार की गरिमा की अनुभूति हुई। कलकत्ता में प्रसिद्ध **उपन्यासकार भगवतीचरण वर्मा के संपर्क में आकर समाचार पत्र विचार** में काम करना शुरू किया। **जागृति, विशाल भारत और विश्वामित्र** समाचार पत्रों में सहयोग किया। धीरे धीरे **दैनिक हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स** के मुंबई संस्करणों के संपादक पद तक पहुंचे। दिल्ली में १९४३ में **नवयुग** के कार्यकारी संपादक नियुक्त हुए। आजादी के आंदोलन से जुडे रहने के साथ ही **ज्ञानोदय, समाज** के संपादक रहे। १९७८ से १९८३ तक **करंट** का संपादन किया और **कलम कमाल** नाम से स्तंभ लिखते रहे। राजनीतिज्ञों, सफेदपोशों पर कठोर व्यंग किए। देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे पंडित लालबहादुर शास्त्री की जीवनी लिखी। नरम गरम जैसे व्यंग संग्रह उन्होंने ही हिंदी साहित्य को अर्पित किए। डॉ. अधिकारी को १९७६ में **विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की डी लिट** की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।

डॉ. महावीर अधिकारी का दूसरा रूप **निबंधकार** का रहा। उन्होंने **आदमी का गणित, रामदुर्ग** निबंध लिखे। उनकी लिखी कहानियां **कोशी, जीवन के मोड़** कहानी संग्रहों में हैं। **मंजिल से आगे, तलाश, मानस मोती** जैसे यथार्थवादी उपन्यास भी लिखे। *मानस मोती पर आपको महाराष्ट्र हिंदी अकादमी की ओर से प्रियदर्शनी अवार्ड मिला।* आपने **ज़िन्दगी और तूफ़ान** फिल्म भी बनाई जिसमें **रामावतार त्यागी जी ने प्रसिद्ध गीत 'ज़िन्दगी और बता तेरा इरादा क्या है?'** लिखा था।

१. प्रसाद का जीवन-दर्षन कला और कर्षतित्व (शोध प्रबंध)

२. मंजिल से आगे (उपन्यास)

३. तलाश (उपन्यास)

४. मानस मोती (उपन्यास)

५. लालबहादुर शास्त्री (जीवनी)

अनुवाद

१. सिद्धार्थ (नोबेल पुरस्कार विजेता हरमन हेस की पुस्तक का हिन्दी अनुवाद)

दुष्यन्त कुमार

दुष्यन्त कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश में जनपद बिजनौर के ग्राम राजपुर नवादा के जमींदार परिवार में १ सितम्बर १९३३ को हुआ था। आपकी माता जी का नाम श्रीमती राम किशोरी देवी एवं पिता का नाम चौधरी भगवत सहाय था। कवि की प्रारम्भिक शिक्षा गाँव की ही पाठशाला में हुई। १९४८ में कवि ने एस.एन.एस.एम. हाई स्कूल नहटौर जनपद बिजनौर से दसवीं कक्षा पास कर १९५० में चंदौसी, मुरादाबाद के एस.एम. कॉलेज से इण्टरमिडिएट किया। १९५०-५४ तक कवि ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहते हुए बी.ए. और हिन्दी साहित्य से एम.ए. किया। १९५७-५८ में कवि ने मुरादाबाद से बी.एड. किया। चन्दौसी में ३० नवंबर १९४९ को राजेश्वरी कौशिक से कवि का विवाह सम्पन्न हुआ। कवि ने सर्व प्रथम जनपद बिजनौर के क़सबे किरतपुर में नौकरी। कवि ने यहाँ एक विद्यालय में अध्यापकी की। यहाँ अध्यापकी करने के बाद ही मुरादाबाद से बी.एड. किया। तत्पश्चात आकाशवाणी दिल्ली के हिन्दी वार्ता-विभाग में स्क्रिप्ट राइटर के रूप में कार्य किया। १९६० के अंतिम दिनों में कवि स्थानान्तरण पाकर भोपाल पहुँचे। कवि ने मध्य प्रदेश के संस्कृत संचालनालय के अन्तर्गत भाषा-विभाग के सहायक संचालक पद पर नियुक्ति पायी। कवि ने कुछ समय के लिये आदिम जाति जनकल्याण विभाग की प्रतिनयुक्तियों के अतिरिक्त शेष समय ३० दिसंबर १९७५ तक इसी भाषा-विभाग में बिताया।

साहित्य सृजन- कवि ने नहटौर में शिक्षा प्राप्ति के समय ही रचनाधर्मिता का निर्वाह प्रारम्भ कर दिया था। यहाँ कवि ने विधिवत कविता-लेखन, कविता की पाण्डुलिपि तैयार कर चंदौसी में शिक्षा के दौरान अंतिम रूप दिया। समर्पण था छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत को। कवि ने पंत को द्रोणाचार्य और स्वयं को एकलव्य माना। कवि ने अपना उप नाम 'परदेशी' रखा। विवाह के समय निमन्त्रण-पत्र पर भी दुष्यन्त कुमार त्यागी 'परदेशी' छपवाया गया। जब कवि उच्च शिक्षा के लिये इलाहाबाद पहुँचे तब वहाँ उन्हें कमलेश्वर और मार्कण्डेय जैसे अभिन्न मित्र मिले। तिकड़ी बनी तो 'त्रिशूल' नाम से प्रसिद्धि प्राप्त होते देर नहीं लगी। यहीं से तीनों ने मिलकर मासिक पत्रिका 'विहान' का प्रकाशन प्रारम्भ किया।

कृतित्त्व

दुष्यन्त कुमार के लेखन का प्रारम्भ १९४५ से ही हो गया था। प्रारम्भ कविता से किया और बाद में कहानी भी लिखने लगे। प्रारम्भ में कवि-सम्मेलनों के लिये मंचीय कविताएं लिखीं परन्तु शीघ्र ही साहित्यिक गीतों और कभी-कभी ग़ज़ल की रचना भी करने लगे। १९४९ में कविताओं की पाण्डुलिपि

तैयार हो गयी थी। १९५४-५५ में हैदराबाद से प्रकाशित कल्पना पत्रिका (जनवरी १९५५) में नई कहानी : परम्परा और प्रयोग' शीर्षक ऐतिहासिक आलोचना का प्रकाशन हुआ। १९५६-५७ में 'सूर्य का स्वागत' नामक शीर्षक से कविताओं का संचयन और प्रकाशन हुआ। इससे पहले अनेक पत्र-पत्रिकाओं-प्रतीक, निकष, संकेत, नई कविता आदि में प्रकाशन हो चुका था। 'आवाज़ों के घेरे' (कविता संग्रह) १९६३ में प्रकाशित हुई। १९६४ में 'एक कण्ठ विषपायी' (काव्य-नाटक) प्रकाशित हुआ। 'छोटे-छोटे सवाल' १९६४ में और 'आंगन में एक वृक्ष' १९७० में शीर्षक से उपन्यास प्रकाशित हुए। १९७३ में कविताओं का तीसरा संग्रह 'जलते हुए वन का वसन्त' शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अन्तिम किन्तु सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाली कृति 'साये में धूप' रही। १९७५ में ऐतिहासिक ग़ज़ल संग्रह 'साये में धूप' नाम से प्रकाशित किया गया।

आंगन में एक वृक्ष (उपन्यास)

दुष्यन्त कुमार ने बहुत कुछ लिखा पर जिन अच्छी कृतियों से उनके रचनात्मक वैभव का पता चलता है, यह उपन्यास उनमें से एक है। उपन्यास में एक सामन्ती परिवार और उसके परिवेश का चित्रण है। सामन्त ज़मीन और उससे मिलने वाली दौलत को कब्जे में रखने के लिए न केवल ग़रीब किसानों, अपने नौकर-चाकरों और स्त्रियों का शोषण और उत्पीड़न करता है, बल्कि स्वयं को और जिन्हें वह प्यार करता है, उन्हें भी बर्बादी की तरफ ठेलता है, इसका यहाँ मार्मिक चित्रण किया गया है।

उपन्यास बड़ी शिद्दत से दिखाता है कि अन्ततः सामन्त भी मनुष्य ही होता है और उसकी भी अपनी मानवीय पीड़ाएँ होती हैं, पर अपने वर्गीय स्वार्थ और शोषकीय रुतबे को बनाए रखने की कोशिश में वह कितना अमानवीय होता चला जाता है इसका खुद उसे भी अहसास नहीं होता। उपन्यास के सारे चरित्र चाहे वह चन्दन, भैनाजी, माँ, पिताजी और मंडावली वाली भाभी हों या फिर मुंशीजी, यादराम, भिक्खन चमार आदि निचले वर्ग की हों सभी अपने परिवेश में पूरी जीवन्तता और ताज़गी के साथ उभरते हैं। उपन्यासकार कुछ ही वाक्यों में उनके पूरे व्यक्तित्व को उकेरकर रख देता है और अपनी परिणति में कथा पाठक को स्तब्ध तथा द्रवित कर जाती है। दुष्यन्त कुमार की भाषा के तेवर की बानगी यहाँ भी देखने को मिलती है- कहीं एक भी शब्द फालतू, न सुस्त। अत्यन्त पठनीय तथा मार्मिक कथा-रचना।

और इसी दिन का मुझे इन्तज़ार रहता। चन्दन भाई साहब आते तो मेरे लिए घर में नुमाइष-सी लग जाती। रंग-बिरंगे कपड़े, अजीबो-ग़रीब खिलौने, जापानी पिस्तौल और गोलियाँ और इनके अलावा खूबसूरत डिब्बों में बन्द टाफियाँ व चॉकलेट ओर यह सब कुछ अकेले मेरे लिए। माँ हमेशा उन्हें डाँटती, "चन्दन, तू इतने पैसे क्यों फूँकता है रे?" "कहाँ बीजी! देखो, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं लाया इस बार।" भाई साहब बड़ी मधुर आवाज़ में, सहज मुस्कान होठों पर लाकर सफ़ाई देते। माँ बड़बड़ाती हुई रसोईघर में चली जाती है और मैं भाई साहब के और पास सरक आता। मेरी तरफ मुख़ातिब होते हुए वे धीरे-से मेरे कान में कहते, "बीजी से ज़िक्र मत करना, उनके लिए भी साड़ी लाया हूँ। जाते हुए दूँगा।" फिर अचानक गम्भीर होकर पूछते, "हाँ भई, क्या प्रोग्राम है आज का?" मैं प्रोग्राम का मतलब नहीं समझता था। केवल उनकी ओर प्यार और श्रद्धा से निहारता रहता। वे हँसकर मुझे अपने से चिपटा लेते और खुद ही समझाते, "तो फिर यह तय रहा कि दोपहर में म्यूजिक, शाम को शिकार और रात में यादराम के हाथ के पराठे और तीतर?"

मैं गरदन हिलाकर सहमति प्रकट करता और तत्काल मेरी आँखों में यादराम की गंजी चाँद और परौंठे बेलते समय उसकी कनपटियों पर बार-बार उभरती-गिरती नसों की मछलियाँ तैरने लगतीं। यादराम भाई साहब का ख़ानसामा था। भाई साहब जब भी मुरादाबाद से आते, यादराम साथ ज़रूर आता। दोपहर का भोजन भाई साहब माँ के रसोईघर में बैठकर करते। मगर शाम को पिताजी और मैं दोनों ही उनके साथ यादराम के हाथ के परौंठे खाते। सिर्फ़ माँ अपनी रसोई अलग पकाती थीं।

"क्यों यादराम, तेरी चाँद के बाल कहाँ गए?" मैं अक्सर यह सवाल उससे पूछा करता। और यादराम हमेशा इसका एक जवाब देता, "बाबूजी के जूते चाट गए, लल्लू।"

माँ को यादराम एक आँख नहीं भाता था। शुरू-शुरू में उन्होंने मेरे वहाँ खाने का बड़ा विरोध किया। लेकिन कुछ तो मेरी अपनी ज़िद और कुछ भाई साहब के अनुनय-अनुरोध के सामने उन्हें झुक जाना पड़ा। मुझे खूब याद है कि स्वभाव से बहुत कठोर होने के बावजूद माँ भाई साहब की बात नहीं टालती थीं। यह और बात है कि उसके बाद भी वे मुझे लेकर बराबर भाई साहब और पिताजी, दोनों को यह ताना देती रहतीं कि उन्होंने 'छोटे' को भी म्लेच्छ बना दिया है।

गाँव में भाई साहब एक भूचाल की तरह आते थे और डेढ़-दो हजार आदमियों की उस छोटी-सी बस्ती में, हर जगह, हर कदम पर अपने नक़्श और छाप छोड़ जाते थे। उनके जाने के बाद कई दिनों तक लोग क़िस्से-कहानियों की तरह उन्हें याद करते रहते ओर अक्सर यही ज़िक्र हुआ करता, "देखो, कितना बड़ा आदमी है, मगर घमंड छू तक नहीं गया!" भिक्खन चमार- जिसे भाई साहब 'मूविंग रेडियो स्टेशन' कहा करते थे, उनके चले जाने के बाद, अपने ठेठ किस्सागोई के अन्दाज़ में उनकी कहानियाँ सुनाता, "अरे भैया, बाबू आदमी थोड़ई हैं, फिरस्ते हैं। उस दिन सुबह-सुबह बन्दूक लिये हुए आ गए। बोले- 'क्यों मूविन रेडियो-टेसन' अकेले-अकेले माल उड़ा रये हो!" मैंने कहा- बाबू, माल कहाँ, खिचड़ी है, तुम्हारे खाने की चीज नईं। बस, बिगड़ गए। बोले- 'अच्छा! तुम अकेले खाओगे और हम तुम्हारा मुँह देखेंगे?' और साहब, भगवान झूठ न बुलाए, मैंने लुकमा बनाने के लिए थाली की तरफ हाथ बढ़ाया, तो धड़ाक। साला दिल धक् से हो गया और साहब, सूँ-सूँ करता हुआ एक कव्वा भड़ाक से थाली में आगे गिरा। राम!!! राम!!! कहाँ का खाना! हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। क्या करता? मगर क्या बेचूक निषाना। साले उड़ते पंछी कू जहाँ चाहा, वहाँ गिरा दिया।"

निशाने की तारीफ़ भाई देवीसहाय जी भी किया करते थे। मगर उससे भी ज्यादा वे भाई साहब के गले पर मुग्ध थे। उनका तकिया-कलाम 'ओख़्खो जी' था। इसलिए भाई साहब उन्हें 'ओख़्खो भाई साहब' कहा करते थे। उनके म्यूजिक प्रोग्राम में बुजुर्गों का प्रतिनिधित्व केवल 'ओख्खो भाई साहब' किया करते थे। हम बच्चों का इस प्रोग्राम में बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। लिहाज़ा हम हॉल के बन्द दरवाज़ों के पास कान लगाकर सुना करते। तबले के ठोकने, हारमोनियम के स्वर मिलाने

और भाई साहब के आलाप लेने से शुरू कर खत्म होने तक हम कई लड़के वहाँ खड़े रहते और जब भाई देवीसहाय जी कहते, 'ओख़्खो जी, क्या चीज़ सुनाई है, भाई चन्दन!' कहाँ से मार दी? तो बड़े लड़के कान लगाकर ग़ौर से सुनने की कोशिश किया करते थे।

मुझे उस समय तक संगीत में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए मुझे जब भी भाई साहब की याद आती, तो उनकी बातें और कहानियाँ सुनने के लिए मैं ओख्खो भाई साहब की बनिस्बत, भिक्खन चमार की बातें सुनना ज्यादा पसन्द करता, जो उन्हें एक महान् और आदर्श नायक के रूप में पेश किया करता था।

लेकिन मंडावली वाली भाभी, जो रिश्ते में हमारी कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ होती थी, न तो भाई साहब की महानता के किस्से सुनातीं और न पौरुष के, बल्कि कई घंटो अपनी ही शैली में, उनकी बड़ी-बड़ी आँखों का और उनके रंग-रूप का, उनके सौन्दर्य काऔर उनकी शरारतों का हाव-भाव सहित वर्णन किया करती थीं। मेरी तरह उन्हें भी भाई साहब पसन्द थे और भाई साहब की बातें सुनाने में वे उतना ही रस लेतीं थीं, जितना मैं सुनने में।

"पिछली बार मैंने खूब सुनाई," भाभी सुनाया करती थीं, "मैंने कहा- लालाजी, कहीं भले घर के लड़के पान खाया करते हैं! हमारे ख़ानदान में तो किसी लड़के ने शादी से पहले पान छुआ तक नहीं था। तुम्हारे ख़ानदान में अक्ल के चिराग़ ऐसे बुझ गए कि कोई कहनेवाला ही नहीं रहा।" बस भैया, इतना सुनना था कि लगे हाथ-पाँव जोड़ने- 'अरे मेरी प्यारी गुलाबी भाभी! मुझे माफ़ कर दो। मैं कान पकड़ता हूँ, अब कभी पान नहीं खाऊँगा।'

सम्पादन के क्षेत्र में दुष्यन्त कुमार

दुष्यन्त कुमार ने विभिन्न विधाओं को अपनाते हुए साहित्य सेवा की है। उन्होंने नवोदित साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया है। इलाहाबाद से प्रकाशित पत्रिका विहान इसका उदाहरण है।

विहान (द्वैमासिक पत्रिका)१९५३

इलाहाबाद से 'विहान' का सम्पादन दुष्यन्त कुमार, कमलेश्वर और मार्कण्डेय तीनों ने मिलकर किया था। इस पत्रिका के कुल कितने अंक प्रकाशित किये गये, यह तो ज्ञात नहीं हो पाया किन्तु विहान का प्रथम अंक मार्च-अप्रैल १९५३ में प्रकाशित हुआ था। विहान के प्रबन्ध सम्पादक विश्वनाथ प्रसाद जायसवाल थे। जबकि प्रबन्ध समिति में उमेष चन्द्र उपाध्याय, हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, दुष्यन्त कुमार त्यागी, जितेन्द्र जायसवाल और राधेमोहन सिन्हा थे। विहान के प्रथम अंक के रूप सज्जाकार थे कमलेश्वर और आवरण पृष्ठ पर जो चित्र प्रयोग किया गया था वह था 'भोर हुई बज उठी बाँसुरी' यह चित्र चित्रकार के.बी. द्वारा बनाया गया था।

विहान के रचनाकार

विहान के प्रथम अंक के रचनाकार प्रकाश चन्द्र गुप्त, भगवत शराण उपाध्याय, रघुपति सहाय 'फ़िराक', श्री कृष्णदास, नेमीचन्द जैन, विद्यानिवास मिश्र (लेख, निबन्ध), मार्कण्डेय, कमलेश्वर, अमृतराय, परमानन्द गौड़ (कहानी,स्कैच), केदार, नागार्जुन, सतीश दत्त पांडे, गंगाप्रसाद श्रीवास्तव, अजित कुमार, दुष्यन्त कुमार, युक्तिभद्र दीक्षित(कविताएं) रहे।

नए रचनाकारों को प्रोत्साहन

दुष्यन्त कुमार ने नए रचनाकारों को भी खूब प्रोत्साहन दिया। विहान के अपने अग्रिम लेख में उन्होंने लिखा है- 'इस अंक में हम तीन बिल्कुल अपरिचित प्रतिभाओं को आपसे परिचित करा रहे हैं। श्री सतीश पांडे, श्री युक्तिभद्र दीक्षित और श्री परमानन्द गौड़। तीनों ही ऐसे लेखक हैं जिनकी लेखनी का लोहा एक न एक दिन सबको मानना पड़ेगा। हम चेष्टा करेंगे कि अगले अंकों में भी इनकी रचनाएँ देते रहें। और भी बहुत से नए लेखकों को खोज निकालने का जिम्मा हमने लिया है और विश्वास करते हैं कि हर अंक में आप से एक न एक नए लेखक दोस्त का परिचय कराते रहेंगे।'

सन्दर्भ

१. https://sufinama.org/articles/hindustani-patrikaa-articles-24?lang=hi
२. भारतोदय का प्रथम अंक, गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय
३. भारतोदय साप्ताहिक का पुनर्जन्मांक, गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय
४. गुरुकुल महाविद्यालय की स्मारिका (हीरक जयंती), गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय
५. पद्म-प्रदक्षिणा(लेखक - उजियार, कोरंटाडी, जिला-बलिया (उ.प्र.) पत्रिका चतुर्मुख में प्रकाशित)
६. संपादकाचार्य पं. रुद्रदत्त शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, शोधादर्श (संदर्भित एवं समीक्षित शोध आलेखों की त्रैमासिक पत्रिका) वर्ष : ७ अंक : ३, जून-अगस्त २०२५
७. अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद द्वारा प्रकाशित निर्णय के तट पर (शास्त्रार्थ संग्रह) के तीसरा भाग
८. पं. भवानी प्रसाद जी अपनी पुस्तक 'बिजनौर मंडल आर्य समाज का इतिहास'
९. भारतीय पत्रकारिता कोश (खण्ड-एक), विजयदत्त श्रीधर, वाणी प्रकाशन दिल्ली
१०. रवीन्द्रनाथ त्यागी, शोकसभा : गर्दिश के दिन, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, १९७४
११. डॉ. कमलकिशोर गोयनका ,रवीन्द्रनाथ त्यागी : प्रतिनिधि रचनाएँ, साक्षात्कार से, पराग प्रकाशन, दिल्ली, १९८७
१२. रवीन्द्रनाथ त्यागी, पदयात्रा : मिट्ठू बाबू, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, १९८५
१३. रवीन्द्रनाथ त्यागी, पराजित पीढ़ी के नाम : वे दिन इलाहाबाद के, पराग प्रकाशन, दिल्ली, १९८८
१४. रवीन्द्रनाथ त्यागी, ऋतु वर्णन : मेरी पहली किताब, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, १९७९
१५. रवीन्द्रनाथ त्यागी, इस देश के लोग, पराग प्रकाशन, दिल्ली, १९८२
१६. रवीन्द्रनाथ त्यागी, भाद्रपद की सांझ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, १९९६
१७. डॉ. आशा रावत, कवि और व्यंग्यकार रवीन्द्रनाथ त्यागी, रचना प्रकाशन, जयपुर, २००१ पृ. २४०
१८. बटोही, गजेन्द्र-''डॉ. महावीर अधिकारी : एक परिचय, वर्धमान पत्रिका १९९८-१९९९
19. https://hindi.news18.com/news/political kisse after indo-china war mahavir tyagi criticised prime minister pt. jawaharlal neharu in parliament nodrp-2093770.html
20. https://hindi.news18.com/news/nation/atal went to shimla to make indira gandhi aware of the 1500051.html
21.https://www.hmoob.in/wiki/Mahavir_Tyagi
22. https://jantaserishta.com/editorial/story of nehru indira and mahavir tyagi on the pretext of charan magnet touching cms feet-935458
23. http://hindi.news18.com/blogs/vishnu/nehru and china-505718-html
24. https://www.punjabkesari.in/aapki.kalam.se/news/mahavir tyagi freedom fighter fighter who gave new dimension to politics 1171659
२५. यंग इंडिया, १३ अक्टूबर १९२१ और संयुक्त प्रांत विधान परिषद बहस, ५ नवंबर १९२१
२६. स्वतंत्र, ९ अक्टूबर १९२१, नेता , १० अक्टूबर १९२१ और यंग इंडिया , १३ अक्टूबर १९२१
२७. यंग इंडिया, १३, २०, २७ अक्टूबर १९२१ और १० नवंबर १९२१
२८. महात्मा गांधी के कलेक्टेड वर्क्स, खंड २१, १९६६ (सीडब्ल्यूएमजी), पीपी २८४-५, ३१०-१, ३१२-३, ३४४-६, ४०६- ७
२९. यंग इंडिया , १३ अक्टूबर १९२१)।
३०. यंग इंडिया, २० अक्टूबर १९२१
३१. देखें यूपी विधान परिशद वाद-विवाद, 'राफियां'
३२. एम. ह्षिम किदवई, रफी अहमद किदवई, नई दिल्ली, १९८६
33. https://amritmahotsav.nic.in
३४. कुमार दुष्यंत-साये में धूप ;ग़ज़ल संग्रहद्ध राजपाल एंड संस, नई दिल्ली
३५. ग़ज़ल एक अध्ययन - चानन गोविन्दपुरी
३६. एक कंठ विषपायी - दुष्यन्त कुमार, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद
३७. यारों के यार-दुष्यन्त कुमार -सं. विजयबहादुर सिंह
३८. वर्तमान साहित्य (मासिक पत्रिका) अलिगढ, दिसम्बर २००८.
३९. विहान -सं. दुष्यन्त कुमार, कमलेश्वर, मार्कण्डेय, मार्च-अप्रैल:अंक-१, १९५३, इलाहाबाद
४०. जलते हुए वन का वसन्त, दुष्यन्त कुमार, वाणी प्रकाशन दिल्ली
४१. साये में धूप, दुष्यन्त कुमार, राधकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
४२. लेख - साहित्य सत्ता की ओर क्यों देखता है : दुष्यंत कुमार
४३. सूर्य का स्वागत- दुष्यन्त कुमार
४४. आवाजों के घेरे - दुष्यन्त कुमार, राजकमल प्रकाशन

समकालीन हिन्दी साहित्य में स्त्री विमर्श : वैचारिक धरातल एवं अभिव्यक्ति के विविध आयाम

सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र समकालीन हिन्दी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में 'स्त्री विमर्श' की अवधारणा, उसकी विकास यात्रा और वर्तमान प्रासंगिकता का गहन विश्लेषण करता है। सभ्यता के आरम्भ से ही नारी की स्थिति विरोधाभासों से घिरी रही है- जहाँ एक ओर उसे 'देवी' मानकर पूजा गया, वहीं दूसरी ओर सामाजिक संरचनाओं में उसे 'दोयम दर्जे' का नागरिक बनाकर रखा गया। भारतीय वाङ्मय में 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' जैसे श्लोक प्रसिद्ध हैं , किंतु व्यवहार में मनुस्मृति जैसे विधानों ने उसे पिता, पति और पुत्र के अधीन कर उसके स्वतंत्र अस्तित्व को सीमित कर दिया । यह आलेख पितृसत्तात्मक बेड़ियों को तोड़ने वाले साहित्यिक स्वर, पाश्चात्य नारीवाद का भारतीयकरण और समकालीन महिला रचनाकारों के अवदान को रेखांकित करता है। सिमोन द बोउआर जैसे विचारकों ने स्त्री को मात्र एक जैविक इकाई मानने की अवधारणा को चुनौती दी, वहीं भारतीय परिप्रेक्ष्य में मीराबाई से लेकर महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी और प्रभा खेतान जैसे हस्ताक्षरों ने स्त्री अस्मिता को नई दिशा प्रदान की। शोध स्पष्ट करता है कि स्त्री विमर्श का मूल आधार दमन, शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाना है । समकालीन युग में जहाँ स्त्रियाँ शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं, वहीं वे आज भी पितृसत्तात्मक मानसिकता और 'पशु परेड' (Cattle Parade) जैसी वस्तुकरण की प्रवृत्तियों से जूझ रही हैं । 'शृंखला की कड़ियाँ' और 'स्त्री का समय' जैसी रचनाएँ इसी वैचारिक संघर्ष का प्रतिबिंब हैं। अंततः, यह शोध पत्र सिद्ध करता है कि स्त्री विमर्श केवल पुरुषों का विरोध नहीं, बल्कि एक ऐसी मानवीय दृष्टि है जो जैविक, सामाजिक और आर्थिक स्तरों पर समानता लाकर स्त्री को समाज में एक स्वतंत्र 'व्यक्ति' के रूप में स्थापित करने की अनिवार्य मांग करती है ।

मुख्य शब्द- समकालीन साहित्य, स्त्री विमर्श, पितृसत्ता, अस्मिता, नारीवाद, सामाजिक चेतना, स्वावलम्बन, दमन एवं शोषण, पितृसत्तात्मक वर्चस्व, वैचारिक क्रांति, मानवीय गरिमा, अस्तित्ववाद, सांस्कृतिक विखंडन, उत्तर-आधुनिकता, संवेदनशीलता, सशक्तीकरण।

डॉ. सीमा कुमारी
हिन्दी शिक्षक
उच्च विद्यालय, अमारुत डोभी, गया (बिहार)
संपर्क - ९४३०६४२३६१
ईमेल -simakumari010381@gmail.com

प्रस्तावना :
विमर्श की पृष्ठभूमि

'विमर्श' शब्द आज के बौद्धिक जगत में केवल सामान्य चर्चा का विषय नहीं, बल्कि एक प्रखर वैचारिक क्रांति और सामाजिक परिवर्तन का पर्याय बन चुका है । समकालीन हिन्दी साहित्य के परिदृश्य में पिछले लगभग तीन दशकों से 'स्त्री विमर्श' ने विमर्श के केंद्र में अपनी सुदृढ़ जगह बनाई है, जो मूलतः स्त्री की अस्मिता और स्वायत्तता की खोज का साहित्य है। यह वह चेतनामय लेखन है जिसने समाज को स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व, उसके ऐतिहासिक दमन, निरंतर होते शोषण और उसकी अनकही आकांक्षाओं पर गहराई से सोचने के लिए विवश किया है। विमर्श के माध्यम से ही आज पितृसत्तात्मक ढांचे के भीतर छिपे स्त्री उत्पीड़न के वे सूक्ष्म सवाल उठाए जा रहे हैं, जिन्हें सदियों से उपेक्षित रखा गया था। वास्तव में, विमर्श एक समष्टिगत बौद्धिक प्रक्रिया है, जिसमें तर्क और तथ्यों के आधार पर विषय की गुणवत्ता की समीक्षा की जाती है। हिन्दी साहित्य में यह विमर्श केवल विलाप नहीं, बल्कि एक ऐसी वैचारिक निर्मिति है जो स्त्री को 'वस्तु' के रूप में उपयोग किए जाने की पुरुषवादी मानसिकता को चुनौती देती है और उसे एक सक्रिय सामाजिक इकाई के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। आज जब हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, तो इसमें केवल साहित्य ही नहीं, बल्कि राजनीति, अर्थशास्त्र और संस्कृति के अंतर्संबंधों का समावेश होता है, जो मिलकर एक न्यायपूर्ण मानवीय दृष्टि का निर्माण करते हैं। भारतीय संस्कृति और सामाजिक संरचना में नारी की स्थिति सदैव विरोधाभासी और दोहरे मापदंडों की शिकार रही है, जहाँ आदर्श और यथार्थ के बीच एक गहरी खाई दिखाई देती है। एक ओर हम 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' का उद्घोष कर स्त्री को शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक मानते हैं, वहीं दूसरी ओर वैचारिक धरातल पर मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के माध्यम से उसे आजीवन परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ दिया गया। 'न स्त्री स्वतन्त्रामर्हति' जैसे शास्त्रीय विधानों ने यह स्थापित किया कि स्त्री बचपन में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहेगी, जिससे उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व पूर्णतः ओझल हो गया। मध्यकाल तक आते-आते यह स्थिति और भयावह हुई जब सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों ने उसे चारदीवारी तक सीमित कर दिया। वेदों में भी उसे केवल दायित्वों की पूर्ति करने वाली 'दासी' या 'मंत्री' के रूप में ही परिभाषित किया गया, जिससे उसकी अपनी इच्छाएं गौण हो गईं।

समकालीन विमर्श इसी दीर्घकालिक ऐतिहासिक अन्याय, भेदभाव और जड़ता के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिकार है, जो सदियों से चली आ रही मानसिक गुलामी की परतों को उघाड़ने का प्रयास करता है ।

समकालीन हिन्दी साहित्य में स्त्री विमर्श की यह धारा आज अधिक प्रखर और बहुआयामी होकर उभरी है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही विचारकों ने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई है। आधुनिक काल की स्त्री शिक्षित है, अपने अधिकारों के प्रति सजग है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, फिर भी वह एक सूक्ष्म मानसिक घुटन को महसूस करती है जो पुरुष प्रधान समाज की देन है। महादेवी वर्मा की 'शृंखला की कड़ियाँ' से लेकर प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, मृणाल पाण्डे और उषा प्रियंवदा जैसी रचनाकारों ने स्त्री अनुभव और उसकी चेतना को साहित्य के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। ये रचनाएँ बताती हैं कि स्त्री न तो पुरुष की गुलाम रहना चाहती है और न ही उसे गुलाम बनाना चाहती है, बल्कि वह केवल अपने मूलभूत मानवीय अधिकार और बराबरी का दर्जा चाहती है। आज का विमर्श जैविक भेदों को मिटाकर एक ऐसी समतावादी दुनिया की कल्पना करता है जहाँ स्त्री के रूप और रंग के बजाय उसके गुणों और कौशल को सम्मान मिले। यह आंदोलन पितृसत्ता के विरोध से अधिक स्वयं की पहचान और अस्तित्व को निर्मित करने की प्रक्रिया है। साहित्य के माध्यम से उठाई गई यह आवाज अब केवल पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक सशक्तीकरण का माध्यम बन चुकी है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक भेदभाव-मुक्त और गरिमापूर्ण समाज की नींव रख रही है।

स्त्री विमर्श : अवधारणात्मक स्पष्टता

स्त्री विमर्श का वास्तविक अभिप्राय केवल महिलाओं के जीवन की घटनाओं का लिपिबद्ध होना नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण संसार को एक विशिष्ट 'स्त्री दृष्टि' से देखने और समझने की प्रक्रिया है। शाब्दिक और दार्शनिक गहराई में जाएँ तो 'स्त्री' शब्द जहाँ जैविक संरचना और मौलिक अर्थ में परिवार की सूत्रधार एवं जन्मदात्री के रूप में सर्वमान्य है, वहीं 'विमर्श' (Discourse) शब्द एक ऐसी समष्टिगत बौद्धिक प्रक्रिया को सूचित करता है जिसमें किसी विषय की गुणवत्ता पर तर्क और तथ्य आधारित समीक्षा की जाती है। विमर्श के अंतर्गत सोच-विचार, चिंतन-मनन, विचार-विनिमय, परामर्श और सूक्ष्म निरीक्षण जैसे तत्वों का समावेश होता है। साहित्यिक गद्यांशों में अक्सर यह देखा गया है कि विमर्श वह माध्यम है जिसके जरिए स्त्री के शोषण, दमन और उत्पीड़न की परतें खोली जाती हैं। जब विमर्श शब्द 'स्त्री' के साथ जुड़ता है, तो यह एक विशिष्ट अर्थवत्ता ग्रहण कर लेता है, जिसका मुख्य उद्देश्य पितृसत्तात्मक संरचनाओं का विश्लेषण कर उनसे मुक्ति का मार्ग खोजना है। यह केवल एक विलाप नहीं, बल्कि एक चेतना है जो स्त्री को पुरुष के सापेक्ष 'अन्य' (Other) के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र अस्मिता के रूप में देखने पर बल देती है।

विमर्श के दार्शनिक आधार को समझने के लिए सिमोन द बोउआर का यह कालजयी कथन अत्यंत प्रासंगिक है कि 'स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि बनाई जाती है'। यह विचार स्पष्ट करता है कि नारी की वर्तमान गौण स्थिति जैविक भिन्नता से अधिक सामाजिक और सांस्कृतिक निर्मिति का परिणाम है। समाज ने उसे एक विशेष सांचे में ढालकर उसकी सीमाओं को श्स्वभावश का नाम दे दिया है। साहित्यिक उदाहरण के रूप में कुमारी 'मधू' के गीत की पंक्तियाँ इस विचारधारा का पुरजोर समर्थन करती हैं- 'एक तुम्हारी ही परिचय की सीमा में बँधकर रहूँ, इतनी लघुता का वरदान न आज मुझे स्वीकार है। मेरे पैरों में जंजीर न बांधों तुम अपने अधिकार, विहंगी की उन्मुक्त गगन में उड़ने की अभिलाषा है'। ये पंक्तियाँ उस थोपी गई सामाजिक जड़ता को नकारती हैं जो स्त्री को केवल पुरुष के 'अधिकार' की वस्तु मानती है । दार्शनिक स्तर पर स्त्री विमर्श उन सभी धार्मिक और सांस्कृतिक मिथकों का परीक्षण करता है, जिन्होंने सदियों से स्त्री को 'वम्ब' (Womb) या 'ओवरी' (Ovary) जैसी जैविक परिभाषाओं तक सीमित कर दिया था।

स्त्री विमर्श की व्यापकता केवल दमन के विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आत्म-पहचान और सशक्तिकरण की एक पूरी प्रक्रिया शामिल है। यह एक ऐसी मानवीय दृष्टि है जो स्त्री-पुरुष के मध्य व्याप्त जैविक और सामाजिक भेदभाव को मिटाकर समानता की बात करती है। डॉ. प्रभा खेतान के शब्दों में, 'स्त्री न गुलाम रहना चाहती है न पुरुष को गुलाम बनाना चाहती है स्त्री चाहती मानवीय अधिकार'। इसी मानवीय अधिकार की खोज में आधुनिक काल के उपन्यासों जैसे 'रुकोगी नहीं राधिका' या 'अल्मा कबूतरी' में स्त्री चेतना को मूलाधार बनाया गया है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में भले ही स्त्री को केवल 'श्रृद्धा' और 'पीयूष-स्रोत' के रूप में महिमामंडित किया गया हो, लेकिन समकालीन विमर्शकार इसे एक कदम आगे ले जाकर उसे 'व्यक्ति' का स्थान दिलाना चाहते हैं। इस विमर्श की परिधि में आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकार और सांस्कृतिक स्वायत्तता जैसे प्रश्न निरंतर मुखर हो रहे हैं। अंततः, यह व्यापक आंदोलन पुरुषों के विरुद्ध कोई संघर्ष न होकर एक समतामूलक समाज के निर्माण का प्रयत्न है, जहाँ स्त्री की अस्मिता उसके स्वयं के कौशल और अस्तित्व से पहचानी जाए।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और भारतीय मानस

भारतीय वाङ्मय और सांस्कृतिक चेतना में नारी की छवि आदिकाल से ही अत्यंत जटिल और अंतर्विरोधों से भरी रही है। वैदिक काल के आरंभिक चरण में स्त्री को गृहलक्ष्मी, देवी और शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। वेदों के कतिपय अंशों में पत्नी को 'कार्येषु मंत्री, करणेषु दासी' और 'भोज्येषु माता' जैसे विशेषणों से अलंकृत किया गया, जो उसे धर्मानुकूल और क्षमा की प्रतिमूर्ति के रूप में दुर्लभ घोषित करते थे। किंतु, कालान्तर में पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने इन सम्मानजनक पदों की आड़ में स्त्री को पुरुषवादी मानसिकता का शिकार बना दिया। वैदिक काल के उत्तरार्ध में महाराज मनु के विधानों ने स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व को पिता, पति और पुत्र के संरक्षण तक सीमित कर दिया, जहाँ उसे 'न स्त्री स्वतन्त्रामर्हति' (स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है) कहकर परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ दिया गया। इस काल की साहित्यिक और सामाजिक मान्यताओं ने नारी की एक ऐसी छवि निर्मित की जहाँ उसका

अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व स्पष्ट नजर नहीं आता था। यह युग आदर्शवाद की चादर ओढ़े यथार्थ में स्त्री के दोयम दर्जे की नागरिक बनने की शुरुआत का गवाह रहा है ।

मध्यकाल तक आते-आते भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति और भी दयनीय एवं संकटपूर्ण हो गई, जहाँ वह केवल उपभोग की वस्तु और पुरुष के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई । इस युग में आचार्य शंकराचार्य जैसे दार्शनिकों ने 'द्वारस्ति नरकस्य नारी' (नारी नरक का द्वार है) कहकर उसे आध्यात्मिक और सामाजिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा घोषित कर दिया। रीतिकाल के कवियों ने नारी के हृदय के उद्‌गारों के स्थान पर उसके वासनात्मक स्वरूप को प्रधानता दी, जिससे उसे समाज में वह आदर नहीं मिल सका जिसकी वह हकदार थी । इस अंधकारमय युग में स्त्रियाँ सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, पर्दा प्रथा और कन्या वध जैसी अमानवीय कठिनाइयों से निरंतर जूझती रहीं । समाज ने उसे केवल 'वम्ब' और 'ओवरी' जैसी जैविक सीमाओं में बांध दिया। साहित्यिक गद्यांशों के माध्यम से देखें तो मध्यकाल स्त्री के लिए एक बंद कोठरी की तरह था जहाँ शिक्षा और अभिव्यक्ति के द्वार पूरी तरह अवरुद्ध थे, और उसकी अस्मिता केवल पुरुष की रक्षा और इच्छा के अधीन रह गई थी ।

१९वीं शताब्दी का भारतीय नवजागरण काल स्त्री मुक्ति के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह उभरा, जिसने सदियों पुरानी जड़ता को तोड़ने का साहस किया। राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुषों ने सती प्रथा के उन्मूलन और विधवा विवाह जैसे मुद्दों पर संघर्ष कर आधुनिक युग की नींव रखी। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के क्रांतिकारी विचारों ने शिक्षा को स्त्री मुक्ति का अस्त्र बनाया और समाज में उनके बौद्धिक एवं सामाजिक स्थान को उच्च शिखर पर पहुँचाया। महात्मा गांधी के विचारों ने भी स्त्री को स्वाधीनता संग्राम के केंद्र में लाकर उसे आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। आधुनिक काल के साहित्य में नारी के पैरों की बेड़ियों को नकारने का स्वर गूँजने लगा, जैसा कि कुमारी 'मधू' के गीत की पंक्तियों में स्पष्ट होता है- 'मेरे पैरों में जंजीर न बाधों तुम अपने अधिकार, विहंगी की उन्मुक्त गगन में उड़ने की अभिलाषा है'। आज की आधुनिक स्त्री शिक्षित, कामकाजी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर अंतरिक्ष तक की यात्रा कर रही है। हिन्दी साहित्य में महादेवी वर्मा की 'शृंखला की कड़ियाँ' और मन्नू भंडारी जैसी रचनाकारों ने स्त्री चेतना को मूलाधार बनाकर नारी के विकास और सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान की है।

पाश्चात्य नारीवाद एवं वैश्विक प्रभाव

स्त्री विमर्श की वैश्विक लहर ने न केवल पाश्चात्य जगत को आंदोलित किया, बल्कि भारतीय साहित्य और समाज की वैचारिक पृष्ठभूमि को भी गहराई से प्रभावित किया है। नारीवाद के विकास का प्रथम चरण मुख्य रूप से १९वीं और २०वीं शताब्दी के प्रारंभ में लक्षित होता है, जहाँ संघर्ष का केंद्र बिंदु महिलाओं के लिए 'मताधिकार' और बुनियादी कानूनी अधिकारों की प्राप्ति था। जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे प्रखर विचारकों ने राजनीतिक समानता की पुरजोर वकालत करते हुए यह तर्क दिया कि पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी शासन में भागीदारी और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है ताकि उनका कुशासन न हो सके। इस युग में लुसी स्टोन और नेली मैकक्लंग जैसी रचनाकारों ने अपने लेखन के माध्यम से स्त्री अधिकारों के मुद्दों को मुखरता से उठाया। पाश्चात्य देशों जैसे अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में उस समय स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, जहाँ वे अपने नाम से कोई संपत्ति तक नहीं रख सकती थीं और उन्हें शारीरिक एवं बौद्धिक रूप से हीनतर समझा जाता था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९१८ इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने महिलाओं को राजनीतिक मुख्यधारा से जोड़ने की नींव रखी।

नारीवादी आंदोलन का द्वितीय चरण, जो मुख्य रूप से १९६० और १९७० के दशक में अमेरिका और यूरोप में सक्रिय हुआ, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नए नारों के साथ उभरा। इस दौर में 'निजी ही राजनीतिक है' के विचार ने जन्म लिया, जिसने घर की चारदीवारी के भीतर होने वाले सामाजिक और यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज बुलंद की । इसी समय के आसपास अमेरिका में 'मिस अमेरिका' जैसी सौंदर्य प्रतियोगिताओं की तीखी आलोचना की गई और उन्हें खुले स्तर पर 'पशु परेड' कहकर संबोधित किया गया, जो स्त्री को मात्र एक वस्तु के रूप में उपयोग करने की पुरुषवादी मानसिकता का विरोध था। पाश्चात्य जगत की इस वैचारिक क्रांति ने हिन्दी साहित्य के रचनाकारों को भी प्रेरित किया कि वे स्त्री के शोषण, दमन और पितृसत्ता के विरोध को अपने लेखन का मूलाधार बनाएँ । जॉन स्टुअर्ट मिल के शब्द इस संदर्भ में अत्यंत सटीक प्रतीत होते हैं कि राजनीतिक अधिकारों की आवश्यकता केवल शासन करने के लिए नहीं, बल्कि कुशासन से बचने के लिए अनिवार्य है। यह कालखंड स्त्री को एक जैविक इकाई की परिभाषा से बाहर निकालकर एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में स्थापित करने का साक्षी बना।

वैश्विक स्तर पर हुए इन परिवर्तनों का व्यापक प्रभाव आज की आधुनिक और समकालीन स्त्री चेतना पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वर्तमान में स्त्रियां अपने आत्मसम्मान, निजता और संपत्ति के अधिकारों के प्रति अत्यंत सजग हैं, जिसका प्रतिबिंब हिन्दी साहित्य की विविध विधाओं में निरंतर मुखर हो रहा है। हिन्दी उपन्यासकारों और कवयित्रियों ने नारी सशक्तिकरण और स्त्री अनुभव को केंद्र में रखकर नई परिभाषाएं गढ़ी हैं। उदाहरण के तौर पर, आधुनिक कविता की ये पंक्तियाँ इस नवीन चेतना को रेखांकित करती हैं- 'एक तुम्हारी ही परिचय की सीमा में बँधकर रहूँ, इतनी लघुता का वरदान न आज मुझे स्वीकार है... विहंगी की उन्मुक्त गगन में उड़ने की अभिलाषा है'। यह 'उन्मुक्त गगन' की चाहत ही वास्तव में उस वैश्विक नारीवाद का भारतीयकरण है, जहाँ स्त्री अब केवल अनुगमन करने वाली छाया नहीं, बल्कि अंतरिक्ष तक की यात्रा करने वाली एक सशक्त व्यक्तित्व है। आज का स्त्री विमर्श प्रभा खेतान के उस विचार को पुष्ट करता है कि स्त्री न तो पुरुष की गुलाम रहना चाहती है और न ही उसे गुलाम बनाना चाहती है, वह केवल बराबरी के मानवीय अधिकार चाहती है। इस प्रकार, पाश्चात्य से आरंभ हुई यह लहर आज भारतीय संदर्भ में एक मानवीय और समतावादी दृष्टि के रूप में विकसित हो चुकी है।

हिन्दी साहित्य में स्त्री विमर्श के मील के पत्थर

हिन्दी साहित्य में नारी चेतना और अस्मिता का स्वर कोई आधुनिक घटना नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें मध्यकालीन भक्ति आंदोलन, विशेषकर मीराबाई के काव्य में गहराई से निहित हैं। मीराबाई ने उस समय के कठोर पितृसत्तात्मक समाज और राजसी मर्यादाओं को चुनौती देते हुए अपनी निजता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता को चुना, जो तत्कालीन समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने 'लोकलाज' के बंधन तोड़कर अपने अस्तित्व को कृष्ण भक्ति के माध्यम से परिभाषित किया, जो कि परोक्ष रूप से स्त्री स्वायत्तता का ही एक रूप था। आधुनिक काल के आते-आते, विशेषकर छायावाद युग में, जयशंकर प्रसाद जैसे महान कवियों ने नारी को केवल वासना की वस्तु मानने के बजाय उसे 'श्रद्धा), 'शक्ति' और 'ज्योतिर्मयी' के रूप में प्रतिष्ठित किया। प्रसाद जी की 'कामायनी' की ये पंक्तियाँ इस विचारधारा का श्रेष्ठ उदाहरण हैं- 'नारी! तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास-रजत-नग पगतल में, पीयूष-स्त्रोत-सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में'। हालांकि, छायावादी कवियों ने नारी को गरिमा प्रदान की, लेकिन समकालीन आलोचकों का मानना है कि वहाँ भी नारी को एक मानवी के स्थान पर 'देवी' बनाकर उसे यथार्थ की धरती से ऊपर उठा दिया गया, जिससे उसके वास्तविक संघर्ष कुछ हद तक ओझल रहे। गद्य साहित्य के क्षेत्र में आधुनिक काल के भीतर महादेवी वर्मा की कृति 'शृंखला की कड़ियाँ' स्त्री विमर्श के इतिहास में एक 'घोषणापत्र' की भाँति स्वीकार की जाती है । इस पुस्तक में महादेवी जी ने भारतीय नारी की मानसिक और सामाजिक परतंत्रता का अत्यंत सूक्ष्म एवं बेबाक विश्लेषण किया है। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि स्त्री का व्यक्तित्व केवल पुरुष की पूरक के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं में एक स्वतंत्र इकाई है। महादेवी वर्मा के साथ-साथ अन्य महिला रचनाकारों ने भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। नवजागरण काल के प्रभावस्वरूप जब शिक्षा का प्रसार हुआ, तब 'देवरानी जेठानी की कहानी' और 'वामा शिक्षक' जैसे उपन्यासों में स्त्री चेतना को मूलाधार के रूप में देखा गया। आधुनिक दौर में प्रभा खेतान ने इसे और भी मुखर स्वर प्रदान करते हुए कहा कि स्त्री न तो पुरुष की गुलाम रहना चाहती है और न ही उसे अपना गुलाम बनाना चाहती है, वह केवल समानता और मानवीय अधिकारों की आकांक्षी है। यह गद्य चेतना ही थी जिसने हिन्दी साहित्य में नारी को 'वस्तु' से 'व्यक्ति' बनाने की प्रक्रिया को गति प्रदान की।

उपन्यास और कहानी की विधा में समकालीन लेखिकाओं ने नारी के उन अनुभवों और मानसिक परतों को साझा किया है जो अब तक साहित्यिक हाशिये पर छोड़ दिए गए थे। मृणाल पाण्डे, प्रभा खेतान और मैत्रेयी पुष्पा जैसी रचनाकारों ने अपनी कृतियों के माध्यम से स्त्री सशक्तिकरण और ग्रामीण एवं शहरी परिवेश की महिलाओं के संघर्ष को नई दिशा दी। उषा प्रियंवदा का उपन्यास 'रुकोगी नहीं राधिका' और मंजुल भगत की 'अनारो' मध्यवर्गीय स्त्री के उस मानसिक द्वंद्व और घुटन को बखूबी उकेरते हैं, जहाँ वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद पारिवारिक जड़ता से लड़ रही है। राजी सेठ की कहानी 'यह कहानी नहीं' और सुधा अरोड़ा की 'रहोगी तुम वहीं' जैसी रचनाओं ने पुरुष प्रधान समाज की उस मानसिकता को हिलाने का काम किया है जो स्त्री को अपनी इच्छाओं की कठपुतली समझती है। इसके अतिरिक्त मैत्रेयी पुष्पा की 'अल्मा कबूतरी' जैसी रचनाओं ने हाशिये के समाज की स्त्रियों के शोषण और उनके जीवट को सामने लाया। आधुनिक कविता में कुमारी 'मधू' के शब्द इस संपूर्ण चेतना को स्वर देते हैं- 'मेरे पैरों में जंजीर न बाधों तुम अपने अधिकार, विहंगी की उन्मुक्त गगन में उड़ने की अभिलाषा है'। यह समग्र लेखन दर्शाता है कि आज की स्त्री अपनी अस्मिता के प्रति सजग है और वह समाज के हर क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र पहचान निर्मित करने हेतु संकल्पबद्ध है ।

समकालीन चुनौतियाँ और नवीन विमर्श

समकालीन युग में स्त्री की स्थिति एक विचित्र विरोधाभास से गुजर रही है। आज की स्त्री शिक्षित है, कामकाजी है और अंतरिक्ष तक की यात्रा कर रही है, किंतु बुनियादी प्रश्न यह है कि क्या वह वास्तव में मानसिक परतंत्रता से मुक्त हो पाई है? आधुनिक काल में आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद स्त्री एक सूक्ष्म मानसिक घुटन का अनुभव करती है, क्योंकि उस पर घर और बाहर की 'दोहरी जिम्मेदारी' का बोझ लाद दिया गया है । पितृसत्तात्मक समाज ने भले ही उसे कार्यक्षेत्र में अनुमति दे दी हो, लेकिन उसकी अपेक्षाएं आज भी पारंपरिक ही हैं। बाजारवाद और उपभोक्तावादी संस्कृति ने नारी को एक 'वस्तु' के रूप में प्रस्तुत कर उसके वस्तुकरण की प्रक्रिया को तेज किया है, जिसे 'मिस अमेरिका' जैसी प्रतियोगिताओं में 'पशु परेड' (Cattle Parade) कहकर वैश्विक स्तर पर नकारा गया था। समकालीन विमर्शकार इस वस्तुकरण और मानसिक गुलामी के विरुद्ध निरंतर संघर्षरत हैं। कुमारी 'मधू' के गीत की ये पंक्तियाँ इस स्थिति का सटीक चित्रण करती हैं- 'एक तुम्हारी ही परिचय की सीमा में बँधकर रहूँ, इतनी लघुता का वरदान न आज मुझे स्वीकार है। मेरे पैरों में जंजीर न बाधों तुम अपने अधिकार, विहंगी की उन्मुक्त गगन में उड़ने की अभिलाषा है'। यह पद्यांश स्पष्ट करता है कि आधुनिक स्त्री अब किसी भी प्रकार के थोपे गए बंधनों या परिचय की सीमाओं में सिमटने को तैयार नहीं है। स्त्री विमर्श के केंद्र में आज 'समानता की मांग' और 'अस्मिता की पहचान' सबसे प्रमुख मुद्दे बनकर उभरे हैं। डॉ. प्रभा खेतान के अनुसार, स्त्री न तो पुरुष की गुलाम रहना चाहती है और न ही वह पुरुष को अपना गुलाम बनाने की आकांक्षा रखती हैय उसकी एकमात्र मांग उसके 'मानवीय अधिकार' हैं। यह विमर्श उन सवालों को उठा रहा है जहाँ स्त्रियों की उपेक्षा हुई है और जहाँ पुरुष प्रधान समाज ने उसे मात्र एक उपभोग की वस्तु समझा है। हिन्दी साहित्य में मृणाल पाण्डे, मैत्रेयी पुष्पा और प्रभा खेतान जैसी रचनाकारों ने स्त्री के उन अनुभवों को स्वर दिया है जो सदियों से हाशिये पर थे। यह लेखन केवल दमन की गाथा नहीं है, बल्कि पितृसत्ता का विरोध कर शोषण से छुटकारा पाने का एक मार्ग है। गद्य साहित्य में 'रुकोगी नहीं राधिका' और 'अल्मा कबूतरी' जैसे उपन्यास स्त्री की इसी आंतरिक शक्ति और संघर्ष को रेखांकित करते हैं। यह विमर्श स्पष्ट करता है कि जब तक समाज स्त्री को केवल उसकी जैविक संरचना के आधार पर परिभाषित करेगा, तब तक उसकी वास्तविक मुक्ति संभव नहीं है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि स्त्री विमर्श

पुरुषों के विरुद्ध छेड़ा गया कोई युद्ध या विद्वेष नहीं है, बल्कि यह एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की स्थापना का सकारात्मक प्रयास है। यह एक ऐसी मानवीय दृष्टि है जो स्त्री-पुरुष के भेद को मिटाकर दोनों में समानता लाने की पक्षधर है। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ-'नारी! तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास-रजत-नग पगतल में, पीयूष-स्त्रोत-सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में' जहाँ उसे पूजनीय बनाती हैं, वहीं समकालीन विमर्श उसे 'व्यक्ति' के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। जब तक समाज नारी के गुणों, प्रतिभा और उसके कौशल को उसके 'रूप-रंग' से ऊपर नहीं रखेगा, तब तक उसे एक स्वतंत्र 'व्यक्ति' का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकेगा। साहित्य इस सोई हुई चेतना को जगाने का सबसे सशक्त माध्यम है, जो जैविक, सामाजिक, मानसिक और आर्थिक स्तरों पर दी गई कनिष्ठता को समाप्त कर एक नई पहचान निर्मित करता है। अंततः, स्त्री विमर्श का लक्ष्य एक ऐसा भविष्य निर्मित करना है जहाँ स्त्री की अस्मिता उसके स्वयं के वजूद से पहचानी जाए, न कि किसी पुरुष के सापेक्ष।

संदर्भ

१. खान, शाहीन एवं राहुल, डी.आर. (२०१८), हिन्दी साहित्य लेखन में स्त्री विमर्श की दशा एवं दिशा।
२. डहेरिया, सविता (२०१४), समकालीन महिला उपन्यासकार स्त्री विमर्श का संदर्भ।
३. पटेल, मंजू (२०१६), स्त्री विमर्श- एक चिन्तन।
४. भारद्वाज, धीरेन्द्र (२०१८), हिन्दी साहित्य में स्त्री विमर्श की भूमिका।
५. वर्मा, महादेवीय शृंखला की कड़ियाँ।
६. खेतान, प्रभाय अन्या से अनन्य।

आधुनिक अनुवाद प्रणालियों में कृत्रिम मेधा की भूमिका

परंपरागत दृष्टिकोण से इतर एक भाषा के कथन को मशीनों की सहायता से दूसरे भाषा में परिवर्तित करना 'मशीनी अनुवाद' है। इसे 'स्वतः अनुवाद' के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक भाषा संसाधन की मदद से कुछ ऐसे सॉफ्टवेयरों का विकास किया गया जहाँ स्रोत भाषा की सामग्री देने पर मशीन अनुवाद के माध्यम से स्वतः अनुदित होकर लक्ष्य भाषा की सामग्री प्राप्त हो जाती है। मशीनी अनुवाद की गुणवत्ता उसके कॉर्पस (समानांतर कॉर्पस और मोनोलिंगुअल कॉर्पस), मॉडल और एल्गोरिदम पर निर्भर करता है।

अलग-अलग भाषा विद्वानों ने अनुवादक की सहभागिता के आधार पर मशीनी अनुवाद को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है।

उमेश कुमार प्रजापति 'अलख'
साहित्य अनुवादक
सचलभाष- ९७८८७६१६८२

वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण के परिवेश में अनुवाद का बहुत महत्त्व है। आज प्रायः लोग दो-चार भाषाएं जानते हैं जिसमें वे सहज रूप से लिख, बोल एवं पढ़ सकते हैं। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो वर्तमान समय पर कुल ७१५९ भाषाएं जीवित हैं (एथलोलॉग के अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार) और इन सभी भाषाओं को भाषा वैज्ञानिकों ने १२ प्रमुख भाषा परिवारों में बांटा है। भारत जैसे बहुभाषिक देश में वर्तमान समय पर करीब १६५२ भाषाएं प्रचलित हैं। इन सभी भाषाओं में परस्पर संवाद के लिए अनुवाद की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। अनुवाद संवाद के साथ-साथ विलुप्ति के कगार पर संघर्षरत भाषाओं की साहित्य एवं संस्कृति को दूसरे प्रमुख भाषाओं में संरक्षित करने का एक सशक्त माध्यम भी है। अनुवाद शब्द का प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से बहुत ही गहरा सम्बंध है क्योंकि भारत में पहले शिक्षाएं गुरुकुलों में मौखिक तौर पर दी जाती थी, जहाँ गुरु द्वारा कही गयी बात को शिष्य द्वारा दोहराया जाता था और इस प्रक्रिया को 'अनुवचन' या 'अनुवाद' कहा गया। इसका संदर्भ पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है जहाँ 'अनुवादे चरणानाम्' अर्थात् पहले कही गई बात को फिर से कहना/ पुनः उच्चारण करना के रूप में प्राप्त होता है। भर्तृहरि ने भी अपने ग्रंथ 'वाक्यपदीय' में अनुवाद को 'आवृत्तिरनुवादो वा' के रूप में लिखा है। प्राचीन संस्कृत में भी अनुवाद शब्द किसी एक भाषा में कही गई बात को बोलचाल की भाषा में फिर से कहने के अर्थ में प्रयुक्त होता था। 'शब्दार्थ चिंतामणि कोश' के अनुसार 'प्राप्तस्य पुनः कथने' या 'ज्ञातार्थस्य प्रतिपादने इति अनुवादः' अर्थात् पहले से ज्ञात ज्ञान के अर्थ को फिर से कहना या प्रतिपादित करना अनुवाद है। अनुवाद शब्द 'वाद' (कथन अथवा कही गई कोई बात) में 'अनु' उपसर्ग जुड़ने से निष्पन्न हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 'किसी कही गई बात को फिर से कहना या दोहराना'। इस प्रकार से किसी एक भाषा में कही गई बात/ अभिव्यक्ति को भाषिक व्यतिरेकों के माध्यम से दूसरी भाषा में अंतरण करना ही अनुवाद का प्रमुख लक्ष्य है।

कई भाषा वैज्ञानिकों ने उत्कृष्ट अनुवाद के बारे में कहा है कि 'वह मूल जैसा पढ़ा जाए' (It should be read like original) अनुवाद की इसी मूल भावना का ध्यान रखते हुए कई प्रमुख धार्मिक ग्रंथों जैसे- बाइबिल, कुरान, धम्मपद, श्रीमद्भागवत गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद इत्यादि का अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में किया गया है। इसी प्रकार कुछ साहित्यिक कृतियों जैसे- विलियम शेक्सपियर के नाटक (हेलमेट और मैकबेथ), मिगेल डे सर्वांतेस के उपन्यास 'डॉन क्विजोट', रविन्द्र नाथ टैगोर के काव्य संग्रह 'गीतांजलि', प्रेमचंद के उपन्यास 'गोदान' तथा कहानी 'कफन', आर.के. नारायणन के उपन्यास 'द गाइड', अमृता प्रीतम द्वारा सृजित 'पिंजर और कागज ते कैनवास' का अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में किया गया है।

अनुवाद की प्रक्रियाओं की बात करें तो इसकी दो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं-

क. मानव अनुवाद (परंपरागत अनुवाद)- इस प्रवृत्ति के अंतर्गत मानव द्वारा स्रोत भाषा से

लक्ष्य भाषा में अनुवाद की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए अनुवादक का दोनों भाषाओं में निपुण होना नितांत आवश्यक होता है। अनुवादशास्त्री नाइडा (पाश्चात्य भाषा शास्त्री) के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के तीन प्रमुख चरण हैं-

१. विश्लेषण
२. अंतरण
३. पुनर्गठन

जबकि डॉ. भोलानाथ तिवारी (भारतीय भाषा शास्त्री) के अनुसार अनुवाद के छह प्रमुख चरण हैं-

१. मूल का पाठबोधन
२. विश्लेषण
३. भाषांतरण
४. समायोजन
५. मूल सामग्री से तुलना
६. पुनरीक्षण

इसके साथ-साथ मानवीय अनुवाद के कुछ सिद्धांत भी निर्धारित किए गए हैं यथा- अर्थ संप्रेषण का सिद्धांत, व्याख्या का सिद्धांत, प्रभाव समता का सिद्धांत, सांस्कृतिक संदर्भों के एकीकरण का सिद्धांत, पुनर्कोडीकरण का सिद्धांत और समतुल्यता का सिद्धांत। अनुवाद में कुशलता प्राप्त करने के लिए अनुवादक को इन सिद्धांतों का अनुसरण करना पड़ता है।

इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मराठी भाषा के सुविख्यात साहित्यकार मामा वरेरकर ने अनुवाद के सम्बंध में एक महत्त्वपूर्ण बात लिखी है- 'लेखक होना आसान है किंतु अनुवादक होना अत्यंत कठिन।' इसमें दो मत नहीं है कि लेखक के भाव और विचार का प्रस्फुटन उसकी अपनी भाषा में होता है अर्थात् वह अपने भाषा रूपी शरीर में भाव रूपी आत्मा को ढालता है, सँवारता है, किंतु अनुवादक का काम उससे भी कठिन है क्योंकि वह एक भाषा रूपी शरीर से उसकी आत्मा को सुरक्षित रूप से संभालते हुए उसे दूसरे भाषा रूपी शरीर में प्रत्यारोपित करता है, ढालता या सँवारता है।

ख. मशीनी अनुवाद- ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार तथा नई-नई प्रौद्योगिकी के विकास से आज विश्व का मानव समाज निकटतर होता जा रहा है। उपग्रह प्रणाली/सोशल मीडिया के विकास से विश्व के किसी एक स्थान पर घटित घटना कुछ हीं छड़ों में विश्व के किसी भी कोने में पहुँच जाती है। भाषिक दूरियां अब नहीं रही। यह ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे मौलिक चिंतन की बढ़ती मांग के कारण ही संभव हुआ है। विकसित देशों में जहाँ प्रौद्योगिकी, सूचना तंत्र, उपग्रह प्रणाली और आर्थिक विकास अपनी चरम सीमा पर है वहाँ अनुवाद और अनुवादक को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा विश्व में हो रहे नवीन चिंतन को जल्द से जल्द आत्मसात करने की मनुष्य की लालसा और जिज्ञासा ने आज भाषा के आदान-प्रदान के महत्त्व को बढ़ा दिया है। इससे अनुवाद के प्रति चले आ रहे परंपरागत दृष्टिकोण में अब परिवर्तन आ गया है। आधुनिक दृष्टिकोण अब अधिक उदार और वैज्ञानिक हो गया है।

कंप्यूटर के आविष्कार से मानव जीवन के सभी क्षेत्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। वस्तुतः कंप्यूटर का आविष्कार मूल रूप से अंकीय गणना के लिए हुआ था किंतु समय और जरूरत के साथ इसका अनुप्रयोग भाषा सम्बंधी संश्लेषण, विश्लेषण और संसाधन के लिए भी किया जाने लगा। अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान इन्हीं को आत्मसात करने के लिए प्रयत्नशील रहा है और प्राकृतिक भाषा संसाधन इसी का एक अंग है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर के लिए एक ऐसे व्यापक मॉडल और डिजाइन को तैयार करना है जिनकी सहायता से मानव मशीन के बीच संवाद स्थापित हो सके।

परंपरागत दृष्टिकोण से इतर एक भाषा के कथन को मशीनों की सहायता से दूसरे भाषा में परिवर्तित करना 'मशीनी अनुवाद' है। इसे 'स्वतः अनुवाद' के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक भाषा संसाधन की मदद से कुछ ऐसे सॉफ्टवेयरों का विकास किया गया जहाँ स्रोत भाषा की सामग्री देने पर मशीन अनुवाद के माध्यम से स्वतः अनुदित होकर लक्ष्य भाषा की सामग्री प्राप्त हो जाती है। मशीनी अनुवाद की गुणवत्ता उसके कॉर्पस (समानांतर कॉर्पस और मोनोलिंगुअल कॉर्पस), मॉडल और एल्गोरिदम पर निर्भर करता है।

अलग-अलग भाषा विद्वानों ने अनुवादक की सहभागिता के आधार पर मशीनी अनुवाद को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। अनुवादक और मशीन की परस्पर सहयोग से प्राप्त अनुवाद को मानव आश्रित मशीनी अनुवाद (Human Associated Machine Translation) कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में मशीन आश्रित मानव अनुवाद (Machine Aided Human Translation) की भी संज्ञा दी जाती है। मानव अनुवाद की तरह ही मशीनें भी अनुवाद के तीन प्रक्रियाएं अपनाती हैं-

१. विश्लेषण
२. निर्धारण
३. प्रजनन

मशीनी अनुवाद का विकास : मशीनी अनुवाद का विकास सर्वप्रथम पश्चिम के देशों द्वारा किया गया। इस प्रकार की अनुवाद प्रणाली का बीज १७वीं शताब्दी में सन् १६२९ में रेने देकार्ते और लाइबनित्ज के प्रस्तावों में पढ़ने को प्राप्त होते हैं। बाद में सन् १९३३ में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जॉर्ज आर्त्सूनी ने स्वचालित द्विभाषी कोष और रूसी वैज्ञानिक पीटर त्रशेयांस्की ने द्विभाषी कोश तथा एस्परांतो पर आधारित विभिन्न भाषाओं के बीच व्याकरणिक सम्बंधों के समाधान की विधि प्रस्तुत कर इस दिशा में पहल की थी। त्रोयांस्की अनुवाद प्रक्रिया को तीन चरणों में विभाजित करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके अतिरिक्त उन्हें माध्यमिक भाषा की संकल्पना का जनक भी माना जाता है। उनके मतानुसार सभी भाषाओं की तार्किक संरचना समान होती है, जबकि उनकी कोशीय और व्याकरणिक संरचना अलग-अलग होती है। यही समान तार्किक संरचना सार्वभाषिक तार्किक माध्यमिक भाषा के माध्यम से एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने में सहायक होती है। इस सम्बंध में त्रोयांस्की के अनुवाद तंत्र का जुलाई १९४४ में मास्को में एक सफल प्रदर्शन भी किया गया था।

प्राकृतिक भाषाओं के अनुवाद के क्षेत्र में अंकीय कंप्यूटर के प्रयोग का प्रस्ताव वर्ष १९४६ में ए. डी. बूथ एवं अन्य वैज्ञानिक ने दिया था। बूथ ने ही कंप्यूटरीकृत शब्दकोश तैयार करने का विचार प्रस्तुत किया था। इसी दौरान पूर्व-संपादन और पश्च-संपादन की संकल्पनाओं को भी विकसित किया गया था। मशीनी अनुवाद का प्रारम्भ वास्तव में सन् १९४७ में वारेन वीवर के लेख 'ऑन ट्रांसलेशन' से माना जाता है। इसमें बूथ एवं

रिशेन्स के कार्यों की समीक्षा करते हुए मशीनी अनुवाद की तुलना 'कोड ब्रेकिंग' से की गई थी। अंकीय कंप्यूटर दूसरे विश्वयुद्ध में सफलतापूर्वक काम कर चुके थे। विवर ने शब्दों की अनेकार्थता की समस्या को सुलझाने के लिए सांख्यिकी-अर्थी अध्ययनों का सुझाव दिया। इसी समय आई.बी. एम. तथा जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के एक दल ने मिलकर मशीनी अनुवाद तंत्र का नमूना प्रदर्शित किया। इसमें मात्र २५० शब्दों पर आधारित सावधानी पूर्वक ५९ रूसी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद प्रदर्शित किया गया था। इस प्रदर्शनी ने मशीन अनुवाद के क्षेत्र में एक प्रकार से चिंगारी का काम किया। पश्चिमी देशों में मशीनी अनुवाद का व्यवस्थित विकास सन् १९५४ में 'मशीन ट्रांसलेशन तथा लैंग्वेज प्रोजेक्ट' से माना जाता है। इसके अंतर्गत ६० रूसी वाक्यों का अंग्रेजी में मशीनी अनुवाद सफलतापूर्वक करके दिखाया गया था। लंदन विश्वविद्यालय में सन् १९५४ में अंग्रेजी से फ्रेंच में मशीन अनुवाद का प्रदर्शन किया गया था। यह प्रदर्शन इतना सफल रहा कि मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए अपार अनुदान राशि प्राप्त होनी शुरू हो गई और ऐसा माना जाने लगा है कि मशीनी अनुवाद की समस्या का सफल समाधान अगले तीन से पांच वर्षों के बीच प्राप्त हो जाएगा, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं हो पाया।

सबसे पहला अनुवाद यंत्र रूसी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से रूसी में विकसित किया गया। इसका नाम 'सिस्ट्रान' (Systran) था। इसका विकास आगे चलकर अन्य यूरोपीय भाषाओं के लिए भी किया गया। विभिन्न विश्वविद्यालय तथा वाणिज्यिक संस्थाओं ने एक के बाद एक अनुवाद तंत्रों के विकास के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। ग्रेनोब्ल विश्वविद्यालय में 'आरियान' (ARIANE), टेक्सास विश्वविद्यालय में 'मेटल' (METAL), सारब्रुकेन विश्वविद्यालय में 'सूसी' (SUSY), क्योतो (जापान) विश्वविद्यालय में 'एम.यू.' (MU) अनुवाद तंत्र विकसित किए गए। ये चारों अनुवाद तंत्र कार्य क्षमता के दृष्टि से प्रतिनिधि माने जाते हैं। इसी समय यूरोपीय समुदायों ने 'यूरेट्रा' (Eurotra) नामक बहुभाषिक अनुवाद तंत्र के विकास पर काम शुरू किया। अब वास्तव में मशीनी अनुवाद तंत्र के विकास पर काम शुरू हुआ तथा मशीनी अनुवाद 'प्रयोगशाला' से निकलकर बाजार में पहुंचना शुरू हो गया। सन् १९६० के आसपास 'एल्पस' (ALPS), वाइडनर (Weidner) तथा लोगोस (Logos) कॉर्पोरेशनों ने विभिन्न प्रकार के अनुवाद तंत्र उपलब्ध कराने शुरू कर दिए। पाहो (Paho) के 'स्पैनम' (Spanam) और इंगस्पैन (Engspan) अनुवाद तंत्रों ने सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर दिया था।

अनुवाद के विकास को भारतीय परिदृश्य में देखा जाए तो इस क्षेत्र में रूसी-तमिल के अनुवाद का प्रयास उल्लेखनीय है जिसे के.सी. चेलामुत्तु द्वारा तंजाउर विश्वविद्यालय में किया गया था किंतु धन की अभाव में यह कार्य आगे न बढ़ सका। अंग्रेजी-हिंदी के क्षेत्र में आर. चंद्रशेखर का प्रयास भी उल्लेखनीय है। भारतवर्ष में प्राकृतिक भाषा संसाधन के अंतर्गत मुख्य रूप से मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में कार्य अस्सी के दशक से शुरू किया गया था। सन् १९८७ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में 'अक्षरभारती' के द्वारा भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद की एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना पर कार्य प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत तेलुगु से हिंदी अनुवाद का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस परियोजना से सम्बंधित साहित्य को देखने से पता चलता है कि इसमें 'माध्यमिक भाषा' की संकल्पना को आधार बनाकर अनुवाद कार्य किया गया था। इसमें पाणिनि के कारक व्याकरण सिद्धांत के आधार पर माध्यमिक भाषा के विकास पर बल दिया गया था। इसी परियोजना में हिंदी का पार्सर-जेनरेटर तथा तेलुगु भाषा के पार्सर के विकास तथा तथा तेलुगु-हिंदी द्विभाषी कोश का कार्य शुरू किया गया।

सन् १९९२ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में संपन्न एशियाई भाषाओं में कंप्यूटर संसाधन (Computer Processing in Asian Languages) विषयक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के बाद यह मान लिया गया है कि कंप्यूटर से पूर्ण अनुवाद कराना दुष्कर एवं असंभव कार्य है। अतः पूर्ण अनुवाद तंत्र विकसित करने की अपेक्षा अनुसारक (सहायक अनुवाद तंत्र) विकसित करने पर ध्यान दिया जाए। परिणामस्वरूप, इस वर्ग के अनुसारकों के निर्माण के दिशा में १९९५ में कार्य प्रारम्भ किया गया जिसे बाद में हैदराबाद विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद में पांच अनुसारकों पर कार्य शुरू हुआ यथा तेलुगू-हिंदी, कन्नड़-हिंदी, पंजाबी-हिंदी, बंगाली-हिंदी और मराठी-हिंदी। इन अनुसारकों की क्षमता ६५ से ९० प्रतिशत तक आंकी गई थी। ये अनुसारक 'लिनक्स प्लेटफॉर्म' पर तैयार किये गये थे, इस कारण प्रयोगकर्ता इसका अधिक लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इसी क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष १९९८ में अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद को प्राथमिकता देने के कारण इन अनुसारकों को अनुवादकों के रूप में विकसित होने का कार्य अधूरा रह गया।

सन् १९९२ के बाद अंग्रेजी-हिंदी मशीनी अनुवाद के कार्य को प्राथमिकता दिया जाने लगा तथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कई अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद परियोजनाओं को शुरू किया गया। यथा- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा 'आंग्ल भारती', सी-डैक मुंबई द्वारा 'मात्रा', सी-डैक पुणे द्वारा 'मंत्रा'। यह तीनों अनुवाद तंत्र सरकारी सहयोग के आधार पर विकसित किया थे। इसी क्रम में दिल्ली की एक निजी कंपनी सुपर इंफोसॉफ्ट ने 'अनुवादक' नामक अनुवाद तंत्र विकसित किया। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई द्वारा यूनिवर्सिटी लैंग्वेज (UDL) को विकसित किया गया तथा अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद द्वारा 'शिव' और 'शक्ति' नाम से अनुवाद तंत्र विकसित किए जाने लगे।

२१वीं सदी के शुरुआत में हमें मशीनी अनुवाद की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण उपकरण देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से सांख्यिकीय मशीन अनुवाद के लिए वर्ष २००६ में 'गूगल अनुवाद' की शुरुआत की गई। यह अनुवाद नियमों या संदर्भों की बजाय विशाल डॉटाबेस में उपलब्ध शब्दों और वाक्यांशों की पुनरावृत्ति के आधार पर होता था। नतीजतन, अनुवाद अक्सर शाब्दिक होते थे, संदर्भ को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता था और अजीब, हास्यास्पद या व्याकरणिक रूप से गलत परिणाम देखने को मिलते थे। जैसे 'नाच न जाने आंगन टेढ़ा' का उस दौर में अंग्रेजी अनुवाद 'Dance not to know courtyard

crooked' अर्थात् 'नृत्य न जानने वाला आंगन टेढ़ा', 'मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ।' का अनुवाद 'I received your leaf-' (पत्र को पत्ती के रूप में) लेकिन स्थिति बदली और आज गूगल अनुवाद के माध्यम से विश्व की करीब १३३ भाषाओं के बीच परस्पर अनुवाद कार्य बेहतर परिणामों के साथ प्राप्त हो रहे हैं।

इसी क्रम में माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ष २००७ के करीब अपनी अनुवाद सेवा की आधिकारिक तौर पर शुरुआत की। 'गूगल अनुवाद' की तरह हीं माइक्रोसॉफ्ट अनुवादक 'सांख्यिकीय मशीन अनुवाद' पर निर्भर था, जो विशाल डेटासेट में पैटर्न और वाक्यांशों की आवृत्ति के आधार काम करता था। शुरुआती दौर में अनुवाद के इसके परिणाम कुछ इस प्रकार से प्राप्त होते थे-

१. बच्चों ने पार्क में गेंद से खेला।- Children in the park with the ball played.
२. मुझे आज खाना बनाना अच्छा लगा।- Me today food making good felt.
३. मेरा काम हो गया।- My work became. / My job became.

आज समय के साथ, जब इन मशीनी उपकरणों के पास विशाल कॉर्पस भंडार हो गए हैं तो इनके अनुवाद अपेक्षाकृत बहुत ही बेहतर प्राप्त होने लगे हैं। इसी क्रम में, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा कई प्रकार के अनुवाद उपकरण विकसित किए गए यथा- अनुवादिनी, भाषिणी, कंठस्थ, कंठस्थ २.०, शक्ति ट्रांसलेटर, लीला इत्यादि जिनके माध्यम से हिंदी-अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य कई भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में बेहतर अनुवाद प्राप्त हो रहे हैं। आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 'मन की बात' करते हैं तो इसे तत्कालिक तौर पर भारत की कई अन्य भाषाओं में 'भाषिणी' के माध्यम से अनुदित करके प्रसारित किया जाता है। इसी क्रम में अनुवादिनी के माध्यम से उच्चतर शिक्षा की तमाम पाठ्य पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में व्यापक स्तर पर अनुवाद किया जा रहा है।

वर्तमान समय पर उपलब्ध मशीनी अनुवाद उपकरणों के माध्यम से अनुवाद की गुणवत्ता की बात करें तो अधिकांश उपकरण संदर्भों के आधार पर बेहतर परिणाम प्रस्तुत कर रही हैं। कुछ अनुवाद तो शत-प्रतिशत ठीक होते हैं, तो वहीं कुछ में थोड़ी-बहुत अशुद्धियाँ रह जाती है जिसे पुनरीक्षण के माध्यम से ठीक किया जाता है।

वर्तमान समय पर कृत्रिम मेधा की चर्चा जोरों पर है और इसके विभिन्न स्वरूप हमें दिखाई पड़ते हैं। यथा- चौट जीपीटी, जैमिनी एआई, माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट, क्लॉड, इलेवनलैब्स, परप्लेक्सिटी एआई इत्यादि। वैसे तो कृत्रिम मेधा की शुरुआत/ विकास १९५० के दशक से ही शुरू हो गई थी किंतु वर्ष २०२२ के करीब जनरेटिव एआई ने भाषा और अनुवाद के क्षेत्र में क्रांति ला दी। आज एक तरफ जनरेटिव एआई के माध्यम से हमें अधिकांश चीजें सृजित रूप में प्राप्त हो रही हैं तो दूसरी तरफ यह मेधा प्रणाली विभिन्न भाषाओं में बेहतर अनुवाद भी दे रहे हैं।

इस विषय को हम उदाहरण के माध्यम से अधिक बेहतर ढंग से समझ सकते हैं-

हिंदी का मूल पाठ- ''घर दूसरों के आज जलाने लगे हैं लोग, अपना ही खानदान बढ़ाने लगे हैं लोग।''

गूगल अनुवाद के माध्यम से प्राप्त परिणाम- 'People have started burning down other people's homes, and expanding their own families.'

माइक्रोसॉफ्ट अनुवादक के माध्यम से प्राप्त परिणाम- 'People have started burning down other people's homes today, people have started increasing their own families.'

भाषिणी के माध्यम से प्राप्त परिणाम- 'People are starting to burn down other people's houses today] people are starting to grow their own families.'

जैमिनी एआई के माध्यम से प्राप्त परिणाम- 'People now burn the homes of others] Even as they seek to grow their own descendants.'

माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट के माध्यम से प्राप्त परिणाम- 'People have started burning down others' homes just to expand their own families.'

उपर्युक्त अनुवाद के परिणाम से पता चलता है कि वर्तमान समय की जनरेटिव एआई, मशीनी अनुवाद उपकरणों की अपेक्षा कुछ अधिक सटीक और बेहतर अनुवाद प्रदान कर रही हैं, यहाँ तक कि श्रोत भाषा के अनुवाद के अन्य विकल्प भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जो अलग-अलग संदर्भों के अनुरूप होते हैं।

संदर्भ

१. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की पाठ्य सामग्री
२. राजभाषा विभाग द्वारा जारी भारतीय भाषाएं और राजभाषा हिंदी : सह-अस्तित्व की गाथा
३. कंप्यूटर के भाषिक अनुप्रयोग : श्री विजय कुमार मल्होत्रा
४. स्वयम् पोर्टल पर उपलब्ध 'भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय' पाठ्यक्रम
५. एथलोलॉग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त डॉटा
६. इग्नू द्वारा अनुवाद विषय पर उपलब्ध पाठ्य सामग्री

उभरता भारत : सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य

सारांश

स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने बहुआयामी विकास की एक निरंतर प्रक्रिया को अपनाया है, जिसके परिणामस्वरूप वह आज एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। ''उभरता भारत'' की संकल्पना केवल आर्थिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक चेतना, सांस्कृतिक पुनर्संरचना तथा विज्ञान एवं तकनीक की भूमिका भी समाहित है। इस शोध-पत्र में भारत की विकास यात्रा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में १९९१ के आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और डिजिटल क्रांति के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। शिक्षा के प्रसार, मध्यवर्ग के विस्तार, स्त्री सशक्तिकरण तथा वंचित वर्गों की सामाजिक भागीदारी ने भारतीय समाज को नई दिशा प्रदान की है। साथ ही, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुदृढ़ता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका उसकी उभरती पहचान को सशक्त बनाती है। यद्यपि गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय संकट जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, तथापि समावेशी और संतुलित विकास की अवधारणा ही उभरते भारत का वास्तविक आधार है।

मुख्य शब्द – उभरता भारत, आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक परिवर्तन, डिजिटल इंडिया, लोकतंत्र

डॉ. विजेंद्र प्रताप सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी)
राजकीय महाविद्यालय, गोंडा, अलीगढ़

१. प्रस्तावना

उभरता भारत सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की संयुक्त प्रक्रिया का द्योतक है। शिक्षा के प्रसार, तकनीकी उन्नति और लोकतांत्रिक चेतना के विस्तार ने भारतीय समाज को अधिक जागरूक और गतिशील बनाया है। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं, जिससे औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्र के विस्तार और रोजगार के नए अवसर सृजित हुए। सांस्कृतिक स्तर पर परंपरा और आधुनिकता के संतुलन से भारतीय संस्कृति ने नई अभिव्यक्ति प्राप्त की है। इस प्रकार उभरता भारत एक समावेशी, प्रगतिशील और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान सुदृढ़ कर रहा है।

१.१ 'उभरता भारत' की अवधारणा

'उभरता भारत' की अवधारणा स्वतंत्रता के पश्चात भारत की उस ऐतिहासिक यात्रा को व्यक्त करती है, जिसमें राष्ट्र निरंतर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तरों पर परिवर्तन और विकास की ओर अग्रसर हुआ है। यह अवधारणा केवल तीव्र आर्थिक वृद्धि या औद्योगिक विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समावेशी विकास, लोकतांत्रिक चेतना, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक पुनर्संरचना के तत्व भी निहित हैं। १९९१ के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता की, जिससे उसकी आर्थिक संरचना में व्यापक परिवर्तन आए। शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल क्रांति ने भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान प्रदान की है। साथ ही, स्त्री सशक्तिकरण, वंचित वर्गों की बढ़ती भागीदारी और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता ने भारतीय समाज को अधिक लोकतांत्रिक और गतिशील बनाया है। इस प्रकार 'उभरता भारत' एक ऐसे राष्ट्र की संकल्पना है, जो परंपरा और आधुनिकता के संतुलन के साथ विकास की नई दिशाओं की खोज कर रहा है।

१.२ स्वतंत्रता के बाद से भारत की विकास यात्रा

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण की थी, जो औपनिवेशिक शोषण, आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक असमानताओं से मुक्त हो सके। १९४७ के बाद भारत ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित विकास का मार्ग चुना। संविधान के निर्माण के साथ ही समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को राष्ट्र-निर्माण के आधार स्तंभ के रूप में स्वीकार किया गया। प्रारंभिक वर्षों में नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाते हुए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई, जिनका उद्देश्य औद्योगीकरण, कृषि सुधार और आधारभूत संरचना का विकास था।

१९५० और १९६० के दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार, भारी उद्योगों की स्थापना तथा हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति संभव हुई। १९७० के दशक में सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया, हालांकि इस दौर में आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही।

१९९१ का आर्थिक उदारीकरण भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। निजीकरण, वैश्वीकरण और बाजारोन्मुख नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आए। सेवा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों का तीव्र विकास हुआ, जिससे भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरा।

इक्कीसवीं सदी में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें विकास को नई दिशा प्रदान कर रही हैं। साथ ही शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान में हुई प्रगति ने भारत की वैश्विक छवि को सुदृढ़ किया है। यद्यपि गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं, फिर भी स्वतंत्रता के बाद से भारत की विकास यात्रा निरंतर प्रगति और संभावनाओं की कहानी रही है।

२. उभरते भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

औपनिवेशिक भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों द्वारा गहराई से प्रभावित थी। इस काल में भारत को कच्चे माल के स्रोत और तैयार माल के बाजार के रूप में विकसित किया गया, जिससे स्वदेशी कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों का व्यापक पतन हुआ। कृषि व्यवस्था को भी औपनिवेशिक हितों के अनुरूप ढाल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप किसान ऋण, कर और अकाल जैसी समस्याओं से जूझते रहे। शिक्षा, प्रशासन और सत्ता संरचना पर सीमित वर्गों का प्रभुत्व रहा, जिससे सामाजिक विषमता और गहराई।

१९४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत ने औपनिवेशिक शोषण से मुक्त होकर एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की। भारतीय संविधान के निर्माण ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता और सामाजिक न्याय को राष्ट्र की बुनियादी अवधारणाओं के रूप में स्थापित किया। स्वतंत्र भारत ने नियोजित विकास मॉडल को अपनाते हुए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विकास, कृषि सुधार और आधारभूत संरचना के निर्माण पर बल दिया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारी उद्योगों और वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना से आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए गए। सामाजिक स्तर पर शिक्षा के विस्तार, जातिगत भेदभाव के उन्मूलन और कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रयास किए गए। यद्यपि प्रारंभिक वर्षों में विकास की गति धीमी रही, फिर भी स्वतंत्र भारत ने औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़ते हुए एक लोकतांत्रिक, समतामूलक और विकासोन्मुख राष्ट्र की नींव रखी।

२.१ १९९१ के आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव

१९९१ का आर्थिक उदारीकरण भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। विदेशी मुद्रा संकट और धीमी आर्थिक वृद्धि की पृष्ठभूमि में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया। लाइसेंस राज की समाप्ति, औद्योगिक नीतियों में सुधार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए द्वार खोलने से भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक प्रतिस्पर्धी और बाजारोन्मुख बनी।

उदारीकरण के बाद सेवा क्षेत्र, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, दूरसंचार और शिक्षा में तीव्र विकास हुआ। निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी से उत्पादन क्षमता बढ़ी और रोजगार के नए अवसर सृजित हुए। उपभोक्ता संस्कृति का विस्तार हुआ तथा जीवन-शैली में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिले। भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा।

हालाँकि आर्थिक उदारीकरण ने विकास को गति दी, परंतु इसके साथ कई चुनौतियाँ भी सामने आईं। आर्थिक असमानता में वृद्धि, कृषि संकट और असंगठित क्षेत्र की समस्याएँ गहराती गईं। सामाजिक स्तर पर बाजारवाद का प्रभाव बढ़ा, जिससे मूल्यबोध और सांस्कृतिक संरचना में भी परिवर्तन हुए। इसके बावजूद, १९९१ का उदारीकरण भारत को बंद अर्थव्यवस्था से निकालकर वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम रहा, जिसने उभरते भारत की नींव को सुदृढ़ किया।

२.२ वैश्वीकरण और भारत की बदलती भूमिका

रवैश्वीकरण ने भारत की भूमिका को केवल एक विकासशील राष्ट्र से आगे बढ़ाकर एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। आर्थिक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी से भारत की अर्थव्यवस्था अधिक खुली और गतिशील बनी है। तकनीकी हस्तांतरण और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था ने उत्पादन, संचार और सेवाओं के स्वरूप को बदल दिया है।

राजनीतिक दृष्टि से भारत की कूटनीतिक भूमिका में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र, जी-२०, ब्रिक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय उपस्थिति उसकी वैश्विक जिम्मेदारियों और प्रभाव को दर्शाती है। रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ उसे रणनीतिक रूप से सशक्त बनाती हैं।

सांस्कृतिक स्तर पर वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। योग, आयुर्वेद, भारतीय सिनेमा, साहित्य और कला विश्वभर में लोकप्रिय हुए हैं। साथ ही वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक मिश्रण और उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों को भी बढ़ावा दिया है, जिससे सांस्कृतिक अस्मिता को लेकर नई चुनौतियाँ सामने आई हैं।

इस प्रकार वैश्वीकरण ने भारत को अवसरों और चुनौतियों दोनों से रू-बरू कराया है। भारत की बदलती भूमिका यह संकेत देती है कि यदि वैश्विक सहभागिता को राष्ट्रीय हितों और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ संतुलित किया जाए, तो भारत वैश्विक नेतृत्व की दिशा में और अधिक सशक्त रूप से अग्रसर हो सकता है।

३. आर्थिक परिदृश्य में उभरता भारत

३.१ कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास

भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार पारंपरिक रूप से कृषि रही है, जिसने स्वतंत्रता के बाद खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका को सुनिश्चित किया। हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, यद्यपि आज भी कृषि क्षेत्र संरचनात्मक

चुनौतियों से जूझ रहा है। उद्योग क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों, भारी उद्योगों और बाद में निजी निवेश के विस्तार ने औद्योगिक आधार को मजबूत किया। १९९१ के बाद सेवा क्षेत्र विशेषकर आईटी, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन ने तीव्र विकास किया और सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख योगदानकर्ता बना। इन तीनों क्षेत्रों का सम्मिलित विकास भारतीय अर्थव्यवस्था को संतुलन और स्थायित्व प्रदान करता है।

३.२ स्टार्ट-अप संस्कृति और डिजिटल अर्थव्यवस्था

इक्कीसवीं सदी में भारत में स्टार्ट-अप संस्कृति का तीव्र विकास हुआ है। युवा उद्यमिता, नवाचार और तकनीक-आधारित समाधान भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स, फिनटेक और एडटेक जैसे क्षेत्रों ने आर्थिक गतिविधियों को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाया है। 'डिजिटल इंडिया' पहल के अंतर्गत इंटरनेट विस्तार, मोबाइल तकनीक और ई-गवर्नेंस ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त किया है। इससे रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन और आर्थिक दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

३.३ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत

'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी नीतियाँ भारत की औद्योगिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल हैं। इनका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, आयात पर निर्भरता कम करना और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाना है। रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में इन नीतियों के सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। यह प्रयास भारत को उत्पादन और नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में अग्रसर करते हैं।

३.४ भारत एक उभरती वैश्विक आर्थिक शक्ति

आज भारत विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। विशाल जनसंख्या, युवा कार्यबल, तकनीकी क्षमता और व्यापक उपभोक्ता बाजार भारत की आर्थिक शक्ति के प्रमुख आधार हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश और वैश्विक मंचों पर सक्रिय भागीदारी ने भारत की आर्थिक भूमिका को सुदृढ़ किया है। यद्यपि असमानता और बेरोजगारी जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, फिर भी भारत का आर्थिक परिदृश्य उसे एक उभरती वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करता है।

४. सामाजिक संरचना और परिवर्तन

४.१ शिक्षा और साक्षरता में वृद्धि

स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिलने तथा सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी पहलों ने शिक्षा के प्रसार को व्यापक बनाया है। साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि के साथ उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और शोध संस्थानों का भी विस्तार हुआ है। डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन माध्यमों ने शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया है। शिक्षा ने सामाजिक गतिशीलता, लोकतांत्रिक चेतना और नागरिक सहभागिता को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

४.२ मध्यवर्ग का विस्तार

आर्थिक विकास और शहरीकरण के परिणामस्वरूप भारत में मध्यवर्ग का तीव्र विस्तार हुआ है। यह वर्ग शिक्षा, उपभोग, तकनीक और सेवाक्षेत्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। मध्यवर्ग न केवल आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख उपभोक्ता है, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन का भी संवाहक है। जीवन-शैली, पारिवारिक संरचना और मूल्यबोध में आए बदलावों में मध्यवर्ग की भूमिका निर्णायक रही है। हालांकि यह वर्ग अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम है, फिर भी आर्थिक असुरक्षा और रोजगार की अनिश्चितता जैसी समस्याएँ इसके समक्ष बनी हुई हैं।

४.३ स्त्री सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय

स्त्री सशक्तिकरण उभरते भारत की सामाजिक संरचना का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है। शिक्षा, रोजगार, राजनीति और कानून के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिला आरक्षण, स्वयं सहायता समूह, और लैंगिक समानता से सम्बंधित कानूनों ने स्त्रियों को सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान किया है। साथ ही, सामाजिक न्याय की अवधारणा के अंतर्गत समान अधिकार, अवसर और गरिमा सुनिश्चित करने के प्रयास हुए हैं। यद्यपि लैंगिक असमानता और हिंसा जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, फिर भी स्त्री चेतना में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है।

४.४ दलित, आदिवासी और हाशिए के वर्गों की स्थिति

दलित, आदिवासी और अन्य हाशिए के वर्ग भारतीय सामाजिक संरचना के महत्त्वपूर्ण घटक हैं। संवैधानिक प्रावधानों, आरक्षण नीति और कल्याणकारी योजनाओं ने इनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान में भूमिका निभाई है। शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से इन वर्गों में चेतना और आत्मसम्मान का विकास हुआ है। इसके बावजूद सामाजिक भेदभाव, आर्थिक शोषण और विस्थापन जैसी समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं। उभरते भारत की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब विकास की प्रक्रिया में इन वर्गों की समान और सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

५. राजनीतिक चेतना और लोकतांत्रिक सुदृढ़ता

५.१ लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुदृढ़ता का आधार उसकी संस्थागत संरचना है। संविधान, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं ने लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान किया है। संसद नीति-निर्माण और जनप्रतिनिधित्व का प्रमुख मंच है, जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित चुनावों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाया है। इन संस्थाओं की सक्रियता और संवैधानिक मर्यादाएँ भारत को एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में स्थापित करती हैं।

५.२ जनभागीदारी और राजनीतिक जागरूकता

उभरते भारत में जनभागीदारी और राजनीतिक जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मतदाता भागीदारी, जन आंदोलनों, नागरिक संगठनों और सामाजिक मीडिया के माध्यम से आम नागरिक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सूचना का अधिकार, मीडिया विस्तार और डिजिटल

मंचों ने राजनीतिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया है। इससे जनता की लोकतांत्रिक चेतना सशक्त हुई है, हालांकि राजनीतिक ध्रुवीकरण और सूचना के दुरुपयोग जैसी चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आई हैं।

५.३ पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन

पंचायती राज व्यवस्था भारत में लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने का सशक्त माध्यम है। ७३वें और ७४वें संविधान संशोधनों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता मिली। ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम जैसे संस्थानों ने विकास, प्रशासन और जनसहभागिता को सुदृढ़ किया है। महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए आरक्षण ने स्थानीय राजनीति में समावेशिता को बढ़ाया है। यद्यपि संसाधनों और प्रशासनिक क्षमता की सीमाएँ बनी हुई हैं, फिर भी पंचायती राज लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है।

५.४ भारत की वैश्विक कूटनीतिक उपस्थिति

वैश्विक स्तर पर भारत की कूटनीतिक भूमिका निरंतर सशक्त हुई है। संयुक्त राष्ट्र, जी-२०, ब्रिक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी उसकी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को दर्शाती है। शांति अभियानों, जलवायु परिवर्तन, विकास सहयोग और रणनीतिक साझेदारियों में भारत की भूमिका बढ़ी है। यह कूटनीतिक सक्रियता भारत को एक जिम्मेदार और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करती है।

६. सांस्कृतिक पुनर्जागरण और भारतीय पहचान

६.१ परंपरा और आधुनिकता का समन्वय

उभरते भारत की सांस्कृतिक पहचान परंपरा और आधुनिकता के समन्वय से निर्मित होती है। एक ओर योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन और पारंपरिक पर्वों का पुनर्जागरण दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक जीवन-शैली, तकनीक और वैश्विक प्रभाव भी स्पष्ट हैं। उदाहरणस्वरूप, योग को २०१५ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिली, जिसे आज १६० से अधिक देशों में मनाया जाता है। इसी प्रकार, आधुनिक शिक्षा और तकनीकी प्रगति के बावजूद विवाह, परिवार और सामाजिक संस्कारों में भारतीय परंपराओं की निरंतरता बनी हुई है। यह समन्वय भारतीय संस्कृति को न तो पूर्णतः पारंपरिक रहने देता है और न ही पूर्णतः पश्चिमी, बल्कि एक विशिष्ट आधुनिक भारतीय पहचान गढ़ता है।

६.२ भाषा, साहित्य और मीडिया की भूमिका

भाषा और साहित्य सांस्कृतिक चेतना के संवाहक हैं। हिंदी सहित भारतीय भाषाओं का साहित्य सामाजिक यथार्थ, अस्मिता और जनसंघर्षों को अभिव्यक्ति देता है। समकालीन हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श इसका उदाहरण हैं। मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस सांस्कृतिक संवाद को व्यापक बनाया है। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या ८० करोड़ से अधिक है, जिनमें बड़ी संख्या भारतीय भाषाओं के कंटेंट से जुड़ी है। वेब पोर्टल, ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ने भाषा और संस्कृति को नए माध्यम प्रदान किए हैं, जिससे जनसांस्कृतिक चेतना का विस्तार हुआ है।

६.३ भारतीय संस्कृति का वैश्वीकरण

वैश्वीकरण के दौर में भारतीय संस्कृति ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय पहचान बनाई है। भारतीय सिनेमा, विशेषकर बॉलीवुड, विश्व के १०० से अधिक देशों में देखा जाता है। भारतीय प्रवासी समुदाय, जिसकी संख्या लगभग ३ करोड़ मानी जाती है, भारतीय भोजन, संगीत, त्योहारों और जीवन-दर्शन को वैश्विक मंच पर ले गया है। योग, ध्यान, भारतीय नृत्य और संगीत को वैश्विक स्वीकृति मिली है। इससे भारतीय संस्कृति एक सॉफ्ट पावर के रूप में उभरी है, जिसने भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को सशक्त किया है।

६.४ लोकसंस्कृति और जनसांस्कृतिक चेतना

लोकसंस्कृति भारतीय समाज की जड़ों से जुड़ी हुई है। लोकगीत, लोकनाट्य, मेले, त्योहार और जनपरंपराएँ आज भी ग्रामीण और शहरी जीवन में सक्रिय हैं। छठ पर्व, गवरी नृत्य, पंडवानी, बिरहा और आल्हा जैसे लोकरूप जनसंस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। मीडिया और पर्यटन के माध्यम से लोकसंस्कृति को नया मंच मिला है। इससे जनसांस्कृतिक चेतना का विस्तार हुआ है और सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान की भावना विकसित हुई है। उभरते भारत में लोक और आधुनिक संस्कृति का यह संवाद भारतीय पहचान को अधिक व्यापक और समावेशी बनाता है।

७. विज्ञान, तकनीक और डिजिटल भारत

७.१ सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल क्रांति

सूचना प्रौद्योगिकी ने भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। आईटी और सॉफ्टवेयर सेवा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। भारत आज विश्व के प्रमुख आईटी सेवा प्रदाताओं में शामिल है और यह क्षेत्र करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। इंटरनेट और मोबाइल तकनीक के विस्तार ने डिजिटल क्रांति को गति दी है। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या ८० करोड़ से अधिक मानी जाती है। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन शिक्षा ने दैनिक जीवन को अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बनाया है। यह डिजिटल क्रांति 'उभरते भारत' की तकनीकी पहचान को सुदृढ़ करती है।

७.२ अंतरिक्ष, रक्षा और वैज्ञानिक उपलब्धियाँ

विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान-१, चंद्रयान-३ और मंगलयान जैसे मिशनों के माध्यम से भारत को अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित किया है। कम लागत में सफल अंतरिक्ष अभियानों ने भारत की वैज्ञानिक क्षमता को सिद्ध किया है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक, मिसाइल कार्यक्रम (अग्नि, पृथ्वी), और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है। जैव-प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा और चिकित्सा विज्ञान में भी भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित की हैं।

७.३ डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस

'डिजिटल इंडिया' पहल ने शासन और नागरिकों के बीच की दूरी को कम किया है। आधार, डिजिलॉकर, उमंग ऐप, ऑनलाइन प्रमाण-पत्र, और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) जैसे कार्यक्रमों ने प्रशासनिक पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाया है। करोड़ों नागरिक आज डिजिटल माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। ई-गवर्नेंस ने भ्रष्टाचार में कमी, समय की बचत और

सेवाओं की पहुँच को सुदृढ़ किया है। यह पहल डिजिटल समावेशन की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

७.४ तकनीक और सामाजिक परिवर्तन

तकनीक ने भारतीय समाज में व्यापक सामाजिक परिवर्तन को जन्म दिया है। शिक्षा में ऑनलाइन कक्षाएँ, स्वास्थ्य में टेलीमेडिसिन, और सामाजिक मीडिया के माध्यम से जन-जागरूकता इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल साक्षरता बढ़ी है, जिससे सूचना और अवसरों तक पहुँच संभव हुई है। साथ ही, तकनीक ने स्त्री सशक्तिकरण, सामाजिक आंदोलनों और जनभागीदारी को नया मंच दिया है। यद्यपि डिजिटल विभाजन जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, फिर भी तकनीक सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है।

८. चुनौतियाँ और विरोधाभास

८.१ गरीबी, बेरोजगारी और असमानता

उभरती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। विश्व बैंक और नीति आयोग के आकलनों के अनुसार, करोड़ों लोग आज भी बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं। शहरी क्षेत्रों में असंगठित श्रमिक और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर निर्भर जनसंख्या आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रही है। युवाओं में शिक्षित बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरी है। दूसरी ओर, आय और संपत्ति का संकेंद्रण सीमित वर्गों तक सिमटता जा रहा है, जिससे सामाजिक असंतुलन और असमान अवसरों की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह विरोधाभास उभरते भारत की आर्थिक प्रगति पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

८.२ पर्यावरणीय संकट

तेज औद्योगीकरण, शहरीकरण और उपभोक्तावाद के परिणामस्वरूप भारत गंभीर पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है। वायु प्रदूषण के मामले में कई भारतीय शहर विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं। जल संकट, भूजल स्तर में गिरावट और वनों का क्षरण भी चिंताजनक है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य और जीवन-स्तर पर स्पष्ट दिखाई देता है। उदाहरणस्वरूप, अनियमित मानसून और बढ़ती गर्मी ने किसानों की आजीविका को अस्थिर किया है। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है।

८.३ सामाजिक-धार्मिक तनाव

भारत की सांस्कृतिक विविधता उसकी शक्ति है, किंतु यही विविधता कभी-कभी सामाजिक और धार्मिक तनावों का कारण भी बन जाती है। जाति, धर्म और पहचान की राजनीति ने समाज में ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न की है। समय-समय पर होने वाली सांप्रदायिक घटनाएँ सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहों और नफरत भरे विमर्श का प्रसार भी तनाव को बढ़ाता है। यह स्थिति लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक एकता के लिए चुनौती प्रस्तुत करती है।

८.४ विकास बनाम समावेशन की समस्या

उभरते भारत का सबसे बड़ा विरोधाभास 'विकास बनाम समावेशन' की समस्या है। आर्थिक विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पा रहे हैं। बड़े औद्योगिक और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के कारण विस्थापन, विशेषकर आदिवासी और ग्रामीण समुदायों में, एक गंभीर समस्या बनी हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में क्षेत्रीय और वर्गीय असमानता स्पष्ट है।

९. उभरता भारत और साहित्यिक दृष्टि

९.१ समकालीन हिंदी साहित्य में उभरता भारत

समकालीन हिंदी साहित्य उभरते भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जटिलताओं का संवेदनशील दस्तावेज है। उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद बदली हुई जीवन-शैली, शहरीकरण, उपभोक्तावाद और असमानता को अनेक रचनाकारों ने अपनी कृतियों में अभिव्यक्त किया है। उदय प्रकाश की कहानियाँ, मोहनदास, पीली छतरी वाली लड़की, नवउदारवादी व्यवस्था में आम आदमी के शोषण और असुरक्षा को उजागर करती हैं। अखिलेश के उपन्यास चिट्ठी का सिरा और कैद बदलते सामाजिक सम्बंधों और मध्यवर्गीय मानसिकता को रेखांकित करते हैं। इसी प्रकार अलका सरावगी का उपन्यास कलिकथा- वाया बाइपास आर्थिक परिवर्तन और पहचान-संकट की कथा कहता है। ये कृतियाँ उभरते भारत के भीतर छिपे अंतर्विरोधों को स्पष्ट करती हैं।

९.२ कविता, कथा और आलोचना में राष्ट्र-बोध

समकालीन हिंदी कविता में राष्ट्र-बोध भावनात्मक राष्ट्रवाद से अलग एक आलोचनात्मक और मानवीय दृष्टि के साथ उपस्थित है। केदारनाथ सिंह की कविताएँ (यहाँ से देखो) और आलोकधन्वा की कविता (गोली दागो पोस्टर) जनसामान्य की दृष्टि से राष्ट्र को देखने का आग्रह करती हैं। धूमिल की कविताएँ- 'संसद से सड़क तक' लोकतंत्र की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करती हैं। कथासाहित्य में फणीश्वरनाथ 'रेणु' की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संजीव और असगर वजाहत ने ग्रामीण भारत, विस्थापन और विकास की कीमत को उभारा है। आलोचना के क्षेत्र में नामवर सिंह और बाद में दलित व स्त्री आलोचना ने राष्ट्र-बोध को समावेशी और बहुलतावादी दृष्टि से पुनर्परिभाषित किया।

९.३ जनमानस और साहित्यिक अभिव्यक्ति

उभरते भारत में जनमानस के बदलते अनुभवों की अभिव्यक्ति साहित्य में व्यापक रूप से दिखाई देती है। दलित साहित्य में ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन और तुलसीराम की मुर्दहिया सामाजिक असमानता और संघर्ष की सशक्त अभिव्यक्ति हैं। स्त्री लेखन में मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा (चाक, अल्मा कबूतरी) और अनामिका ने स्त्री चेतना और सामाजिक परिवर्तन को स्वर दिया है। आदिवासी लेखन में महाश्वेता देवी (हिंदी में अनूदित) और समकालीन हिंदी लेखकों ने विकास बनाम विस्थापन की समस्या को उजागर किया है। डिजिटल माध्यमों और सोशल मीडिया ने जनमानस को साहित्य के और निकट ला दिया है, जिससे साहित्य उभरते भारत की जीवंत सामाजिक चेतना का प्रतिनिधि बन गया है।

१०. निष्कर्ष

उभरता भारत आज आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और वैश्विक मंच पर बढ़ती भूमिका के कारण नई संभावनाओं से भरा हुआ दिखाई देता है। डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप संस्कृति, शिक्षा और संचार के विस्तार ने भारतीय समाज को गतिशील बनाया है, परंतु इसके साथ-साथ गरीबी, असमानता, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक-सांस्कृतिक तनाव जैसी चुनौतियाँ भी

सामने हैं। इसलिए आवश्यक है कि विकास केवल आर्थिक आँकड़ों तक सीमित न रहकर सामाजिक न्याय, समावेशन और मानवीय मूल्यों से जुड़ा हो। साहित्य इस संदर्भ में संवेदनशील प्रहरी की भूमिका निभाता है वह सत्ता, समाज और जनमानस के बीच सेतु बनकर विसंगतियों को उजागर करता है और वैकल्पिक दृष्टि प्रदान करता है। भविष्य की दिशा तभी सकारात्मक होगी जब विकास और समावेशन के बीच संतुलन स्थापित करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों, पर्यावरणीय संरक्षण और मानवीय गरिमा को केंद्र में रखा जाएगाय यही उभरते भारत की सार्थक और टिकाऊ पहचान होगी।

संदर्भ-सूची

पुस्तकें

१. दिनकर, रामधारी सिंह. (१९९८). संस्कृति के चार अध्याय. राजकमल प्रकाशन।
२. द्विवेदी, हजारी प्रसाद. (२००६). हिंदी साहित्य की भूमिका. राजकमल प्रकाशन।
३. गुप्ता, रमणिका. (२०१४). आदिवासी विमर्श. वाणी प्रकाशन।
४. पांडेय, मदनमोहन. (२०१०). साहित्य और समाज. वाणी प्रकाशन।
५. सिंह, नामवर. (२००९). छायावाद. राजकमल प्रकाशन।
६. वाजपेयी, अशोक. (२०१२). सभ्यता का संकट. राजकमल प्रकाशन।
७. दुबे, एस. सी. (२००५). भारतीय समाज का स्वरूप. नेशनल बुक ट्रस्ट।

शोध-पत्रिकाएँ / पत्र-पत्रिकाएँ

८. गुप्ता, रमणिका (सम्पा.). (विभिन्न अंक). हंस. राजकमल प्रकाशन।
९. इंडियन लिटरेचर. (विभिन्न अंक). साहित्य अकादमी।
१०. सकालीन भारतीय साहित्य. (विभिन्न अंक). साहित्य अकादमी।
११. तद्भव. (विभिन्न अंक). तद्भव प्रकाशन।
१२. वागर्थ. (विभिन्न अंक). वागर्थ प्रकाशन।

सरकारी रिपोर्टें / संस्थागत प्रकाशन

१३. भारत सरकार. (२०२३). आर्थिक सर्वेक्षण २०२२-२३. वित्त मंत्रालय।
१४. भारत सरकार. (२०११). जनगणना भारत २०११. भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय।
१५. नीति आयोग. (२०२२). भारत विकास रिपोर्ट. भारत सरकार।
१६. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय. (२०२१). पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट. भारत सरकार।
१७. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम. (२०२२). मानव विकास रिपोर्ट. यूएनडीपी।

डिजिटल स्रोत

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आधिकारिक सांख्यिकी पोर्टल.
१८. https://www.mospi.gov.in
नीति आयोग., आधिकारिक वेबसाइट.
२०. https://www.niti.gov.in
भारत सरकार. (तिथि अनुपलब्ध). केंद्रीय बजट दस्तावेज.
२१. https://www.indiabudget.gov.in
साहित्य अकादमी. (तिथि अनुपलब्ध). आधिकारिक वेबसाइट.
२२. https://www.sahitya&akademi.gov.in
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र. (तिथि अनुपलब्ध). डिजिटल अभिलेख.
२३. https://www.ignca.gov.in

अपराध, संगठित अपराध और सुरक्षा बलों की भूमिका

डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता

असिस्टेन्ट प्रोफेसर
रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन
दयानन्द वैदिक कालेज, उरई, जालौन,
(उ.प्र.) -२८५००१
Mail Id : drdkguptadefencedvc@gmail.com
Mob. 7007070949

मानव आदतन सिर्फ सामाजिक ही नहीं अपितु राजनैतिक, रणनीतिक, आक्रामक, आरामपसंद एवं अतिमहत्त्वाकांक्षा से युक्त प्राणी होता है। जिस समाज में वह जन्मता, पलता एवं बढ़ता है उस समाज के परिवेश, परवरिश, संस्कार, सरोकार, संस्कृति एवं मान्यताओं से प्रभावित होते हुए स्वहित एवं स्वार्थ में कुछ गुनता, बुनता एवं गढ़ता है। इस व्यवहार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के क्रम में जोड़-तोड़ कर मनोवांछित परिणाम हेतु प्रयास करता है। विभिन्न प्रयासों में जब किसी भी तरह की बाधा आ जाती है तो नकारात्मक निवारण उपागम को अपनाते हुए सम्बंधित अपराध की ओर बढ़ चुका होता है। इस तरह मानव, सरोकार और समाज से प्रभावित होते हुए द्वन्द्वात्मक स्थिति में पहुँचता है। फलतः यही भटकाव एवं टकराव की स्थिति बाधाओं एवं मान्यताओं को तोड़ते हुए अपराध हेतु प्रेरक बन जाती है। सरोकार यदि मान्यताओं, शोषण, उत्पीड़न से मुक्त है तो अपराध नहीं जन्मता और यदि युक्त है तो अपराध होना सुनिश्चित हो जाता है। आमतौर पर अपराध मानव समाज का हिस्सा बन चुका है। जो मानव सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरनाक चुनौती के रूप में नित नये स्वरूप में राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय मूलभूत मानवीय गरिमा एवं मर्यादा को क्षतिग्रस्त कर रहा है।

विधिक रूप से अपराध एक ऐसा व्यवहार या कृत्य है जो विधि संहिता का उल्लंघन करता हो। हाल जेरोम ने कहा है कि अपराध वह है जिसमें कानून द्वारा निषिद्ध और जान बूझकर किया गया कार्य जिसके लिये कानून में दण्ड का प्रावधान हैं।

काल्डवेल के अनुसार; ऐसा कृत्य या कृत्य में विफलता जो प्रचलित स्तर के अनुसार समाज की भलाई में अहितकर हो, जिसके लिये दण्ड का कार्य किसी निजी प्रेरणा पर थोपा नही जा सकता बल्कि प्रमाणित विधियों द्वारा सांठित समाज को दिया जाता है।

पाल टेप्पेन के अनुसार; 'इरादतन किया गया कार्य या अपराधी कानून का उल्लंघन या अवहेलना जो कि बिना किसी औचित्य या बचाव के किया गया और राज्य द्वारा गम्भीर अपराध या साधारण अपराध के रूप में दंड के लिये अनुमन्य हो'।

इस तरह अपराध विशेषज्ञों ने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से अपराध को परिभाषित करने का प्रयास किया हैं। सामान्य तौर पर अपराध हेतु निम्न संलक्षणों का होना जरूरी है-

(१) कृत्य या व्यवहार ऐच्छिक होना चाहिए।
(२) कृत्य या व्यवहार इरादतन होना चाहिए।
(३) कृत्य या व्यवहार द्वारा अपराधी कानून का उल्लंघन होना चाहिए जो गैर अपराधी कानून दीवानी या प्रशासनिक से इतर होना चाहिए।
(४) कृत्य या व्यवहार बिना औचित्य या बचाव के होना चाहिए।
(५) कृत्य या व्यवहार राज्य द्वारा गम्भीर अपराध अथवा साधारण अपराध के रूप में संस्तुत होना चाहिए।
(६) कृत्य या व्यवहार यथार्थ में किया गया हो या इससे किसी वैधानिक कर्तव्य की अवहेलना हो।

जिस तरह से अपराध वैज्ञानियों ने अपराध को विभिन्न आधारों के आधार पर परिभाषित किया उसी तरह अपराध के प्रकारों का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोणों से किया गया है-

(१) संज्ञेय
(२) असंज्ञेय
(३) गंभीरता
(४) नृशंसता
(५) जघन्य
(६) साधारण

क्लिनार्ड और किवन्ने ने अपनी पुस्तक 'क्रिमिनल बिहैवियर सिस्टम : ए टाइपोलाजी' में छः प्रकार के अपराधों को वर्णित किया गया है-

(१) हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध
(२) सम्पत्ति सम्बंधी आकस्मिक अपराध
(३) व्यावसायिक अपराध
(४) राजनीतिक अपराध
(५) सार्वजनिक व्यवस्था सम्बंधी अपराध
(६) परम्परागत अपराध

अद्यतन सफेदपोश अपराध व्यापक रूप से सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा समस्यायों को जन्म दे रहा है जो पेशेवर अपराध या आजीविका के मुख्य साधन के रूप में दो या दो से अधिक लोगों के सम्मिलित होने से बतौर संगठित अपराध विस्फोटक स्थिति को उत्पन्न कर आन्तरिक, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय फलक के मानव के हरेक तबके को प्रभावित कर रहा है।

अपराध क्यों होते हैं? अपराध विज्ञान विशेषज्ञों ने अपराध कारित होने का कोई एक कारण नहीं माना अपितु विभिन्न कारणों को अपराध का जनक माना।

अपराध विज्ञान के सिद्धान्त भिन्न-भिन्न विशेषज्ञों ने प्रस्तुत किया जिसमें हर व्याख्या परस्पर भिन्न हैं। निश्चित तौर पर समस्त व्याख्याएं 'समग्र अपराध' के कारण को समझने में सम्पूर्ण संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। मानव की उभरती अति महत्त्वाकांक्षाएं कम समय में जब कुछ हासिल करने की उभरती प्रवृत्ति एवं विज्ञान एवं तकनीकी के नित उन्नत होते संस्करण एवं व्यवहारिक सहज उपलब्धता, सस्ता एवं ग्राह्यता ने अपराध की उत्पत्ति, प्रवृत्ति, आवृत्ति एवं वृत्ति को गतिशील वक्त के आलोक में समझ एवं साम्यता हेतु विवश कर चुका है।

अपराध के कारणों की संक्षिप्त सैद्धान्तिक व्याख्याएं

क्र.सं.	अपराध के मुख्य कारण	सैद्धान्तिक व्याख्या	प्रणेता/वर्ष
१.	(क) सुखवाद सिद्धान्त	क्लासिकल सिद्धान्त	बैकेरिया/१७६४
	(ख) व्यक्ति की तार्किक प्रेरणा		
२.	(क) शारीरिक विकृतियां	जैविकीय सिद्धान्त	लोम्ब्रोसो/१८७६
	(ख) विकृत शारीरिक रचना कारक		चार्ल्स गोरिंग/१९१९
	(ग) जैविकीय हीनता		छूटून/१९३९
	(घ) मध्यकायी शरीर व्यक्तित्व		शैल्डन/१९४०
३.	(क) अनुवांशिक मन्दबुद्धि	मनोजैविकीय सिद्धान्त	गोडार्ड/१९१९
	(ख) संवेगात्मक व्याकुलता		विलियम हीले/१९१९
	(ग) जन्मजात प्रवृत्तियां		एडलर/१९३०
	(घ) हीनता ग्रन्थि		अब्राह्म/१९५२ आदि
४.	आर्थिक दशाएं	आर्थिक सिद्धान्त	फोर्नासारी/१८९४
			बोंगर/१९०४ आदि
५.	भौगोलिक कारक	भौगोलिक सिद्धान्त	डैक्स्टर/१९०४
६.	मनोवैज्ञानिक, जैविक, आर्थिक एवं सामाजिक कारकों के मिले करणों से उत्पन्न अपराध	बहुकारक सिद्धान्त	सिरिलबर्ट/१९१५
७.			
(A)	सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित विघटित पड़ोस	अपराध क्षेत्र का सिद्धान्त	क्लिफोर्डषा/१९२९
(B)	सामाजिक संरचना अपराध को जन्म देती है।	संरचनात्मक सिद्धान्त	
(C)	अपराधिक प्रतिमानों से सम्पर्क और सामाजिक प्रभाव	विभिन्न सम्पर्क सिद्धान्त	सदर लैंड/१९३९
(D)	उद्देश्यों एवं साधनों के मध्य विनियोजित के कारण उत्पन्न तनाव	व्याधिकीय सिद्धान्त	मर्टन/१९३८
(E)	सफलता उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये वैध और अवैध साधनों की विभिन्नता	विभिन्न अवसर सिद्धान्त	क्लोवार्ड/१९६०
(F)	प्रचलित मूल्यों की अस्वीकृति एवं अपराधी मूल्यों का विकास सिद्धान्त	उपसंस्कृति	कोहेन/१९५५
(G)	अपराधी उत्तरदायित्व, चोट व क्षतिग्रस्त व्यक्ति को अस्वीकार करता है और इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण की शक्तियों को कम करता है।	तटस्थीकरण प्रविधि सिद्धान्त	माटजा/१९७०
(H)	दूसरों द्वारा अपराधी पर कानून और मान्यताओं को लागू करना	लेबलिंग सिद्धान्त	हावर्ड बेकर/१९६३
(I)	प्रतिकूल स्वधारणा और बलवती आन्तरिक और वाह्य नियंत्रक की कमी	प्रतिरोध सिद्धान्त	वाल्टर रैकलेस/१९६७
(J)	ताकतवर द्वारा कमजोरों का शोषण	नव विचलन सिद्धान्त	रिचर्ड क्विन्ने/१९७२
(K)	व्यवहार के प्रतिमानों के मध्य संघर्ष	सांस्कृतिक संघर्ष सिद्धान्त	थोर्स्टन सेलिन/१९३८

दरअसल किसी भी ऐसे कृत्य या व्यवहार को अपराध की संज्ञा दिये जाने के लिये कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता। अपराध सिद्धान्त के तहत तमाम कारण समेकित होकर अपराध को जन्मते, बुनते एवं गढ़ते हैं।

अपराध के सैद्धान्तिक उपागम से उपजे तत्व एवं विभिन्न कारक/परिस्थितियां अपराधिक व्यवहार हेतु महत्त्वपूर्ण हैं। व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों के तहत कुठाएं, इच्छा पूर्ति में रुकावटें, व्यक्तित्व संघर्ष, दृष्टिकोण, विश्वास तंत्र, मूल्य, मानसिक हीनता, मनोविकृत व्यक्तित्व, टूटा परिवार, दोष पूर्ण अनुशासन, मित्र समूह, पड़ोस, चलचित्र इत्यादि आपराधिक व्यवहार को बढ़ावा देते हैं।

यद्यपि आपराधिक कृत्य हेतु स्थिति और व्यक्ति दोनों की भूमिका अतिमहत्त्वपूर्ण होती। अपराध के लिए ज़िम्मेदार तत्वों पर वाल्टर रैकलेस (१९५५) का

यह सूत्र भी आपराधिक व्यवहार की व्याख्या करता है-

$$\text{अपराध (C)} = \frac{\text{स्थिति (S)}}{\text{व्यक्ति (I)}}$$

जिसमें 'स्थिति' (S) पर्यावरणीय दबाव एवं सामाजिक व्यवस्था में कमियों को इंगित करता है और 'व्यक्ति' (I) से आषय ऐसी अर्जित एवं आनुवंशिक क्षमता से है जो विभिन्न दबाव, प्रभाव एवं वैयक्तिक हमले का सामना कर सके।

इसी तरह १९४६ में डेविड़ अब्राह्मसेन भी अपराध के सम्बंध में एक सूत्र का प्रतिपादन किया हैं-

$$\text{अपराध (C)} = \frac{\text{प्रवृत्तिया (T)} + \text{स्थिति (S)}}{\text{प्रतिरोध (R)}}$$

$$\text{Crime} = \frac{\text{Tendencies} + \text{Situation}}{\text{Resistance}}$$

इस सूत्र के अनुसार अपराध, व्यक्ति की प्रवृत्तियों एवं स्थितीय दबावों के विरुद्ध प्रतिरोध की योग्यता पर निर्भर करता है।

संगठित अपराध राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा हेतु एक गंभीर समस्या के रूप में दस्तक दे चुका है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न रूपों एवं विधियों में इसकी मौजूदगी है। पेशेवर रूप से संगठित अपराध को कारित किया जा रहा है। दरअसल दो या दो से अधिक लोगों के सम्मिलित होने पर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु किये जाने वाले अपराध का सामूहिक प्रयास ही संगठित अपराध है।

लिन्डस्मिथ (१९१४) के अनुसार, वह अपराध जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए कुछ व्यक्तियों या समूहों का सहयोग सम्मिलित हो'।

थोर्स्टन सेलिन (१९६३) के अनुसार संगठित अपराध, अवैध क्रियाओं के माध्यम से आर्थिक लाभ हेतु संगठित उद्यम है। विभिन्न तरह की तस्करी मसलन छोटे हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, सेंधमारी, वैश्यावृत्ति, लूट मार आदि कुछ ऐसे अपराध है जिसमें लाभ के मद्देनज़र सामूहिक कार्य जरूरी है। जिसका मकसद अधिकाधिक लाभ अर्जित करना होता है। यद्यपि संगठित अपराध में समाज का बड़ा तबका सम्मिलित नही होता परन्तु समाज का बड़ा तबका गंभीर रूप से प्रभावित होता है।

इसी तरह गार्डन हाकिन्स (१९७१) ने संगठित अपराध होने के लिये चार तत्वों का होना बताया है-

(१) अपराधियों द्वारा छोटे समूह का संघ बनाना जिससे विशेष प्रकार के अपराध को अंजाम दिया जा सके।
(२) ऐसी योजनाएं बनाना जिनसे अपराध का पता न लग सके।
(३) आपराधिक क्रियाओं को अंजाम देते हुए कोष का निर्माण।
(४) राजनैतिक सम्पर्क जिससे असुरक्षित होने की स्थिति में सुरक्षा प्राप्त हो सके।

यद्यपि अपराध एवं संगठित अपराध में मूलभूत भेद संगठित अपराध में निहित निम्नवत विशेषताएं करती हैं-

(१) सोपानिक संरचना
(२) संयुक्त कार्य
(३) योजना
(४) केन्द्रीय अधिकार
(५) सुरक्षित कोष
(६) श्रम विभाजन
(७) विशेषज्ञता
(८) हिंसा
(९) एकाधिकार
(१०) व्यवहार मानक
(११) सुरक्षात्मक उपाय

संगठित अपराध की संरचना

प्रत्येक संगठित अपराध प्रत्येक मोर्चे पर पूर्व नियोजित, भलीभांति अध्ययन, सतत अवलोकन, लक्ष्य की हरकतें एवं व्यवहार आदि की गहन जांच पड़ताल प्रक्रिया को अपनाते हुए शीर्ष अनुभवी अपराधी के नेतृत्व में किया जाता है। अपराध की विशेषज्ञता, अनुभव, अवधि के आधार पर संगठित अपराध को अंजाम देने के पूर्व पदानुक्रम आधारित संरचना के आधार पर अपराध दायित्वों का आवंटन सुनिश्चित किया जाता है। जिससे अपराधी के अनुभव के आधार पर स्थिति निर्धारित करते हुए संबंधित अपराध की ज़िम्मेदारी दे दी जाती है। संगठित अपराधियों के पदानुक्रम संरचना निम्न रेखाचित्र से समझा जा सकता है-

संगठित अपराधी पदानुक्रम संरचना

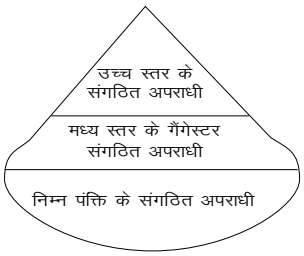

उक्त पिरामिड व्यवस्था के अनुसार शीर्ष नेतृत्वकर्ता अपराधी संगठित अपराध से सम्बंधित महत्त्वपूर्ण फैसले, प्रक्रिया, मानव संसाधन का विशेषज्ञता एवं अनुभव के आधार पर तैनाती एवं संगठन संचालन करते हैं। मध्य स्तर के अपराधी व गैंगस्टर उपनेतृत्व की भूमिका का संपादन सुनिश्चित करते हुए शीर्ष नेतृत्व की समस्त आज्ञा आदेश का पालन एवं निम्न स्तर के अपराधी का आवश्यकतानुसार नेतृत्व, निर्देश एवं अपराध की प्रकृति के आधार पर नियोजन सुनिश्चित करते हैं। यह सोपानिक संरचना संगठित अपराध मे सम्मिलित अपराध के व्यक्तिगत निष्ठा, आचारसंहिता, आज्ञाओं का पालन, अपराध का आयोजन अपराध, परिणाम आदि पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त उक्त संरचना संगठित अपराधियों निम्न श्रेणी के अपराधियों के जीवन को प्रभावित करती है। ऐसे अपराधी एक अपराधिक रिकार्ड के धारक के होते हुए अपराधी जीवन समाप्त करने की कभी नहीं सोचते। निम्नस्तर के ये अपराधी गिरोह के संरचना से भुगतान हासिल करते हैं या लाभ में से हिस्सा लेते हैं। ये हिस्ट्रीशीटर एवं गंभीर संज्ञेय अपराध के रिकार्ड से युक्त होते हैं।

समग्रतः यह सभी संगठित अपराधी समाज से अलग रहते हुए संगठित अपराध के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं एवं शक्ति, प्रतिष्ठा एवं भोगयुक्त जीवन शैली जीते हैं। संगठित अपराध के प्रति इनकी वृत्ति, प्रवृत्ति व आवृत्ति जीवन पर्यन्त अपराध कार्य से आबद्ध रखती है।

इस प्रकार संगठित अपराध में लिप्त व्यक्ति की स्थिति बदलती एवं अपराध को चुन कर एवं उसे बनाए रखना सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है।

संगठित अपराध के प्रकार

अध्ययन एवं समझ के दृष्टिकोण से संगठित अपराध तीन तरह के होते हैं-

संगठित अपराध के प्रकार
Typology of Organised crime

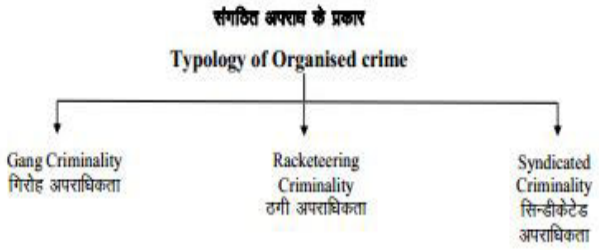

गिरोह एक प्रकार का अपराधियों से बना समूह है जो किसी क्षेत्र विशेष में संगठित होकर अविधिक कार्य करते है। गैंगस्टर एक्ट, १९८६ के अनुसार एक या एक से अधिक लोगों का समूह जो अपराध के जरिये अनुचित लाभ कमाता है, उसे गैंगस्टर कहा जाता है। गैंगस्टर; लुटेरा, बादमाश, डाकू, गुण्डा, दहशतगर्द, आतातायी, आतंकी आदि नामों से भी संज्ञान लिया जाता है। इस प्रकार के अपराध में अपहरण, चोरी, सशस्त्र डकैटी, हत्या, गंभीर हिंसा, जासूसी, जुआं घर का संचालन, देह व्यापार का संचालन, ड्रग/मादक पदार्थों की खरीद/आपूर्ति इत्यादि अपराध बड़े पैमाने पर किये जाते हैं।

रैकेटियरिंग क्रिमिनलिटी एक प्रकार का संगठित अपराध है जिसमें धमकियों या शक्ति द्वारा वैध व अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों या संगठनों से व्यवस्थित रूप से जबरदस्ती, धोखाधड़ी, आपरेशन या एक रैकेट स्थापित कर स्वयं लाभ लेने के साथ-साथ सम्बंधित लोगों को लाभपरक व्यवसाय को जारी रखने की अनुमति दी जाती है। काल्डवेल (१९७८) के अनुसार रैकेटियरिंग दो तरह के होते हैं-

(१) बुद्धिमान (The Brain)
(२) बाहुबली (The Muscles)

दिमागदार समूह अपराध की योजना, विचारण, आज्ञा, नये व्यापार का नियोजन, अपराध संरक्षण एवं अपराध नेतृत्व आदि का कार्य करते हैं जबकि बाहुबली समूह अपराध का ज़मीनी क्रियान्वयन, मारपीट, लूट, नष्टीकरण, हत्या एवं अन्य कठोर कार्य का निष्पादन करते हैं। एक अन्य शोध फिटजिगेराल्ड (१९५१) के अनुसार, जरूरत पड़ने पर बुद्धिमान समूह, बाहुबली समूह का भी कार्य करते हैं जिसमें नेतृत्व संरक्षण एवं पोषण, स्वसत्ता बनाए रखने, ख्याति बनाए रखने आदि के साथ-साथ आवश्यकतानुसार नये-नये तरीकों की खोज एवं उपयोग सुनिश्चित कर सके।

सिंडिकेट क्रिमिनलिटी में सिंडीकेट शब्द अंग्रेजी भाषा का है जिसका आशय एक समूह या संघ है जो आमतौर पर किसी विशेष उद्योग, व्यवसाय या धंधे से संबंधित है।

संगठित अपराध सिंडीकेट जिसे माफिया भी कहा जाता है का आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के एक समूह या संघ से है जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से एक सिंडीकेट या गिरोह के रूप में चल रही अवैध गतिविधियों में संलग्न हैं।

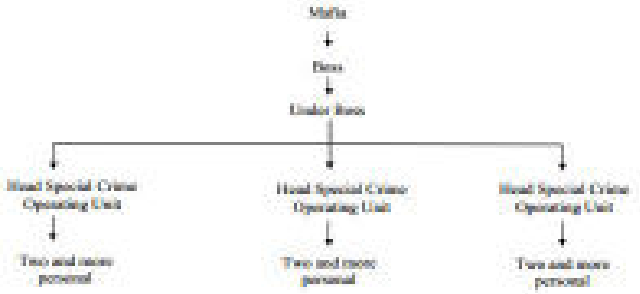

उक्त सिंडीकेट अपराध में ठवे अपराध का नेतृत्व, नियमन एवं निर्देशन करता है। Under boss अपराध सम्बन्धी सूचना ठवे को देता है और Operating Unit Head को आवश्यकतानुसार निर्देशित करता है। मध्यस्थ की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ कभी-कभी Operating Unit Head का भी कार्य करता है।

संगठित अपराध की आवश्यकता

मानव आदतन सिर्फ सामाजिक ही नही अपितु, राजनैतिक, रणनीतिक, आरामपसंद एवं अतिमहत्त्वाकांक्षी प्राणी होता है। जब वैध तरीके से महत्त्वाकांक्षा पूरी नही होती तो वही मानव अविधिक, अमानवीय एवं अवांछित तरीके से इच्छाओं की पूर्ति की जुगत में लग जाता है। नतीजन मानव ऐसा व्यवहार या कृत्य करता है जो अपराध की श्रेणी में शृंखलाबद्ध होकर विभिन्न प्रकार के अपराधों को जन्मता एवं गढ़ता है। यह अपराध संज्ञेय एवं असंज्ञेय, सरल एंव गम्भीर में वर्गीकृत होकर क्षेत्र स्तर पर स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप को धारण करता है। धीरे-धीरे आवश्यकता, आकांक्षा एवं लाभ आधारित अपराध-पेशेवर श्रेणी में आ जाता है, जहां सिर्फ लाभ, प्रतिष्ठा एवं अकूत धन प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ महत्त्वपूर्ण नहीं रह जाता है। संगठित अपराध अथाह ख्याति, प्रतिष्ठा एवं अकूत धन का स्रोत होते हुए अपराध को गढ़ने से लेकर एवं उसे बनाए रखने की स्थिति में संगठित अपराधियों के मन मस्तिष्क में समाज एवं कृत्य अपराध से समाज में पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से कुछ मतलब नही रह जाता है।

अद्यतन संगठित अपराध मानव, समाज, सम्बंधित राष्ट्र एवं अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। मानव तस्करी, ड्रग तस्करी, हथियार तस्करी, मनी लाड्रिंग, सुपारी, हवाला, हत्या, फिरौती, अपहरण, डकैटी आदि ऐसे संगठित अपराध हैं जो अकूत धन, ख्याति, प्रतिष्ठा एवं

अतिमहत्त्वाकांक्षा की पूर्ति एवं प्राप्ति हेतु महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। यह स्रोत संगठित अपराधियों की एक ऐसी जीवन शैली को तय करता है जहां आम आदमी, आधी आबादी एवं बने समाज की चिंता खत्म हो जाती है। मानव, मानवीयता, एवं मर्यादा महत्त्वहीन हो जाता है। संगठित अपराध किन्हीं भी परिस्थितियों में मूलभूत मानवीय गरिमा एवं मर्यादा के लिहाज़ से अनुचित, अमर्यादित एवं अविधिक है। स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर त्वरित, कड़े, सूचना साझाकरण तन्त्र आदि के द्वारा नेस्तनाबूद किया जाना चाहिये। संगठित अपराध में सूचना, संचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी व्यापक इस्तेमाल के चलते काउन्टर मेजर्स यानी प्रतिउत्तर उपायों का तकनीकी त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र का व्यवहारीकरण अति महत्त्वपूर्ण होना चाहिए।

भारत एवं विश्व में संगठित अपराध

जिस तरह से वैश्विक स्तर पर संगठित अपराध मानव सुरक्षा को नित नई चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, संगठित अपराध के मामले में भारत अछूता नहीं है। यक्षपि यह एक अन्तरराष्ट्रीय मुद्दा है। डकैटी, हत्या, जबरन वसूली, तस्करी, मानव तस्करी, ड्रग्स, अवैध सामान, हथियारों की तस्करी, जालसाजी, मनी लान्ड्रिंग, हवाला इत्यादि वैश्विक संगठित अपराध हैं। जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय अपराधों में वृद्धि, मानवाधिकार हनन, आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा एवं अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक अस्थिरता हेतु बड़ा गैर सैन्य खतरा बन गया है।

भारत में संगठित अपराध अविधिक गतिविधियों से बना एक तंत्र है जिसमें कई लोग मिलकर अपराध करते हैं। संगठित अपराधों की बड़ी कड़ी बन चुकी है। जिसमें डकैटी, हत्या, जबरन वसूली, अवैध वन्य जीवों की तस्करी, अवैध रेत खनन, अवैध कोयला खनन, अवैध सोने की तस्करी, मनी लान्ड्रिंग, हवाला कारोबार, जाली नोटों का वितरण, साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी और मानव तस्करी आदि सम्मिलित हैं। संगठित अपराध का कोई भी क्षेत्र या विस्तार इक्कीसवीं शताब्दी के विकासपरक, मानवतापरक एवं समरसतापरक युग में हिंसात्मक एवं अपराधपरक सिद्धान्त; मार्गदर्षक सिद्धान्त नही हो सकते और न ही कभी जायज ठहराया जा सकता।

संगठित अपराधी, पुलिस और प्रोद्योगिकी

नित नई प्रौद्योगिकी के विकास और उन्नतीकरण के चलते 'साइबर पुलिसिंग' की उपयोगिता दिनोदिन बढ़ती जा रही है। संगठित अपराधी, अपराध के परम्परागत तरीके के साथ-साथ मौजूदा प्रोद्योगिकी का उपयोग कर नये-नये विधा में अपराध को अंजाम दे रहे है। ऐसे में सक्षम व अग्रणी तकनीक से लैस होना सुरक्षा बलों की अपरिहार्यता है।

संगठित अपराधियों का अधिकतर कार्य अब अधिकतम तकनीक के उपयोग से हो रहा है। एक ही जगह पर रहकर अनेक सुदूर स्थानों में स्थित लक्ष्यों को न्यूनतम समय में अधिकतम प्रभाव क्षेत्र को हासिल किया जाता है। संगठित अपराधी आधुनिक तकनीको का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करते हैं। साइबर अपराध, धन शोधन, ऑनलाइन व्यापार, अपराध हेतु संचार एवं समन्वय, भर्ती और प्रशिक्षण इत्यादि में संगठित अपराधी प्रोद्योगिकी लाभ लेते हैं। जिसके फलस्वरूप संगठित अपराध करना आसान, जटिलताओं को समझना, अत्यधिक लाभ एवं अपराध क्षेत्र विस्तार में फायदा होता है। इस तरह संगठित अपराध में तकनीकी का उपयोग एक गंभीर समस्या है जो समाज, कानून प्रवर्तन एजेंसियों एवं राष्ट्रीय स्तर पर खतरे को जन्म देता है।

आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन से लेकर उसके सामाजिक एवं राष्ट्रीय सरोकारों के महत्ता के चलते संगठित अपराधी उच्चतम तकनीक का इस्तेमाल अपने प्रभाव क्षेत्र या क्षेत्र विस्तार हेतु आसानी से करने से सक्षम हो गये हैं। आतंक और तकनीक के मिश्रण से आतंकवाद वैश्वीकृत हो चुका है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर खतरा इसी संगठित अपराध का नतीजा है। हमला एवं धनशोधन जैसे सफेदपोश अपराध का संगठित अपराध मे तब्दील होना उन्नत तकनीक के समिश्रण से ही संभव हो रहा है।

ऐसे में सुरक्षा बलो, कानून प्रवर्तन एजेंसियों एवं अन्य सहायक/अर्द्धसामानान्तर बलों का 'तकनीकी श्रेष्ठता' हासिल करना अपरिहार्य हो जाता है। बिना साइबर दक्षता एवं तकनीकी श्रेष्ठता के अपराध के किसी भी प्रकार पर शिकंजा कसना व नेस्तनाबूद करना संभव नही हो सकता। हर असंभव को संभव करने में तकनीक का बेहतर उपयोग अनिवार्य है। सुरक्षा बलो, संगठित अपराध और प्रोद्योगिकी के आपसी चित्र एवं चरित्र को समझते हुए मनचाही बढ़त हासिल की जा सकती है।

सुरक्षा बलों की भूमिका

संगठित अपराध के रोकथाम हेतु सुरक्षा बलों की भूमिका अतिमहत्त्वपूर्ण हो जाती है। अपराधियों को पकड़ने, अपराधों की जाँच और संगठित अपराध के नेटवर्क को तोड़ने के लिये सुरक्षा बल एवं अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सम्मिलित प्रयास से अपराध को नेस्तनाबूत किया जाता है। ये प्रयास निम्नवत हो सकते है-

(१) संगठित अपराध के नेटवर्क ध्वस्त करने से सम्बंधित किसी भी मुहिम में विभिन्न बलों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए तकनीकी और गैर तकनीकी उपागमों का उपयोग किया जाना चाहिए।

(२) अपराधों की पहचान, जाँच एवं विश्लेषण के किसी भी स्तर का आधार अत्यधिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मजबूत साक्ष्यों को एकत्र करना चाहिए।

(३) सुरक्षा बलों द्वारा मातृसंगठन के अधीन नियमों/विधियों एवं प्रवर्तन निकाय के अधीन विधियों के आलोक में कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई करना चाहिए।

(४) सुरक्षा बलों द्वारा अन्य संगठनों से संबद्ध होकर जागरूकता निवारण उपायों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए।

(५) तकनीकी उपागमों का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

(६) खुफिया जानकारी एवं सूचना साझाकरण तंत्र त्वरित प्रतिक्रिया परक एवं हर प्रकार की निरोधात्मक कार्रवाई के लिये तत्पर रहना चाहिए।

(७) सुरक्षा बल एवं स्थानीय समुदाय का तंत्र विकसित करते हुए रणनीतिक उद्देश्यों को हासिल करना चाहिए।

(८) अपराध की प्रकृति व प्रकार के आधार पर अलग-अलग प्रशिक्षित एवं दक्ष सुरक्षा बलों को निरोधात्मक कार्रवाई में लगाना चाहिए।

(९) प्रत्येक तरह के संगठित अपराध के लिये अलग-अलग विशेषीकृत

ढांचागत विकास, प्रवर्तन एवं कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि हर संगठित अपराध विशेषीकृत है। विशेषीकृत निरोधात्मक बल अब वक्त की जरूरत है।

(१०) संगठित अपराध के पुख्ता होने पर कार्रवाई के दिनों एवं समय में अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात बल एक साथ, एक दिन, एक ही समय में अपने-अपने क्षेत्रों में करते हुए अपराध का खात्मा किया जा सकता है।

(११) सुरक्षा बलों संगठित अपराध के रोकथाम हेतु अन्तर संगठनात्मक सहयोग सुनिश्चित करते हुए एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधियों का मजबूती से अनुश्रवण व पैरवी कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

(१२) साक्ष्यों के संग्रहण एवं बनाए रखने के मद्देनजर अधिकाधिक नूतन प्रोद्योगिकी प्राविधि का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(१३) सूचना साझाकरण, रणनीति एवं समरतंत्र समन्वय त्वरित, गुणवत्तापरक एवं परिणामोन्मुखी होना चाहिए।

सन्दर्भ

१. आहूजा, राम, अपराधशास्त्र, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, संस्करण, २०२३
२. नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, भारत सरकार, नई दिल्ली।
३. क्रेसी एंड सदरलैंड, द प्रिन्सिपल्स ऑफ क्रिम्नोलॉजी, छठवां संस्करण, द टाइम्स ऑफ इण्डिया प्रेस, बाम्बे, १९६५
४. माबेल, इलियट, क्राइम इन मार्डन सोसाइटी, हारपर एंड ब्रोस, न्यूयार्क, १९५२
५. टप्पन, पाल डब्ल्यू, क्राइम, जस्टिस एंड करेक्शन, मैकग्रथू हिल, न्यूयार्क, १९६०
६. बोर्ला, हग डी, इन्ट्रोडेक्शन टू क्रिंमनोलाजी, लिटिल ब्राउन एंड कम्पनी, बोस्टन, १९७६
७. अहूजा राम, यूथ एंड क्राइम, रावत पब्लिशर्स, जयपुर, १९९६
८. सोसल डिफेन्स, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्स, न्यू दिल्ली, १९८६
९. सिंह, एम.पी., परसोनालिटी ऑफ क्रिमिनल, श्रीराम पब्लिशर्स, आगरा, १९७३
१०. काल्डबेल, आर. क्रिमिनोलॉजी, रोनाल्ड प्रेस कम्पनी, न्यूयार्क, १९५६

ऑपरेशन के बाद की चुनौतियां

लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मेनस्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया को खुली छूट से कभी-कभी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। ऐसी दशा में, राष्ट्र हित में संवेदनशील सुरक्षा सूचनाओं को गोपनीय रखने के लिए सूचना और खुफ़िया एजेंसियों को संयम और मीडिया प्रबंधन भी करना पड़ता है क्योंकि यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसी गोपनीय सूचना के लीक होने का फ़ायदा आतंकवादी संगठन और उनके आकाओं को न मिले। यह भी ज़रूरी है कि किसी आतंकी कार्यवाही के कारण दहशत के माहौल में आतंकवादियों को अत्यधिक प्रचार न मिल सके क्योंकि कभी कभी अकेली आतंकी घटना से पैदा हुई दहशत सैकड़ों टन उच्च विस्फोटक से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक संघात करती है। मिसाल के तौर पर पहलगाम के आतंकी हमले को विश्वव्यापी प्रचार- प्रसार मिला जिसमें २६ निर्दोष लोगों की जान चली गई।

प्रो. राजेंद्र प्रसाद

आतंकवाद से रक्तरंजित भारत इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के समक्ष डटकर खड़ा हुआ है। आज सामाजिक-धार्मिक सौमनस्य और आंतरिक एकजुटता भारत जैसे किसी भी राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा की धुरी है। पाक-प्रायोजित आतंकवाद के लगभग तीन दशकों के संघात से रक्तरंजित होने के बाद, अब भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ा और दंडात्मक रवैया अनिवार्य है। २२ अप्रैल २०२५ पहलगाम आतंकी हमले के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' (६/७ मई से १० मई २०२५ तक) की सटीक सैन्य कार्यवाही में ९ आतंकी ढांचों और १५ पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने और घातक हानि पहुंचाने के साथ, असैन्य और गैर-परम्परागत उपायों का प्रयोग अवश्यंभावी है जिसमें सिंधु जल संधि (१९६०) को स्थगित करके पाकिस्तान की अर्थ व्यवस्था पर करारा संघात करना भारत के लिए समय का तकाजा है। 'जल बम' का प्रयोग परमाणु बम से भी अधिक घातक, कारगर और शक्तिशाली होगा। ऑपरेशन सिंदूर के अगले चरण में भारत अंदर और बाहर आतंकवाद की जड़ों को नष्ट करने के लिए निषेधात्मक और प्रतिक्रियात्मक व दबावपूर्ण कार्यवाही करने के लिए प्रयत्नशील है क्योंकि पहलगाम के आतंकी अभी भी पकड़ या मौत के मुंह में जाने से बचे हुए हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आतंकवाद के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही एक दीर्घकालीन संघर्ष का रूप ले लेती है, उदाहरण के तौर पर अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर ९/११ की आतंकी घटना के बाद अमेरिका का आतंकवादविरोधी युद्ध लम्बा चला और २०११ में पाकिस्तान के एबटाबाद में अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मारा गया किंतु अल कायदा की जड़ें अभी भी खत्म नहीं हो पायी हैं।

दूसरी ओर भारत द्वारा पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध सटीक और सफल ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत इस कार्यवाही के औचित्य और वैश्विक समर्थन के लिए, आतंकवादी संगठनों जैसे लश्करे तैयबा, जैस- ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और इन सबके सहयोगी आनुषंगिक संगठनों को प्रायोजित करने वाली पाक सेना और उनकी खुफ़िया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आई एस आई) को अपनी हरकतों से बाज आने के लिए सबक सिखाना ज़रूरी है। ३० साल से ऊपर लगातार आतंकी दंश झेलते हुए आखिर कब तक भारत पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से रक्तरंजित होता रहेगा?

मीडिया का संयम और प्रबंधन की चुनौती

इस बीच, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मेनस्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया को खुली छूट से कभी-कभी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। ऐसी दशा में, राष्ट्र हित में संवेदनशील सुरक्षा सूचनाओं को गोपनीय रखने के लिए सूचना और खुफ़िया एजेंसियों को संयम और मीडिया प्रबंधन भी करना पड़ता है क्योंकि यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसी गोपनीय सूचना के लीक होने का फ़ायदा आतंकवादी संगठन और उनके आकाओं को न मिले। यह भी ज़रूरी है कि किसी आतंकी कार्यवाही के कारण दहशत के माहौल में आतंकवादियों को अत्यधिक प्रचार न मिल सके क्योंकि कभी कभी अकेली आतंकी घटना से पैदा हुई दहशत सैकड़ों टन उच्च विस्फोटक से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक संघात करती है। मिसाल के तौर पर पहलगाम के आतंकी हमले को विश्वव्यापी प्रचार-प्रसार मिला जिसमें २६ निर्दोष लोगों की जान चली गई। ऐसी दशा में प्रारम्भ से भारत सरकार और सैन्य बलों पर प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही का भारी दबाव बन गया था।

आंतरिक एकजुटता और वैश्विक समर्थन

जनरल जिया-उल हक के कार्यकाल से निरंतर पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद भारतविरोधी रणनीति का हिस्सा रहा है। वर्तमान में, भारत द्वारा जारी आतंकवादविरोधी संघर्ष में आतंक के

संघ (league of terror) को नेस्तनाबूद करने के लिए एक ओर भारत में राजनीतिक दलों में व्यापक समझ और आंतरिक एकजुटता तो चाहिए ही, दूसरी ओर आतंकियों और उनके आकाओं के विरुद्ध व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाए रखना ज़रूरी है।

इस पर हमें ध्यान रखना होगा कि आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक संघर्ष में भारत में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों द्वारा आतंकवादविरोधी राजनीतिक जनसमर्थन की निरंतरता में कमी पूरे अभियान को कमज़ोर बना सकती है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुवात में एकजुटता का जो त्वरण था, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के रक्षण एवं संवर्द्धन हेतु कायम रखना चाहिए ।

वोट की राजनीति की आड़ में किसी भी पार्टी, प्रेक्षक या समर्थक मीडिया को अनर्गल राजनीतिक बयानबाजी और प्रसारण से बचना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। सत्ताधारी पक्ष को भी उक्त सैन्य कार्यवाही का अनुचित फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह सांविधानिक मूल्यों एवं गरिमा का उल्लंघन होगा।

इस अवसर पर हमें प्रथम विश्वयुद्धकालीन फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ एवं चिंतक जार्ज क्लाइमेंसौ के कथन को ध्यान में रख कर यह आगाह करना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा चौतन्यता ऐसे गम्भीर मामले हैं जो न तो अकेले नीति-निर्धारक राजनेता अपने ऊपर ले सकते हैं, न ही सैन्य अधिकारियों पर ही छोड़ा जा सकता है। इसके लिए ख़तरों और चुनौतियों का आंकलन करके राष्ट्रीय शक्ति संचय, तैयारी और परिस्थितियों के अनुसार विकल्पों को खुला रखना पड़ता है। सैन्य शक्ति का प्रयोग या युद्ध तो अंतिम विकल्प होता है।एक बड़ी आर्थिक एवं सैन्य शक्ति वाला भारत भी इसका अपवाद नहीं हो सकता ।

वर्तमान परिवेश में आतंकवाद विरोधी संघर्ष की प्राथमिकताओं में भारत वैश्विक समर्थन जुटाकर पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय प्रांगण में निरीह और अलग-थलग कर सकता है। इसके लिए वह वैदेशिक परम्परागत राजनय के साथ-साथ, बहुदलीय सांसदों की टीमें भेजकर ऑपरेशन सिंदूर के औचित्य को पूरक राजनय (supplemental diplomacy) की मदद से प्रमाणित करते हुए, व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन को सुनिश्चित करना चाहता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, क्षेत्रीय सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग संगठनों और द्विपक्षीय सामरिक भागीदारियों आदि के स्तर पर पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक मनोदशा और उसके सहयोगियों की पोल खोलने की आवश्यकता है । अंततरू व्यापक स्वदेशीय और अंतरराष्ट्रीय समर्थन के सुदृढ़ धरातल पर खड़ा भारत पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध सफलता अर्जित कर सकता है। इसके लिए उसे एक ओर पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध निरोधात्मक उपायों के साथ-साथ प्रतिक्रियात्मक और दमनात्मक उपायों को प्रभावी बना सकता है। इस क्रम में आतंकवाद उन्मूलन के साथ जब तक, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) जैसे किसी बड़े लक्ष्य के लिए सैन्य उपाय या युद्ध के विकल्प को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक असैन्य और गैर- परम्परागत उपायों से पाकिस्तानी अर्थ व्यवस्था को पंगु बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में एक सर्वग्राह्य कथन है कि- हम दुश्मन को सैन्य उपायों से क्यों हतोत्साहित करें, जब हम असैन्य और गैर-परम्परागत उपायों से अपेक्षाकृत बेहतर कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पाकिस्तान के विरुद्ध सिंधु जल संधि को स्थगित करने के साथ साथ अनेक गुप्त संक्रियाएं (covert operations) संचालित कर उसे घुटने टेकने के लिए बाध्य कर सकते हैं।

(प्रो. राजेंद्र प्रसाद, एक जाने-माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रो.प्रसाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विभाग के हेड रहने के अलावा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराजय एम यू बोधगया के पूर्व कुलपति हैं।)

स्वस्थ भारत के निर्माण में योग शिक्षा की भूमिका

सारांश

स्वस्थ भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब समाज के हर वर्ग तक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की जानकारी और साधन उपलब्ध हो। इस संदर्भ में योग शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। योग न केवल एक शारीरिक अभ्यास है, बल्कि यह जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का भी साधन है। स्वस्थ भारत के निर्माण में योग शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में उभर रही है। भारतीय संस्कृति में योग का स्थान प्राचीनकाल से ही रहा है और आज के समय में यह स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए एक अनिवार्य साधन बन गया है। योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के कारण इसका प्रयोग स्वास्थ्य सुधार के साथ-साथ एक संतुलित जीवनशैली को बढ़ावा देने में भी किया जा रहा है। यह शोध पत्र योग शिक्षा की भूमिका और उसके लाभों पर ध्यान केंद्रित करता है और इसे स्वस्थ समाज की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रस्तुत करता है।

बीज शब्द- स्वस्थ, शिक्षा, भारत, योग, संस्कृति

डॉ. रवीन्द्र कुमार त्रिपाठी
असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग
गांधी महाविद्यालय, उरई, जालौन (उ.प्र.)

परिचय

योग भारतीय संस्कृति और आध्यात्म की एक अमूल्य औषधि है। प्राचीन काल से ही योग को जीवन की समग्रता के लिए एक साधन माना जाता है। आज के समय में जहां तनाव, चिंता, अवसाद और बीमारियाँ मानव शरीर में घर कर रही हैं, वहाँ योग की आवश्यकता और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। योग शिक्षा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर चर्चा करती है बल्कि मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और आत्म-समझ को भी बढ़ावा देती है। स्वास्थ्य की परिभाषा केवल रोगमुक्त होने तक सीमित नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन को भी समाहित करती है। योग की प्राचीन पद्धतियों में शारीरिक व्यायाम के साथ मानसिक शांति और आत्म-प्राप्ति के मार्ग भी सम्मिलित हैं। योग, एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है, जिसमें शारीरिक आसन, श्वास-प्रश्वास, ध्यान और मानसिक अनुशासन का समन्वय होता है। योग का उद्देश्य न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारना है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करना है। आज के युग में, जहाँ बीमारियों, तनाव और जीवनशैली सम्बंधी विकारों की समस्या बढ़ रही है, योग शिक्षा एक प्रभावी समाधान के रूप में उभर रही है।

योग शिक्षा की अवधारणा

योग शिक्षा का उद्देश्य केवल शारीरिक क्रियाओं का अभ्यास नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी विकसित करना है। योग में आसन, प्राणायाम, ध्यान और शुद्धिकरण क्रियाओं का समावेश होता है, जो न केवल शारीरिक बल को बढ़ाते हैं, बल्कि मानसिक स्थिरता को भी प्रोत्साहित करते हैं।

योग भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की एक अमूल्य धरोहर है। प्राचीन समय से ही योग को जीवन की समग्रता के लिए एक साधन माना जाता रहा है। योग शिक्षा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करती है बल्कि मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और आत्म-समझ को भी बढ़ावा देती है।

योग शिक्षा का महत्त्व

योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना है। इसमें प्राणायाम, आसन, ध्यान और अन्य मानसिक और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से शरीर और मन को संतुलित किया जाता है। योग शिक्षा के निम्नलिखित प्रमुख लाभ हैं-

शारीरिक स्वास्थ्य

योग के विभिन्न आसन शरीर की लचीलेपन को बढ़ाते हैं, मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और श्वसन तंत्र को सुदृढ़ करते हैं। यह शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है।

मानसिक स्वास्थ्य

ध्यान और प्राणायाम मानसिक तनाव को कम करते हैं और मन को शांत रखते हैं। यह व्यक्ति को मानसिक दृढ़ता और संज्ञानात्मक सुधार में मदद करता है।

आध्यात्मिक विकास

योग का अभ्यास व्यक्ति को अपने भीतर की चेतना के साथ जोड़ता है और उसे आत्म-साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करता है।

सामाजिक सामंजस्य

योग सामूहिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सामंजस्य और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देता है। यह समाज में शांति और सद्भावना का प्रसार करता है।

स्वस्थ भारत के निर्माण में योग शिक्षा की भूमिका

भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है, योग शिक्षा एक सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में उभर रही है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर योग को बढ़ावा देने के लिए 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य योग को एक व्यापक आंदोलन के रूप में स्थापित करना है। इसके अलावा, स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना भी एक सराहनीय कदम है।

रोगों की रोकथाम

योग शिक्षा रोगों की रोकथाम में अहम भूमिका निभा सकती है। जैसे हृदय रोग, मधुमेह और मोटापे जैसी बीमारियों में योग अभ्यास से सुधार देखा गया है।

मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान

योग मानसिक रोगों जैसे अवसाद, तनाव और चिंता के उपचार में भी सहायक है। यह मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है।

समाज में जागरूकता

योग शिक्षा के माध्यम से समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। लोग स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, जिससे बीमारियों की संभावना कम हो रही है।

शिक्षा और योग

यदि योग शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, तो यह विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

सरकारी प्रयास और नीतियाँ

भारत सरकार ने स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए कई नीतियाँ और कार्यक्रम लागू किए हैं। इनमें से प्रमुख प्रयास योग और आयुष मंत्रालय के माध्यम से योग शिक्षा का प्रसार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना से योग को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। यह पहल देशभर में योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम रही है।

योग शिक्षा के घटक

१. यम - सामाजिक आचरण या नैतिकता के नियम, जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह (अधिक संग्रह न करना) शामिल होते हैं।

२. नियम - आत्म-अनुशासन के नियम, जैसे शौच (शारीरिक व मानसिक शुद्धि), संतोष, तप, स्वाध्याय (ध्यान और अध्ययन), और ईश्वर प्रणिधान (ईश्वर के प्रति समर्पण)।

३. आसन - शरीर की मुद्राएं, जो शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाती हैं। यह शरीर को ध्यान और प्राणायाम के लिए तैयार करने का साधन है।

४. प्राणायाम - श्वास पर नियंत्रण, जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।

५. प्रत्याहार - इन्द्रियों का नियंत्रण, जहां ध्यान इन्द्रियों के बाहरी विषयों से हटकर अंदर की ओर केंद्रित होता है।

६. धारणा - ध्यान का प्रारंभिक चरण, जिसमें मन को एक ही बिंदु या वस्तु पर केंद्रित किया जाता है।

७. ध्यान - गहरे ध्यान की अवस्था, जिसमें मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है।

८. समाधि - योग का अंतिम और उच्चतम चरण, जिसमें आत्मा और ब्रह्म (सर्वोच्च चेतना) के साथ एकात्मकता प्राप्त होती है।

ये आठ घटक योग शिक्षा के प्रमुख अंग माने जाते हैं, जिन्हें 'अष्टांग योग' कहा जाता है, जो महर्षि पतंजलि द्वारा स्थापित किया गया था।

योग शिक्षा में चुनौतियां और समाधान

चुनौतियाँ

१. वाणिज्यिकरण और सतहीकरण - योग का बढ़ता व्यवसायीकरण इसे मात्र एक शारीरिक अभ्यास तक सीमित कर रहा है। गहरी आध्यात्मिक और मानसिक पहलुओं को अनदेखा किया जा रहा है।

२. योग शिक्षकों की अपर्याप्त योग्यता - कई योग शिक्षक पर्याप्त प्रशिक्षण और योग के गहरे सिद्धांतों की समझ के बिना योग सिखा रहे हैं। इससे योग का सही ज्ञान और अनुभव प्रभावित हो रहा है।

३. संस्कृत और पारंपरिक ज्ञान की कमी - प्राचीन ग्रंथों और योग सूत्रों का ज्ञान दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। आधुनिक शिक्षार्थियों को योग के मूल सिद्धांतों से जोड़ने में कठिनाई हो रही है।

४. योग का सांस्कृतिक संदर्भ से विचलन - योग की पश्चिमी देशों में लोकप्रियता के साथ, इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदर्भ कई बार बदल दिया गया है। इसे केवल व्यायाम के रूप में देखा जा रहा है।

५. प्रामाणिक योग शिक्षा के लिए उपयुक्त सामग्री और संसाधनों की कमी - सही मार्गदर्शन और प्रमाणिक संसाधनों की कमी से योग के शुद्ध और असली रूप को सिखाने में कठिनाई हो रही है।

६. डिजिटल शिक्षा की सीमाएं - ऑनलाइन योग कक्षाओं और संसाधनों का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन डिजिटल माध्यम से गहन व्यक्तिगत मार्गदर्शन और अभ्यास में सीमितता होती है।

समाधान

१. योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष पर जोर - योग के तीनों पक्षों - शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक - को संतुलित ढंग से सिखाने की आवश्यकता है। योग शिक्षा में प्राचीन योग ग्रंथों, जैसे पतंजलि के योग सूत्र, का समावेश अनिवार्य होना चाहिए।

२. सर्टिफिकेशन और योग शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार - योग शिक्षकों की योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए सख्त सर्टिफिकेशन मानदंड और मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है। इससे शिक्षकों की योग का गहन ज्ञान होगा और वे सही ढंग से इसे सिखा सकेंगे।

३. संस्कृत और पारंपरिक योग साहित्य का प्रसार – योग शिक्षा में संस्कृत और पारंपरिक योग ग्रंथों का शिक्षण पुनः जोर देना चाहिए। इसके लिए प्राचीन ग्रंथों का सरल और सुलभ अनुवाद उपलब्ध कराना महत्त्वपूर्ण होगा।

४. आधुनिक और पारंपरिक योग के बीच संतुलन – योग को आधुनिक संदर्भ में सिखाने के साथ-साथ इसके पारंपरिक मूल्यों और सिद्धांतों का संरक्षण करना चाहिए। इसे केवल एक व्यायाम के रूप में प्रस्तुत करने की बजाय, इसके गहरे आध्यात्मिक और मानसिक पक्षों पर भी ध्यान देना चाहिए।

५. डिजिटल और ऑफलाइन शिक्षा का समन्वय – डिजिटल माध्यम से योग सिखाने में इंटरैक्टिव और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही, ऑफलाइन कक्षाओं में नियमित रूप से व्यक्तिगत अभ्यास और मार्गदर्शन की सुविधा भी दी जानी चाहिए।

६. सकारात्मक योग समुदाय का निर्माण – योग का अभ्यास केवल व्यक्तिगत न होकर एक सामुदायिक अनुभव भी हो सकता है। शिक्षण संस्थानों और समुदायों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे योग के लिए एक स्वस्थ और सहयोगात्मक माहौल तैयार करें।

योग शिक्षा के इन चुनौतियों का समाधान न केवल योग के सही स्वरूप को संरक्षित करने में मदद करेगा, बल्कि इसे एक सशक्त और संपूर्ण जीवनशैली के रूप में भी प्रस्तुत करेगा।

निष्कर्ष

योग शिक्षा स्वस्थ भारत के निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। योग शिक्षा से न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि सामाजिक समरसता और सामूहिक विकास की दिशा में भी यह एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगी। योग शिक्षा स्वस्थ भारत के निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसे स्कूलों, कॉलेजों, और समाज के सभी स्तरों पर अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों को देखते हुए, इसे भारत के स्वास्थ्य सुधार और रोगों की रोकथाम में एक प्रभावी साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। योग को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए सरकार और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ उठा सके और एक स्वस्थ और समृद्ध भारत की दिशा में योगदान दे सके।

संदर्भ

१. आयुष मंत्रालय. (२०२२). 'योग शिक्षा- नीतियां और कार्यक्रम'. भारत सरकार।
२. गुप्ता, आर. (२०२०). 'योग और स्वास्थ्य- एक समग्र दृष्टिकोण'. स्वास्थ्य अध्ययन पत्रिका, १५(२), २५-३०
३. शर्मा, एस. (२०२१). 'भारत में योग शिक्षा के विकास में सरकारी नीतियों की भूमिका'. भारतीय योग अनुसंधान पत्रिका, १०(१), ४५-५०
४. आयुष मंत्रालय (२०२०). योग शिक्षा का महत्त्व. भारत सरकार।
५. मोदी, न. (२०१८). अंतरराष्ट्रीय योग दिवस- एक वैश्विक आंदोलन।
६. आयुष मंत्रालय की रिपोर्ट।
७. योग और स्वास्थ्य पर अध्ययन पत्रिकाए।
८. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाएँ।
९. योगा- द मैनुअल ऑफ लिविंग

बालिकाओं को सशक्त करने का माध्यम है मीना मंच

''मीना एक काल्पनिक बालिका है। जिसकी परिकल्पना यूनीसेफ द्वारा की गयी है। अफ्रीकन देशों में मीना को सारा नाम से पुकारा जाता है। मीना अभियान की शुरुआत २४ सितम्बर १९९८ को यूनीसेफ ने की थी। भारत में सबसे पहले बिहार राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम २००२ से संचालित है। मीना एक साहसी और निडर बालिका है। उसकी आयु नौ वर्ष है। वह हमेशा दूसरों की मदद करती है। वह सदैव बुराई का विरोध करती है। प्रश्न करने में झिझकती नहीं। वह अपने आसपास की बालिकाओं का विशेष ध्यान रखती है। लैंगिक भेद-भाव का विरोध करती है तथा बालिकाओं और समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों का सहारा बनती हैं।''

निशा रानी
प्रवक्ता - कला
डायट - इस्माईलपुर
बिजनौर

आज भारत के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच संचालित किया जा रहा है जिसमें कक्षा छह से कक्षा आठ तक के बच्चे शामिल रहते हैं। मीना मंच के माध्यम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के रूप में लिया जा रहा है बल्कि बालिकाओं के जीवनस्तर को भी गुणवत्तापूर्ण बनाने के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल यूनिसेफ द्वारा शुरू की गई मीना पहल के अंतर्गत विद्यालयों में मीना मंच का गठन किया जाता है। ''मीना एक काल्पनिक बालिका है। जिसकी परिकल्पना यूनीसेफ द्वारा की गयी है। अफ्रीकन देशों में मीना को सारा नाम से पुकारा जाता है। मीना अभियान की शुरुआत २४ सितम्बर १९९८ को यूनीसेफ ने की थी। भारत में सबसे पहले बिहार राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम २००२ से संचालित है। मीना एक साहसी और निडर बालिका है। उसकी आयु नौ वर्ष है। वह हमेशा दूसरों की मदद करती है। वह सदैव बुराई का विरोध करती है। प्रश्न करने में झिझकती नहीं। वह अपने आसपास की बालिकाओं का विशेष ध्यान रखती है। लैंगिक भेद-भाव का विरोध करती है तथा बालिकाओं और समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों का सहारा बनती है।''

इसका उद्देश्य बालिकाओं को उनके अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता के प्रति जागरूक करना तथा उनमें आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। आज के आधुनिक युग में बालिकाओं का सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक हो गया है। किसी भी समाज और राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब उसमें महिलाओं और बालिकाओं को समान अवसर प्राप्त हों। यदि लड़कियाँ शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर बनेंगी तो वे अपने परिवार, समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगी। इसी उद्देश्य से विद्यालयों में मीना मंच की स्थापना की गई है। मीना मंच बालिकाओं को सशक्त बनाने, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का एक प्रभावी माध्यम है। यह भी कहा जा सकता है कि 'मीना मंच विद्यालयों में बनाया गया एक ऐसा समूह है जहाँ बालिकाएँ एक साथ मिलकर विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य सम्बंधी विषयों पर चर्चा करती हैं। इस मंच का उद्देश्य लड़कियों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना और उन्हें समाज में समान अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। मीना मंच की गतिविधियों के माध्यम से बालिकाएँ अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझती हैं तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ जागरूक होती हैं।'

मीना मंच के माध्यम से बालिकाओं को कई प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है, जैसे- भाषण प्रतियोगिता, वाद-विवाद, नाटक,

गीत, पोस्टर निर्माण, समूह चर्चा आदि। इन गतिविधियों के द्वारा बालिकाओं के अंदर छिपी प्रतिभा सामने आती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वे मंच पर बोलना सीखती हैं और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाती हैं। इससे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है।

मीना मंच के उद्देश्य

मीना एक बालिका है, जो शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए समर्पित एक काल्पनिक कार्टून चरित्र है। यूनिसेफ द्वारा पोषित इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रसार के लिए इन कहानियों का देशभर में रेडियो और टीवी प्रसारण किया जाता है। मीना असक्त वर्ग के लिए आवाज उठाती है। दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति वह संवेदनशील और जागरूक है। परिजनों, मित्रों व समाज की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहती है। इसी मीना का एक छोटा भाई राजू और उसका पालतू तोता मिठ्ठू भी उसकी सहायता करता है। दीपू, रानो, सुमी, रीना, कृष्णा ये सब मीना के मित्र एवं सहपाठी हैं। बहिन जी व रजनी बहिन जी मीना के स्कूल की शिक्षिकायें हैं। शोभा काकी, पोंगाराम चाचा, नर्स बहिन जी, डॉक्टर बाबू, सरपंच जी, गाँव के मुखिया प्रधान जी आदि सभी चरित्र कहानी के लिए गढ़े गए हैं। कहने को तो गांव का पूरा परिवेश ही कल्पना है परंतु ये सभी चरित्र और कथानक उसे सजीव बना देते हैं। ''मीना मंच का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त बनाना है ताकि वे अपने अधिकारों को समझें, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएँ और समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त करें। यह मंच बाल विवाह, लिंग भेद, अशिक्षा और कुपोषण जैसी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाता है।'' मीना मंच ग्रामीण विद्यालयों में बालिकाओं के लिए एक ऐसा मंच है जो उन्हें अपनी बात खुलकर कहने का अवसर देता है। यह बालिकाओं को शिक्षा से जुड़ने, नियमित विद्यालय आने और लिंग आधारित भेदभाव के प्रति सजग रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही बालिकाओं में आत्मविश्वास के विकास में वृद्धि करता है और समस्याओं के समाधान तलाशने एवं नेतृत्व क्षमता जैसे जीवन कौशल को भी बढाता है। बालिकाएं समाजिक समस्याओं पर अपने स्वतंत्र विचार रख सकें, और निर्बाध रूप से अपनी विद्यालयी शिक्षा पूरी कर सकें। मीना मंच के स्पष्ट उद्देश्य हैं -

- सभी बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना और उनकी विद्यालय में नियमितता बनाये रखना।
- सभी बालिकाओं को सीखने, पढ़ने-लिखने एवं सह-शैक्षिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए अधिकतम सामूहिक अवसर व सहयोग देना।
- सभी बालिकाओं की सुरक्षा पर चर्चा करना और सहयोगी भावना से समाधान करना।
- लिंग भेदभाव एवं सामाजिक कुरीतियों पर समझ विकसित करना एवं विचार अभिव्यक्ति हेतु मंच प्रदान करना।
- सभी बालिकाओं को आत्मविश्वास एवं जीवन कौशल के विकास के लिए निश्चित रूप से अवसर उपलब्ध कराना।
- सभी बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता एवं सहयोगी भावना विकसित करना।
- सभी बालिकाओं को किशोरावस्था सम्बंधी जिज्ञासाओं की अभिव्यक्ति एवं समाधान के लिए मंच उपलब्ध कराना।
- बालिका शिक्षा एवं विकास के लिए समुदाय को जागरूक बनाना एवं सामुदायिक स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता पर जानकारी एवं जागरूकता फैलाना।

मीना मंच की संकल्पना एवं प्रभाव

मीना कौन है? बालिकाओं के मुद्दों को सरल एवं सहज रूप से समझने के लिए मीना नाम की लड़की का एक काल्पनिक चरित्र बनाया गया है। प्रत्येक वर्ग एवं समाज की बालिकाएं स्वयं का इससे जुड़ाव महसूस कर सकती है। मीना एक उत्साही और विचारवान किशोरी है, जिसमें उमंग, उल्लास, सहानुभूति और सहायता का भाव है। वह समस्याओं और सामाजिक बाधाओं के विरुद्ध लड़ने का जज्बा रखती है और समस्या समाधान हेतु किसी से बातचीत करने में हिचकिचाती नहीं है। ''मीना अपने माता-पिता, दादी, भाई राजू और बहिन रानी के साथ रहती है। मिट्ठू तोता उसका सबसे प्यारा दोस्त है। मीना की कहानियाँ बच्चों के जीवन के चारों तरफ घूमती हैं। मीना की कहानियाँ बच्चों को बचपन से ही लड़की-लड़के की भूमिकाओं के बीच स्वस्थ और बेहतर सम्बंधों का रूप दिखाती हैं। मीना कहानियाँ किसी को उपेदश नहीं देतीं। इनका उदेद्श्य जागरूकता बढाना और संवाद शुरू करने के अवसर प्रदान करना है।''

मीना मंच बालिकाओं को नियमित रूप से विद्यालय आने और पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। कई बार सामाजिक या आर्थिक कारणों से लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं, ऐसे में मीना मंच उन्हें और उनके अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाता है। इससे विद्यालय में नामांकन और उपस्थिति दर में वृद्धि होती है।

पूर्व अनुभवों के आधार पर सत्र २०१६-१७ में राज्य के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों (केजीबीवी सहित) एवं फेज-१ के आर्दश विद्यालयों (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय) में मीना मंच का विस्तार किया गया। सत्र २०१७-१८ में फेज-२ के आर्दश विद्यालयों में भी मीना मंच का विस्तार किया गया। सत्र २०१९-२० में राज्य के समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर किया जा रहा है।'

शिक्षा के प्रति जागरूकता - मीना मंच बालिकाओं को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करता है। कई बार गरीबी, सामाजिक भेदभाव या पारिवारिक कारणों से लड़कियाँ पढ़ाई छोड़ देती हैं। मीना मंच के माध्यम से उन्हें यह समझाया जाता है कि शिक्षा उनके उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है। इसके द्वारा बालिकाओं को नियमित रूप से विद्यालय आने और पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे विद्यालय छोड़ने की समस्या कम होती है।

स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता- मीना मंच के माध्यम से बालिकाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाती है। उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार, साफ-सफाई और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में बताया जाता है। साथ ही किशोरावस्था से जुड़ी समस्याओं और मासिक धर्म से संबंधित स्वच्छता के बारे में भी जागरूक किया जाता है। इससे बालिकाएँ अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग बनती हैं।

सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता- मीना मंच बालिकाओं को समाज में मौजूद कई बुराइयों के प्रति जागरूक करता है, जैसे-बाल विवाह, दहेज प्रथा, लैंगिक भेदभाव और बाल श्रम। इन विषयों पर चर्चा, नाटक और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से बालिकाएँ

इन समस्याओं को समझती हैं और इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित होती हैं। इससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलती है।

नेतृत्व क्षमता का विकास- मीना मंच बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास भी करता है। मंच की गतिविधियों के संचालन, कार्यक्रमों के आयोजन और समूह के संचालन की जिम्मेदारी बालिकाओं को दी जाती है। इससे वे जिम्मेदारी निभाना सीखती हैं और टीम के साथ मिलकर काम करना सीखती हैं। यह अनुभव उन्हें भविष्य में एक जिम्मेदार और आत्मनिर्भर नागरिक बनने में मदद करता है।

समाज में सकारात्मक परिवर्तन- जब बालिकाएँ मीना मंच के माध्यम से जागरूक और आत्मविश्वासी बनती हैं, तो वे अपने परिवार और समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करती हैं। वे अपने माता-पिता और समुदाय को शिक्षा, स्वच्छता और समानता के महत्व के बारे में समझाती हैं। इस प्रकार मीना मंच का प्रभाव केवल विद्यालय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज तक पहुँचता है।

मीना मंच के माध्यम से बालिकाएँ भाषण, वाद-विवाद, नाटक, गीत, पोस्टर प्रतियोगिता और समूह चर्चा जैसी गतिविधियों में भाग लेती हैं। इन गतिविधियों से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने विचार खुलकर व्यक्त करना सीखती हैं। इससे नेतृत्व गुणों का विकास होता है। मीना मंच किशोरावस्था, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता और मासिक धर्म स्वच्छता जैसे विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। इससे बालिकाएँ अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहती हैं और गलत धारणाओं से मुक्त होती हैं। मीना मंच समाज में लड़का-लड़की के बीच भेदभाव को समाप्त करने का संदेश देता है। यह सिखाता है कि दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए। इससे बालिकाओं में आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है और वे स्वयं को किसी से कम नहीं समझतीं। मीना मंच बाल विवाह, दहेज प्रथा और बाल श्रम जैसी कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाता है। बालिकाएँ स्वयं भी इन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित होती हैं।

'सत्र २०११-१२ से मीना मंच का संचालन राज्य के ६२०६ नोडल विद्यालयों और २०० केजीबीवी में प्रारंभ हुआ है। जिसके सफल परिणामों की एक झलक को राष्ट्रीय बालिका दिवस २४ जनवरी २०१४ को भी देखने को मिली। साथ ही कुछ चयनित विद्यालयों में हुए एक संक्षिप्त अध्ययन ने भी मीना मंच का बालिकाओं पर सकारात्मक प्रभावों पर को पुष्ट किया है। मीना मंच ने बालिकाओं को अपनी बात अभिव्यक्त करने हेतु एक मंच दिया है। इससे जो प्रभाव देखने को मिले हैं, उसमें से मुख्य हैं -

- बालिकाओं की शिक्षकों से सवाल करने या अपनी बात कहने के लिए संकोच दूर हुआ है।
- बालिकाओं के भाषायी कौशल में सुधार हुआ है।
- बालिकाओं में पढ़ने के प्रति रूचि बढ़ी है एवं पुस्तकालय का प्रयोग बढ़ा है।
- बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति नियमित हुई है।
- मीना मंच से जुड़ी बालिकाओं ने सैकण्डरी शिक्षा नियमित रखी है।
- मीना मंच से जुड़ी बालिकाओं के प्रयास से समुदाय में बाल-विवाह, दहेजप्रथा, मादक-द्रव्यों के सेवन, स्वच्छता आदि पर सकारात्मकता देखने को मिली है।
- बालिकाओं के आत्मविश्वास का स्तर बढ़ा है।
- बालिकाओं की सामाजिक एवं विद्यालय की गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है।

मीना मंच का गठन

यूनिसेफ की यह महती योजना के अन्तर्गत विद्यालयों में गठन की प्रक्रिया को जानने का प्रयास करते हैं।

मीना मंच में विद्यालय कक्षा ६ से ८ तक के समस्त बालिकाएं एवं बालक सदस्य होंगे। अतः मीना मंच द्वारा आयोजित की जाने वाली चर्चाओं और गतिविधियों में समस्त बच्चे मंच के नेतृत्व में प्रतिभाग करेंगे। विद्यालय की किसी एक महिला शिक्षिका को इसके संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी, जो कि सुगमकर्ता कहलायेगी। सुगमकर्ता मीना मंच की गतिविधियों का संचालन स्वयं नहीं करेगी बल्कि बालिकाओं को मार्गदर्शन देगी जिससे बालिकाएं स्वयं के स्तर पर गतिविधियों का संचालन कर सकें। महिला अध्यापिका की अनुपस्थिति में ही पुरुष अध्यापक को सुगमकर्ता का भार सौंपा जा सकेगा। किन्तु पुरुष सुगमकर्ता होने की स्थिति में, प्रत्येक दो माह में आवश्यक रूप से किसी अध्यापिका/महिला अधिकारी/महिला कार्यकर्ता की विजिट विद्यालय में करानी होगी जिससे कि बालिकाएं विशेष मुद्दों पर खुलकर बात कर सकें। मीना मंच समिति बनाने से पूर्व उसमें शामिल करने के लिए जिस तरह की बालिकाएं चाहिए उन पर भी ध्यान देना होगा। ताकि एक सुदृढ़ एवं सुपरिणाम देने वाला मंच तैयार हो सके। विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों के संचालन एवं विभिन्न मुद्दों पर चर्चा का कार्य बालिकाओं का एक छोटा समूह करेगा जिसे 'मीना मंच समिति' कहा जाएगा। मीना मंच समिति के लिए विद्यालय में अध्ययनरत सक्रिय बालिकाओं को सदस्य बनने हेतु ऐसी बालिकाओं को प्रेरित किया जायेगा, जो अन्य बालिकाओं के लिए सहायक हों और जिनमें जिम्मेदारी का भाव हो। यथा-

- ऐसी बालिका जो बहुत दूरी से विद्यालय पहुंचती हैं।
- ऐसी बालिका जो नियमित विद्यालय में आती हैं।
- अपने घर वालों को पढाई का महत्व समझाने वाली बालिका।
- अपनी सहेलियों को प्रेरित करके विद्यालय लाने वाली बालिका।
- परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम लाने वाली बालिका।
- विद्यालय की गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली बालिका।

विद्यालय में मीना मंच बनाये जाने के बाद यह स्थायी मंच रहेगा जिसका संचालन प्रत्येक वर्ष होगा और संचालन की प्रक्रिया भी निर्देशानुसार यथावत रहेगी।

मीना मंच समिति में निम्नानुसार होगी-

कक्षा	बालिका सदस्य	बालक सदस्य
कक्षा ६	०५ बालिकाएं	०२ बालक
कक्षा ७	०५ बालिकाएं	०२ बालक
कक्षा ८	०५ बालिकाएं	०२ बालक

यथासम्भव मीना मंच समिति के सदस्य विद्यालय

https://www.raiteachers.in/

की अन्य समितियों के सदस्य भी हों ताकि समितियों के कार्यों में आपसी सहयोग एवं समन्वय बना रहे। यदि विद्यालय में बालिकाएं कम संख्या में हैं तो विद्यालय की समस्त बालिकाओं और ६ बालकों को सम्मिलित कर मीना मंच का गठन किया जाये।

मीना मंच समिति के सदस्यों का चुनाव- मीना मंच के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा से ५ बालिकाओं और २ बालकों का चयन किया जायेगा। इन चयनित सदस्यों में से प्रत्येक कक्षा में एक प्रेरक (बालिका) और दो सह-प्रेरक (एक बालिका और एक बालक) का चुनाव किया जायेगा। मीना समिति के सदस्यों का चुनाव कक्षाध्यापक द्वारा कक्षा में ही बच्चों की सहमति लेते हुए किया जा सकेगा। प्रेरक एवं सह-प्रेरक का चुनाव प्रत्येक वर्ष होगा। समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष के लिए होगा। मीना मंच समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन चयनित प्रेरक एवं सह-प्रेरक द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं में से किया जायेगा जो कि आवश्यक रूप से बालिका ही होगी।

मीना (मंच) समिति - पद एवं कार्यदायित्व मीना मंच इस प्रकार रहेगा-

प्रेरक - प्रत्येक कक्षा से समस्त बच्चों द्वारा चयनित एक बालिका।

सह-प्रेरक - प्रत्येक कक्षा से समस्त बच्चों द्वारा चयनित एक बालिका और एक बालक।

अध्यक्ष - समस्त प्रेरक एवं सह-प्रेरक द्वारा उ. प्रा. स्तर से चयनित कोई एक सक्रिय बालिका।

उपाध्यक्ष- समस्त प्रेरक एवं सह-प्रेरक द्वारा उ. प्रा. स्तर से चयनित कोई एक सक्रिय बालिका। मीना मंच समिति, मीना मंच के संचालन हेतु कार्यों का विभाजन करेगी जिससे कि सभी बालिकाओं को प्रतिनिधित्व करने और प्रतिभाग करने का समान अवसर प्राप्त हो।

प्रेरक के कार्य

- अपनी कक्षा में सभी बच्चों के साथ मीना मंच की कार्ययोजनानुसार कार्य करना, चर्चाएं करना एवं आवश्यकताओं को समिति के सामने रखना।
- सह-प्रेरक को दायित्व सौंपना एवं समन्वय बनाकर बालिकाओं को विभिन्न गतिविधियों से जोड़कर रखना।
- कक्षा में उपस्थिति चार्ट बनाना तथा अनियमित बालिका एवं बालक से सम्पर्क बनाना और कक्षाध्यापक को सूचित करना।
- पुस्तकालय की किताबों, मीना किट की पुस्तकों एवं फ्लिप बुक को कक्षा में सभी से बारी-बारी वाचन कराना।

मीना मंच अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कार्य

- समय-समय पर मंच की बैठकें आयोजित करना एवं बैठकों का संचालन करना।
- बैठकों में मुद्दे तय करना और कार्य योजना का प्रस्ताव देकर दायित्व बाँटना।
- समिति द्वारा पहली बैठक में आगामी तीन माह की कार्य योजना बनाना व आगामी रणनीति तय करना।
- मंच की पहली बैठक में आगामी कार्यक्रमों तथा बैठकों की तिथि निर्धारित करना और सभी को सूचित करना।
- गाँव की ड्राप आउट बालिकाओं एवं अनियमित आने वाली बालिकाओं की संपूर्ण जानकारी एकत्र कर बैठक में रखना।
- बालिकाओं को विद्यालय लाने/नियमित उपस्थिति बनाए रखने हेतु सभी की सहभागिता से रणनीति तय करना।
- समय-समय पर बैठकों और चर्चाओं के अतिरिक्त विद्यालय एवं समुदाय में विभिन्न गतिविधियां अथवा कार्यक्रम आयोजित करने हेतु योजना बनाना तथा दायित्व निश्चित करना।
- सभी बैठकों व आयोजनों की रिपोर्ट लिखकर तैयार करना जिसमें परिणाम का उल्लेख हो। जिसमें मीना मंच की बालिकाओं की मदद से यह कार्य सुगमकर्ता को करना होगा।

निष्कर्ष

मीना मंच बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है। यह उन्हें शिक्षित, जागरूक, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। मीना मंच के माध्यम से बालिकाएँ अपने अधिकारों को समझती हैं और समाज में समानता एवं सम्मान के साथ जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ती हैं। अंत में कहा जा सकता है कि मीना मंच बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी माध्यम है। यह बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। साथ ही उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है। इसलिए विद्यालयों में मीना मंच का संचालन बालिकाओं के सर्वांगीण विकास और उज्ज्वल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार, मीना मंच वास्तव में बालिकाओं को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी माध्यम है। चूँकि 'मीना मंच' का प्रारम्भ २४,सितम्बर को हुआ था, मीना के जन्म दिवस (२४,सितम्बर) को 'मीना दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

सन्दर्भ

1-https://www.rajteachers.in
2- https://www.meenamanch.in
3- https://www.univarta.com/news/uttar-pradesh/story/3766391.html
4- https://www.primarykamaster.com/2015/01/unicef.html#google_vignette
5- https://www.123helpme.com/essay/Case-Study-Meena-Manch-FCCC9NCMDN6
6- प्रगति के पंख, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश
7- अरमान, किशोर-किशोरियों के लिए जीवन कौशल शिक्षा हुतु प्रशिक्षण मॉड्यूल, सर्व-शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश

लोकापवाद के शिकार बेनेगल नरसिंह राउ

प्रो. गोपाल शर्मा

Won't you give me my flowers while I'm living
And let me enjoy them while I can
Please don't wait till I'm ready to be buried
And then slip some lilies in my hand-
Lester Flatt & Earl Scruggs

क्या बेनेगल नर सिंह राउ Sir Benegal Narsing Rau संविधान सभा के लिए बस एक क्लर्क थे?

चलो एक कहानी से शुरू करते हैं।

कहानी बचपन की उस मीठी धुन से शुरू होती है जो हर भारतीय घर में किसी न किसी रूप में गूंजती रही है.. दादी की कहानियाँ।

दादी भी हर शाम तुलसी के चौरे के पास बैठकर रामायण और महाभारत के प्रसंग सुनाया करती थीं। उनकी आवाज़ में एक अद्भुत जादू था, जैसे हर शब्द के साथ समय रुक जाता हो और मिथक जीवंत हो उठते हों।

कभी-कभी, वह चेतावनी भी देतीं-

'महाभारत मत पढ़ना, बेटा। घर में झगड़ा हो जाएगा।'

पर बचपन की जिज्ञासा किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होती।बालक धीरे-धीरे उनके सो जाने के बाद वही महाभारत निकालता, उसके पन्ने पलटता, और विस्मित हो जाता, इतनी विशाल कथा किसी ने लिखी कैसे होगी?

फिर उसे पता चला कि इस ग्रंथ के रचयिता वेदव्यास हैं, वे ही जिन्होंने चारों वेदों का संपादन किया था। उसके मन में प्रश्नों का सागर उमड़ आया। क्या ऐसा व्यक्ति भी कभी भ्रमित हुआ होगा?

तभी दादी मुस्कराईं और बोलीं- 'हाँ, बेटा, वेदव्यास भी कभी दुविधा में पड़े थे।'

और फिर उन्होंने वह अद्भुत कथा सुनाई-

ज्ञान और तप के चरम पर पहुँचने के बाद भी वेदव्यास के मन में एक प्रश्न था- 'मैंने जो यह महान रहस्य रचा है, इसे लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ?' यही प्रश्न उनका तप बन गया। उन्होंने ध्यान लगाया और उसी ध्यान में ब्रह्माजी प्रकट हुए।

वेदव्यास ने हाथ जोड़कर कहा, 'हे परमपिता! मैंने अपने मन में एक महाकाव्य की रचना की है, जिसमें वेदों का सार, उपनिषदों की गहराई, पुराणों का विस्तार, और धर्म का मर्म सब समाया है। पर यह इतना विराट है कि इसे लिखना असम्भव लग रहा है। क्या कोई इसे लिपिबद्ध कर सकता है?'

ब्रह्माजी ने मुस्कराकर कहा, 'व्यास, तुम कवियों में श्रेष्ठ हो, पर तुम्हारी रचना इतनी गूढ़ है कि इसे कोई मनुष्य नहीं लिख सकेगा। तुम्हें श्रीगणेश का स्मरण करना चाहिए, वह विघ्नहर्ता हैं और लेखनी के देवता भी।'

व्यास ने उनका आदेश स्वीकार किया और गणेश का आह्वान किया। जब गणेश प्रकट हुए, उन्होंने कहा-

'हे गणेश, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस ग्रंथ को लिखें। पर एक निवेदन है, किसी भी प्रसंग का मर्म समझे बिना एक भी अक्षर न लिखें।'

गणेश ने सहमति दी, पर अपनी शर्त रखी-

'मेरी लेखनी एक पल को भी नहीं रुकेगी। यदि आप निरंतर बोलते रहेंगे, तभी मैं यह कार्य करूँगा।'

और इस प्रकार आरंभ हुआ वह लेखन जो आगे चलकर महाभारत के नाम से अमर हुआ।

वेदव्यास का 'जयकाव्य' केवल युद्ध की कथा नहीं थाकृवह मनुष्य की आत्मा की विजय की कथा थी, वह संघर्ष था अनिष्ट कामनाओं पर, और वह साधना थी अंतर्मन के अंधकार पर प्रकाश की। इसलिए व्यास ने इसे 'जय' नाम दिया- मनुष्य के भीतर की विजय का महाकाव्य।

बाद में जब यह भरतवंश की कथा के रूप में प्रसिद्ध हुआ, तब इसका नाम हो गया- महाभारत।

अब जब बालक बड़ा हुआ, और भारत का संविधान अपने हाथों में लिया, तो अनायास ही उसे वही कथा याद दिलाई गई।

ये ग्रंथ भी तो किसी महाभारत से कम नहीं- विस्तृत, गूढ़, और जनमानस के धर्म का वाहक।

लोगों ने सोचा- व्यास ने जैसे गणेश को आमंत्रित किया था, वैसे ही संविधान के निर्माताओं ने भी अपने-अपने गणेशों को आमंत्रित किया होगा- वे लोग जिन्होंने बिना रुके, बिना थके, राष्ट्र की नियति को अक्षरों में उतारा।

पर अब जब बालक इतने वर्षों बाद चारों ओर देखता है, तो मन में एक विचित्र बेचैनी होती है। कुछ लोग इस पवित्र रचना का श्रेय बदल देना चाहते हैं। कोई कहता है कि असली निर्माता कोई और था, कोई किसी और को 'वेदव्यास' घोषित कर देता है।

इस व्यक्ति-पूजा के दौर में हर कोई सिंहासन की तलाश में है, पर भूल जाता है कि वेदव्यास ने कभी सिंहासन नहीं माँगा- उन्होंने केवल सत्य लिखा।

तो क्या हम आज उसी सत्य के लेखक को पहचानने से डर रहे हैं?

क्या यह भय है कि संविधान के 'वेदव्यास' का स्थान कहीं किसी और को न दे दिया जाए?

शायद यह समय है कि हम इस कथा का 'श्रीगणेश' स्वयं करें- इस ग्रंथ में ही, इस विचार में ही।

यदि वेदव्यास और गणेश की वह साझेदारी मानव सभ्यता की सबसे बड़ी रचना को जन्म दे सकती है, तो क्या हम भारत के नागरिक, अपने समय के इस नए महाभारत, इस संविधान के गणेश और वेद व्यास की पहचान नहीं कर सकते?

क्योंकि हर दंत कथा में यदि कृष्ण द्वपायन व्यास जी होते हैं तो गणेश जी भी होते हैं।

सोच लें।

मनु के विधान में अम्बेडकर के लिए चाहे स्थान नहीं था, अम्बेडकर के विधान में मनु के लिए पूरा स्थान है।

है ना?

क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान शायद दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? यह कोई साधारण दस्तावेज नहीं, बल्कि ३९५ अनुच्छेद और १२ अनुसूचियों का एक महाग्रंथ है, जो हमारे राष्ट्र के सपनों को संजोता है। इस विशाल संविधान को बनने में लगभग तीन साल लगे - दिसम्बर १९४६ से दिसम्बर १९४९ के बीच। यह वह समय था जब भारतीय संविधान सभा में इसके हर मसौदे पर खंड दर खंड (clause by clause) गहन चर्चा हुई थी। ११ सत्र- संविधान सभा ने कुल

ग्यारह सत्र आयोजित किए। १६५ दिन- इन सत्रों की बैठकों में पूरे १६५ दिन का समय लगा। समितियों का कार्य- सत्रों के बीच, विभिन्न समितियों और उप-समितियों ने मसौदों को संशोधित और परिष्कृत करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया, ताकि कोई कमी न रह जाए। संविधान सभा की कार्यवाही ग्यारह विशाल खंडों में मुद्रित हैं। इनमें से कुछ खंड १,००० पृष्ठों से भी अधिक के हैं! ये खंड सिर्फ कागज का पुलिंदा नहीं हैं। वे भारतीयों की वाक्पटुता के साथ-साथ उनकी दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता, जुनून और हास्य की भावना का भी प्रमाण हैं। यह विशाल संग्रह एक अनमोल, कम-ज्ञात खजाना है- यह इतिहासकारों के लिए अत्यंत मूल्यवान है। यह हर इच्छुक नागरिक के लिए ज्ञान का संभावित स्रोत है। इन खंडों में आपको राष्ट्र के अनेक प्रतिस्पर्धात्मक विचार देखने को मिलेंगे, जैसे कि देश को कौन-सी भाषा बोलनी चाहिए, उसे कौन-सी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अपनानी चाहिए, और उसे किन नैतिक मूल्यों को बनाए रखना या छोड़ देना चाहिए। संविधान सभा को देश की चकरा देने वाली विविधता और नागरिकों की अधिकारों के प्रति मुखर चेतना के कारण हजारों प्रतिस्पर्धी दावों के बीच न्याय करना पड़ा। यह कार्य १९४६ और १९४९ के बीच खाद्य संकट, धार्मिक दंगों, शरणार्थी पुनर्वास और वर्ग संघर्ष की उथल-पुथल भरी पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसके बारे में एक इतिहासकार ने कहा था कि 'मौलिक अधिकारों को मौलिक गलतियों के नरसंहार के बीच तैयार किया जाना था,' जो उस समय की असाधारण चुनौतियों को दर्शाता है। ये खंड हमारे आधुनिक भारत की जन्मकुंडली हैं!

भारत के संविधान के निर्माण में, दो व्यक्ति इसकी संकल्पना और कार्यान्वयन के दो स्तंभों के रूप में खड़े हैं- सर बेनेगल नरसिंह राउ और डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर। उनके बीच वह अदृश्य सेतु था जिसने भारत को साम्राज्यवाद के युग से संवैधानिक लोकतंत्र के युग तक पहुँचाया। राउ ने इसकी नींव रखी, अम्बेडकर ने इसमें प्राण फूँके। यह अहंकार की प्रतिद्वंद्विता नहीं थी, बल्कि बुद्धिजीवियों - न्यायविद-प्रशासक और समाज-दार्शनिक - के बीच एक संवाद था, जो एक ही राष्ट्रीय उद्देश्य से एकजुट हुए थे, फिर भी अलग-अलग संवेदनाओं और तरीकों से अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने में लगे थे।

जब दिसम्बर १९४६ में संविधान सभा की बैठक हुई, तो भारत के अपने इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं थी। जो मौजूद था, वह था औपनिवेशिक शासन का एक ढाँचा और स्वतंत्रता की नई व्यवस्था की गहरी चाह। इस जटिल कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए, सभा ने असाधारण विद्वता वाले भारतीय सिविल सेवा अधिकारी बी. एन. राउ को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स ने बाद में लिखा, 'उन्होंने योजना की कल्पना की और भारतीय संविधान की नींव रखी।' राउ, जिन्होंने पहले भारत सरकार अधिनियम १९३५ के प्रारूपण में योगदान दिया था, इस कार्य में प्रशासनिक अनुभव और कानूनी स्पष्टता का एक अद्भुत मिश्रण लेकर आए।

उन्होंने संविधान को एक घोषणापत्र के रूप में नहीं, बल्कि शासन के एक जीवंत साधन के रूप में देखा। १९४६ और १९४७ में, राऊ ने विश्व के प्रमुख संविधानो के निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए एक उल्लेखनीय तुलनात्मक अध्ययन यात्रा की। इस अध्ययन यात्रा में उन्हे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के न्यायविदों और संवैधानिक विशेषज्ञों से मुलाकात करने का अवसर मिला। वाशिंगटन में, उन्होंने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति फेलिक्स फ्रैंकफर्टर से परामर्श कियाय लंदन में, उन्होंने उन संवैधानिक विद्वानों से मुलाकात की जिन्होंने वेस्टमिंस्टर मॉडल के विकास को आकार दिया था। इस अवधि के उनके पत्राचार और ज्ञापन संविधान सभा की बहसों के रिकार्ड में संरक्षित हैं और ब्रैनविले ऑस्टिन द्वारा 'द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन - कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन' (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९६६) में उद्धृत किए गए हैं। इनको पढ़ जाइए, आजकल ये सब एक क्लिक में उपलब्ध है। आप खुद देख लें कि ये पत्राचार एक अत्यंत व्यवस्थित सोच को प्रकट करते हैं। किस तरह जिज्ञासु, व्यावहारिक और भारत की सामाजिक जटिलताओं के प्रति गहरा सम्मान रखने वाले विश्व के अनेक कानूनविद भारत के संविधान निर्माण में भागीदारी करने पर खुद को धन्य समझ रहे थे।

UN सेक्रेटेरिएट में एक मजेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस

वॉशिंगटन, D.C. पहुँचने के बाद बी. एन. राउ के शुरुआती कामों में से एक था, सीधे अमेरिकन प्रेस की नजरों में आना। वहाँ बसने के कुछ ही घंटों के अन्दर, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी। एक छोटा सा कमरा जो जल्द ही रिपोर्टरों से भर गया, जो उस शांत, चश्मा पहने भारतीय राजनेता से सवाल पूछने के लिए उत्सुक थे, जिसे दुनिया के सबसे बड़े जल्द ही बनने वाले डेमोक्रेसी के लिए एक नया संविधान बनाने का काम सौंपा गया था।

राउ अपने हमेशा की तरह बिना किसी दिखावे के अन्दाज में अन्दर आए, उनके हाथ में नोट्स का एक फोल्डर था जिसकी उन्हें शायद ही जरूरत होगी। जैसे ही मंच खुला, सवाल तेजी से आने लगे- इंडिया में क्या हो रहा है? क्या बंटवोरे की हिंसा इस बात का संकेत थी कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं? इतनी उथल-पुथल में फंसा देश नया संविधान बनाने की उम्मीद कैसे कर सकता है?

राउ ने इतनी शांति और स्थिरता के साथ सवालों का सामना किया कि कमरे का माहौल तुरंत बदल गया।उन्होंने माइक्रोफोन की ओर थोड़ा झुकते हुए मजबूती से कहा, 'लॉ एंड ऑर्डर में कोई कमी नहीं आई है।' उन्होंने बताया कि राज्य सरकारें न सिर्फ काम कर रही थीं, बल्कि बड़े सामाजिक सुधारों को भी लागू कर रही थीं। जिसमें छुआछूत खत्म करना भी शामिल था। उन्होंने जोर देकर कहा कि अशांति से भारत रुकने के बजाय, अपने भविष्य के लिए सोचे गए 'जरूरी सामाजिक कानून' को आगे बढ़ा रहा था। उन्होंने कमरे में मौजूद लोगों को भरोसा दिलाया कि संविधान बनाने का काम रुका नहीं है। फिर रिपोर्टर नए संविधान के सार पर आए। यहाँ राउ ने हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने लगभग बातचीत करते हुए उनसे कहा कि उन्होंने 'USA के संविधान से बहुत कुछ उधार लिया है।' कलम तेजी से चलने लगीय यह एक ऐसी लाइन थी जिसे अमेरिकी दर्शक सुनने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने जाने-पहचाने उदाहरण दिए- एक चुना हुआ राष्ट्रपति, एक फेडरल ढांचा, अधिकारों की गारंटी। जिस बात पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वह यह थी कि भारतीय नियम अमेरिकी मूल नियमों से कितने अलग थे ... सीमित, ज़्यादातर औपचारिक राष्ट्रपति पदय लोकप्रिय इलेक्टर्स के मुकाबले वाले ग्रुप के बजाय लेजिस्लेटर से बना एक इलेक्टोरल कॉलेजय और शासन का एक ऐसा ढांचा जो फिलाडेल्फिया के उदाहरण जितना ही वेस्टमिंस्टर के तरीकों पर आधारित था।

ये चूकें स्ट्रेटेजिक थीं। राउ समझते थे कि कई अमेरिकी भारत को मुख्य रूप से हिंसा और नस्लीय अंतर के बारे में हेडलाइन के जरिए जानते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स से 'उधार लेने' की बात करके, उन्होंने उभरते हुए भारतीय संविधान को अपनी जनता के लिए पढ़ने लायक और भरोसा दिलाने वाला बनाया, जिससे एक जान-पहचान का पुल बना, और फिर उन मुश्किलों में गहराई से गए जो भारतीय फ्रेमवर्क को उसके अमेरिकी काउंटरपार्ट

से अलग करती हैं।

अगले दिन, जब वे वाशिंगटन में भारतीय डायस्पोरा के सदस्यों से मिले, तो उन्होंने जरूरी मैसेज दोहराया- इस बार ज्यादा गर्मजोशी और डिटेल के साथ। उन्होंने संविधान के पीछे के प्रिंसिपल्स को बताया, सवालों के जवाब अपनी ख़ास सटीकता के साथ दिए, और देश के कॉन्स्टिट्यूशनल भविष्य में भरोसा बढ़ाया। पब्लिक मीटिंग्स और प्रेस एंगेजमेंट्स, दोनों में, राउ का मकसद एक जैसा रहा- गलतफहमियों का मुकाबला करना, भारत की स्टेबिलिटी और एम्बिशन को पक्का करना, और यह दिखाना कि नया रिपब्लिक, हालांकि अपना रास्ता खुद बना रहा है, ऐसे इंस्टीट्यूशन्स बना रहा है जिन्हें अमेरिकी आसानी से समझ सकें।

वाशिंगटन में उन शुरुआती दिनों में, बी. एन. राउ सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को समझा नहीं रहे थे, वे भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी के बारे में दुनिया की पहली सोच बना रहे थे।

विश्व के संवैधानिक केंद्रों में भारतीय मसौदे का परीक्षण

भारतीय संविधान के प्रारम्भिक मसौदे के व्यापक परीक्षण और तुलनात्मक अध्ययन के उद्देश्य से १९४७ के उत्तरार्द्ध में सर बेनेगल नरसिंग राउ ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और आयरलैंड की यात्रा की। संविधान-निर्माण की प्रक्रिया उस समय अपने आरम्भिक चरणों में थी, परंतु राउ का मत था कि यदि भारत एक आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र की ओर अग्रसर है, तो आवश्यक है कि उसके मसौदे का मूल्यांकन उन देशों में भी किया जाए, जिन्होंने आधुनिक संवैधानिक विचारधारा के निर्माण में अग्रगण्य भूमिका निभाई है।

१९ नवम्बर १९४७ को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन ने राउ का स्वागत किया। राउ भारतीय संविधान के मसौदे की एक प्रति लेकर उपस्थित हुए थे। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने ऊपरी सदन के क्रमिक चुनाव और मध्यावधि चुनावों से बचने जैसे कुछ सुझाव दिए, जिन पर राउ ने शांत भाव से संकेत किया कि इन विषयों पर भारतीय मसौदे में पहले ही विचार हो चुका है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के सम्बंध में कई प्रावधान अमेरिकी अनुभवों, विशेषतः १९४५ के पश्चात् से प्रेरित थे। इस संवाद ने दर्शाया कि भारतीय संविधान की रूपरेखा विश्व के अन्य लोकतांत्रिक प्रयोगों से कहीं अधिक गहराई से सम्बद्ध थी।

वाशिंगटन में राउ ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों चार्ल्स इवांस ह्यूजेस, फेलिक्स फ्रैंकफर्टर, हेरोल्ड बर्टन और फ्रैंक मर्फी से विचार-विमर्श किया। इनमें से फ्रैंकफर्टर के साथ हुई चर्चा अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि उन्होंने 'ड्यू प्रोसेस' की जटिलताओं और न्यायिक विस्फोट की सम्भावनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। यह विचार बाद में भारतीय मसौदे में प्रयुक्त शब्दावली के पुनर्विचार का कारण बना।

न्यूयॉर्क में जज लर्नड हैंड तथा कोलम्बिया लॉ स्कूल के प्रोफेसरों फिलिप जेसप और नोएल डाउलिंग से संवाद हुआ। संयुक्त राष्ट्र के डॉ. हैमबर्गर और प्रोफेसर मिरकिंस ने अंतरराष्ट्रीय कानून के परिप्रेक्ष्य से भारतीय मसौदे पर विचार प्रस्तुत किए।

कनाडा में मैक्स वारशॉ और डब्ल्यू. आर. जैकेट ने संघीय ढाँचे की व्यावहारिक चुनौतियों का विश्लेषण किया। आयरलैंड में प्रधानमंत्री ईओमन डी वलेरा, अटॉर्नी जनरल और विदेश सचिव ने राउ के साथ १९३५ के आयरिश संविधान के अनुभव साझा किए।

वहीं लंदन में कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी नोएल बेकर तथा प्रिवी काउंसिल के वरिष्ठ न्यायाधीश सर जॉन ब्यूमोंट और न्यायमूर्ति माधवन नायर से हुई बातचीत ने भारतीय कानूनी परम्पराओं और औपनिवेशिक प्रशासन की विरासत पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला। यात्रा के उपरांत राउ ने संविधान सभा को एक विस्तृत स्मरण-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें नागरिक अधिकारों, संघीय संरचना, न्यायपालिका, और केन्द्र प्रान्तीय सम्बंधों के विषय में प्राप्त टिप्पणियों का व्यवस्थित संकलन था। संविधान सभा ने इस स्मरण-पत्र के कई सुझावों को स्वीकार किया। विशेषतः न्यायिक प्रक्रिया और राज्य की नियामक शक्तियों से जुड़े प्रावधानों को। इस भ्रमण का एक दीर्घकालिक प्रभाव यह रहा कि भारतीय मसौदे की प्रतियाँ विश्व के कई महत्त्वपूर्ण संवैधानिक केंद्रों में पहुँचीं। बर्मा के संविधान-निर्माता चान हटून, इजराइल के भावी राष्ट्रपति डॉ. चैम वीजमैन और विभिन्न देशों के विद्वान तथा कूटनीतिज्ञ भारतीय मसौदे के अध्ययन में रुचि लेने लगे। विभाजन की हिंसा के बावजूद भारत में सामाजिक सुधारों की सतत प्रगति अस्पृश्यता-निवारण, श्रमिक कल्याण और शिक्षा-विस्तार का उल्लेख राउ द्वारा किया गया, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत के प्रति सम्मान बढ़ा। दिल्ली लौटने पर राउ से पूछा गया कि क्या भारत की जटिल संवैधानिक संरचना रियासतें, प्रान्त, विविध सामाजिक घटक का कोई समकक्ष विश्व में उपलब्ध है। राउ का उत्तर था 'भारतीय परिस्थितियाँ विशिष्ट हैं।' यह उत्तर न केवल भारतीय संघ के मौलिक चरित्र को दर्शाता था, बल्कि यह भी संकेत देता था कि भारत किसी विदेशी मॉडल की मात्र प्रतिकृति नहीं, बल्कि स्वयं एक नई संवैधानिक संरचना प्रस्तुत कर रहा था।

१९४७-४८ का यह अंतरराष्ट्रीय भ्रमण भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है। इससे भारतीय मसौदे की अनेक धाराएँ स्पष्ट हुईं, अनेक सिद्धान्तों का तुलनात्मक परीक्षण सम्भव हुआ, और भारत को विश्व समुदाय में एक उदीयमान संवैधानिक राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठा मिली। यह यात्रा इस तथ्य की पुष्टि करती है कि भारत विश्व की संवैधानिक परम्पराओं से केवल ग्रहण करने वाला राष्ट्र नहीं था, वह उनमें अपना विनम्र किंतु सशक्त योगदान देने की क्षमता भी रखता था।

राउ ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था- एक संपूर्ण पाठ जो अक्टूबर १९४७ में संविधान सभा को प्रस्तुत किया गया। यही वह दस्तावेज था जिसने प्रारूप समिति के विचार-विमर्श का आधार बनाया। यही वह ड्राफ्ट था जिसे लेकर राउ गए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने बाद में स्वीकार किया कि 'प्रारूप समिति के सदस्यों के सामने एक कोरा पृष्ठ नहीं, बल्कि श्री बी. एन. राउ द्वारा तैयार किया गया एक सुविचारित प्रारूप था।' इस आधार के बिना, संविधान सभा का कार्य कई और वर्षों तक खिंच सकता था- यह विचार दशकों बाद गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.आर. ब्रह्मभट्ट ने भी दोहराया, जिन्होंने २०२४ में टिप्पणी की कि 'यदि राउ का मसौदा न होता, तो संविधान को पूरा होने में पच्चीस वर्ष लग सकते थे।' और २०२५ में प्रकाशित पुस्तक से यह टिप्पणी देखें-

भारत के संविधान के ड्राफ्ट के इंटरनेशनल सर्कुलेशन को एकतरफा शॉपिंग ट्रिप कहना सही नहीं है। बल्कि, यह टूर एक ऐसा पल था जब भारतीय संविधान ने दुनिया के मंच पर अपनी मौजूदगी का ऐलान किया और अपने साथियों के साथ बातचीत में अपनी जगह बनाई। दिल्ली लौटने पर, बी. एन. राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रिपोर्टरों ने उनसे संविधान के ड्राफ्ट में रियासतों और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के बीच अजीब रिश्तों के बारे में पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि 'भारत जैसी स्थिति कहीं भी नहीं है'। पत्रकारों ने खूब हंसी के साथ जवाब दिया कि, उस मामले में, 'भारत दुनिया को लीड करेगा'

It is not accurate to characterise the international circulations of India's draft constitution as a one way shopping trip-

Rather, the tour was a moment when the Indian constitution announced its presence on the world stage and placed itself in conversation with its peers- Upon his return to Delhi, B. N. Rau held a press conference- Reporters asked him about the unusual relations between princely states and British Indian provinces in the draft constitution- He answered that there was 'nothing comparable to the Indian situation anywhere'- The journalists] to much laughter, replied that] in that case, 'India will be giving a lead to the world' (de and Shani] page 228)

राउ का संविधान एक वास्तुशिल्पीय कृति था। उन्होंने संविधान की मूल संरचना को परिभाषित किया- संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। लचीलेपन और स्थिरता के बीच संतुलन की उनकी अचूक समझ थी, उन्होंने अनेक संवैधानिक परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए उन्हें एक विशिष्ट भारतीय स्वरूप में पिरोया। अपने नोट्स में, उन्होंने तर्क दिया कि नया संविधान 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' पर आधारित होना चाहिए, जो उस समय एक क्रांतिकारी प्रस्ताव था जब साक्षरता कम थी और कई लोकतंत्रों में संपत्ति की योग्यताएँ अभी भी आदर्श थीं। इसी दृढ़ विश्वास ने भारत को आर्थिक रूप से तैयार होने से पहले ही लोकतंत्र का उपहार दिया- एक नैतिक दांव जिसे इतिहास ने सही साबित किया है। फिर भी, राउ राजनीति के व्यक्ति नहीं थे। उनका काम वहीं खत्म हुआ जहाँ बहसें शुरू हुईं। जब २९ अगस्त १९४७ को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ, तो राउ फिर से परदे के पीछे चले गए। कमान प्रशासक से सुधारक, तकनीशियन से राजनेता के हाथों में चली गई। अपनी प्रखर बुद्धि और गहन सामाजिक अनुभव के साथ, अम्बेडकर ने अक्सर हर मुद्दे पर विभाजित सभा के समक्ष प्रारूप का बचाव, परिशोधन और व्याख्या करने का कार्यभार संभाला। १६५ दिनों की बहस में, उन्होंने दो हजार से ज़्यादा संशोधनों का मार्गदर्शन किया, आलोचकों का जवाब दिया, असहमतियों का समाधान किया और दस्तावेज को अंतिम नैतिक सुसंगति प्रदान की।

राउ के विपरीत, अम्बेडकर का योगदान सामाजिक संघर्ष की तपिश में गढ़ा गया था। औपनिवेशिक भारत में एक अछूत के रूप में जन्मे, कोलंबिया और लंदन में शिक्षित, अम्बेडकर सभा में न केवल कानूनी कौशल, बल्कि सदियों के बहिष्कार का दर्द भी लेकर गए। कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता उन्मूलन (अनुच्छेद १७) और वंचितों के लिए सकारात्मक कार्रवाई पर उनके आग्रह ने संविधान को केवल एक राजनीतिक दस्तावेज ही नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा का चार्टर भी बना दिया। जैसा कि क्रिस्टोफर जैफ्रेलॉट ने 'डॉ. अम्बेडकर और अस्पृश्यता- भारतीय जाति व्यवस्था से संघर्ष' (कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, २००५) में लिखा है, अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय को केंद्र में रखकर संवैधानिक विमर्श को बदल दिया - एक ऐसे देश में जो अभी भी पदानुक्रम से बन्धा हुआ था, यह एक क्रांतिकारी कदम था।

दोनों महानुभावों के बीच कभी सार्वजनिक रूप से किसी मुद्दे को लेकर कभी टकराव नहीं हुआ, फिर भी उनके दृष्टिकोणों में अपनी अलग-अलग दुनियाओं के निशान थे। राउ एक इंजीनियर की तरह सोचते थे, ऐसी प्रणालियाँ डिजाइन करते थे जो टिकाऊ हों। अम्बेडकर एक नैतिक दार्शनिक की तरह सोचते थे, ऐसे न्याय की कल्पना करते थे जो उत्थान कर सके। राउ का मसौदा साफ, सुंदर और व्यापक था, अम्बेडकर के संशोधनों ने इसे मानवीय, जरूरी और सामाजिक रूप से जागरूक बना दिया। जब अम्बेडकर ने २५ नवम्बर १९४९ को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया, तो उन्होंने अपने भाषण में स्वीकार किया कि ष्मुझे जो श्रेय दिया जाता है, वह मेरा नहीं है। यह आंशिक रूप से विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी. एन. राउ का है, जिन्होंने प्रारूप समिति के विचार के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था।'

बाद के दशकों में, आम स्मृति ने अम्बेडकर को 'भारतीय संविधान का जनक' घोषित कर दिया, जबकि राउ फुटनोट और डाक टिकट संग्रह में सिमट गए। जैसा कि हाल के विद्वानों और टिप्पणियों ने ध्यान देना शुरू किया है, यह असंतुलन संविधान निर्माण की सहयोगात्मक प्रकृति को अस्पष्ट करता है। २०२३ में आउटलुक इंडिया पत्रिका में प्रकाशित 'बी. एन. राउ की भूमिका- संवैधानिक प्रारूपण के गुमनाम नायक' शीर्षक वाले एक फीचर में लेखक ने कहा कि राउ की तुलनात्मक दृष्टि ने सुनिश्चित किया कि भारत 'औपनिवेशिक श्रेणियों का कैदी' न बने, बल्कि वैश्विक संवैधानिक प्रथाओं से स्वतंत्र रूप से प्रेरणा ले। इंडियन एक्सप्रेस ने भी २०२४ में न्यायिक चिंतन पर अपनी रिपोर्ट में तर्क दिया कि 'इतिहास को राउ को अम्बेडकर के एक फुटनोट के रूप में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में याद रखना चाहिए जिसने अम्बेडकर की प्रतिभा को जड़ें जमाने की नींव रखी।'

हाल के शोध ने एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण को भी प्रोत्साहित किया है। अम्बेडकर की महानता उनके एकाकी लेखन में नहीं, बल्कि नैतिक नेतृत्व में निहित है। एक कानूनी मसौदे को एक लोकतांत्रिक दस्तावेज के रूप में ढालने में। राउ की महानता उस नैतिक दृष्टि को संस्थागत रूप देने में निहित है। इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा संविधान को 'एक निर्बाध जाल' के रूप में पेश करने वाले दस्तावेज का दिया गया रूपक उनकी साझेदारी पर भी समान रूप से लागू होता है। राउ के विचारों के जाल के बिना, अम्बेडकर के आदर्शों में संरचना का अभाव होताय अम्बेडकर के आदर्शों के बिना, राउ के ताने-बाने में आत्मा का अभाव होता।

आज, जब संवैधानिक मूल्यों, न्यायिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पर बहस भारतीय सार्वजनिक जीवन पर हावी है, इन दोनों हस्तियों के बीच का अंतरसम्बन्ध नए सिरे से महत्त्व प्राप्त करता चला जा रहा है। राउ हमें याद दिलाते हैं कि श्रेष्ठ संविधानों के लिए बुद्धि, तैयारी और तुलनात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है। अम्बेडकर हमें याद दिलाते हैं कि इसके लिए साहस, सहानुभूति और सुधार की इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान इसलिए टिका हुआ है क्योंकि इसमें दोनों आवेगों का समावेश है - कानून की सटीकता और न्याय का जुनून।

इस बयानिया में बी. एन. राउ के स्थान का पुनर्मूल्यांकन करते हुए, हम अम्बेडकर के स्थान को कम नहीं करते। बल्कि, हम एक संवैधानिक महायात्रा की तस्वीर को पूरा करते हैं जो वास्तव में सामूहिक थी। राउ ने पुल का निर्माण किया और अम्बेडकर ने लोगों का मार्गदर्शन किया। दोनों ने मिलकर न केवल शासन का एक दस्तावेज बनाया, बल्कि विश्वास का एक प्रमाण भी गढ़ा - यह विश्वास कि इतिहास से विभाजित एक राष्ट्र कानून और न्याय द्वारा एकजुट हो सकता है।

१७ अक्टूबर २०२५ को 'द हिंदू' में प्रकाशित एक गहन गम्भीर विचारत्तेजक आलेख में, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने भारतीय संविधान के लेखकत्व की पुनर्व्याख्या के हालिया प्रयासों पर पुनर्विचार किया है। उन्होंने कहा कि 'संवैधानिक इतिहास में एक शांत संशोधनवाद' है जिसका उद्देश्य डॉ. बी. आर. अम्बेडकर से ध्यान हटाकर बी. एन. राउ पर केंद्रित करना है। हेगड़े ने कहा कि यह आख्यान, हालांकि अकादमिक भाषा में लिखा गया है, 'इस विचार से एक गहरी बेचैनी प्रकट करता है कि एक दलित विद्वान गणतंत्र की

स्थापना के क्षण के केंद्र में आ सकता है।' संवैधानिक सलाहकार के रूप में राउ के अपार योगदान को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए, हेगड़े ने पाठकों को याद दिलाया कि राउ ने स्वयं कभी संविधान के लेखक होने का दावा नहीं किया। हेगड़े ने लिखा, 'राउ ने नीव का निर्माण किया, लेकिन यह अम्बेडकर ही थे जिन्होंने उस पर न्याय की इमारत खड़ी की।' उन्होंने तर्क दिया कि अम्बेडकर की भूमिका को केवल एक माध्यम तक सीमित करना, संविधान द्वारा प्रस्तुत नैतिक क्रांति को गलत समझना है, एक असमान समाज को सम्मान और अधिकारों पर आधारित लोकतंत्र में बदलना। हेगड़े ने चेतावनी दी कि राउ को मुख्य लेखक के रूप में पुनः प्रस्तुत करने से संविधान के 'एक क्रांतिकारी सामाजिक अनुबन्ध से एक तकनीकी नियमावली' में बदलने का जोखिम है। उनके निबन्ध का समापन एक संतुलित स्वर में हुआ- 'अम्बेडकर का सम्मान करना राउ को कमतर आंकना नहीं है, बल्कि चित्र को पूर्ण करना है, क्योंकि एक नींव, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अपना अर्थ केवल उस घर में ही पाती है जिसे वह ऊँचा रखती है।'

To honour Ambedkar is not to diminish Rau, but to complete the picture - for a foundation, however strong, finds its mexning only in the house it holds aloft.'

यह कहना भी जरूरी है कि हाल ही में प्रचलित एक मुहावरे में एक स्वाभाविक क्रूरता है कि सर बी. एन. राउ महापुरुष अम्बेडकर के लिए केवल एक 'क्लर्क' या एक 'स्टेनोग्राफर' थे। अरे भाई, आप एक को तो वेद व्यास बना दे रहे हैं लेकिन दूसरे को गणेश कहने तक से घबरा रहे हैं। उपहास कर रहे हैं। यह नहीं चलेगा। इस तरह का सरसरी पूर्ण कथन या नारा राष्ट्र-निर्माण के एक जटिल, सामूहिक कार्य को एक पंक्ति में सीमित कर देता है। यह पक्षपात को बढ़ावा देता है। हिरण्य मय पात्र के आवरण को अनावृत करने से रोकना किसी को शोभा नहीं देता।

चाहे किसी का भी काम हो, योगदान हो, हमें कम करके आंकना नहीं चाहिए। संविधान सभा के निर्माण की खबर सुनकर देश के कोने कोने से लोगों ने डाक से अपने प्रतिवेदन भेजे। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो हमारे सामने डॉ. भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे महान नेताओं की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान दस्तावेज को बनाने में देश के सामान्य नागरिकों का भी असाधारण योगदान था?

सहारनपुर के श्री इंदर लाल का नाम शायद किसी इतिहास की किताब में दर्ज नहीं है, न ही उन्हें कोई पुरस्कार मिला। लेकिन उनकी कहानी यह साबित करती है कि भारत का संविधान केवल कुछ चुनिंदा नेताओं की देन नहीं, बल्कि पूरे देश के सामूहिक विवेक और सहभागिता का परिणाम था। २२ नवम्बर १९४६ को, जब संविधान सभा की औपचारिक बहस भी शुरू नहीं हुई थी, श्री इंदर लाल ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने संविधान सभा के सचिव बेनेगल नरसिंह राउ को ५५ पृष्ठों का एक विस्तृत दस्तावेज भेजा - 'भारतीय संविधान के मूल सिद्धान्त (स्थायी संविधान के लिए)'। यह कोई साधारण पत्र नहीं था। यह ग्यारह अध्यायों और एक परिशिष्ट से सुसज्जित एक पूर्ण ज्ञापन था, जिसमें उन्होंने अपने संवैधानिक प्रस्तावों को गहन विचार और अध्ययन के साथ प्रस्तुत किया। उनका उद्देश्य क्या था? उनके अपने शब्दों में- 'देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में विभिन्न परस्पर विरोधी तत्वों में सामंजस्य स्थापित करना।' श्री लाल ने न केवल अपना प्रस्ताव भेजा, बल्कि विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि इसे संविधान सभा के सभी सदस्यों के बीच प्रसारित किया जाए और अंतिम रिपोर्ट के साथ प्रकाशित भी किया जाए। जब संविधान सभा के सचिव ने उन्हें बताया कि यह सम्भव नहीं है, तो क्या श्री लाल ने हार मान ली? बिल्कुल नहीं!

कुछ हफ्तों बाद, उन्होंने फिर से पत्र लिखा - इस बार सीधे संविधान सभा के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद को। यह दृढ़ संकल्प, यह जुनून, यह देशभक्ति- यह केवल एक सामान्य नागरिक की कहानी नहीं है, जो अपने देश के भविष्य को संवारने में अपना योगदान देना चाहता था? सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि श्री लाल अकेले नहीं थे। अभिलेखीय दस्तावेजों से पता चलता है कि अगस्त १९४६ से अक्टूबर १९४७ के बीच - जब संविधान का पहला मसौदा तैयार हुआ - कम से कम २०५० व्यक्तियों और एक दर्जन संगठनों ने भारत के संविधान के लिए सुझाव और विस्तृत प्रस्ताव भेजे। यही नहीं, १५० से अधिक संगठनों और दर्जनों व्यक्तियों ने संविधान सभा को पत्र लिखकर अपने समुदाय, जाति, जनजाति, धर्म या पेशे के लिए प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के लिए विस्तृत संवैधानिक सुझाव दिए।

अप्रैल १९४६ से, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बुलाए जाने की उम्मीद थी? पूरे भारत के लोग मिलकर किसी भी स्टेट अथॉरिटी को, जिसके बारे में उन्हें लगता था कि संविधान बनाने में उसकी भूमिका होगी, तेजी से रिक्वेस्ट, पैम्फलेट, मेमोरेंडम और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन भेजने लगे। अगस्त १९४६ से, ये पत्र-व्यवहार सीधे संविधान सभा के सेक्रेटेरिएट, उसके प्रेसिडेंट या संवैधानिक सलाहकार बी. एन. राउ को भेजे गए। जनता ने कई तरह के कल्पनाशील संवैधानिक सुझाव दिए और अपनी राय जाहिर की। कलकत्ता से श्री नरेंद्र सिंह सिंघी ने जैन सभा के मार्फत बी. एन. राउ को यह जानकारी देने के लिए लिखा-

'(१) माइनॉरिटी को एडवाइजरी कमेटी में अपने नॉमिनी भेजने के लिए कैसे बुलाया जा रहा है।

(२) ख़ास माइनॉरिटी को एडवाइजरी कमेटी में रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने दावों को कैसे पहचान और रजिस्टर कराया जाए।

(३) जैन कम्युनिटी के 'सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक हालात' इतने अलग और स्पेशल हैं कि उन्हे 'एडवाइजरी कमेटी' के लिए बुलाया जाना चाहिए।

१७ मार्च १९४७ को राउ ने सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के सभी मेम्बर को एक प्रश्नावली क्वेश्चनेयर भेजा, जिसमें आने वाले संविधान की मुख्य बातों पर उनकी राय पूछी गई थी। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के एक मेम्बर ने राउ को लिखा कि उन्हें 'बहुत सारे लोगों, भले ही वे विधान सभा के सदस्य हों, से सुझाव इकट्ठा करने के फायदे में यकीन नहीं है'। राउ ने इस चुनाव का बचाव करते हुए कहा कि 'प्रश्नावली' का कम से कम शैक्षिक असर तो होगा ही और यह लोगों को उस कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल्स के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा जिसके तहत उन्हें रहना होगा'। उन्होंने यह भी सोचा कि इस आधार पर तैयार किया गया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 'बाद में प्रोविंस में भेजे जाने पर मंजूर होने की ज़्यादा संभावना थी'। ऑल इंडिया रेडियो के एक न्यूज ब्रॉडकास्ट में इस क्वेश्चनेयर के बारे में पता चलने के बाद, इंडियन पब्लिक के कई मेम्बर ने उल्टी दिशा से इसकी आलोचना शुरू कर दी- उन्होंने मांग की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनके जवाब भी रिकॉर्ड करे। उदाहरण के लिए, शिमला की रामगढ़िया सभा, जिसने एक महीने पहले फरवरी १९४७ में मौजूदा कानूनों में शामिल जातिगत भेदभाव के बारे में संविधान सभा को लिखा था, अब उनसे 'भारत के भविष्य के संविधान पर प्रश्नावली' पर अपनी राय देने के लिए कहा गया।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना 'हम भारत के लोग' से शुरू होती है। श्री इंदर लाल और नरेंद्र

सिंह और उनके जैसे सैकड़ों अज्ञात नागरिकों की कहानियां इस पंक्ति को जीवंत करती हैं। यह संविधान केवल २६६ संविधान सभा सदस्यों का नहीं था - यह उन हजारों साधारण भारतीयों का भी था, जिन्होंने अपने विचार, अपने सपने, अपनी चिंताएं इस महान दस्तावेज में समाहित करने का प्रयास किया। भले ही उनके सभी सुझाव स्वीकार नहीं हुए, लेकिन उनकी भागीदारी ने इस संविधान को सही मायनों में जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए बना दिया।

उन्हें पता ही नहीं चल सका कि संविधान सभा मूलतः एकदलीय देश में एकदलीय निकाय थी। यह सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। The Constituent Assembly was a one party body in an essentially one party country. The Assembly was the Congress and the Congress was India. (ऑस्टिन, पृष्ठ २२) भारतीय जनता ने यह समझकर काम किया कि संविधान बनाने में उनकी भूमिका है। उनके लगातार जुड़ाव, मांगों और संवैधानिक उम्मीदों के जोश ने यह पक्का किया कि भारत में, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया और आजादी के लिए संघर्ष, मुश्किलों के बावजूद, चुनाव के मुश्किल पलों के बाद भी जारी रहे।

The Indian public acted on an understanding that they had a role in shaping the constitution- Their persistent engagements, demands and the fever of constitutional expectations their aspirations unleashed ensured that in India] the process of democratisation and the struggles for liberties despite setbacks have sustained beyond the narrow moments of elections. (रोहित डे और ओरनित शानी, पृष्ठ ३२४)

वे तो यह मानकर चले थे कि संविधान बनाने में उनकी भी बात सुनी जाएगी और उनकी भी भूमिका होगी, सक्रिय संवैधानिक लोग और मुखर भागीदार बने रहे, उन्होंने अपनी संवैधानिक व्याख्याएँ करने, संवैधानिक पाठ का क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करने और उसे सुधारने और उसमें बदलाव करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने के लिए हर मौके की शुरुआत की और उसका फायदा उठाया।

That they had a say and a role in making the constitution remained active constitutional actors and vocal participants initiating and taking any opportunity to make their own constitutional interpretations to use the constitutional text creatively and to mobilise into collective action to mend and amend it- वही, ३१६)

१६३० के दशक की शुरुआत से ही कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही थी कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। १६४६ में लॉर्ड वेवल ने आख़िरकार उनकी मांग मान ली। असेंबली के सदस्यों को उस साल के प्रांतीय चुनावों के आधार पर चुना गया था। मुस्लिम लीग ने शुरुआती बैठकों का बॉयकॉट करने का फैसला किया, जिससे यह सभा एक पार्टी का फोरम बन गयी। संविधान सभा की पहली मीटिंग ६ दिसम्बर १६४६ को हुई। नेहरू और पटेल जैसे कांग्रेस के बड़े सदस्य आगे की बेंचों पर बैठे थे। लेकिन यह दिखाने के लिए कि यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी का शो नहीं था, बंगाल के शरत बोस जैसे जाने-माने विरोधियों को उनके बगल में सीटें दी गईं। नौ महिला सदस्य मौजूद थीं। ब्रिटिश इंडिया के राज्यों से भेजे गए सदस्यों के अलावा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रियासतों के प्रतिनिधि भी थे, जिन्हें तब भेजा गया जब ये राज्य एक-एक करके यूनियन में शामिल हुए। असेंबली के ८२ परसेंट सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे क्योंकि पार्टी के सदस्यों के विचार अलग-अलग थे। उनमें से कुछ नास्तिक और सेक्युलर थे, दूसरे 'टेक्निकली कांग्रेस के सदस्य थे लेकिन आध्यात्मिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के सदस्य' थे। कुछ सोशलिस्ट थे तो कुछ दूसरे जमींदारों के अधिकारों के हिमायती थे। कांग्रेस ने अलग-अलग जाति और धार्मिक ग्रुप के स्वतंत्र सदस्यों और महिलाओं को भी शामिल किया। कई न्याय विदों को भी चुना गया। असेंबली में शायद ही कोई ऐसी पब्लिक ओपिनियन रही होगी जिसका प्रतिनिधित्व न हुआ हो।

संविधान सभा में ३०० से ज़्यादा सदस्य थे। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इनमें से बीस सदस्यों को सबसे प्रभावशाली बताया है। इनमें से बारह के पास लॉ की डिग्री थी, जिनमें कांग्रेस के दिग्गज जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। संविधान के निर्माण पर सबसे बढ़िया किताबों में से एक 'दी इंडियन कान्स्टिटूशन - कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन'(१६६६) के लेखक डॉ ग्रेनविल ऑस्टिन आगे लिखते हैं- संविधान सभा में और उसके बाहर कांग्रेस के सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार प्रतिक्रियावादी से लेकर क्रांतिकारी तक थे, और वह उन्हें व्यक्त करने में संकोच नहीं करती थी। सभा के नेता, जिन्होंने कांग्रेस और केंद्र सरकार में समान भूमिका निभाई, राष्ट्रीय नायक थे और उनके पास लगभग असीमित शक्तियाँ थीं, फिर भी सभा में निर्णय लेना लोकतांत्रिक था। भारतीय संविधान कुछ लोगों की जरूरतों के बजाय बहुसंख्यकों की इच्छा को व्यक्त करता है।

The membership of the Congress in the Constituent Assembly and outside held social, economic, and political views ranging from the reactionary to the revolutionary and it did not hesitate to voice them. The leaders of the Assembly, who played the same role in the Congress and in the Union Government were national heroes and had almost unlimited power; yet decision&making in the Assembly was democratic. The Indian Constitution eÛpresses the will of the many rather than the needs of the few- (पेज ८-६)

कांग्रेस की इस त्रिमूर्ति- नेहरू, पटेल और प्रसाद के अलावा असेंबली के सबसे अहम सदस्य थे डॉ बी. आर. अम्बेडकर। अम्बेडकर केंद्र सरकार में कानून मंत्री थे, और भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। उनके साथ दो और जबरदस्त दिमाग़ वाले लोग काम कर रहे थे। वे थे श्री के. एम. मुंशी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। श्री के. एम. मुंशी गुजराती बहुभाषाविद साहित्यकार और वकील होने के साथ-साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर तमिलनाडु से आते थे जिन्होंने पंद्रह साल तक मद्रास प्रेसीडेंसी के एडवोकेट जनरल के तौर पर काम किया था। दिसम्बर १६४६ से नवम्बर १६४६ तक लगभग तीन वर्षों की लंबी चर्चा और विचार-विमर्श के बाद २६ जनवरी १६५० को जब यह संविधान लागू हुआ, तो वह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था - वह करोड़ों भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक था।

संविधान निर्माण की प्रक्रिया को अक्सर एक बंद कमरे में हुए राजनीतिक मंथन के रूप में देखा जाता है, लेकिन हाल के शोध इस धारणा को नई रोशनी में बदल देते हैं। १६४८ में जब संविधान का मसौदा सार्वजनिक किया गया, तब पहली बार भारतीय जनता को अपने विचार, आपत्तियाँ और सुझाव सीधे संविधान सभा तक पहुँचाने का अवसर मिला। नर सिंह राउ के छोटे भाई शिवा राव की छह-खंडीय कृति द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन- सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स से हमें पता चलता है कि मंत्रालयों, वकीलों के समूहों से लेकर ट्रेड यूनियनों तककृविभिन्न संस्थाओं ने अपने संवैधानिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इस जनभागीदारी की वास्तविक गहराई और विस्तार को इतिहासकार

ऑर्निट शानी ने हाल ही में उपलब्ध कराए गए अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर बिल्कुल नए ढंग से उजागर किया है। शानी के मुताबिक, साधारण भारतीय व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में उत्साहपूर्वक संविधान सभा तक पहुँचे। उन्होंने पत्रों, तारों, प्रस्तावों, पुस्तिकाओं और ज्ञापनों के माध्यम से भारत के लिए अपने संवैधानिक स्वप्न और माँगें सामने रखीं। कोई वेद प्रचार मंडल की तरह पूर्ण संविधान का मसौदा संलग्न कर भेज रहा था जिसमें अंतरजातीय विवाह और सह- भोज को समर्थन मिलता था और राज्य को किसी धर्म को आधिकारिक रूप देने से रोका गया था। तो कोई के. वी. सुंदरेस अय्यर की तरह सामुदायिक परंपराओं को राज्य के हस्तक्षेप से बचाने की माँग कर रहा था। कुछ समूह तो और आगे बढ़कर संविधान निर्माण में सीधी हिस्सेदारी चाहते थे। अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन, गोरखा लीग और कश्यप राजपूत महासभा जैसी संस्थाएँ मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक अधिकारों से सम्बंधित सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व की माँग कर रही थीं, ताकि उनके समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित कर विशेष संरक्षण मिल सके। सार्वजनिक भागीदारी सिर्फ पत्राचार तक सीमित नहीं थी। १९४८ के मसौदे की पुस्तक खुले बाजार में एक रुपये मूल्य में बिक रही थीं, रेडियो और समाचार पत्र संविधान सभा की गतिविधियों का विस्तृत प्रसारण कर रहे थे, और सभा की कार्यवाही को समझने के लिए विशेष मार्गदर्शिकाएँ भी प्रकाशित की गई थीं। २०२५ में प्रकाशित रोहित दे और शानी अपनी पुस्तक ''असीमबलिंग इंडिया'स कान्स्टिटूशन'' में लिखते हैं कि जिन पाठकों के लिए एक रुपया बहुत महँगा था, वे या तो गजट एक्स्ट्राऑर्डिनरी में एक आने की कीमत पर इसकी एक प्रति प्राप्त कर सकते थे या अखबारों में प्रकाशित चौबीस पृष्ठों का सारांश पढ़ सकते थे। मूल संस्करण अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था, लेकिन अधिकृत हिंदी और उर्दू अनुवाद सितंबर १९४८ तक प्रकाशित हो गए थे। संविधान सभा के नौकरशाहों के लिए, अनुवाद का उद्देश्य संविधान के अंतिम रूप देने के बाद उसका प्रसार करना था। आम भारतीयों के लिए, इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए हर चरण में अनुवाद आवश्यक था। इसलिए इस ड्राफ्ट के अनुवाद भारत की सभी भाषाओं में तुरत हुए और बिके।

शिवा राव बताते हैं कि संविधान सभा ने जनता से आए प्रस्तावों को पढ़ने और उन पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया। शानी कहती हैं कि सचिवालय ने प्रत्येक पत्र का उत्तर देने का भरसक प्रयास किया। शानी का मुख्य निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण है, भारतीय जनता संविधान निर्माण में अनुपस्थित नहीं थी, वह सक्रिय थी, बस प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष रूप में। यह निष्कर्ष उस स्थापित धारणा को भी चुनौती देता है कि भारतीय संविधान एक 'अभिजात्य परियोजना' था और 'जनता' उससे बाहर थी। शानी का शोध बताता है कि जनता न केवल मौजूद थी, बल्कि उसने अपनी आवाज़ को संविधान सभा तक पहुँचाने के लिए उपलब्ध हर माध्यम का उपयोग किया। यही वह जीवंत संवाद था जिसने भारत के संविधान निर्माण को मात्र राजनीतिक नेतृत्व की कवायद नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक राष्ट्रव्यापी चिंतन में बदल दिया। फिर भी प्रश्न यह है- क्या इस व्यापक सार्वजनिक सहभागिता का १९५० के अंतिम संविधान पर वास्तविक प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर सीधे-सीधे देना कठिन है, क्योंकि इसके लिए विस्तृत शोध की आवश्यकता है जो हर प्रस्ताव की यात्रा का अनुसरण कर सके।

अब ये भारत के लोग किसको चिट्ठी लिख रहे थे? कौन पढ़ रहा था ये पत्र? पत्राचार बाबा साहब नहीं कर रहे थे। नरसिंह कर रहे थे। उनको मसौदा जो बनाना था।

नर सिंह के अथक प्रयास को आंकना एक बात है और उसे टाइपराइटर पर काम करने वाले क्लर्क से तुलनीय कहना बिल्कुल अलग बात है। राउ संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, वह व्यक्ति जिन्होंने देश विदेश की यात्राएँ कीं, संविधान विदों से बातचीत की, विविध संविधानों की तुलना की, विकल्पों को संकलित किया, और सभा के समक्ष संविधान का एक पूर्ण, तर्कपूर्ण मसौदा प्रस्तुत किया। जिसमें अपने पूर्व रूप में २४३ अनुच्छेद और तेरह अनुसूचियाँ थीं, जिस पर प्रारूप समिति और सभा ने फिर काम किया। संविधान सभा के आधिकारिक अभिलेखों और पुनर्मुद्रणों में राउ को संवैधानिक सलाहकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और उनके द्वारा तैयार किए गए मसौदे को समिति द्वारा विचाराधीन दिखाया गया हैय ये सीमांत या लिपिकीय फुटनोट नहीं हैं, बल्कि सभा के अपने खंडों में दर्ज औपचारिक संस्थागत कार्य हैं।

लेकिन अभिलेख एक और, उतनी ही महत्त्वपूर्ण बात भी बताते हैं- किसी संविधान का रचयिता कोई एक नहीं होता। कभी भी कोई संविधान अकेले की रचना का परिणाम नहीं होता। राउ के मसौदे को सभा के समक्ष रखे जाने के बाद, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने कई महीनों तक उस पाठ पर बहस, संशोधन और बचाव किया, अम्बेडकर ने एक तकनीकी मसौदे को सामाजिक चार्टर में बदलने के राजनीतिक, नैतिक और तर्कपूर्ण कार्य का नेतृत्व किया, दो हजार से ज़्यादा संशोधनों का उत्तर दिया और नए गणराज्य का नैतिक व्याकरण प्रदान किया। अम्बेडकर ने स्वयं राउ के योगदान को स्वीकार किया और स्पष्ट किया कि अंतिम दस्तावेज समिति के कार्य और सभा की सहमति का परिणाम था। राउ को एकमात्र रचयिता बताकर अम्बेडकर के नेतृत्व को मिटाना - या, इसके विपरीत, उन्हें क्लर्क कहकर राउ के अपरिहार्य प्रारंभिक श्रम को मिटाना - ऐतिहासिक अभिलेख को गलत साबित करता है। तो फिर, कुछ क्षेत्रों में उनके लिए 'क्लर्क' शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? इसका एक कारण समकालीन राजनीति और स्मृति-निर्माण है- सरलीकृत आख्यान अलंकारिक उद्देश्यों के अनुकूल होते हैं। दूसरा कारण संविधान-निर्माण के विभिन्न पहलुओं को समझने में विफलता है। प्रारूपण और तुलनात्मक शोध तकनीकी कलाएँ हैं, राजनीतिक नेतृत्व, वकालत और नैतिक ढाँचा अलग-अलग कलाएँ हैं। राउ ने पहली कला प्रदान की - तुलनात्मक अध्ययन और प्रशासनिक अनुभव पर आधारित एक वास्तुकार के ब्लूप्रिंट का समूह, अम्बेडकर ने दूसरी कला प्रदान की - एक राजनेता की तर्क करने, अनुकूलन करने और सामाजिक न्याय को पाठ में केंद्रीय रूप से समाहित करने की क्षमता। हाल के लेख और संवाद जो राउ की भूमिका पर जोर देने का प्रयास करते हैं, अक्सर अतिशयोक्ति करते हैं, और ऐसा करने से अम्बेडकर जी द्वारा उठाए गए मानक दांव पर अप्रत्यक्ष रूप से कमज़ोर पड़ सकते हैं, इसके विपरीत, अम्बेडकर जी के समर्थक ऐसे किसी भी कदम का विरोध करते हैं जो इस प्रतीकात्मक रूप से आवश्यक दावे को कमज़ोर करता प्रतीत होता है कि संविधान का जन्म सामाजिक मुक्ति की एक परियोजना से हुआ था। दोनों ही अतिशयोक्ति एक बनावटी इतिहास को सपाट कर देती हैं।

'क्लर्क' कहकर दुत्कारना या गाली-गलौच के माध्यम से एक उचित आलोचना दो अलग अलग स्तरों पर काम करती है। पहला, यह अनुभवजन्य गलती का सामना करती है- राउ एक टाइपिस्ट नहीं थे। वे संवैधानिक सलाहकार थे जिन्होंने संविधान के निर्माण के लिए एक कार्यकारी मसौदा तैयार किया और जिनके तुलनात्मक कार्य ने कई संस्थागत विकल्पों को आकार दिया। आधिकारिक रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं। दूसरा, यह उस बयानबाजी को

खारिज करता है जो इस कलंक का आधार है- एक विवादित इतिहास को एकल-लेखक की कहानी में बदलने की इच्छा जो संविधान की सामाजिक प्रतिबद्धताओं को या तो साफ-सुथरा बनाती है या उन्हें अवैध ठहराती है।

राउ को क्लर्क कहना अक्सर मूल कहानी का राजनीतिकरण करने का प्रयास होता है - एक नैतिक और राजनीतिक उद्यम को नौकरशाही के मसौदा तैयार करने के एक मात्र कार्य में बदल देना। इस कदम का विरोध व्यक्तित्वों के प्रति सम्मान के कारण नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सत्य और संविधान के मानक अर्थ की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए।

अगर हमें अतीत के प्रति आस्था बनाए रखनी है, तो हमें दो सच्चाइयों को एक साथ रखना होगा। बी. एन. राउ की तकनीकी महारत और प्रारंभिक श्रम अपरिहार्य थे, एक संपूर्ण, तुलनात्मक मसौदे के बिना सभा के सामने कहीं अधिक भारी और जटिल कार्य होता। अम्बेडकर का राजनीतिक नेतृत्व और नैतिक लेखन भी उतना ही अपरिहार्य था, जिसने एक मसौदे को सामाजिक न्याय के एक जीवंत चार्टर में बदल दिया। किसी व्यक्ति को क्लर्क कहना अभिलेखीय अभिलेखों और इस विचार, दोनों के साथ अन्याय है कि संविधान कानून और राजनीति, तकनीक और विवेक के बीच टकराव में गढ़े जाते हैं।

कम से कम आप ऑस्टिन की किताब की ये चार पाँच पंक्तियाँ ही पढ़ लें। ऑस्टिन की तो कोई जाति भी नहीं थी और स्वार्थ भी नहीं,

एक और व्यक्ति, बी. एन. राव, को संविधान निर्माण में महत्त्वपूर्ण लोगों में शामिल किया जाना चाहिए। संवैधानिक सलाहकार के रूप में, राव की सलाह संविधान सभा की आंतरिक परिषदों में सुनी जाती थी, हालाँकि वे सभा के सदस्य नहीं थे। एक विधिवेत्ता, एक प्रख्यात अधिवक्ता और न्यायाधीश, संवैधानिक इतिहास के अध्येता, और एक योग्य प्रारूपकार, विधानसभा के अधिक यूरोपीय बुद्धिजीवियों में से एक, राव ने भारत के संविधान में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के लिए शायद अन्य विधानसभा सदस्यों की तुलना में यूरो-अमेरिकी संवैधानिक मिसाल को अधिक महत्त्व दिया। राव १९३३ में असम सरकार के दूत के रूप में संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने लंदन भी गए थे। हालाँकि, १९३५ के अधिनियम के प्रारूपण में उनकी भूमिका मामूली थी। लेकिन १९३५-३६ के वर्षों के दौरान भारत सरकार के सुधार कार्यालय के सदस्य के रूप में अधिनियम के कार्यान्वयन से उनका घनिष्ठ सम्बंध था।

One more individual, B. N. Rau must be placed among those important in the framing of the Constitution. As Constitutional Adviser, Rau's advice was heard in the Assembly's inner councils, although he was not an Assembly member. A legalist, an eminent advocate and judge, a student of constitutional history, and an able draftsman, one of the more Europe Unized intellectuals in the Assembly, Rau looked to Euro & American constitutional precedent perhaps even more than other Assembly members for the devices to be used in India's Constitution- Rau had also gone to London in 1933 as an emissary of the Assam Government to present evidence before the Joint Select Committee. His role in the drafting of the 1935 Act was, however, marginal. But he did have an intimate connection with the implementation of the Act as a member of the Reforms Office of the Government of India during the years 1935&36A (Page 20)

ऐतिहासिक निष्ठा और एक परिपक्व जन स्मृति के लिए यह आवश्यक है कि हम सरल विशेषणों का त्याग करें और दस्तावेजों, बहसों और भाषणों को उनके वास्तविक स्वरूप में पढ़ें।

जिनके पास संविधान सभा के अभिलेखों को पढ़ने समझने और विचार करने के लिए समय नहीं है, उनके लिए कुछ बातें छाँट कर दे रहे हैं। समझदार को इशारा ही काफी होता है।

१. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा बी. एन. राउ के प्रति आभार (२५ नवम्बर, १९४९)

संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम भाषण में, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान सलाहकार के रूप में कार्य करने वाले बी. एन. राउ को स्पष्ट रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की-

'मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि इस सभा के सुचारू संचालन का अधिकांश श्रेय सर बी. एन. राउ द्वारा किए गए कार्यों को जाता है। सदन को स्मरण रहेगा कि उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उन्होंने एक प्रारूप संविधान तैयार किया जिसे बाद में प्रारूप समिति के समक्ष रखा गया। प्रारूप समिति ने उनके द्वारा तैयार किए गए प्रारूप को अपने आगे के कार्य के आधार के रूप में स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया। वे अपने कार्य को कुशलतापूर्वक, ईमानदारी से और अच्छी तरह से करने के लिए हमारे आभार के पात्र हैं।'

- संविधान सभा डिबेट, खंड XI, २५ नवम्बर १९४९, पृष्ठ १० ९७९.

अम्बेडकर की यह स्वीकारोक्ति दिखावटी नहीं थीय यह इस समझ को दर्शाती है कि राउ के तुलनात्मक संवैधानिक प्रारूप ने इसकी नींव रखी, जबकि प्रारूप समिति के कार्य - अम्बेडकर की अध्यक्षता में - ने इस पाठ को वैचारिक आकार और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति प्रदान की।

२. राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का समापन भाषण

उसी सत्र में, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस संतुलित दृष्टिकोण को पुष्ट किया- 'प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले, मैं संवैधानिक सलाहकार सर बी. एन. राउ के प्रयासों की सराहना करना चाहता हूँ, जिन्होंने प्रारंभिक चरणों में संविधान सभा के समक्ष एक ऐसा प्रारूप प्रस्तुत करके अमूल्य सहायता प्रदान की, जो संविधान के अंतिम निर्माण में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ।'

- संविधान सभा डिबेट, खंड XI, २६ नवम्बर १९४९, पृष्ठ १०. ९९७.

बाद में सन १९६० में प्रकाशित बी शिवा राव की पुस्तक 'इंडियाज कॉन्स्टीट्यूशन इन द मेकिंग' के प्राक्कथन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था - 'अपने ज्ञान और अनुभव के कारण बेनेगल नरसिंह राउ संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद के लिए अपरिहार्य व्यक्ति थे। उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों के लिए आवश्यक सहायक सामग्री खोजी और उसे साधारण आदमी की समझ के लिए आसान शब्दों में प्रस्तुत किया। संविधान सभा के अधिकतर सदस्य स्वाधीनता सेनानी थे। उन्हें संविधान की जटिलताएं मालूम नहीं थीं।'

डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आगे लिखा-

'संविधान पर सामग्री की कमी नहीं थी, लेकिन उसका सही चयन और उसकी उचित व्याख्या का काम बहुत चुनौतीपूर्ण था।'

'राउ ने दुनिया के लिखित और अलिखित संविधानों का गहन अध्ययन कर समय समय पर अपने दस्तावेजों में उपयोगी तथ्य और तर्क दिए और उसे सदस्यों के लिए उपलब्ध कराया। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माण के विभिन्न चरणों में एक कुशल पायलट की भूमिका में थे, तो बेनेगल राऊ वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की एक स्पष्ट परिकल्पना दी और उसकी नींव रखी। संवैधानिक विषयों को साफ-सुथरी भाषा में लिखने की उनमें कमाल की योग्यता थी।'

३. राउ की भूमिका का आधिकारिक

अभिलेख

भारतीय संविधान सभा - कार्यवाही एवं रिपोर्ट (भारत सरकार, १९४८) के अनुसार, सभा ने १ जुलाई १९४६ को बी. एन. राऊ को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। उनके कर्तव्यों को इस प्रकार परिभाषित किया गया था-

'अन्य संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन और सभा द्वारा अपने प्रथम प्रस्ताव में अपनाए गए उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, संविधान का प्रारंभिक प्रारूप तैयार करना।'

भारत सरकार द्वारा स्वयं प्रकाशित यह विवरण स्थापित करता है कि राऊ का कार्यालय एक सलाहकारी और रचनात्मक कार्यालय था, जिसमें स्वतंत्र प्रारूपण, कानूनी अनुसंधान और सभा सचिवालय के साथ समन्वय शामिल था - यह पद किसी भी लिपिकीय या आशुलिपिकीय कार्य से कहीं ऊपर था।

४. लेखकत्व की अम्बेडकर की अपनी व्याख्या

जब १९५५ में बीबीसी ने अम्बेडकर का साक्षात्कार लिया, तो उन्होंने संविधान निर्माण पर ऐसे शब्दों में विचार किया जिनसे इसमें शामिल सामूहिक श्रम और भागीदारी की एक बार फिर पुष्टि हुई-

'मेरा कार्य एक प्रकार से तकनीकी प्रकृति का था, इस अर्थ में कि मुझे संविधान का प्रारूप तैयार करने और उसे विधानसभा में पारित कराने के लिए कहा गया था। लेकिन संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया था। यह उनका है।'

- डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : द मैन एंड हिज मैसेज, संपादक सी. बी. खैरमोड़े, बॉम्बे : १९५७, पृष्ठ ४८९।

यह विनम्रता, जो अम्बेडकर और राउ दोनों की विशेषता है, हमें याद दिलाती है कि दोनों में से किसी ने भी अकेले लेखक होने का दावा नहीं किया था।

५.अधुनातन शोध और लेखन

अब पहले से अधिक शोध कार्य इस दिशा में हो रहे हैं जैसे अरविन्द एलनगोवन, ओरनित शानी और रोहित दे के आलेख और उनकी पुस्तकें। उदाहरण के लिए शानी ने एक शोध पत्र में लिखा है-

वास्तव में, पहले से अज्ञात अभिलेखीय सामग्रियों की ऐतिहासिक जांच से पता चलता है कि श्री लाल उन अनेक व्यक्तियों और विविध संगठनों में से एक थे, जिन्होंने संविधान सभा के सचिवालय, उसके अध्यक्ष या संवैधानिक सलाहकार बी. एन. राउ को भारत के भावी संविधान के लिए योजनाएं, राय और सुझाव दिए थे।

Indeed, a historical inquiry into previously unexplored archival materials reveal that Mr. Lal was one of many individuals and multifarious organizations that addressed the secretariat of the CA, its president or the constitutional adviser, B. N. Rau, with schemes, opinions, and suggestions for the future constitution of India. (Shani,2022)

ये अभिलेखीय अंश मिलकर इस मिथक को तोड़ते हैं कि बी. एन. राउ एक 'क्लर्क' थे। वे दर्शाते हैं कि संविधान निरंतर कार्य से विकसित हुआ। तकनीकी आधार के रूप में राउ का मसौदा, नैतिक और राजनीतिक उत्थान के रूप में अम्बेडकर का नेतृत्व, और लोकतांत्रिक स्वीकृति के रूप में संविधान सभा की बहसें। संवैधानिक इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन (द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन- कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, १९६६, पृष्ठ १५) के शब्दों में-

'राउ ने योजना तैयार कीय प्रारूप समिति ने ढाँचा तैयार कियाय और अम्बेडकर ने उसे रूप और जीवन दिया।'

और हाँ, अपने देश के लेखक श्री राम चंद्र गुहा लिखते हैं, 'इन छह लोगों में एक सातवें व्यक्ति को भी जोड़ना होगा जो विधानसभा का सदस्य ही नहीं था। ये थे बी. एन. राउ , जिन्होंने भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। भारतीय सिविल सेवा में अपने लंबे करियर में राउ को कई कानूनी नियुक्तियाँ मिलीं। अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करते हुए, और पश्चिमी लोकतंत्रों के एक नए अध्ययन-दौरे के बाद, राउ ने अम्बेडकर और उनकी टीम के लिए कई नोट्स तैयार किए। बदले में, राउ को मुख्य ड्राफ्ट्समैन, एस. एन. मुखर्जी ने सहायता प्रदान की, जिनकी 'सबसे जटिल प्रस्तावों को सबसे सरल और स्पष्ट कानूनी रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता की बराबरी शायद ही कोई कर सके'।'

To these six men one must add a seventh who was not a member of the Assembly at all. This was B.N. Rau who served as constitutional adviser to the government of India. In a long career in the Indian Civil Service Rau had a series of legal appointments. Using his learning and experience and following a fresh study tour of Western democracies Rau prepared a series of notes for Ambedkar and his team to chew upon- Rau in turn was assisted by the chief draughtsman S. N. Mukherjee whose 'ability to put the most intricate proposals in the simplest and clearest legal form can rarely be equalled.

आप चाहें तो इन किताबों और पत्र पत्रिकाओं के सन्दर्भ का संज्ञान ले सकते हैं।

सन्दर्भ

१. ग्रानविले ऑस्टिन, भारतीय संविधान : एक राष्ट्र की आधारशिला (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९६६)

२. क्रिस्टोफ जाफरलॉट, डॉ. अम्बेडकर और अस्पृश्यता : भारतीय जाति व्यवस्था से संघर्ष (कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, २००५)

३. 'बी. एन. राउ : संविधान निर्माण के गुमनाम नायक,' आउटलुक इंडिया, २०२३

४. 'अम्बेडकर ने कहा था कि अगर बी. एन. राउ न होते, तो संविधान बनने में २५ साल और लग जाते,' इंडियन एक्सप्रेस, २०२४

५. संविधान सभा डिबेट , खंड XI (डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का भाषण, २५ नवम्बर, १९४९)

६. रामचंद्र गुहा गांधी के बाद का भारत २०१० पिकाडोर इंडिया

७. ओरनित शानी : भारत के लोग और संविधान का निर्माण (द हिस्टोरिकल जर्नल) 2022;65(4):1102&1123- doi:10-1017/S0018246X21000856- https://www-thehindu-com/opinion/lead/a reading of a revisionism in constitutional history/article70171695-ece

८. बी. शिवा राव भारत के संविधान का निर्माण- चुनिंदा दस्तावेज (६ खंड) (नई दिल्ली- भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, १९६८)

९. अरविंद एलंगोवन- मानदंड और राजनीति- भारतीय संविधान के निर्माण में सर बेनेगल नरसिंह राव, १९३५-५०. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (२०१९).

१०. रोहित दे और ओरनित शानी- 'भारत का संविधान निर्माण : एक नया लोकतांत्रिक इतिहास' (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस)२०२५

माध्यमिक शिक्षा केन्द्र और छात्रों में अनुशासन की चुनौतियां

सारांश

अनुशासन किसी की भी वह आदत है जो उसके जीवन को दिशा देती है और लक्ष्यों तक पहुँचने में सहायता करती है। अनुशासन नियमों का पालन करने के साथ-साथ अपने समय, काम और आदतों को व्यवस्थित करना है। अनुशासन से हमारा जीवन सुव्यवस्थित और सफल होता है। जब हम समय के पाबंद होते हैं, नियमों का सम्मान करते हैं और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं, तो हम जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर पाते हैं। अनुशासन और विद्यार्थी जीवन के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक सशक्त और प्रेरक नेता बनने के लिए आपको अत्यधिक धैर्य का प्रदर्शन करना होगा। अपनी हर मनचाही चीज को त्याग न करना साहस का प्रमाण है। आप जीवन में सबसे अच्छे या सबसे बुरे निर्णय ले सकते हैं, और इस तरह के व्यक्ति सही चुनाव करते हुए प्रतीत होते हैं। अनुशासन केवल दंड से नहीं आता, बल्कि समझ से आता है। इसलिए समाधान भी सामूहिक होना चाहिए। विद्यालय को चाहिए कि पढ़ाई को रोचक बनाए खेल, प्रयोग, प्रोजेक्ट और सांस्कृतिक गतिविधियाँ बढ़ाए। शिक्षक को चाहिए कि वे कठोर अधिकारी नहीं बल्कि मार्गदर्शक बनें। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों से संवाद करें, केवल अंक नहीं बल्कि व्यवहार पर ध्यान दें। और सबसे महत्वपूर्ण छात्रों को स्वयं समझना होगा कि अनुशासन उनकी स्वतंत्रता को रोकता नहीं, बल्कि सही दिशा देता है।

पंकज कुमार
कार्यवाहक प्रधानाचार्य
राजकीय माध्यमिक विद्यालय, काशीरामपुर, बिजनौर

अनुशासन एक ऐसा शब्द है जिसे हर कोई समझता है फिर भी, कुछ ही लोग वास्तव में इसकी कद्र करते हैं। यह बात सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ भी होती है। यह सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना हमारे चारों ओर अव्यवस्था फैल जाएगी। अनुशासन का महत्व हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व उन्हें हर तरह की सफलता दिला सकता है, वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासन किसी की भी वह आदत है जो उसके जीवन को दिशा देती है और लक्ष्यों तक पहुँचने में सहायता करती है। अनुशासन नियमों का पालन करने के साथ-साथ अपने समय, काम और आदतों को व्यवस्थित करना है। कोई भी सफलता तभी मिलती है जब हम लगातार और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। अनुशासित व्यक्ति चुनौतियों में भी धैर्य रखता है, अपने फैसलों में स्पष्ट रहता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। इसलिए संतुलित और सफल जीवन के लिए अनुशासन सबसे अधिक जरूरी है।

माध्यमिक शिक्षा कक्षा ६ से १२ तक की वह अवस्था है, जहाँ विद्यार्थी बचपन से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। इस समय शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन तेज होते हैं, इसलिए विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। आज के सामाजिक-तकनीकी परिवेश ने इसे और जटिल बना दिया है। अनुशासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है - अनु + शासन। अनु का अर्थ होता है - नियमों का पालन करना। यह भी कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में नियमों का पालन करके अपना जीवन बिताता है उसे 'अनुशासन' कहा जाता है। जबकि अनुशासनहीनता के रूप में देखें तो- कक्षा में शोर-शराबा, देर से आना या अनुपस्थित रहना, गृहकार्य न करना, लापरवाही, शिक्षक का अनादर, लड़ाई-झगड़ा, नकल और धोखाधड़ी, छेड़खानी, छीना-झपटी, परीक्षा में नकल करना आदि शामिल हैं। इस तरह देखा जाए तो अनुशासन मात्र पालन करने का नाम नहीं बल्कि निर्माण का नाम भी है।

जीवन में अनुशासन का महत्त्व

जीवन में अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह हमारे व्यक्तित्व का आधार बनता है। अनुशासन से हमारा जीवन सुव्यवस्थित और सफल होता है। जब हम समय के पाबंद होते हैं, नियमों का सम्मान करते हैं और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं, तो हम जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर पाते हैं। अनुशासन के बिना जीवन में अराजकता फैल जाती है, जिससे हमारे कार्य प्रभावित होते हैं और हमारा लक्ष्य अधूरा रह

जाता है। अध्ययन में अनुशासन हो तो विद्यार्थी अच्छी तैयारी कर पाता है और सफलता प्राप्त करता है। वहीं समाज में अनुशासित व्यक्ति सम्मानित होते हैं क्योंकि वे नियमों का पालन करते हैं और दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं। अनुशासन का पालन करने से हम न केवल अपने जीवन को सफल बनाते हैं बल्कि अपने परिवार और समाज का भी मान बढ़ाते हैं। हमें सदैव अनुशासन के मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए।

अनुशासन और विद्यार्थी जीवन के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक सशक्त और प्रेरक नेता बनने के लिए आपको अत्यधिक धैर्य का प्रदर्शन करना होगा। अपनी हर मनचाही चीज को त्याग न करना साहस का प्रमाण है। आप जीवन में सबसे अच्छे या सबसे बुरे निर्णय ले सकते हैं, और इस तरह के व्यक्ति सही चुनाव करते हुए प्रतीत होते हैं। आत्म-संयम के अभ्यास से जीवन भर की उपलब्धियों में अनुशासन की भूमिका को मजबूत होती है।

अनुशासन से अध्ययन में एकाग्रता बढ़ाती है, व्यक्तित्व निर्माण करता है, समय प्रबंधन सिखाता है, सामाजिक व्यवहार सुधारता है और भविष्य के नागरिक जीवन की तैयारी करता है। किसी व्यक्ति के जीवन में अभ्यास सामंजस्य और व्यवस्था लाता है। यह व्यक्ति को जवाबदेही लेना और सम्मान प्रदर्शित करना सिखाता है। सुस्पष्ट नियमों का पालन करना सभ्यता की आधारशिला है। यदि यह संरचना विकसित न होती, तो लोग अपनी मनमानी करते और बिना सोचे-समझे गलतियाँ करते। यह मानवता को बढ़ावा देने और इसे हमारे लिए काम करने का एक सरल स्थान बनाने के लिए सकारात्मक मानवीय कार्यों को सुगम बनाता है। स्वयं को नियंत्रित करने की क्षमता व्यक्ति को निष्ठापूर्वक, सख्ती से और नियमित रूप से कार्य करने में सक्षम बनाती है। इस क्षमता का अभाव विनाशकारी हो सकता है। क्या आप सोचते हैं कि कोई संगठन ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करेगा जो लगातार काम पर देर से आता है या आता है? यह स्पष्ट है कि इस तरह के व्यवहार से कंपनी की प्रतिष्ठा को कितना नुकसान पहुँच सकता है।

माध्यमिक स्तर वह आयु होती है जब छात्र बचपन से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। इस समय शरीर, मन और विचारों में तेज परिवर्तन होता है। छात्र स्वतंत्र होना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, और कई बार इसी कारण वे नियमों को बंधन समझने लगते हैं। यहीं से अनुशासन की चुनौती शुरू होती है। आज की सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग। कई विद्यार्थी देर रात तक फोन चलाते हैं, सुबह थके हुए विद्यालय आते हैं, कक्षा में ध्यान नहीं देते और पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है। परिणामस्वरूप शोर-शराबा, गृहकार्य में लापरवाही और पढ़ाई से दूरी बढ़ती जाती है।

अनुशासन की चुनौती

अनुशासन की चुनौती पारिवारिक वातावरण से भी जुड़ी होती है। माता-पिता की व्यस्तता के कारण बच्चों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा पाता। कहीं अत्यधिक छूट मिलती है, तो कहीं अत्यधिक कठोरता। दोनों ही स्थितियाँ अनुशासन को प्रभावित करती हैं।

कई छात्र गलत संगति में आकर विद्यालय नियमों की अवहेलना करते हैं, झगड़े-विवाद या बुलीइंग जैसी समस्याएँ बढ़ जाती हैं। कभी-कभी वे शिक्षक को विरोधी समझ लेते हैं, जबकि शिक्षक उनके मार्गदर्शक होते हैं।

अनुशासन केवल दंड से नहीं आता, बल्कि समझ से आता है। इसलिए समाधान भी सामूहिक होना चाहिए।

विद्यालय को चाहिए कि पढ़ाई को रोचक बनाए खेल, प्रयोग, प्रोजेक्ट और सांस्कृतिक गतिविधियाँ बढ़ाए। शिक्षक को चाहिए कि वे कठोर अधिकारी नहीं बल्कि मार्गदर्शक बनें। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों से संवाद करें, केवल अंक नहीं बल्कि व्यवहार पर ध्यान दें। और सबसे महत्वपूर्ण छात्रों को स्वयं समझना होगा कि अनुशासन उनकी स्वतंत्रता को रोकता नहीं, बल्कि सही दिशा देता है।

अनुशासन सफलता का साधन

यदि हम आज अनुशासन सीख लेते हैं, तो कल जीवन की हर परीक्षा में सफल होंगे। विद्यालय के नियम हमारे विरोधी नहीं, हमारे भविष्य के रक्षक हैं। अनुशासन हर व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व गुणों में से एक है। यह नियमों और विनियमों के एक समूह को संदर्भित करता है जिनका पालन किसी भी कार्य या गतिविधि को करते समय किया जाना चाहिए। यह किसी भी कार्य को करते समय ईमानदार, मेहनती, प्रेरित और प्रोत्साहित रहने का एक तरीका है। यह एक ऐसा चरित्र गुण है जो व्यक्तियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। हमारे जीवन में अनुशासन की भूमिका कार्यों में व्यवस्था, दक्षता, समय की पाबंदी, संगठन और एकाग्रता स्थापित करना है। 'अनुशासन के बिना जीवन रडार के बिना जहाज के समान है।' इसलिए, जीवन में अनुशासन के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

अनुशासन किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व गुणों में से एक है। अनुशासन जीवन भर ईमानदार, मेहनती, प्रेरित और प्रोत्साहित रहने का तरीका है। यह चरित्र जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यवहार को बनाए रखने में मदद करता है। ध्यान करने वाले संत और भिक्षु भी सबसे पहले अनुशासन का अभ्यास करते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है और जीवन में व्यवस्थित रहता है। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच सेतु हैय इसलिए यह सफलता की कुंजी है। अनुशासन जीवन में चयनशील, स्वतंत्र, समयनिष्ठ, केंद्रित, प्रोत्साहित और व्यवस्थित रहने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। इसी प्रकार, अनुशासन विद्यार्थी जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अनुशासित रहने से समय पर पढ़ाई करने में मदद मिलती है, जिससे विद्यार्थी तनावमुक्त रहते हैं। अनुशासन कार्य को योजनाबद्ध तरीके से प्रबंधित करने में सहायक होता है। अनुशासन विद्यार्थियों को तनावमुक्त रहने और अवसाद से बचने में भी मदद करता है। अनुशासन व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन सकारात्मक चीजों को आकर्षित करता है, और इसी कारण विद्यार्थी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन हमेशा उनके लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अनुशासित विद्यार्थी अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं और उनका मन अन्य व्यर्थ की बातों में नहीं भटकता। अनुशासन लोगों को अपने जीवन को कुशलतापूर्वक

और प्रभावी ढंग से जीने के नियम प्रदान करता है। जब जीवन में अनुशासन होता है, तो भविष्य में बेहतर जीवन के लिए वर्तमान में छोटे-छोटे त्याग कर सकते हैं। अनुशासन आदतें बनाता है, आदतें दिनचर्या बनाती हैं, और दिनचर्या आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है। अनुशासन का महत्व यह है कि यह वह तरीका है जिससे आवश्यक कार्य किया जा सकता है। अभ्यास न केवल हमें सकारात्मक कार्य स्थापित करने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे मन और शरीर को प्रशिक्षित करने में भी सहायक होता है और हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। यह समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद करता है।

छात्रों के जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। यहां कुछ बिंदु दिए गए हैं जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि छात्रों के जीवन में, विशेष रूप से गणित जैसे व्यावहारिक विषयों के लिए, अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण है।

- अनुशासन छात्रों को नियमितता बनाए रखने में मदद करता है, जो गणित जैसे निरंतर अभ्यास की आवश्यकता वाले विषयों में बहुत महत्वपूर्ण है।
- यह छात्रों को शांत और संयमित रहने में मदद करता है। इससे उन्हें ध्यान केंद्रित रखने और समस्याओं को हल करते रहने में सहायता मिलती है।
- अनुशासन छात्रों को हर चीज के लिए एक उचित समय सारिणी बनाने में मदद करता है, जिसमें सभी विषयों के लिए समय शामिल होता है।
- अनुशासन उन्हें अपने काम को उसकी महत्ता के अनुसार प्राथमिकता देने में मदद करता है।
- यह उनकी एकाग्रता और ध्यान को बढ़ाता है, जो गणित जैसे विषयों में बहुत महत्वपूर्ण है।

छात्र अक्सर गणित को कठिन पाते हैं और इस विषय से डरते हैं। अनुशासन उन्हें हर चीज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। इससे उन्हें धीरे-धीरे अपने प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलती है। अंततः, अनुशासन छात्रों को एक स्वस्थ मन विकसित करने में मदद करता है, जो एक स्वस्थ शरीर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

वर्तमान समय में प्रमुख चुनौतियाँ

१. डिजिटल और मोबाइल का प्रभाव- मोबाइल गेम, सोशल मीडिया और रील्स की लत, कक्षा में ध्यान की कमी, नकल, रात भर जागने से थकान और चिड़चिड़ापन

२. पारिवारिक वातावरण- माता-पिता की व्यस्तता, निगरानी कम, अत्यधिक लाड़-प्यार या अत्यधिक कठोरता, पारिवारिक तनाव का असर व्यवहार पर।

३. किशोरावस्था के मनोवैज्ञानिक परिवर्तन- विद्रोही स्वभाव, भावनात्मक अस्थिरता, मित्र-दबाव, पहचान बनाने की चाह।

४. शिक्षण-पद्धति से जुड़ी समस्याएँ- केवल परीक्षा-केंद्रित पढ़ाई, रोचक गतिविधियों की कमी, शिक्षक-छात्र संवाद का अभाव, बड़े कक्षा-आकार।

५. सामाजिक प्रभाव- इंटरनेट से गलत आदर्शों का प्रभाव, हिंसक/अशिष्ट भाषा का प्रयोग, समूहबाजी, बुलीइंग, विद्यालय संपत्ति को नुकसान।

समाधान एवं सुधार के उपाय

- विद्यालय स्तर पर, गतिविधि आधारित शिक्षा - खेल, प्रोजेक्ट, प्रयोग, काउंसलिंग व्यवस्था - मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन, स्पष्ट नियम और मानवीय व्यवहार, पुरस्कार प्रणाली, खेल एवं योग अनिवार्य, शिक्षक की भूमिका, दंड के बजाय प्रेरणा, मित्रवत संवाद, व्यक्तिगत ध्यान, आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना, अभिभावकों की भूमिका, मोबाइल समय सीमित करें, नियमित संवाद करें, पढ़ाई का शांत वातावरण दें, तुलना न करें, प्रोत्साहित करें, छात्र की भूमिका, समय सारिणी बनाना, लक्ष्य तय करना, अच्छे मित्र चुनना, आत्म-अनुशासन विकसित करना।

अनुशासन के लिए खेल का महत्वपूर्ण घटक है, खेल के नियमों का पालन हर टीम को करना होता है। इसीलिए निर्णायक और मध्यस्थ होते हैं। जो कोई भी इन निर्देशों का पालन नहीं करता, उसे खेल के नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना देना पड़ता है। अत्यधिक कुशल व्यक्तियों को नियमित रूप से स्वस्थ अनुशासन का प्रदर्शन करना चाहिएय वे न केवल बातचीत कर सकते हैं, बल्कि वे मानते हैं कि वे तैयार हैं। एक बुद्धिमान नेता जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। आत्म-निर्माण और अनुशासन का अभ्यास मनुष्य के मन और हृदय के विकास के लिए सहायक होते हैं।

विद्यालय केवल पढ़ाई की जगह नहीं होता, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व निर्माण की प्रयोगशाला होता है। यहीं से हम जीवन जीने का तरीका, समय का मूल्य और सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। इन सबका आधार है - अनुशासन। बिना अनुशासन के शिक्षा अधूरी है, और बिना शिक्षा के अनुशासन दिशाहीन।

निष्कर्ष

माध्यमिक स्तर पर अनुशासन की समस्या केवल छात्र की नहीं बल्कि विद्यालय, परिवार और समाज, तीनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। कठोर दंड से नहीं, बल्कि समझ, मार्गदर्शन और सकारात्मक वातावरण से अनुशासन विकसित होता है। सही दिशा मिलने पर अनुशासन ही छात्रों को भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनाता हैं।

सन्दर्भ

1- https://askfilo.com/user-question-answers-smart-solutions/jiivn-men-anushaasn-kaa-mhtv-pr-bhaassnn-den-3337313430353439
2- https://en.wikipedia.org/wiki/Discipline
3- https://ffe.org/importance-of-discipline-newsletter-april-2022/
4- https://brainly.in/question/25144558
5- https://www.samareducation.com/2022/04/meaning-definition-and-types-of-discipline.html#google_vignette
6- https://www.jansatta.com/education/anushasan-arth-discipline-meaning-usage-etymology-sahi-hindi-udaharan-prayog-correct-usage/4291877/
7- https://leverageedu.com/blog/hi/anushasan-ka-mahatva/
8- https://www.healthshots.com/hindi/how-to/6-simple-ways-to-discipline-your-children/

भारत : विकास की ओर बढ़ते कदम

सारांश

भारत सरकार भी देश के विकास को बढ़ावा देने की अपनी कोशिशों में पीछे नहीं है। देश में मौजूदा मंत्र फिलहाल समग्र विकास का है, ताकि विकास का फायदा सबसे गरीब लोगों तक पहुंच सके। इस मंत्र को सुनिश्चित करने के हिसाब से ही सरकार की नीतियां भी बनाई गई हैं। अर्थव्यवस्था से शुरुआत करते हुए सरकार ने जीएसटी और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जैसे कदमों के जरिये कर ढांचे को तर्कसंगत बनाया है। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का आत्मविश्वास बढ़ा है। जो जिस स्थिति में है उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। विकास भी विरासत के नारे के साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य तेजी से हो रहा है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक भारत ने कृषि, उद्योग, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्तमान समय में भारत आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 'मेक इन इण्डिया' अभियान की साफल्य से ही 'मेड इन इण्डिया' अर्थात 'भारत में निर्मित' का स्वर्णिम स्वप्न पूर्ण होगा। इस अभियान का उद्देश्य भारत को विनिर्माण के बड़े केन्द्र के रूप में स्थापित करने का है।

बीज शब्द- भारत, विकास, मेड इन इण्डिया, डिजिटल क्रांति, कृषि, उद्योग, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य

एड. तन्मय त्यागी

एम.ए.(राजनीति विज्ञान), एल.एल.बी.

अक्षि त्यागी

एम.ए.(हिन्दी), एम.ए. (गृहविज्ञान), बी.एड.

विभिन्न क्षेत्र में विकास- भारत समय के साथ साथ हर क्षेत्र में खुद को बेहतर बना रहा है और नित विकास के नए नए मार्ग खोज रहा है। कृषि के क्षेत्र में बहुत विकास हुए है। नई नई तकनीके अपनाई गई है और हरित क्रांति भी आई थी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से विकास हुए हैं। विज्ञान और तकनीक के माध्यम से भारत को डिजीटल बनाया गया है जिसकी वजह से लोग ज्यादा जागरूक हो गए है। हमने चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत विकास किया है। गाँवों का भी विकास हुआ है और वहाँ पर भी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए है।

विकास की आवश्यकता- भारत में अभी भी बहुत से क्षेत्र ऐसे है जिनमें विकास की आवश्यकता है और अब तक प्राप्त किए गए संसाधन सभी लोगों के समान रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। भारत के ८० प्रतिशत संसाधन १० प्रतिशत अमीर लेगों के पास है और बाकि के १० प्रतिशत संसाधन ९० प्रतिशत गरीब लोगों के पास है। भारत के अभी भी कुछ इलाके पिछड़े हुए है जिनपर ध्यान देने की आवश्यकता है और उनका विकास भी जरूरी है।

पुरातन काल से ही हर अच्छे शासक की आकांक्षा रही है कि उनका साम्राज्य हमेशा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता के शासक हों या फिर मिस्र, रोमन, यूनानी या मेसोपोटामिया सभ्यताओं की बात हो, सभी जगहों पर ऐसा देखा जा सकता है। उस दौर के बाद के वक्त में अकबर, कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त मौर्य, टीपू सुल्तान आदि राजाओं ने भी अपने साम्राज्य के बेहतर शासन के लिए अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की कोशिश की। ये सभी शासक अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए प्रजा के सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकास की अहमियत को समझते थे। देश के वास्तविक विकास के लिए आज कई मॉडलों पर विचार किया जा रहा है। आज विकास को सिर्फ किसी देश के आर्थिक विकास के लिहाज से नहीं आंका जाता है, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और किसानों के कल्याण, कौशल विकास और युवाओं के लिए रोजगार के मौके जैसे मानकों को भी शामिल किया जाता है।

भारत सरकार भी देश के विकास को बढ़ावा देने की अपनी कोशिशों में पीछे नहीं है। देश में मौजूदा मंत्र फिलहाल समग्र विकास का है, ताकि विकास का फायदा सबसे गरीब लोगों तक पहुंच सके। इस मंत्र को सुनिश्चित करने के हिसाब से ही सरकार की नीतियां भी बनाई गई हैं। अर्थव्यवस्था से शुरुआत करते हुए सरकार ने जीएसटी और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जैसे कदमों के जरिये कर ढांचे को तर्कसंगत बनाया है। जीएसटी देश में अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार है, जो देश

में कर संग्रह का दायरा बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन), इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न मंजूरी और एकीकरण प्रणाली (ईआरएसीएस) ई-सहयोग आदि ने प्रत्यक्ष कर प्रणाली को आसान बनाया है। दुनिया का डिजिटलीकरण हो रहा है। ऐसे में क्या भारत पीछे रह सकता है? बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स के जरिये विभिन्न सेक्टरों में डिजिटलतकनीक को तेजी से अपनाए जाने से सरकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और इसे लागू करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है।

स्वास्थ्य सेवाएं विकास का एक और अहम पहलू हैं। वाजिब कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं मिलना गरीबों के लिए चुनौती रही है। देश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के मौजूद केंद्रों के जरिये इस चुनौती से निपटने की कोशिश की गई है। कमजोरों की सुरक्षा करना सरकार के एजेंडे में बेहद अहम रहा है। इसकी शुरुआत लड़कियों को लेकर लोगों का नजरिया बदलने की कोशिश के साथ की गई है। इस सम्बंध में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और जेंडर चैंपियन जैसे अभियान शुरू किए गए हैं। तकलीफ के दौर से गुजर रहीं महिलाओं और बच्चियों के लिए हेल्पलाइन बनाई। गई है। साथ ही, हिंसा की शिकार लड़कियों और औरतों के लिए पुनर्वास का इंतजाम किया जा रहा है। इन तमाम पहल के जरिये सरकार ने हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि भारत में हर महिला और बच्चे भयमुक्त माहौल में रह सके और राष्ट्रीय विकास में योगदान करने की हसरत रखें।

देश के विकास के लिए गांवों का विकास बेहद अहम है। सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं मसलन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि के जरिये किसानों के कल्याण और उनकी आमदनी को दोगुना करने जैसे मुद्दों को हल करने की कोशिश की है। साथ ही, इन योजनाओं के जरिये गांव और शहर के बीच खाई को भी पाटने का प्रयास किया गया है।

विकास लोगों के साथ मिलकर काम करने का नतीजा होता है। सभी के प्रयासों से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। देश को आत्मनिर्भर बनाने, विकास की गति को तेज करने के लिए उठाये गये सकारात्मक परिणामों का असर कई क्षेत्रों में दिखने लगा है। भारत से प्रभावित होकर ११ देशों ने भारत के दवा कानून अपनाए हैं। इसी प्रकार कई अन्य क्षेत्रों में भी अच्छे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। देश की जनता ने यह साबित कर दिया है कि अगर सामूहिक प्रयास किया जाय तो कुछ भी असंभव नहीं है।

हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का आत्मविश्वास बढ़ा है। जो जिस स्थिति में है उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। विकास भी विरासत के नारे के साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य तेजी से हो रहा है। अपने प्रभावी नेतृत्व से भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को देश की एकता के साथ जोड़ने का काम किया है। भारत अपने लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। सरकार के विकसित भारत-२०४७ विजन का लक्ष्य भारत को २०४७ तक ३० ट्रिलियन डॉलर तक जीडीपी के साथ विकसित अर्थव्यवस्था में बदलना है। इस लक्ष्य में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सुशासन और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल है।

आज वैश्विक संकटों से समाधान की खोज में दुनिया भारत की ओर देख रही है। स्वच्छता मिशन के रूप में एक जन आन्दोलन का सूत्रपात किया। जन धन की योजना से सबको जोड़ा। देश में डिजिटल क्रान्ति की शुरूआत की। स्टार्टअप के तहत देश में स्वरोजगार के अवसर खुले। मुद्रा योजना के तहत लोगों को लोन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोगों का स्वयं का घर होने का सपना पूरा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, हैदराबाद में स्टैचू आफ इक्वालिटी, काशी विश्वनाथ कारिडोर, मथुरा वृन्दावन कारिडोर, केदारनाथ धाम व चार धाम परियोजना के कार्य से सनातन संस्कृति का पुनरोदय का आभास हो रहा है। मोदी के कार्यकाल में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कार्य सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में देखने को मिला। अरब देश, रेत का सागर, इस्लामी कायदे कानून का पालन करने वाले देश अबू धाबी में २७ एकड़ भूमि में हिन्दू मंदिर का बनना अविश्वसनीय ही है। योग की वैश्विक मान्यता ने भारत को बड़ा मान दिलाया है।

उड़ान व विमानन के क्षेत्र में भी क्रान्ति हुई है। वहीं रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हुआ है। निश्चित ही भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। अब प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान हो, कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो या फिर लोकल के लिए वोकल होना हो, सामूहिक प्रयासों की ताकत हम सभी ने देखी है। सामूहिक प्रयासों ने ही विकसित भारत का निर्माण सुनिश्चित किया है।

आज भारत के लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंच गयी है। सरकार ने सभी को बिजली उपलब्ध कराने की दिशा कठिन परिश्रम करने के साथ-साथ, क्लीन एनर्जी को भी अपनी प्राथमिकता बनाया है। उसने ऊर्जा के नवीकरण योग्य स्रोतों के द्वारा १७५ GW एनर्जी का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, जिसमें १०० की सौर ऊर्जा भी शामिल है।

विकास के नए आयाम

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारत एक प्राचीन सभ्यता वाला युवा राष्ट्र है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक भारत ने कृषि, उद्योग, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्तमान समय में भारत आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। २८ फरवरी, २०२५ को जारी विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को वर्ष २०४७ तक उच्च आय की स्थिति तक पहुंचने की देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगले २२ वर्षों में औसतन ७.८ प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी।

वर्ष २००० से २०२४ के बीच भारत की औसत ६.३ प्रतिशत' की तीव्र विकास दर मानते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की पिछली उपलब्धियां इसकी भावी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक आधार प्रदान करती हैं। तथापि, वहां तक पहुंचने के लिए सुधारों की आवश्यकता होगी और उनका कार्यान्वयन लक्ष्य के समान ही महत्वाकांक्षी होना चाहिए। विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौमे ने कहा कि 'चिली,

कोरिया और पोलैंड जैसे देशों से प्राप्त सबक यह दर्शाते हैं कि वे कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने एकीकरण को गहरा करके मध्यम-आय वाले देशों से उच्च-आय वाले देशों में सफलतापूर्वक परिवर्तित हुए हैं। इनका अनुसरण करके भारत सुधारों की गति को बढ़ाकर और अपनी पिछली उपलब्धियों के आधार पर अपना रास्ता खुद बना सकता है।' रिपोर्ट में अगले २२ वर्षों में भारत के विकास पथ के लिए तीन परिदृश्यों का मूल्यांकन किया गया है। जिस परिदृश्य में भारत एक पीढ़ी में उच्च आय की स्थिति तक पहुंच सकता है, इसके लिए- सभी राज्यों में तीव्र और समावेशी विकास हासिल करना, वर्ष २०३५ तक मौजूदा ३३.५ प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद के कुल निवेश को बढ़ाकर ४० प्रतिशत (दोनों वास्तविक रूप में) करना, समग्र श्रम शक्ति भागीदारी को ५६.४ प्रतिशत से बढ़ाकर ६५ प्रतिशत से ऊपर करनाय और समग्र उत्पादकता वृद्धि में तेजी लाना आवश्यक है। रिपोर्ट के सह-लेखक एमिलिया स्क्रोक और रंगीत घोष ने कहा कि 'भारत मानव पूंजी में निवेश करते हुए, अधिक और बेहतर नौकरियों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करके और वर्ष २०४७ तक महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को ३५.६ प्रतिशत से बढ़ाकर ५० प्रतिशत तक बढ़ाकर अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठा सकता है।'

पिछले वित्त वर्षों में भारत ने अपनी औसत वृद्धि दर को बढ़ाकर ७.२ प्रतिशत कर लिया है। इस गति को बनाए रखने और अगले दो दशकों में ७.८ प्रतिशत (वास्तविक रूप में) की औसत वृद्धि दर हासिल करने के लिए, कंट्री इकॉनोमिक मेमोरेंडम नीतिगत कार्रवाई के लिए चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सिफारिश करता है-

निवेश में वृद्धि करना- अधिक निजी और सार्वजनिक निवेश (वास्तविक निवेश दर को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग ३३.५ प्रतिशत से बढ़ाकर २०३५ तक ४० प्रतिशत करके) दीर्घकालिक विकास के लिए मूलाधार होगा। रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के अधिनियम को मजबूत करने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए औपचारिक ऋण की बाधाओं को दूर करने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीतियों को सरल बनाने जैसी कार्रवाइयों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा ।

बेहतर परिवेश को बढ़ावा देना- रिपोर्ट में निजी क्षेत्र को कृषि-प्रसंस्करण विनिर्माण, आतिथ्य, परिवहन और देखभाल अर्थव्यवस्था जैसे रोजगार-समृद्ध क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई है। इसके लिए श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए लक्षित रणनीतियों, एक बृहद कुशल कार्यबल, वित्त तक अधिक पहुंच और नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

व्यापार भागीदारी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा- वर्तमान में रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी ४५ प्रतिशत है। विनिर्माण और सेवाओं जैसे अधिक उत्पादक क्षेत्रों में भूमि, श्रम और पूंजी का आवंटन, फर्म और श्रम उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। जो कि भारत को वैश्विक मूल्य शृंखला (जीवीसी) भागीदारी दरों में थाईलैंड, वियतनाम और चीन जैसे सहयोगी देशों की बराबरी करने में मदद करेंगी।

राज्यों का तेजी से आगे बढ़ना- रिपोर्ट में एक भिन्न नीति दृष्टिकोण अपनाने का तर्क दिया गया है, जिसके तहत कम विकसित राज्य विकास के मूल सिद्धांतों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जबकि अधिक विकसित राज्य अगली पीढ़ी के सुधारों को प्राथमिकता दे सकते हैं। केंद्र हाल ही में घोषित शहरी चुनौती निधि जैसे अधिक प्रोत्साहन-संचालित संघीय कार्यक्रमों के माध्यम से इस विकास प्रक्रिया को सुगम बना सकता है ताकि पिछड़े जिलों और राज्यों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सहायता की जा सके। अधिक प्रोत्साहन और क्षमता निर्माण कम आय वाले राज्यों को सार्वजनिक व्यय की दक्षता में सुधार करने और उन्हें अग्रणी राज्यों के साथ चलने में सक्षम बनाने में मदद करेगा।

यदि हम वित्त वर्ष २०२१ और वित्त वर्ष २०२२ को छोड़ दें तो यह ६.६ प्रतिशत है, जो कोविड मंदी और तत्काल सुधार से प्रभावित था।

आर्थिक विकास के नए आयाम

भारत आज विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के बाद आर्थिक विकास की गति तेज हुई। स्टार्टअप संस्कृति और नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें देश को उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में मजबूत बना रही हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली ने अर्थव्यवस्था को पारदर्शी और सशक्त बनाया है।

डिजिटल और तकनीकी क्रांति

इसरो ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। चंद्रयान-३ की सफलता ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला पहला देश बना दिया। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत इंटरनेट, ऑनलाइन शिक्षा, ई-गवर्नेंस और डिजिटल बैंकिंग का विस्तार हुआ है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाएँ पहुँच रही हैं।

कृषि और ग्रामीण विकास

भारत कृषि प्रधान देश है। आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों और सिंचाई सुविधाओं के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, फसल बीमा और कृषि योजनाओं से सहायता मिल रही है।

शिक्षा और कौशल विकास

नई शिक्षा नीति २०२० के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया गया है। कौशल विकास कार्यक्रमों से युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म और डिजिटल कक्षाओं ने सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाया है।

आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का विकास

देश में राजमार्गों, रेलवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों और बंदरगाहों का तेजी से विकास हुआ है। स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से शहरों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जा रहा है।

सामाजिक विकास और महिला सशक्तिकरण

महिला शिक्षा, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से आम जनता को लाभ मिल रहा है।

वैश्विक मंच पर भारत

भारत आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जलवायु परिवर्तन, शांति स्थापना और वैश्विक सहयोग के मुद्दों पर भारत की

सक्रिय भागीदारी है।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा २०२५-२६ पेश करते हुए कहा कि भारत का सेवा क्षेत्र आर्थिक वृद्धि, लचीलापन और संरचनात्मक परिवर्तन की प्रमुख प्रेरक शक्ति बना हुआ हैं। वैश्विक अनिश्चितता और संकुचित वैश्विक औद्योगिक गतिविधि की पृष्ठभूमि में यह क्षेत्र स्थिरता कायम करने वाली ताकत के रूप में उभरा है, जो भारत के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में आधे से अधिक का योगदान दे रहा है तथा निर्यात और रोजगार का एक बड़ा चालक बन कर उभरा है।

भारत विश्व में सेवाओं का सातवां सबसे बड़ा निर्यातक है। वर्ष २००५ में वैश्विक सेवा व्यापार में इसकी हिस्सेदारी २ प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर २०२४ में ४.३ प्रतिशत हो गई है। श्रीमती सीतारमण ने कहा, ''कृषि और उद्योग में देखे गए तीव्र चक्रीय उतार-चढ़ाव के विपरीत ७-८ प्रतिशत की निरंतर आर्थिक वृद्धि के साथ सेवा क्षेत्र उच्च वृद्धि, कम अस्थिरता वाला स्तंभ बना हुआ है।''

वित्त वर्ष २६ में सेवा क्षेत्र में सभी उप-क्षेत्रों में व्यापक विस्तार देखा गया। सेवा क्षेत्र में ९.१ प्रतिशत वित्त वर्ष २६ के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान (एफएई) में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वृद्धि का मुख्य चालक रही है, जिसमें सभी प्रमुख उप-खंडों में लगभग ८ प्रतिशत से ९.९ प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई।

वैश्विक रुझान

कोविड १९ महामारी ने पर्यटन, आतिथ्य और परिवहन जैसी संपर्क गहन सेवाओं को गंभीर रूप से बाधित किया, जबकि आईटी, वित्त और पेशेवर सेवाओं सहित डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विस्तार को तेजी प्रदान की। वर्ष २०२४ में जीडीपी में सेवा व्यापार की हिस्सेदारी महामारी से पहले के स्तरों की तुलना में अधिक हो गई, जो कि सेवाओं के प्रति वैश्विक व्यापार को असमान लेकिन क्रमिक रूप से पुनः संतुलित करने का संकेत देती है। वैश्विक व्यापार में सेवाओं की बढ़ती भूमिका पूंजीगत आवंटन में हो रहे परिवर्तन से प्रतिबिंबित होती है। वित्त वर्ष २०२२-२०२४ के दौरान सेवाएं वैश्विक एफडीआई के औसतन ५३.५ प्रतिशत के लिए उत्तरदायी रहीं, जो कि प्रवाहों के तेजी से संकेंद्रित होने के साथ महामारी से पहले की अवधि के ५०.९ प्रतिशत से अधिक हैं। ऊर्जा एवं गैस आपूर्ति, सूचना एवं संचार, निर्माण और परिवहन मिलकर ८८ प्रतिशत से अधिक सेवा एफडीआई को समाहित करते हैं, जबकि महामारी से पहले के दौर में यह आंकड़ा ७५.५ प्रतिशत था।

भारत का अनुभव व्यापक रूप से वैश्विक रुझानों में प्रतिबिंबित होता है। वित्त वर्ष २३ वित्त वर्ष २५ के दौरान सेवा क्षेत्र का एफडीआई कुल एफडीआई का ८०.२ प्रतिशत था जो कि महामारी से पहले की अवधि (वित्त वर्ष १६-वित्त वर्ष २०) में ७७. ७ प्रतिशत से अधिक रहा। ये प्रवाह सूचना और संचार सेवाओं में (२५.८ प्रतिशत) और पेशेवर सेवाओं में (२३.८ प्रतिशत) रहा, जो डिजिटल और ज्ञान- गहन गतिविधियों में हमारी ताकत को दर्शाता है, वित्त और बीमा (१४.२ प्रतिशत) ऊर्जा और गैस (१२.८ प्रतिशत) और ट्रेडिंग में (१२. २ प्रतिशत) के साथ ये खंड सेवा क्षेत्र एफडीआई के लगभग ८९ प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है। यह भारत के निवेश प्रोफाइल में डिजिटल, कौशल-गहन और अवसंरचना से जुड़ी सेवाओं के वर्चस्व को रेखांकित करता है।

आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों में बताया गया है कि सेवा क्षेत्र की वृद्धि के प्रमुख चालक वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं के क्षेत्र रहे, जो ऋण, कारोबारी सेवाओं और रियल एस्टेट से संबंधित गतिविधियों की निरंतर मांग द्वारा समर्थित रहे। उपरोक्त महामारी पूर्व रुझानों के साथ ''लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं'' भी निरंतर सार्वजनिक खर्च और सेवाओं की निरंतर डिलीवरी के साथ विस्तारित होती रही। इसके विपरीत ''व्यापार, आतिथ्य, परिवहन, संचार और संबंधित सेवाओं'' में वृद्धि मोटे तौर पर महामारी पूर्व के औसत के निकट रहने के साथ क्रमिक सामान्यीकरण देखा गया।

जीडीपी में भारत के सेवा निर्यात की हिस्सेदारी वित्तवर्ष २३-वित्तवर्ष २५ के दौरान औसतन ९. ७ प्रतिशत रही, जो कि महामारी पूर्व अवधि में ७.४ प्रतिशत से अधिक रही। नीतिगत अनिश्चितता और भू-राजनीतिक व्यवधानों के कारण घटे हुए वैश्विक वस्तु व्यापार के बीच सेवा निर्यात ने महत्वपूर्ण बफर प्रदान की। यह भूमिका एच१ वित्तवर्ष २६ में और मजबूत हुई, ऐसा जीडीपी में सेवा की हिस्सेदारी वित्तवर्ष २५ में ९.७ प्रतिशत एच१ से बढ़कर १० प्रतिशत हो जाने से हुआ। राज्य स्तर और क्षेत्र के स्तर पर नीति आयोग के निष्कर्ष बताते हैं कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्य मिलकर आधुनिक, आईटी, वित्त और पेशेवर सेवाओं जैसी उच्च उत्पादकता वाली सेवाओं से प्रेरित लगभग ४० प्रतिशत सेवा आउटपुट के लिए उत्तरदायी रहे। इसके परिणामस्वरूप इस आउटपुट का सांद्रण अत्यधिक शहरीकृत राज्यों विशेषकर दक्षिण भारत में रहा। साथ ही महत्वपूर्ण विरोधाभास बरकरार रहे। बिहार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद अपने जीवीए का ५८.७ प्रतिशत सेवाओं से, मोटे तौर पर कम मूल्य- वर्धित गतिविधियों से प्राप्त करता है। केरल सेवाओं से ६४.३ प्रतिशत जीएसवीए के साथ व्यापार, पर्यटन और रियल एस्टेट जैसे परंपरागत खंडों पर निर्भर रहा। इस अवधि के दौरान सेवाओं के प्रति एकतरफा संक्रमण की धारणा को चुनौती देते हुए कुछ मामलों में सेवा के अंश में गिरावट आई - ओडिशा में सेवा का अंश ३८.५ प्रतिशत से घटकर ३४.९ प्रतिशत हो गया, जबकि असम में सेवा का अंश ४६.५ प्रतिशत से घटकर ३४.३ प्रतिशत हो गया।

रोजगार के मुख्य चालक

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वित्तवर्ष २६ की पहली दो तिमाहियों के पीएलएफएस आंकड़ों के अनुसार, शहरी रोजगार में सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़कर औसतन ६१.९ प्रतिशत हो गई, जो वित्तवर्ष २१-वित्तवर्ष२२ की ६१.७ प्रतिशत की औसत से आंशिक रूप से अधिक है। यह वह समय था जब महामारी के दौरान सेवा क्षेत्र में काफी ज्यादा भर्ती हुई थी। इसके मुताबिक वित्तवर्ष २६ के अप्रैल-जुलाई के ईपीएफओ आंकड़ों से पता चलता है कि औपचारिक रोजगार में लगातार बढ़ोतरी हुई है., जिसमें निवल रोजगार में बढ़ोतरी सेवाओं का हिस्सा ५१.७ प्रतिशत रहा, जिसमें विशेषज्ञ सेवाएं व्यापार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा स्वच्छता सेवाएं शामिल हैं। २०११-२०२४ में

सेवाओं मैं रोजगार संबंधी लचीलापन ०.४३ रहा जो कोविड के बाद की अवधि में रिकवरी वाले चरण में बढ़कर ०.६३ हो गया। ये निर्माण के बाद दूसरे स्थान पर रहा, जो श्रम आघात अवशोषक के रूप में इस क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित करता है।

उप-क्षेत्र का प्रदर्शन और उत्प्रेरक

सेवाएं, डिजायन, अनुसंधान एवं विकास. संभार तंत्र, सॉफटवेयर विकास और पेशेवर सेवाओं जैसे कार्यकलापों के जरिए विनिर्माण में तेजी से शामिल हो रही हैं, जो उत्पादन प्रणालियों के बढ़ते ''सेवाकरण'' को दिखाता है। यह स्मार्ट उपकरणों जैसे उत्पादों, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण/वेयरेबल्स आदि में साफ दिखता है। अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताते हैं कि यह एकीकरण मूल्यवर्धन, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि वित्तवर्ष २४ में यात्रा और पर्यटन ने जीडीपी ५.२२ प्रतिशत का योगदान दिया, जो महामारी के पहले के स्तर के करीब है। इससे अनुमानित तौर पर ८.४६ करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को सहारा मिला(कुल रोजगार का लगभग १३.३ प्रतिशत)। इस वृद्धि के अनुरूप पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय २०२४ में बढ़कर ३५.० बिलियन डॉलर हो गई, जो कि २०२३ से ८.८ प्रतिशत अधिक है। घरेलू पर्यटन इस क्षेत्र की रीढ़ बना रहा। २०२४ में पिछले वर्ष की तुलना में पर्यटन लगभग १७.५ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। और जनवरी-सितंबर २०२५ के दौरान पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग ५२.७ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। विदेशी पर्यटकों के आगमन (एफटीए) और अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) सहित अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन बढ़कर २०. ५७ मिलियन हो गया, जो २०२३ की तुलना में ८.६ प्रतिशत रहा। लैशर पर्यटन से तेज गति से बढ़ते हुए मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म उच्च क्षमता वाली विशेष श्रेणी के रूप में उभर रहा है जो उच्च मूल्य और गैर मौसमी पर्यटन प्रदान करता है।

वित्तवर्ष २०२५ में आईटी सक्षम सेवाएं (आईटी-आईटीईएस) क्षेत्र ने राजस्व वृद्धि, वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) की बढ़ती भूमिका और ज्यादा मूल्य वाली जटिल प्रौद्योगिकीय गतिविधियों में गहरे जुड़ाव के साथ भारत को एक वैश्विक प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र के तौर पर मजबूत किया। नेसकॉम का अनुमान है कि वित्तवर्ष २५ में आईटी और आईटीईएस उद्योग का राजस्व (हार्डवेयर सहित) २८३ बिलियन डॉलर रहेगा। जिसका आशय है कि वित्तवर्ष २४ के ३.६ प्रतिशत के मुकाबल सालाना वृद्धि ५.१ प्रतिशत होगी। १७०० वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) में लगभग १६ लाख व्यवसायियों की भर्ती के साथ ही जीसीसी उत्पाद, अभियांत्रिकी, विश्लेषण, साइबर सुरक्षा और एआई सक्षम कार्यों में विस्तार कर रहे हैं।

भारत के डेटा सेंटर की क्षमता २०२५ की दूसरी तिमाही में लगभग १.४ गीगावाट से बढ़कर २०३० तक लगभग ८ गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। नेसकॉम के अनुसार, दुनिया का लगभग २० प्रतिशत जनरेट करने के बावजूद भारत में दुनिया के केवल लगभग ३ प्रतिशत डेटा सेंटर हैं- दुनियाभर में ११००० में से लगभग १५०- भारत के लिए खुद को वैश्विक के डेटा सेंटर हब के तौर पर स्थापित करने के लिए ऊर्जा की कमी जैसी संरचनात्मक दिक्कतों को दूर करना बेहद जरूरी होगा।

भारत का प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और इसमें अब लगभग ३२,०००-३५,००० स्टार्टअप हैं, जिसमें केलेंडर वर्ष २०२५ में २,००० से अधिक नए स्टार्टअप जुड़े हैं, जिनमें केलेंडर वर्ष २०२५ में ६०० से ज्यादा वित्त पोषित स्टार्टअप शामिल हैं। इसके तहत जेनरेटिव एआई क्षेत्र तेजी से बढ़ा है, जिसमें जेन एआई स्टार्टअप केलेंडर वर्ष। २०२४ की पहली छमाही में लगभग २४० से बढ़कर केलेंडर वर्ष २०२५ की पहली छमाही में ८६० से ज्यादा हो गए।

भारत का अंतरिक्ष सेवा क्षेत्र ८.४ प्रतिशत मिलियन डॉलर मूल्य के साथ वैश्विक अंतरिक्ष बाजार के लगभग २ प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है। भारत ने २०१५ और २०२४ के बीच ३४ देशों के लिए ३६३ विदेशी उपग्रह वाणिज्यिक रूप से लॉन्च कर लगभग ४३३ मिलियन डॉलर अर्जित किए। जिन्होंने इसकी किफायती और विश्वसनीय क्षमताओं को प्रतिबिंबित किया। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से बढ़ते, प्रौद्योगिकी गहन और सेवा अर्थव्यवस्था के क्रमिक रूप से बढ़ते वाणिज्यिक खंड के रूप में उभरा है।

मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र भारत की सेवा अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन गया है जिसमें दृश्य-श्रव्य प्रोडक्शन, प्रसारण, डिजिटल कंटेंट, एनिमेशन और गेमिंग, विज्ञापन और लाइव मनोरंजन शामिल है। उद्योग के अनुमानों के मुताबिक बढ़ती आय, इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और बड़े घरेलू बाजार के कारण वर्ष २०२४ में इस सेक्टर का आकार लगभग २.५ ट्रिलियन होगा। डिजिटल मीडिया मुख्य विकास इंजन के रूप में उभरा है जो इस सेक्टर के कुल राजस्व में लगभग एक तिहाई का योगदान देता है। लाइव कार्यक्रमों का इकोसिस्टम ऑरेंज इकोनॉमी कतमी का भाग है और इससे संबंधित पर्यटन इस क्षेत्र के मुख्य रुझान के रूप में उभर रहा है।

आगे की राह

आर्थिक समीक्षा में सेवा क्षेत्र के सभी उप क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की गई है और उन महत्वपूर्ण कारकों के बारे में सचेत किया गया हे जिन पर उनकी वृद्धि निर्भर करती है। उदाहरण के लिए आईटी और आईची सक्षम सेवाओं के लिए इस क्षेत्र का भविष्य समयबद्ध पुनःकौशल, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के व्यापक प्रसार और नवाचार तथा स्केलिंग के लिए सहयोगपूर्ण नीतिगत वातावरण के सृजन पर निर्भर करता है।

पर्यटन के लिए लंबी दूरी वाली हाइकिंग पगडंडियां जैसी सुविधाएं तैयार करने तथा नीली अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय मरीना विकास नीति, अंतरिक्ष और महासागर सेवाएं वाणिज्यीकरण और सार्वजनिक निजी भागीदारियों के माध्यम से त्वरित विस्तार के लिए तत्पर हैं।

मेक इन इण्डिया

मेक इन इण्डिया अर्थात श्भारत में बनाओश अभियान भारत सरकार की पहल पर एक बहुआयामी अभियान है, जिसमें भारत को बनाने का अर्थ निहित है। 'मेक इन इण्डिया' अभियान की साफल्य से ही 'मेड इन इण्डिया' अर्थात 'भारत में निर्मित' का स्वर्णिम स्वप्न पूर्ण होगा।

इस अभियान का उद्देश्य भारत को विनिर्माण के बड़े केन्द्र के रूप में स्थापित करने का है। यह संकल्प औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर आर्थिक समृद्धि लाने की धारणा पर आधारित है। इस अभियान का सीधा सा अर्थ है- उत्पादन बढ़ाओ, रोजगार के अवसर उत्पन्न करो, क्रयशक्ति बढ़ाओ और विकास प्रक्रिया में सबको लाभ दो। इस अभियान से सम्पूर्ण विश्व की लगभग ३०० प्रमुख कम्पनियों को जोड़ने की योजना है और इसके लिए मुख्य २५ क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है, जिनमें भारत अग्रणी स्थान बना सकता है। मेक इन इंडिया पहल इसकी प्राचीनता को संरक्षित और प्रोत्साहित कर रही है, साथ ही इसकी नवीनता और आधुनिकता को भी मजबूत करेगा। इस अभियान को वास्तविक आधार पर सफल बनाने के लिए विदेशी उद्यमियों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इस अभियान का संकल्प देश के विकास के नए रास्ते खोलने में सक्षम है। मार्ग में आने वाली विघ्नों को दूर कर निवेश की नई सम्भावनाओं से यह अभियान वास्तव में, शान्ति, सुरक्षा एवं समृद्धि का मूलमन्त्र सिद्ध होगा।

भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करना-'मेक इन इंडिया' के माध्यम से सरकार विभिन्न देशों की कंपनियों को भारत में कर छूट देकर अपना उद्योग भारत में ही लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी जिससे की भारत का आयात बिल कम हो सके और देश में रोजगार का सृजन हो सके।

भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना- इसके बढ़ोतरी होने से निर्यात और विनिर्माण में वृद्धि होगी। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और भारत को मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वैश्विक निवेश के माध्यम से विनिर्माण के वैश्विक हब में बदल दिया जाएगा।

रोजगार के अधिक अवसर- इसके माध्यम से सरकार नवाचार और उद्यमिता कौशल में निपुण युवाओं को मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय सहायता देगी जिससे कि देश में नयी स्टार्ट उप कंपनियों का विकास हो सके जो कि आगे चलकर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। इसके तहत कुल २५ क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया जायेगा जिससे लगभग दस मिलियन लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इतने लोगों के रोजगार मिलने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था का चहुमुखी विकास हो सकेगा।

भारत में रक्षा निवेश को बढ़ावा- 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत अगस्त २०१५ में, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड सुखोई लड़ाकू विमान के पार्ट्स की तकनीक को भारत को स्थानांतरित करने के लिए रूस के इरकुट कॉर्प कम्पनी से वार्ता शुरू की। मेक इन इंडिया की शुरुआत होने के बाद निवेश के लिए भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पहली पसंद बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में २५ सितंबर, २०१४ को शुरू की 'भारत में बनाओ।' इस पहल के पीछे प्रमुख उद्देश्य रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के २५ क्षेत्रों में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हैं। पहल भी उच्च गुणवत्ता मानकों पर और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है। पहल भारत में पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। इस पहल के तहत २५ क्षेत्रों और एक वेब पोर्टल पर ब्रोशर जारी किए गए। लाइसेंस के लिए आवेदन ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया था और लाइसेंस की वैधता तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया था। विभिन्न अन्य मानदंडों और प्रक्रियाओं को भी निश्चिंत थे।

भारत में मेक इन इंडिया की शुरुआत होने के बाद अगले ही साल भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जबरदस्त उछाल देखने को मिला।

'भारत में बनाओ' अर्थव्यवस्था के निम्न २५ क्षेत्रों पर केंद्रित है- गाडियां, ऑटोमोबाइल अवयव, विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, निर्माण, रक्षा विनिर्माण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन, चमड़ा, मीडिया और मनोरंजन, खनिज, तेल और गैस, फार्मास्यूटिकल्स, बंदरगाह और शिपिंग, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क और राजमार्ग, अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान, कपड़ा और परिधानों, तापीय उर्जा, पर्यटन और आतिथ्य, कल्याण शामिल हैं।

निष्कर्ष

भारत एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है, जो आज तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्रों में हुए सुधारों ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण भारत की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

देश में उद्योग, कृषि, और सेवा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अभियान देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही, युवा शक्ति और नवाचार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जो भारत को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बना रही है।

इस प्रकार, भारत की प्रगति न केवल आर्थिक विकास तक सीमित है, बल्कि सामाजिक समरसता और तकनीकी उन्नति के माध्यम से भी हो रही है। आने वाले समय में यह प्रगति और भी तेज होगी, जिससे भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होगा।

भारत के विकास में अभी भी सभी लोगों को समान लेकर चलने की आवश्यकता है। किसी भी राष्ट्र का विकास तब होता है जब उसके नागरिकों का पूर्ण रूप से विकास होता है और भारत के पूर्ण विकास को लिए ज्यादा विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है।

भारत विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। यदि देश इसी प्रकार एकजुट होकर आगे बढ़ता रहा, तो वह निकट भविष्य में विश्व की अग्रणी शक्तियों में शामिल होगा।

इस प्रकार, भारत का विकास केवल आर्थिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति का समग्र उदाहरण है।

सन्दर्भ

१. विकसित भारत की ओर बढ़ते देश के कदम - बृजनन्दन राजू https://www.prabhasakshi.com/politics-articles/steps-towards-developed-india
२. https://brainly.in/question/4910986
३. https://www.iasbook.com/hindi/short-essay-on-developing-india/
४. https://askfilo.com/user-question-answers-smart-solutions/pragati-ki-or-bdta-bhart-3337353038313733

५. https://www.pmindia.gov.in/hi/government_tr_rec/भारत के विकास को मिली मजबूती

६. भारतीय उद्योग, 'मेक इन इंडिया' वैश्विक विकास के लिए आशा की किरण बन रहे हैं- प्रधानमंत्री मोदी. प्रभात खबर (हिंदी भाषा में). अभिगमन तिथि- १६ मई २०२४.

७. संग्रहीत प्रति. मूल से से ७ अगस्त २०१७ को पुरालेखित।. अभिगमन तिथि- २० अगस्त २०१७.

८. संग्रहीत प्रति. मूल से से ३ मई २०१६ को पुरालेखित।. अभिगमन तिथि- १० दिसंबर २०१६.

९. *मेक इन इंडिया के ११ साल पूरे, पीएम मोदी बोले- आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत हुई* (https://outlookhindi.com/politics/national team/make in india completes 11 years-pm-modi-says-the-foundation-of-self-reliant-india-has-strengthened-102559)

१०. Make In India. *पहल ने रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में देश को बनाया आत्मनिर्भर, PM मोदी का नेतृत्व दूरदर्शी (भारत इक्सप्रेस य मई २०२५* (https://bharatexpress.com/india/make in india transforms defence and aerospace sector commander nayak praises pm modis visionary leadership 507691/amp)

११. *ऑपरेशन सिंदूर के बाद 'मेड इन इंडिया' हथियारों का बजा डंका, चीन के डिफेंस स्टॉक्स में आई भारी गिरावट (मई २०२५)* (https://bharat24live.com/news/after op eration sindoor made in india weapons became popular)

१२. *विनिर्माण क्षेत्र का दिग्गज बनने की राह में भारत* (https://web.archive.org/web/20181 1 1 1012456/http://www .pmindia.gov .in/hi/government_tr_rec/

१३. *मेक इन इंडिया कार्यक्रम (विकासपीडिया)* (https://web.archive.org/web/20170821083723/http://hi.vikaspedia.in/social welfare/

१४. *मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से भारत को क्या लाभ होंगे?* (https://web.archive.org/web/201708071 12425/http://www .jagranjosh.com/general knowledge/what benefits will india have from make in india project in hindi 1494315864-2)

१५. Modi's 'Make in India' a success: Moody's(https://web.archive.org/web/20160410225852/http://timesofindia.indiatimes.com/business/india business/Modis Make in India a success Moodys/articleshow/51736262.cms)

१६. Defence firms eye billion-dollar chance for 'made in India'(https://web.archive.org/web/20170820100421/https://www .dawn.com/news/1352764/defence firms-eye billion dollar chance for made in india)

१७. https://hi.wikipedia.org/wiki/मेक इन इण्डिया

१८. एनबी/एमजी/केसी/हिन्दी इकाई - १८ https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2219948&reg=3&lang=2

१९. पिछले ११ वर्षों में देश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए- केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू https://www.newsonair.gov.in/hi/

२०. भारत में विकास को गति देने और वर्ष २०४७ तक उच्च आय का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक त्वरित सुधार की जरूरत https://www.worldbank.org/hi/news/press release/2025/02/28/india accelerated-reforms needed to speed up growth and achieve high income status by 2047

२१. भारत में विकास को गति देने और वर्ष २०४७ तक उच्च आय का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक त्वरित सुधार की जरूरत https://www.worldbank.org/hi/news/press release/2025/02/28/india accelerated-reforms needed to speed up growth and achieve high income status by 2047

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्बन-उत्सर्जन एवं विद्युत-खपत कम करने में ग्रीन कम्प्यूटिंग का योगदान

सारांश

पिछले कुछ वर्षों में, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े चौंकानेवाली खबरें गंभीर होने के साथ ही 'पर्यावरण संरक्षण' की ओर ध्यान देना प्रारम्भ हुआ। ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर ही ग्रीन कम्प्यूटिंग की अवधारणा जब सामने आई तब डेटा केन्द्रों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसके लिए क्लाउड कम्प्यूटिंग और वर्चुआलाइजेशन की तकनीक ने ध्यान आकर्षित किया और उनको अपनाकर सफलता मिलने लगी।

डॉ. शिफालिका
भूतपूर्व एसोसिएट प्रोफेसर,
सी जी सी झंझेरी (चंडीगढ़)
एवं फ्यूचर यूनिवर्सिटी (बरेली)
भूतपूर्व विभागाध्यक्ष एम टेक, फ्यूचर यूनिवर्सिटी (बरेली)

ग्रीन कम्प्यूटिंग तकनीक का योगदान

कम्प्यूटर, सर्वर और अन्य आई टी उपकरणों का इस तरह से डिजाइन, निर्माण, उपयोग और डिस्पोजल करना, जिससे पर्यावरण पर प्रभाव बहुत ही अल्प हो.. ग्रीन कम्प्यूटिंग कहलाता है। ग्रीन कम्प्यूटिंग के द्वारा हम बिजली की खपत को कम करके कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं और ई-कचरा को भी कम करते हैं। परिणामस्वरूप पर्यावरण संरक्षण में मदद करते हैं।

पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें हार्डवेयर की आवश्यकता को सीमित करना होता है। virtualization और Cloud computing ऐसी प्रमुख तकनीकें हैं जो भौतिक हार्डवेयर की आवश्यकता को सीमित करती हैं। ये तकनीके वे हैं जो एक ही फिजिकल सर्वर पर कई वर्चुअल मशीनें चलाकर या दूरस्थ सर्वर का उपयोग करके हार्डवेयर खरीद, रखरखाव और बिजली की खपत में आशातीत कटौती करती हैं। क्योंकि वर्चुआलाइजेशन एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक है, जो एक ही भौतिक कम्प्यूटर या सर्वर (हार्डवेयर) को कई वर्चुअल (आभासी) कम्प्यूटरों में विभाजित करती है। जिसके कारण एक ही मशीन पर अलग-अलग आपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन चलाने की सुविधा भी मिल जाती है। चूँकि एक सर्वर कई गुना ज्यादा काम कर सकता है, इसलिए एकस्ट्रा फिजिकल सर्वर खरीदने और उनके रखरखाव की आवश्यकता कम हो जाती है।

क्लाउड कम्प्यूटिंग तकनीक में डेटा को स्टोर करने और चलाने के लिए इंटरनेट के माध्यम से रिमोट सर्वर का उपयोग किया जाता है। जिसके कारण मंहगे हार्डवेयर जैसे स्टोरेज ड्राइव, सर्वर या शक्तिशाली सीपीयू खरीदने की आवश्यकता से बचा जा सकता है। फलस्वरूप लागत, ऊर्जा, कूलिंग सिस्टम, आपरेशनल कास्ट, रखरखाव और जगह की बचत होती है। इसके फलस्वरूप प्रबंधन भी आसान हो जाता है।

डेटा को फिजिकल (स्थानीय) सर्वर के बजाय क्लाउड पर स्थानांतरित करने से ऊर्जा की खपत काफी कम हो जाती है, क्योंकि क्लाउड डेटा केन्द्र साझा संसाधनों (multi-tenancy) वर्चुआलाइजेशन और उन्नत शीतलन तकनीकों का उपयोग करते हैं। यह स्थानीय सर्वरों के मुकाबले कम हार्डवेयर में अधिक डेटा स्टोर करते हैं, जिससे बिजली की खपत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। क्लाउड प्रदाता जैसे AWS, Google cloud कई उपयोगकर्ताओं के लिए एक ही भौतिक सर्वर का उपयोग करते हैं, जिससे कम सर्वर चालू रखने पड़ते हैं।

ग्रीन कम्प्यूटिंग तकनीक में बिजली की बचत करने के लिए निम्न बिन्दुओं पर ध्यान रखना चाहिए...

१- समय-समय पर अपने वर्तमान आई टी उपकरणों की ऊर्जा की जाँच करते रहना चाहिए।

२- कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षित व्यक्ति कम समय में ज्यादा अच्छा काम करके ऊर्जा को भी बचाने में

सक्षम होता है।

३- ग्रीन साफ्टवेयर का इस तरह से विकास करना चाहिए, जो कम प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी का उपयोग करनेवाले हों। इससे भी ऊर्जा की खपत कम होती है और फलस्वरूप बचत भी होती है, जो पर्यावरण की रक्षा करती है।

४- डिजिटल दस्तावेजों और क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करके कागज की बर्बादी से भी बचा जा सकता है। इससे भी ऊर्जा की बचत होगी।

५- डेटा को फिजिकल सर्वर के बजाय क्लाउड पर रखने से भी ऊर्जा की खपत कम होती है।

६- पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों एवं उनमें प्रयुक्त सामानों का पुनर्चक्रण करना चाहिए तथा उपकरणों का जीवन बढ़ाने के लिए समय-समय पर उन्हें अपग्रेड भी करते रहना चाहिए।

७- डेटा केन्द्रों में बेहतर वेन्टीलेशन और कूलिंग सिस्टम का उपयोग करना चाहिए। पारम्परिक एयर कंडीशनिंग की जगह वैरिएबल स्पीड पंखे, बाहरी ठंडी हवा का उपयोग या इमर्शन कूलिंग (तरल में डुबोकर ठंडा करना) का उपयोग करना चाहिए।

८- कम्प्यूटर के निष्क्रिय होने पर उसे 'स्लीप मोड' में डालना चाहिए और उपयोग न होने पर स्विच्ड ऑफ करने की आदत डालनी चाहिए।

९- ऊर्जा की अधिकतम् बचत के लिए उपकरणों को चालू छोड़ने के बजाय पावर प्वाइंट बंद कर देना चाहिए। सोने से पहले या घर से बाहर जाते समय अपने हीटर, कूलिंग सिस्टम और अन्य उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। रातभर या घर से बाहर रहने के दौरान अपने कम्प्यूटर, प्रिन्टर आदि सभी उपकरणों को बंद कर देना चाहिए।

१०- हीट रीसाइक्लिंग के लिए सर्वर से निकलने वाली ऊष्मा को अन्य कार्यों में उपयोग कर लेना चाहिए।

११- जब सर्वर कम उपयोग में हो, तो उन्हें 'लो पावर मोड' या 'हाइबरनेट मोड' में डाल देना चाहिए। साथ ही साथ उपयोग में न होनेवाले विद्युत वितरण इकाइयों को बंद कर देना चाहिए।

१२- डेटा केन्द्रों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों का उपयोग करना चाहिए।

१३- डेटा सेन्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट (DCIM) सिस्टम का उपयोग करके वास्तविक समय में बिजली की खपत की निगरानी करते रहना चाहिए।

१४- पुराने हार्डवेयर जो अधिक बिजली की खपत करते हैं, उन्हें आधुनिक एनर्जी स्टार प्रमाणित उपकरणों से बदल लेना चाहिए।

१५- सभी उपकरण एनर्जी स्टार प्रमाणित ही उपयोग में लाने चाहिए।

१६- वर्चुआलाइजेशन और कन्सालिडेशन।

निष्कर्ष-

कार्बन उत्सर्जन कम करना और पर्यावरण का संरक्षण करना.. इन दोनों गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए ग्रीन कम्प्यूटिंग तकनीक की अहम् भूमिका प्रतीत होती है।

संदर्भ

१- 'ऊर्जा और ए आई. कार्यकारी सारांश'। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (२०२४)

२- 'ए आई से ऊर्जा की मांग'। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (२०२५)

३- 'ई-कचरे पर राज्य विधान'। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक बैक कोएलिशन। (२० मार्च, २००८) मूल से ६ मार्च, २००९ को संग्रहीत।

४- 'क्या २०३० में आई सी टी क्षेत्र से बिजली की खपत १० से २० प्रतिशत के बीच होगी?' www.enerdata.net (८ अगस्त, २०१८) १० दिसम्बर, २०२२ को पुनः प्राप्त किया गया।

५- ए बी मेरिट, रिक (१२ अक्टूबर, २०२२) 'ग्रीन कम्प्यूटिंग क्या है?' (एनवीडिया २३ अक्टूबर, २०२२)

६- गार्डिनर, ब्रायन (२२ फरवरी, २००७) 'पी सी निर्माताओं के लिए नयी एनर्जी स्टार कितनी महत्वपूर्ण होगी?' पीसी मैगजीन मूल से २६ अगस्त, २००७ को संग्रहीत।

७- 'क्लाइमेट सेवर्स कम्प्यूटिंग इनिशिएटिव वास्तव में क्या है?' क्लाइमेट सेवर्स कम्प्यूटिंग इनिशिएटिव (२००७) मूल से १५ दिसम्बर, २००७, को संग्रहीत।

८- 'कार्बन जागरूकता', ग्रीन साफ्टवेयर फाउंडेशन,

९- 'ग्रीन आई टी क्या है?' मूल लेख १५ अप्रैल, २००८

बुद्ध संस्कृति विश्वविद्यापीठ

(भाषा,संस्कृति एवं शोध संस्थान)
(Established under the rules of the Indian Constitution)

परिचय – बुद्ध संस्कृति विश्वविद्यापीठ की स्थापना भारतीय संविधान के प्रावधानानुसार एक स्वायत्त संस्था के रूप में भगवान बुद्ध की शिक्षा, संस्कृति, भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार, उत्थान एवं विकास और जनकल्याणार्थ कार्यों के लिए की गई है।

संस्थान का उद्देश्य – भगवान बुद्ध की शिक्षा और संस्कृति, पालि भाषा और साहित्य के साथ राष्ट्र भाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार करना। भारतीय संविधान और उसके अंतर्गत जन उपयोगी अधिनियमों का प्रचार-प्रसार करना। समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के मेधावी बच्चों की शिक्षा हेतु सहयोग प्रदान करना। समाज में व्याप्त कुरीतियों व अंधविश्वासों को दूर करने हेतु कार्य करना तथा ग़रीब और असहाय व्यक्तियों की मदद करना। वर्तमान में प्रचलित विभिन्न शिक्षा पद्धतियों के माध्यम से भाषाई शिक्षा के साथ व्यवसायिक एवं रोज़गारपरक शिक्षा प्रदान करना। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उत्साहवर्धन हेतु सम्मानित करना। राष्ट्रभाषा हिंदी और साहित्य व पालि भाषा और साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विद्वानों एवं साहित्यकारों के उत्साहवर्धन के लिये उनको सम्मानित करना।

संस्थान का पता– बुद्ध संस्कृति विश्वविद्यापीठ, तिरुपति बालाजी, कॉलोनी कोतवाली रोड, नजीबाबाद-246763 जिला बिजनौर, उ.प्र.

संपर्क – 9412361392

बुद्ध संस्कृति विश्वविद्यापीठ को दान/सहयोग करने हेतु बैंक का विवरण –

Account Name : Buddha Sanskriti Vishwavidyapeeth,
Bank Name : State Bank of Inida ,
Account Number : 39576501117
IFS Code: SBIN0018564,
Branch : Dhanaura, Najibabad - 246763, District Bijnor, U.P.

SCAN & PAY

• Fund Transfer : NEFT / RTGS / IMPS / Quick Pay • चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/UPI

नोट– बुद्ध संस्कृति विश्वविद्यापीठ को आप द्वारा दिया गया दान/सहयोग आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के अंतर्गत आयकर में छूट के लिए मान्य है।

The Impact of India's Women's Cricket World Cup 2025 Victory on Gender Perceptions in Indian Society."

Abstract

This research article explores the significant influence of India's triumph in the 2025 Women's Cricket World Cup on societal attitudes regarding gender. Utilizing a multi-faceted methodology that includes a thematic analysis of media reports, evaluations of policies, and interviews with key stakeholders, the study illustrates how this landmark victory sparked a nationwide reassessment of existing gender norms. Traditionally, Indian women have encountered formidable obstacles to participation and acknowledgment in sports, rooted in deeply ingrained stereotypes and systemic disparities. The paper highlights how the World Cup win, which was widely celebrated across various demographics, acted as a notable disruption in these established patterns—bringing women's sporting achievements into the spotlight and igniting discussions on women's empowerment at the family, institutional, and policy-making levels. Key findings indicate both immediate and developing societal changes: an increase in grassroots sports involvement among girls, greater representation of female athletes in the media, and a notable rise in both public and private funding aimed at enhancing women's sports facilities. Feedback from educators, policymakers, and young female athletes shows a rise in aspirations, more extensive community support, and shifting parental attitudes towards girls participating in competitive sports. Although there remain areas of resistance and ongoing stereotypes, this victory has accelerated reforms sensitive to gender issues and motivated a new generation to push against traditional limitations. The article concludes that the victory of India's Women's World Cup team marks a significant point in the nation's continued progress towards gender equity. Its enduring impact is likely to be reflected in altered attitudes, institutional changes, and a broader, more inclusive understanding of women's capacities in public life—signifying a future in which sports act as a significant force for social transformation.

Dr. Shraddha Shree Yadav
(Asst. Prof.)
Department of Physical. Education
Gindo Devi Mahila Mahavidyalya
Budaun

Dr. Reeta Gupta
(Asst. Prof.)
Department of Physical Education
Sri Tikaram Kanya Mahavidyalaya
Aligarh

Introduction:

India's inaugural Women's Cricket World Cup victory in 2025 represents more than just a sporting milestone—it signifies a cultural shift that inspires hope, challenges traditional norms, and visibly alters societal expectations. As the Indian team celebrated their triumph at Navi Mumbai's DY Patil Stadium, the joy resonated across the country. The event garnered millions of viewers live on television and streaming platforms, matching the audience numbers of the men's 2024 T20 final, reflecting a landmark moment for equality between men's and women's cricket in the public consciousness.

Background:

Gender Issues in Indian Sports Historically, Indian culture has maintained significant gender disparities in access to sports, education, and various opportunities. Women athletes have faced societal and familial opposition, inadequate resources, and entrenched stereotypes that limited their roles to domestic spheres, raising doubts about their ambitions in sports. The progression of women's sports in India—highlighted by pioneers like P.V. Sindhu and Mary Kom—has established

cricket as a prominent arena for advancing gender equality and public engagement.

The advancement of women's sports in India—highlighted by pioneers like P.V. Sindhu and Mary Kom—has created an opportunity for cricket to become a prominent arena for gender equality and community involvement.

The 2025 World Cup: Activities and National Reaction

India's triumph over South Africa by 52 runs captivated the nation, ending a 47-year wait and elevating young talents like Shafali Verma and Deepti Sharma to the status of household names. The tournament experienced unmatched enthusiasm, with girls and boys celebrating side by side and a spike in Google searches for women cricketers surpassing previous years. Prime Minister Modi's vocal support and the unprecedented ICC prize pool showcased the shifting focuses in Indian sports.

Gender Views: Challenging Limitations and Stereotypes

The win directly challenged and began to dismantle the ongoing gender stereotypes that deemed sports as "unfeminine" or unsuitable for Indian girls. Accounts like that of Shafali Verma, who disguised herself as a boy to pursue cricket training, now act as inspirations for countless young girls and their families—a narrative now being reshaped across the country with enhanced institutional and societal backing. The increased visibility and acceptance of women's accomplishments in a field traditionally dominated by men prompted a reassessment of what Indian women can aspire to and strive for in areas well beyond cricket.

Societal Impact: Immediate and Future Changes

Immediate Changes

An overwhelming sense of national pride has blurred the lines of traditional gender roles in fan support, with families, young girls, and respected elders celebrating the achievement together. This event has already led to increased media visibility, new investments in women's cricket, and a rise in grassroots participation, as more girls sign up for sports academies in both urban and semi-urban areas.

Future Implications

While changing deep-seated attitudes takes time, the momentum created is anticipated to foster continuous policy attention, commercial sponsorships, and a fairer distribution of sporting resources. This victory sparks wider discussions about gender discrimination, work-life balance, and women's rights to public spaces in India. The growing acceptance of female athletes is likely to extend into other fields, shaping educational choices, career paths, and aspirations for leadership.

Challenges and Ongoing Resistance

Long-standing social biases do not disappear quickly; certain segments of the media and the public continue to exhibit complex, often negative criticism, typically s and advocacy.

Inspiring Future Generations: Role Models and Opportunities

Women cricketers are emerging as influential role models, motivating young girls to aspire beyond societal constraints and visualize professional achievements in sports and public life. This cultural transformation is reinforced by a feedback loop: heightened media exposure, grassroots initiatives like 'Sports for Life' aimed at underprivileged girls, and the acceptance of aspirations that were previously considered unattainable for daughters in India.

Policy and Institutional Suggestions

The current moment necessitates systematic action—greater investment in women's sports facilities, proactive gender education within schools, focused grassroots recruitment efforts, and robust anti-discrimination policies across national and state sports organizations.

Collaborations among government entities, NGOs, educational institutions, and the private sector can harness this momentum, translating symbolic victories into enduring change.

Conclusion

The triumph of the Women's Cricket World Cup in 2025 signifies a significant milestone, not only in Indian athletics but also in the ongoing pursuit of gender equality and empowerment throughout society. Its true legacy will be shaped by the narratives of girls who pick up a cricket bat for the first time, the parents and educators who support their aspirations, and the shifts in policies and social attitudes—one celebrated boundary at a time. This overview encapsulates the context of the event and the various impacts that India's World Cup success is likely to have on gender perceptions, societal structures, and the empowerment of future generations in India. For a 4,000–5,000 word academic paper, utilize this framework to elaborate on each section with case studies, comprehensive policy analysis, data regarding participation and media trends, extensive literature on sports as a means for social progress, and detailed stakeholder interviews, referencing pertinent sources in APA style throughout.

References

1. BBC News. (2025, November 3). How India finally embraced World Cup fever. BBC. Retrieved from **https:// www.bbc.comESPNcricinfo**. (2025, November 8).
2. World Cup 2025 victory a culmination for India Women. ESPNcricinfo. Retrieved from **https:// www.espncricinfo.comIndian** Express. (2025, October 23).
3. Women's cricket is winning fans, but there's yards to go for full equality. Indian Express. Retrieved from **https:// indianexpress.comSport** and Development. (2023, August 25).
4. Unleashing equality: When sport becomes a tool for social change. SportandDev.org. Retrieved from **https://sportanddev.orgGender** Equality Sport. (2025, September 26).
5. Grassroots excellence for women and girls in India. GenderEqualitySport.org. Retrieved from **https:// genderequalitysport.orgIndia** Today. (2025, October 19).
6. Is the criticism of Indian women's cricket team layered with gender bias? India Today. Retrieved from **https:// www.indiatoday.inInstasport**. (2025, June 15).
7. Indian women athletes are redefining sports in 2025. Instasport. Retrieved from **https://instasport.clubUSC** Libraries. (2009, November 18).

शोधादर्श (त्रैमासिक शोध पत्रिका) का जनोपयोगी उपक्रम

महेन्द्र 'अश्क' साहित्य शोध संस्थान

- न भाषा भेद होगा न व्यक्ति भेद होगा और न ही होगा क्षेत्र भेद
- संस्थान में होगा पुस्तकालय और संग्रहालय
- प्रत्येक 30 नवंबर को कवि सम्मेलन और मुशायरा
- प्रत्येक 30 नवंबर को सम्मान समारोह
- महेन्द्र 'अश्क' पर आधारित पाण्डुलिपियों का निशुल्क प्रकाशन
- शोध प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए सेमीनार का निरंतर आयोजन
- वो सभी कार्य जो भाषा और साहित्य के उत्थान में सहायक हों

वर्तमान पता

धनौरा देवता, साईं एंक्लेव, नजीबाबाद-246763 बिजनौर (उत्तर प्रदेश)

संपर्क

सचलभाष- 9897742814 ई-मेल- mahendraashk@gmail.com

आपका छोटा-सा सहयोग साहित्य के उत्थान में बड़ा योगदान होगा

शोधादर्श

SHODHADARSH

A Quarterly Peer Reviewed and Refereed Research Magazine

राष्ट्रवादी विचारों के 'शोधादर्श शोध संस्थान' अभियान से जुड़ें और राष्ट्र के विकास में सहयोग करें

राष्ट्रवादी विचारों का 'शोधादर्श शोध संस्थान'

('शोधादर्श' पत्रिका द्वारा नियंत्रित)

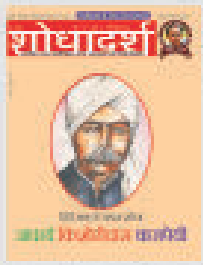

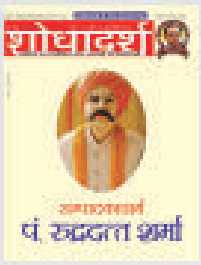

जुड़ने वाले लोग

- कोई भी, जो व्यसनी/अपराधी/ पागल न हो। सकारात्मक विचार वाला हो। किसी भी राजनीतिक अथवा अराजनीतिक संगठन से जुड़ा हो। कहीं भी कार्यरत हो। किसी भी धर्म और जाति का हो। रहता कहीं भी हो मगर भारतीय हो। किसी भी आयु का हो। अपने विचार लिखकर और बोलकर व्यक्त कर सकता हो। अनुशासन का पालन करने वाला हो। दूसरे के विचार सुनने वाला हो। राष्ट्र और समाज के प्रति किसी निर्णय पर पहुंचने वाला हो। सहयोग करने वाला हो, चुगलखोर और मजाक बनाने वाला न हो। शिक्षक, पत्रकार, चिकित्सक, वकील आदि कोई भी हो। कोई भी भाषा-भाषी हो सकता है। शिक्षित अथवा अशिक्षित हो। अनिवार्यतः 'शोधादर्श' पत्रिका की कम से कम वार्षिक सदस्यता प्राप्त की हो।

हमारे उद्देश्य

- राष्ट्र और राष्ट्र की समस्याओं पर विधिपूर्वक चर्चा की जाएगी। राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए विचार व्यक्त किए जाएंगे। शिक्षा और शोध पर विशेष ध्यान रहेगा। सरकार की नीतियों और उसमें सुधार पर चर्चा कर सरकार को अवगत कराया जाएगा।
- लगभग एक लाख पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिपोर्ट आदि की पीडीएफ 'शोधादर्श' की वैबसाइट पर निशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास।

क्या नहीं होगा

- यह संस्था कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेगी। यह संस्था देश में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं फैलाएगी।

आय

- उद्देश्यपूर्ति के लिए दान, चंदा, सहयोग आदि के रूप में धन स्वीकार किया जाएगा।

व्यय

- प्रचार, प्रसार, प्रकाशन, यातायात, आयोजन, मदद, सहयोग आदि पर व्यय किया जाएगा।

पंजीकरण

- यह संस्थान त्रैमासिक पत्रिका 'शोधादर्श' का सहयोगी नॉन कॉमर्शियल संगठन (वैचारिक) होगा। इसलिए अलग से संगठन के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है किन्तु भविष्य में जब भी संगठन को रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता होगी तब विधिपूर्वक नीति अपनाई जाएगी। फिलहाल संगठन में कोई स्थाई अध्यक्ष या पदाधिकारी नहीं होगा। जहां कहीं भी कोई कार्यक्रम कराया जाएगा वहां की अस्थाई कार्यकारी समिति बनाई जाएगी जो कार्यक्रम के तुरंत बाद भंग मान ली जाएगी।

https://www.shodhadarsh.page/ के अतिरिक्त एक और अन्य वैबसाइट पर काम चल रहा है, जिसमें शोध प्रवृत्ति को बढ़ाने संबंधी अनेक सुविधाएं होंगी

संपादक (शोधादर्श) सचलभाष – 9897742814 (वाट्सएप)

आप भी जुड़ें, साथ हमारे।

आपकी सदस्यता हमें बड़ा सहयोग प्रदान करेगी

वार्षिक सदस्यता : 1000 रु. पांच वर्ष सदस्यता : 4500 रु.

भुगतान करें

SHODHADARSH

INDIAN OVERSEES BANK, NAJIBABAD AC- 368602000000186 IFSC- IOBA0003686

भुगतान पर्ची 9897742814 पर भेजें